तृतीय माला, खण्ड १५—अंक २२

मंगलवार, १९ मार्च, १९६३

२८ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १५ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं।)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न *संख्या ४६६ से ४७१, ४७३ से ४७६ और ४७८ से ४८२ २०४६—७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७२, ४७७ और ४८३ से ४६६ . २०७१—७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ६३४ और ६३६ से ६६७ . . २०७८—२११३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१६३–१४

समिति के लिये निर्वाचन २११४

राष्ट्रीय नौवहन बो

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण संबंधी समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . . . २११४—५

श्री कृष्णमूर्ति राव . . . . . २११४—२२

श्री राम सेवक यादव . . . . २१२२—२८

श्री बागड़ी . . . . २१२८—३३

श्री म० ना० मंडल . २१३३—३५

श्री उटिया . . २१३६

श्री रामेश्वरानन्द . . . २१३६—४२

श्री ही० ना० मुकर्जी . . २१४२—४४

श्री त्यागी . . २१४४—४७

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी २१४७–४८

श्री जवाहरलाल नेहरू . . . २१४८—५१

श्री उ० मू० त्रिवेदी . २१५१–५२

श्री यशपाल सिंह . . २१५२–५३

डा० मा० श्री० अणे २१५३–५४

श्री खाडिलकर . . . २१५४–५५

श्री नी० श्रीकान्तन नायर २१५५

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

मंगलवार, १९ मार्च, १९६३

२८ फाल्गुन, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नो के मौखिक उत्तर

कलकत्ता बन्दरगाह के लिए तलकर्षक (ड्रेजर)

†*४६९ **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० बास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार कलकत्ता बन्दरगाह के लिये नया तलकर्षक (ड्रेजर) ख़रीदने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्रय-आदेश (आर्डर) दे दिया गया है और किस विदेशी फर्म को दिया गया है ; और

(ग) ड्रेजर का क्या मूल्य है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख) जी हां । मैसर्स आई० एच सी० हालैंड को एक क्रय-आदेश दे दिया गया है ।

(ग) तलकर्षक (ड्रेजर) की लागत लगभग २ करोड़ ५० लाख रुपये होगी ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या तलकर्षक (ड्रेजर) का मूल्य समझौता वार्ता द्वारा निश्चय किया गया है अथवा इसके लिये कोई खुली निविदायें मांगी गई थीं ?

†मूल अंग्रेजी में ।

3191 (ai) LS—1.

†**श्री राज बहादुर :** टेंडर मांगे गये थे। टेंडरों की पड़ताल करने के लिये एक टेंडर समिति नियुक्त की गई थी। उसने कुछ सिफारिशों की जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** इस तलकर्षक के कब तक आ जाने की आशा है ?

†**श्री राज बहादुर :** लगभग साढ़े चौबीस महीनों में।

†**श्री स० च० सामन्त :** क्या यह वही तलकर्षक है जिसकी कि ओकलैंड बार तथा ब्यूमोन्ट्स गट तक आने वाले शस्त्रों का तलकर्षण करने के लिये श्री पासथ्यूमा ने सिफारिश की थी ?

†**श्री राज बहादुर :** यह सागरसंगमीय[1] बार्स के लिये है और ओकलैंड भी उन्हीं में से एक है।

†**श्री ब० कु० दास :** इस तलकर्षक की क्षमता कितनी है और क्या यह उस कार्य के लिये पर्याप्त है जो अब किया जा रहा है ?

†**श्री राज बहादुर :** तलकर्षक की क्षमता सम्बन्धी आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : वाटर पावर कमीशन ने कई वर्ष पूर्व यह रिपोर्ट दी थी कि हुगली नदी में ड्रेजिंग के लिए कितना इन्तिज़ाम किया जाना चाहिये। वह इन्तिजाम अभी तक नहीं हुआ है और कलकत्ता पोर्ट सिल्ट होता चला जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि ड्रेजिंग का इन्तिजाम पूरा कब हो जायेगा ताकि इस पोर्ट में सिल्टिंग न हो ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मुझे स्मरण है वाटर पावर कमीशन ने ड्रेजर्स के बारे में कोई सिफारिश नहीं की। अलबत्ता यह कहा था कि फरक्का बराज बनना चाहिए जिससे फ्रेश वाटर की सप्लाई हो।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मंत्री महोदय कहते हैं कि इस तलकर्षक (ड्रेजर) को लेने में लगभग दो वर्ष अथवा अधिक समय लग जायेगा। इस बीच में यह देखने के लिए कि नदी का उचित तल-कर्षण किया जाता है सरकार क्या कदम उठायेगी, क्योंकि विद्यमान तलकर्षक बेड़ा तो अपर्याप्त है ?

†**श्री राज बहादुर :** हमारे पास छः तलकर्षक हैं। उनमें से चार तो बिलकुल ही नये हैं और शेष दो भी नये हैं। दूसरे को भी ओवरहालिंग और मरम्मत करके चालू रखा जाता है।

†**श्री जसवन्त मेहता :** कितनी पार्टियों ने टेंडर भेजे थे और क्या न्यूनतम टेंडर स्वीकृत किया गया था अथवा वार्ता द्वारा टेंडर किया गया ?

†**श्री राज बहादुर :** चार फर्मों ने भाव दिये थे और न्यूनतम भाव वाला टेंडर स्वीकृत किया गया।

श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा : देश की नदियों में जिस तरह सिल्टिंग हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार देश में ही ड्रेजर बनाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Esturian Bars.

श्री राज बहादुर : ड्रेजर की अपने देश में जितनी आवश्यकता है वह एक यूनिट को चलाने के लिए काफी नहीं है। इसलिए अभी तो देश में ड्रेजर बनाने का कोई इरादा नहीं है।

सामुदायिक विकास खण्डों के प्रमुख

+

*४७० { **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक विकास खण्डों में जहां जनता के प्रतिनिधियों ने विकास खण्ड समितियों का कार्य संभाल लिया है वहां पर सामुदायिक विकास खण्ड के प्रधान अथवा प्रमुख के क्या अधिकार है ?

(ख) इन समितियों के क्या अधिकार हैं ;

(ग) क्या विकास खण्ड अधिकारी का कार्य विकास खण्ड समितियों के प्रधान अथवा प्रमुख के अधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). ऐसा विचार है कि यह प्रश्न पंचायत समितियों के कार्य संचालन के बारे में है।

(१) प्रधान अपने दूसरे कार्यों के अतिरिक्त पंचायत समिति के माध्यम से खंड विकास अधिकारी और दूसरे विस्तार अधिकारियों पर भी नियंत्रण रखता है। अपने पद के कारण खण्ड कर्मचारियों के बारे में उसे सामान्य सुपरवाइज़री अधिकार हैं किन्तु प्राविधिक पहलू उच्च स्तर के प्राविधिक अधिकारियों के ही अधीन होते हैं।

(२) राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अधीन रहते हुए, आयोजन और विकास के यूनिट होने के नाते स्थानीय क्षेत्रों में समस्त विकास कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यान्वयन की विशेष जिम्मेदारी सामान्य रूप से इन समितियों की हो जाती है।

(३) इन समितियों को जो अधिकार और कार्य सौंपे गए हैं उनका स्वरूप हर राज्य में भिन्न-भिन्न है। इन पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी "ए डाइजेस्ट आन पंचायती राज" और "पंचायती राज —ए कम्पारेटिव स्टडी आफ़ लेजिस्लेशनस" नामक छपे हुए प्रकाशनों में दी गई है, जिनकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : मेरा प्रश्न जो था वह ब्लाक डेवेलपमेंट कमेटीज़ के संबंध में था, पंचायतों के संबंध में नहीं था। मैं जानना चाहता हूं कि डेवेलपमेंट ब्लाक के जो अधिकारी हैं जैसे बी० डी० ओ० के समिति के चेयरमैन के किस हद तक मातहत हैं। क्या वे उनके सरविस रिकार्ड में रिमार्क लिख सकते हैं और क्या उनकी सेवाओं के संबंध में भी कुछ घटा बढ़ी कर सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० सू० मूर्त्ति :** श्रीमन्, सामान्यतया, विकास खंड अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों के आचरण के संबंध में प्रधान कोई भी जांच कर सकता है परन्तु वास्तविक जांच तथा अनुशासनिक कार्यवाही तो उच्च अधिकारियों के हाथों में ही होगी।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि ब्लाक समितियों के खर्च के लिये जो प्रस्तावनायें आती हैं और जो बजट पेश किये जाते हैं उनमें समिति के सदस्य लोग कुछ हस्तक्षेप नहीं कर पाते और स्थानीय काम नहीं करा पाते और ऊपर से जो प्रोग्राम आते हैं उन्हीं को कार्यान्वित किया जाता है, और इस प्रकार समितियां असमर्थ सी हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) :** श्रीमन्, जब पंचायती राज चल रहा होता है, तो योजनायें बनाने और आयव्ययकों और योजनाओं की स्वीकार करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व पंचायत समिति का होता है, सरकारी संगठन का नहीं।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** सामुदायिक विकास खंडों के प्रमुखों के अधिकार तथा क्षेत्राधिकार विभिन्न राज्यों में किस प्रकार भिन्न भिन्न हैं ? उत्तर प्रदेश की तुलना में दिल्ली में वह किस प्रकार भिन्न हैं ?

†**श्री सु० कु० डे :** स्वाभाविक रूप से ही, देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के लोकतन्त्रात्मक विकास को भी सम्मिलित करके स्थितियां भिन्न भिन्न हैं, और इसलिये, प्रधानों को अधिकार तदनुसार भिन्न भिन्न ही होंगे।

श्री यशपाल सिंह : क्या ज्यादातर केसेज में ऐसा भी होता है कि एम० ए० एल० एल० बी० पास बी० डी० ओ० के करेक्टर रौल में अपर प्राइमरी पास ब्लाक प्रमुख लिखता है ?

†**श्री सु० कु० डे :** श्रीमन्, उच्च प्राथमिक योग्यता (अपर प्राइमरी क्वालीफिकेशन) का खंड विकास कार्यक्रम को चलाने से बिलकुल कुछ भी तो संबंध नहीं है। यदि एक व्यक्ति उस क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता के गुण के कारण प्रधान चुन लिया जाता है तो निश्चय ही वह उच्चतम योग्यता प्राप्त विकास खंड अधिकारी से श्रेष्ठ है।

श्री सरजू पाण्डेय : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि चूंकि ब्लाक प्रमुख पापुलर होता और चुनकर आता है इसलिये चाहे वह दरजा ४ पास हो उसके बी० डी० ओ० के करेक्टर रोल में लिखने का अधिकार है। हमारा कहना है कि कुछ प्रमुख सरपंचों से जबरदस्ती वोट लेकर प्रमुख बन जाते हैं। क्या ऐसे लोगों को भी बी० डी० ओ० के करेक्टर रौल में लिखने का अधिकार है ?

†**श्री सु० कु० डे :** प्रजातंत्र अभी तक नीचे के स्तर से आरम्भ हो रहा है।

†**श्री रंगा :** क्या यह राज्य विधान सभाओं का कार्य नहीं है कि विकास खंड अधिकारियों और पंचायत समितियों के प्रधानों के अपने अपने कार्यों का अलग अलग निश्चय करें अथवा क्या इन समस्त अधिकारी का वहां पहिले ही निराकरण कर लिया गया है और वे यहां के मेरे माननीय मित्र द्वारा ले लिये गये हैं ?

†**श्री सु० कु० डे :** यह यहां कैसे हो सकता है ? प्रत्येक यह जानता है कि संविधान द्वारा सामुदायिक विकास का सम्पूर्ण कार्यक्रम राज्य सरकारों को सौंपा गया है और राज्य विधान सभाओं में पंचायती राज विधान का अधिनियमन किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री गौरी शंकर कक्कड़ : क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि बी० डी० ओ० औ चेयरमैन के अधिकायों को डिफाइन करने की वजह से काम में अड़चन हो रही है और विशेषकर उत्तर प्रदेश में जब से यह क्षेत्रीय समिति कानून लागू हुआ है, बी० डी० ओ० और चेयरमैन में द्वन्द्व चल रहा है, जिससे काम में रुकावट होती है ?

†**श्री सु० कु० डे**: धार्मिक संस्कारों द्वारा मान्यता प्राप्त विवाहों में भी दोनों साथियों को एक दूसरे के अनुकूल बनने में कुछ समय लगता ही है ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : विकास खंड अधिकारी और पंचायत समिति के प्रधान के बीच यह किस प्रकार का विवाह है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसकी जांच करना युवा पुरुषों का कार्य है ।

श्री विभूति मिश्र : चूंकि यह केन्द्रीय सरकार की एक योजना है, इसलिये क्या उस ने जिला परिषद् और पंचायत समिति के संबंध में कोई अपना निर्देश दिया है कि उनके कार्य आदि के संबंध में इस तरह से कानून बनाया जाये ?

†**श्री सु० कु० डे** : मैं यह प्रतिपादित करता हूं कि यह केन्द्रीय सरकार की योजना नहीं है । यह राज्य सरकारों को सम्मिलित करके समस्त भारत सरकार की एक योजना है । राज्य सरकारें उनके अपने विधान स्वयं ही बनाती हैं जिनको केन्द्रीय सरकार को उसकी टीका टिप्पणी के लिये, यदि कोई हो, भेजा जाता है ।

भारत और अमरीका के बीच भारवाहक जलयान सेवा

†*७४१ { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम ने भारत और अमरीका के बीच भारवाहक जलयान सेवा आरम्भ करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) क्या इस सेवा में प्रयोग होने वाले जलयानों का निर्माण भारत में हो रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में (नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां । भारतीय नौवहन निगम का इस सेवा को इस वर्ष अप्रैल/मई में किसी समय आरम्भ करने का विचार है ।

(ख) जी, हां । यह जलपोत हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापटनम में बनाये जा रहे हैं ।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : बेड़े में कुल कितने जलयान होंगे और उस निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में कितना समय लगने की संभावना है ?

†**श्री राज बहादुर** : यदि माननीय सदस्य उन जलयानों की संख्या का उल्लेख कर रहे हैं जिन्हें हम इस सेवा में लगायेंगे, तो हम 'विश्वमाया' नाम के एक जलयान से कार्य प्रारंम्भ करेंगे जिसके अप्रैल/मई में मिल जाने की आशा है । यथासमय हम छः जलयान और लगा देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** इस सेवा को चालू करने से विदेशी मुद्रा का कितना लाभ होगा ?

†**श्री राज बहादुर :** यह चीज जितना भार वे ले जा सकते हैं तथा जितनी क्षमता का वे उपयोग कर सकते हैं इस पर निर्भर करती है । यह गणना का विषय है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या इस संबंध में कोई समझौता है कि विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत अमरीका से भारत आने वाले नौभार का कितना प्रतिशत इन भारतीय जलयानों द्वारा लाया जायेगा ?

†**श्री राजबहादुर :** अमरीकी विधि के अनुसार अमरीकी नौभरण का पचास प्रतिशत उनके जलयानों द्वारा ही ले जाया जाता है । शेष आयात तथा निर्यात करने वाले देश की पसन्द पर छोड़ दिया जाता है । यह इस पर निर्भर करता है कि हमारे जलपोत कितना भार ले जा सकते हैं अथवा आकर्षित कर सकते हैं ।

श्री स० च० सामन्त : यह जो जदाज बनाया जा रहा है क्या यह यात्रियो को भी ले जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** जी, नहीं । मुख्य रूप से यह भारवाहक जलयान ही हैं ।

†**श्री विश्राम प्रसाद :** प्रत्येक जलयान का भार कितना होगा तथा प्रत्येक जलयान में यहां से अमेरिका कितना टन-भार ले जाया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** पहला लगभग नौ हजार जी० आर० टन का होगा । मुझे खेद है कि इस लाइन में चलाये जाने वाले जलयानों की कुल संख्या छः है, सात नहीं जैसा कि मैंने पहले बताया था, जिसमें से छः अभी बनाये जाने हैं ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या इन भारवाहक जलयानों की सेवा में कुछ विदेशी कर्मचारी भी नियुक्त किये जायेंगे ?

†**श्री राज बहादुर :** यदि भारतीय अधिकारी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे, तो हमें विदेशियों को भी नौकरी पर लगने के लिये अनुमति देनी होगी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या यह सच है कि गैर-सरकारी जलपोत मालिकों ने सरकार से यह अभ्यावेदन किया है कि तृतीय योजना के आवंटनों के समाप्त होने के पश्चात् आगे और धन भारतीय नौवहन निगम में विनियोजित नहीं किया जाना चाहिये, और यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**श्री राज बहादुर :** मैंने इस संबंध में नहीं सुना है । यह बात सर्वथा निराधार है ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार :** अमेरिका तथा भारत के बीच अमेरिका के जलयानों के अतिरिक्त अन्य जलपोतों द्वारा कितना नौभार ले जाया जाता है ?

†**श्री राज बहादुर :** इस समय, भारत तथा अमेरिका के बीच चलने वाले सिंधिया तथा इंडिया स्टीम शिप कम्पनी के केवल कुछ ही जलपोत हैं और इन दोनों देशों के बीच लाये ले जाने वाले कुल नौभार में से अधिकांश अमरिकी जलपोतों द्वारा ही लाया ले जाया जाता है ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** जिस समय तक यह जलपोत चलाये जायगे, टन-भार के पचास प्रतिशत का कितना भाग हमारे जलपोतों द्वारा ले जाया जा सकेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** एक निश्चित उत्तर देना तो कठिन ही होगा । यह सब व्यापार की मात्रा पर निर्भर करेगा—उदाहरणार्थ कल्पना कीजिये कि जो खाद्यान्न अमेरिका से आयात किया जाना है वह सब इन जलपोतों के तैयार होकर आने से पहले ही आयात कर लिया जाता है । यह इस पर निर्भर करेगा कि व्यापार कैसे विकसित होता है ।

हैदराबाद फ्लाइंग क्लब के विमान की दुर्घटना

+

†*४७३ { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद फ्लाइंग क्लब का विमान १० फरवरी, १९६३ को इब्राहीमपटनम झील में गिर गया था ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख). हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड का आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब द्वारा चलाया जाने वाला पुष्पक वी० टी०—डी० एल० एस० विमान १० फरवरी, १९६३ को इब्राहीमपाटन झील में गिर गया था । दुर्घटना के कारणों की खोजबीन की जा रही है ।

श्री रघुनाथ सिंह : हैदराबाद के इस क्लब में करीब चौबीस घंटे में दो एक्सिडेंट्स हुए । मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है कि वहां पर बहुत ज्यादा एक्सिडेंट्स हो रहे हैं ।

श्री मुहीउद्दीन : चौबीस घंटे में दूसरा एक्सिडेंट होने के बारे में मुझे इल्म नहीं है । अगर आनरेबल मेम्बर मुझे उसकी तफसील दें, तो मैं उसके बारे में पता लगा सकता हूं ।

श्री रघुनाथ सिंह : बाद में उसी दिन दूसरा एक्सिडेंट हुआ था । यह बात पेपर में आई है कि चौबीस घंटे में दो एक्सिडेंट हुए ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि मिनिस्टर साहब को इस बारे में इल्म नहीं है, इसलिये माननीय सदस्य उनको उस ख़बर की नकल भेज दें ।

†**श्री जोकिम आल्वा :** क्योंकि इन फ्लाइंग क्लबों में दुर्घटनायें प्रायः होती ही रहती हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में तथा उचित प्रकार के शिक्षकों को रखने के मामले में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

†**श्री मुहीउद्दीन :** मैं इससे सहमत नहीं हूं कि फ्लाइंग क्लबों की दुर्घटनायें उन दुर्घटनाओं से अधिक हैं जितनी कि आशा की जाती है । परन्तु फिर भी हम कदम उठा रहे हैं । सरकार ने शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिये कदम उठाये हैं । यह भी प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिये निरीक्षक नियुक्त किये जायें तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी नियम पूरी तरह क्रियान्वित किये जाय और उनका पालन किया जाय ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या उड़ान भरने से पूर्व इस विमान की उचित परीक्षा कर ली गई थी और फ्लाइंग क्लबों के वायुयानों की परीक्षा करने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन** : उड़ान करने से पूर्व वायुयानों का परीक्षण करने के आम नियमों का ही अनुसरण किया जाता है और जहां तक मुझे ज्ञात है कि इस मामले में भी वायुयान की जांच की गई थी।

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस दुर्घटना में जान और माल की कितनी हानि हुई ?

श्री मुहीउद्दीन : एक पायलट मर गया। वह हवाई जहाज पानी में डूब गया था और अब उसको निकाल लिया गया है। लेकिन मैं इस वक्त यह नहीं कह सकता कि आया वह हवाई जहाज रिपेयर हो सकता है या नहीं। मुमकिन है कि वह रिपेयर हो जाये।

जयपुर बीकानेर राष्ट्रीय राजपथ

†*४७४. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री ९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर और बीकानेर के बीच राष्ट्रीय राजपथ की मार्ग रेखा का इस बीच अन्तिम रूप से निश्चय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हाँ।

(ख) जयपुर तथा बीकानेर के बीच राष्ट्रीय राजपथ की मार्ग रेखा जयपुर—सीकर—लछमनगढ़—फतेहपुर—तीदालसर—रतनगढ़—राजलदेसर—डूंगरगढ़—सेरूना गोसांइसार—रायसर—बीकानेर के मार्ग से होकर जायेगी।

†**श्री कर्णी सिंहजी** : यह राजपथ किस समय तक यातायात के लिये खुल जायेगा और क्या विनिर्देशन इस बात की अनुमति देते हैं कि किसी आयात के आने पर भारी अस्त्र शस्त्र दिल्ली से पाकिस्तान के इन सीमावर्ती क्षेत्रों में लाये जा सकते हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : इस समय हम इस राजपथ को बारह फीट चौड़ी एक ही सड़क के रूप में बनाने जा रहे हैं और जहाँ तक इस पुल की मजबूती का सम्बन्ध है मैं निश्चित रूप से यह नहीं बता सकता कि यह उच्चतम स्तरों के अनुसार होगी अथवा नहीं। परन्तु इसके लिये सावधानी बरती जायेगी कि उस प्रयोजन को पूरा कर दे जो कि इससे पूरा कराना हो।

†**श्री कर्णी सिंहजी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली तथा पाकिस्तान के साथ २०० मील की सीमा को मिलाने वाला केवल यही राजपथ है, क्या सरकार के लिये यह सम्भव होगा कि वह अभी से यह देखने के लिये इस पर भारी अस्त्र शस्त्रादि लाये ले जाये जा सकें इस सम्बन्ध में विनिर्देश बनाने पर विचार करे।

†**श्री राज बहादुर** : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है जिसे विचार में रखा जायेगा।

†**श्री कर्णीसिंह जी** : इस वर्ष १९६३-६४ में इस राजपथ के लिये कितने रुपये का उपबन्ध किया गया है और इसे क्या पूर्ववर्तिता दी गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं यह कह सकता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस राष्ट्रीय राजपथ सुख्या ११ के लिये १ करोड़ ३० लाख ५० हजार रुपया नियत किया गया है। चालू वर्ष के लिये,

---

†मूल अंग्रेजी में

आगामी वर्ष के लिये चार प्राक्कलनों को स्वीकृति दे दी गई है। इनका योग लगभग २० लाख रुपया होगा। मैं एक कच्चा प्राक्कलन बता रहा हूं। ब्यौरे पढ़ने में समय लगेगा। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं पढ़ दूंगा।

†**श्री रंगा :** जब से यह गड़बड़ी हुई है क्या इस मन्त्रालय तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालय के बीच इसी राजपथ के सम्बन्ध में कोई परामर्श हुआ है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये हम जो उपबन्ध कर रहे हैं उसकी दृष्टि में इसमें इतनी कम लागत लगने की आशा है, क्या सरकार मेरे माननीय मित्र द्वारा दिये गये सुझाव पर अधिक तीव्रता से विचार करेगी ?

†**श्री राज बहादुर :** जहां तक उन राष्ट्रीय राजपथों के विकास का सम्बन्ध है जो कि सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है हम प्रतिरक्षा मन्त्रालय से निरन्तर तथा निकट परामर्श करते रहते हैं। हम उनसे परामर्श करते रहे हैं और वास्तव में, उन्होंने हमें कुछ पूर्ववर्तियां बताई हैं जिनके अनुसार हम कार्य कर रहे हैं। इस समय मैं इना ही बता सकता हूं।

श्री काशीराम गुप्त : इस हाईवे का इतनी कम चौड़ाई में काम शुरू होने के क्या कारण हैं ?

श्री राज बहादुर : हाईवे में एक लेन होती है जो कि १२ फुट वाली होती है। वह मौजूदा वक्त में १० वाली होती है। वह मौजूदा वक्त में १० फुट से ज्यादा नहीं है। इसको १० फुट से १२ फुट किया जा रहा है। जब ट्रैफिक ज्यादा होगी तो उसको १२ की जगह २२ किया जायेगा।

†**श्री अ० प्र० जैन :** हाल ही में हुई कुछ घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए क्या माननीय मन्त्री इस राजपथ के निर्माण को शीघ्रपूर्वक करेंगे ?

†**श्री राज बहादुर :** कार्य को शीघ्रतापूर्वक कराने के लिये हम सब सम्भव कदम उठा रहे हैं। परन्तु कार्य करने वाला अभिकरण तो राज्य सरकार है। हम इस आवश्यकता की अविलम्बनीयता के सम्बन्ध में उन पर फिर जोर डालेंगे।

श्री कमल नयन बजाज : क्या मैं जान सकता हूं कि इस हाईवे में कई जगह तो रास्ता बहुत चौड़ा बनाया गया है और कई जगह कम चौड़ा है, यदि हां, तो क्या इस को एक सरीखा बनाने का इस बारे में कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री राज बहादुर: यह तो सन् १९६० में नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद जो उसके तखमीने बने हैं उनको हम ने धीरे धीरे मंजूर किया है। जैसा कि मैंने अभी बतलाया १.३५ करोड़ रुपये में से करीब ५५ लाख रुपये का तख्मीना मंजूर किया जा चुका है। मैं समझता हूं कि जैसे जैसे काम चलेगा, यह खराबियाँ जो आप बतला रहे हैं यह दूर की जायेंगी।

ग्रामीण गृहणियों का कार्य-भार कम करना

†*४७५. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० के० देव :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्रीमती रणुका बड़कटकीं :
श्री बसुमतारी :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन ग्रामीण गृहणियों का कार्यभार कम करने के लिये एक योजना आरम्भ करने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वस्तुतः योजना क्या है ;

(ग) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने इस बारे में कोई संकेत किया है कि इस पर कितना व्यय होगा तथा वह कैसे पूरा किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो भारत को कितना धन देना होगा ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). योजना के ब्यौरे अभी खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा तैयार किये जा रहे हैं ।

†श्री सुबोध हंसदा : ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय गृहणियों के कार्यभार को आंकने के लिये क्या कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो औसत कार्यभार कितना है और विदेशों की तुलना में वह कितना है ?

†डा० राम सुभग सिंह : विस्तृत सर्वेक्षण अभी नहीं किया गया है । परन्तु लखनऊ की योजना तथा गवेषणा संस्था उन बहुत सी गवेषणा परियोजनाओं को पूरा करने में लगी हुई है जिन पर कि ग्रामीण रहन सहन की दशाओं का प्रभाव पड़ता है ।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने ऐसी कोई बात बताई है कि इस योजना के अन्तगत जिस कार्य के किये जाने का विचार है उसका संक्षिप्त रूप क्या है और वास्तव में गृहणियों का कार्यभार कितना है ?

†डा० राम सुभग सिंह : योजना का मुख्य स्वरूप एक ग्रामीण घर में रहने की दशाओं और स्त्रियों का घर का तथा खेत पर के कार्यभार का अध्ययन करना है और गृहिणी को यह दिखाना है कि वह उन सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार कर सकती है तथा उत्पादन बढ़ाने के लिये किस प्रकार अपनी शक्ति संचित बनाये रख सकती है । (अंतर्बाधाएं)

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । आदमी इस कार्यभार को गृहणी से उतारने के लिये उत्सुक है । उन्हें यह स्वय ही वहन करना होगा । वे यह अनुभव नहीं करते कि यह कार्यभार उनके ही कंधों पर आ पड़ेगा ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या खाद्य तथा कृषि संगठन ने अन्य साथ की सरकारों से इस मामले पर विचार करने और अपनी प्रतिक्रिया बताने के लिये कहा है ?

†डा० राम सुभग सिंह : मुझे अन्य सरकारों के सम्बन्ध में ज्ञात नहीं है । परन्तु यह हमारे देश के लिये एक योजना है जिसकी खाद्य तथा कृषि संगठन जांच कर रहा है । यह आशा की जाती है कि वे २ लाख ५ हजार २३९ डालर व्यय करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या काम को कम करने के लिये खाने की आदतों को बदलन की तथा स्त्रियों को ईंधन के एक बहुत प्रभावकारी तथा वैकल्पिक साधन के रूप में देने के लिये गोबर गैस संयन्त्र चलाने की भी खाद्य तथा कृषि संगठन की कोई योजना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: इस देश में यह एक बहुत सुन्दर प्रयोग किया जा रहा है । ग्रामीण गृहणियों के कार्यभार को आंकने के लिये अभी तक कोई भी प्रयत्न नहीं किया गया है । बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका भारतीय स्थितियों में भी प्रयोग किया जा सकता है । हमें इसके सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित नहीं करने हैं । खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में हम यह एक नया प्रयोग कर रहे हैं और इसलिये लखनऊ की संस्था इसकी उत्तर प्रदेश के एक सीमित क्षेत्र में परीक्षा करेगी । यह कहना मेरे लिये कठिन है कि यह गोबर गैस संयन्त्र कार्यभार को कम करने की योजना में आयेगा अथवा नहीं । परन्तु एक बात जो इस योजना में अवश्य ही आती है वह हमारी खुराक के पौष्टिक स्तर के सम्बन्ध में है । उनको यह शिक्षा दी जायेगी कि भोजन के पौष्टिक स्तर कैसे ऊंचे किये जायें और यह भी कि खेती के उसी क्षेत्र में फसलों की किस प्रकार व्यवस्था की जाय जिससे कि हमारा आहार सन्तुलित हो ।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु इससे गृहणी का कार्यभार कम नहीं होगा ।

†**श्री स० का० पाटिल** : कार्यभार तब कम हो जायेगा जबकि कृषि के उत्तम ढंग, जो कि मुख्य चीज हैं, चलाये जायगे ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या भारतीय गृहणी का कार्यभार भारत में सबसे अधिक आंका गया है, और यदि हां, तो क्या भारत के अन्य राज्यों की तुलना में यह आसाम में सबसे अधिक है ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : आसाम में यह सबसे अधिक है क्योंकि वहां स्त्रियां हमारी जनसंख्या के बहुत कठिन परिश्रम करने वाले भाग में से एक हैं । परन्तु अभी तक समस्त भारत के लिये आंकड़े नहीं निकाले गये हैं ।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : ब्रिटिश गृहणियों की संस्था के अनुमानों के अनुसार, शहरी गृहणी को अपने घर के सामान्य कामकाज के दौरान ९ से २० मील तक की दूरी प्रतिदिन तय करनी पड़ती है । इस अध्ययन में शहरी गृहणियों को सम्मिलित न करने की प्रेरणा सरकार को किस बात से मिली है ?

†**श्री राम सुभग सिंह** : यह योजना खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से कार्यभार को कम करने तथा विद्यमान खाद्य भण्डारों का और अच्छे ढंग से उपयोग करने के सम्बन्ध में है । इसीलिये, इसे ग्रामीण क्षेत्रों में चालू किया जायेगा ।

श्री जगदेव सिंह सिद्धांती : किसान घरों में ७ वर्ष के बच्चे से लेकर ७० वर्ष के बूढ़े तक और सब देवियां काम करती हैं तब भी मुश्किल से गुजर होती है, इसलिए उनका भार कम करने की अपेक्षा कृषि मन्त्री महोदय यदि स्वयं उनका भार उठा लें तो ज्यादा बेहतर होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हेम बरुआ ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गृहणी का सबसे बड़ा बोझ उसके बच्चे हैं और से प्रतिवर्ष एक बच्चे का उपहार अपने पतिदेव को देना पड़ता है, क्या मैं जान सकता हूं . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । कल भी माननीय सदस्य ने यह विरोध प्रकट किया था कि अपने प्रश्न को अधिक समझने योग्य बनाने के लिये उन्हें उसकी प्रस्तावना देनी होती है । क्या यह अब भी आवश्यक है । प्रश्न उसके बिना भी समझा जा सकता है ।

†**श्री हेम बरुआ :** प्रश्न उसके बिना ठीक ठीक नहीं समझा जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** एक बच्चा प्रतिवर्ष के उपहार का उल्लेख किये बिना भी प्रश्न समझा जा सकता था । अतः अब वह प्रश्न सीधे ही पूछ सकते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** यह भारतीय आदत है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह सीधे प्रश्न कर सकते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** उस दिशा में गृहणी के कार्यभार को न्यूनतम करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** प्रशिक्षण में परिवार नियोजन भी सम्मिलित हो सकता है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न । मेरा विचार है कि इस चर्चा से कार्यभार कम नहीं हो रहा है ।

सूखी खेती

†*४७६. **श्री हेडा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को सूखी खेती के तरीके बढ़ाने के लिये कोई निदेश जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निदेश की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस आन्दोलन में संघ सरकार कितना और कैसा सहयोग देगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):** (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—९८२/६३**]

†**श्री हेडा :** मद (२) में बताया गया है कि एक सौ जिले चुने गये हैं । क्या उन जिलों के नामों की घोषणा की जा चुकी है या क्या सूची अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं की गई ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** जी हां, काम आरम्भ कर दिया गया है । यदि माननीय सदस्य आन्ध्र प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं तो वहां की चार परियोजनाओं में काम आरम्भ किया जा चुका है । उनके नाम हैं, गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर और महबूब नगर ।

†**श्री हेडा :** जिन राज्यों पर यह योजना लागू की जा रही है या लागू करने की प्रार्थना की गई है उनमें ये राज्य शामिल नहीं हैं जहां सूखी खेती सम्भव है, उदाहरण के लिये हिमाचल प्रदेश । इसका कारण क्या है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** हम इस की भी परीक्षा करेंगे । किन्तु सूखी खेती और भू-रास्व कार्यक्रमों में सब राज्य शामिल हैं और कोई उससे बाहर नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी :** जिन सूखी खेती को सघन बनाने का प्रयत्न किया जाता है, वह किन पहलुओं में किसानों द्वारा अपनाई गई पुरानी प्रणाली से भिन्न है, जहां वर्षा कम होती है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** कोई अधिक अन्तर नहीं। किसान यह करते हैं कि वे खेत के चारों ओर छोटी मेंड लगा देते हैं। किन्तु इसका यह उद्देश्य होता है कि यह एक किसान तक सीमित नहीं होती, क्योंकि हमारे टुकड़े टुकड़े खेतों में किसी अकेले किसान के लिये यह सूखी खेती करना उस के बस की बात नहीं होती। अतः हम व्यवस्थित आधार पर इस को शीघ्रता से करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री यशपाल सिंह :** सरकार सूखी फसलों को दीमक लगने से बचाने के लिये क्या करने का विचार करती है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** हम अपने पौधारक्षण निदेशालय के द्वारा इस आपत्ति को रोकने का प्रयत्न करेंगे। यदि मा० सदस्य के सहारनपुर जिले में कोई क्षेत्र हो तो मैं उसकी जांच करूंगा।

श्री रा० शि० पाण्डेय : मध्य प्रदेश में बिल्कुल ड्राई फार्मिंग होती है। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है विशेषकर मध्य प्रदेश के लिये कि इस योजना को वहां इंटेंसिवली लागू किया जाये ? अगर ऐसा किया गया और कोई डिटेल्ड योजना बनाई गई तो वहां पर उत्पादन अधिक करने के लिये इतना इंसेंटिव मिलेगा कि सारे देश को मध्य प्रदेश खिला सकता है। क्या ऐसा किया गया है और क्या कोई योजना बनाई गई है और अगर हां, तो उसकी डिटेल्ज क्या हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : मध्य प्रदेश में भी चार स्थानों पर यह योजना चल रही है। अभी मैंने वहां के कृषि मंत्री तथा मुख्य मंत्री और अन्य कृषि विभाग के अधिकारियों से बात की थी। जितनी संभावनायें हैं, उनका हम लोग पूरी तरह उपयोग करने के प्रति वर्ष कोशिश करेंगे। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हर वर्ष ऐसी योजना की जाये जिससे काम आगे निकल जाये।

†**श्री रा० शि० पाण्डेय :** योजना की डिटेल्ज क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** डिटेल्ज यहां इस वक्त नहीं दी जा सकती हैं।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या सूखी खेती के तरीकों और प्रणालियों को सुधारने के लिये कोई अनुसंधान परियोजना आरम्भ की गई है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** इसका माध्यम आई० ए० आर० आई० और आई० सी० ए० आर० द्वारा किया जा रहा है। हमने ४४ केन्द्रों को आरम्भ किया है और यथार्थ कार्य द्वारा भी जहां कहीं हमें न्यूनता दिखाई देती है, उस बात की जांच भी हमारे अनुसंधान केन्द्रों द्वारा की जारी है।

श्री सरजू पाण्डेय : उत्तर प्रदेश में यह योजना कहां कहां चल रही है और व्यक्तिगत रूप से किसानों को भी ड्राई फार्मिंग चलाने के लिये पैसे देने की कोई व्यवस्था सरकार के यहां है ?

डा० राम सुभग सिंह : उत्तर प्रदेश में चार स्थानों में पहली और दूसरी योजना के काल में काम चला है। इस वक्त हम लोग माननीय सदस्य के गाजीपुर जिले के बधौरा ब्लाक में काम शुरू करने वाले हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कछवाय : क्या यह सही है कि सूखी खेती करने के लिये खाद की अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी ? यदि यह सही है तो क्या सरकार खाद को उन क्षेत्रों में कृषि के लिये पहुंचाने के लिये विशेष प्रबन्ध कर रही है साथ ही जो कमी पड़ेगी, उसको कैसे पूरा किया जायेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : असल में यह सूखी खेती ज्यादा तर वैसे इलाकों के लिये है जहां पर दस इंच से पन्द्रह इंच या बीस इंच तक वर्षा होती है। वहां पर घरेलू खाद जो होती है, गांव की फार्म यार्ड मैन्योर वही बहुत मुफीद होगी बजाय रासायनिक खाद के। इससे धीरे धीरे पानी कंजर्व करने की मात्रा बढ़ेगी। रासायनिक खाद को भी हर साल हम लोग बढ़ाते जायेंगे और हरी खाद भी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लाई जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : नैक्स्ट क्वैश्न ।

श्री कछवाय : कमी जो पड़ेगी, उसको कैसे पूरा किया जायेगा, यह भी मैंने जानना चाहा था ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे अभी इस साल एक नया कारखाना फर्टिलाइजर का रूरकेला के पास जारी हुआ है। नंगल का कुछ दिनों से चल रहा है। बाहर से भी मंगाया जाता है। तृतीय पंच वर्षीय योजना में नाइट्रोजन की टर्म्स में दस लाख टन खाद इस्तेमाल करने की बात थी और उसमें साढ़े छः लाख टन यहीं भारत के विभिन्न कारखानों से बन कर तैयार होती और बाकी बाहर से आती। लेकिन अभी जो स्थिति है, उसमें साढ़े छः लाख टन नहीं बन पायेगी। जो हमारी फारेन एक्सचेंज की स्थिति है, उसको देखते हुये पूरी मात्रा में बाहर से खाद आने की भी संभावना कम है।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक दरख्वास्त मिनिस्टर साहिबान से करना चाहता हूं। बाज वक्त उनका ध्यान मेरी तरफ इतना कम होता है और क्वेश्चन करने वालों की तरफ इतना ज्यादा कि वे मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं कि मैंने उसकी इजाजत भी दी है या नहीं दी है। वे फौरन जवाब देना शुरू कर देते हैं। मैंने अभी इजाजत भी नहीं दी थी और वह जवाब भी दे गये।

नैक्स्ट क्वैश्चन, श्री सुरेन्द्रपाल सिंह ।

गन्ने का उत्पादन

+

†*४७८. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री महेश्वर नायक :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगले कुछ ही वर्षों में देश में गन्ने के उत्पादन को ५० प्रतिशत तक बढ़ाने के मार्गोपाय खोज निकालने के लिये उनके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा विशेषज्ञों का एक समेलन हाल ही में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इस सम्मेलन ने कोई ठोस योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे) : (क) जी, हां।

*(ख) सम्मेलन ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई गन्ना खेती के सघन विकास की योजना पर विचार करके इसे स्वीकार किया है। इस ने सिफारिश की है कि बिहार और पंजाब सरकारों द्वारा उनके राज्यों में गन्ने के सघन विकास के लिये इसी प्रकार की योजनायें बनाई जायें। इसने यह भी सिफारिश की कि पैकेज प्रोग्राम के नमूने पर, अग्रिम परियोजनायें चुने हुये जिलों में आरम्भ की जानी चाहियें।

(ग) योजना में उत्तम बीजों, उर्वरकों, पौधा संरक्षण उपायों और सिंचाई सुविधाओं के अधिक प्रयोग के द्वारा प्रत्येक चीनी फैक्टरी के इर्द गिर्द लगभग ५००० एकड़ भूमि के सघन विकास तथा उसके द्वारा तीसरी योजना के अन्त तक इन क्षेत्रों में प्रति एकड़ १०० मन तक उपज बढ़ाने का प्रोग्राम है।

†श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या मा० सदस्य को यह बात मालूम है कि नवीन किस्मों के गन्ने के गुण प्रकार को, जो पिछले पन्द्रह वर्षों में किसानों को बांटी गई हैं, लगातार रहने वाली नहीं रही हैं और ऐसे भी मामले हुये हैं जहां उनकी प्रति एकड़ उपज इनके लागू किये जाने के तीन या चार वर्षों के अन्दर काफी घट गई थी और यदि हां, तो इस संबंध में उन्नति करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†श्री शिन्दे : लागू की गई नवीन किस्में अच्छे फल दे रही हैं। उदाहरण के लिये किस्म संख्या ४१६, ७४० आदि और कोयेम्बटूर किस्में, कुछ समय पूर्व ही जारी की गई थीं, अच्छे परिणाम दे रही हैं। कुछ किस्मों के बारे में यह बात सच है कि तीन या चार वर्षों के पश्चात् कुछ गिरावट पाई गई थी किन्तु, अधिकतर किस्मों के संबंध में, अच्छे परिणाम निकले हैं।

†श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में कुछ जिले अग्रिम परियोजना या पैकेज प्रोग्राम लागू करने के लिये चुने जायेंगे और क्या इस बात के लिये कोई कार्रवाई की जायेगी कि इन जिलों का चुनाव गुण दोष तथा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय आधारों पर किया जाये, न कि राजनीतिक आधार पर ?

†श्री शिन्दे : इसके संबंध में, स्वभावतः सरकार विशेषज्ञों की सलाह को मानेगी। राज्य सरकारों से भी सलाह की जायेगी।

श्री विभूति मिश्र : लगभग ७५ करोड़ के करीब सेंट्रल एक्साइज से केन्द्रीय सरकार चीनी पर सैस लेती है और स्टेट गवर्नमेंट्स एक मन चीनी पर एक रुपया चोदह आने लेती हैं और साथ ही साथ ये सोसाइटीज जो हैं, वे एक मन चीनी पर साढ़े सात आने लेती हैं। इतना अधिक पैसा जब किसानों से लिया जाता है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका कौन सा हिस्सा गन्ने के विकास के ऊपर खर्च किया जाता है ?

†श्री शिन्दे : केन्द्रीय सरकार की नीति यह है कि राज्य सरकारों द्वारा वसूल किया जाने वाला गन्ना उपकर गन्ने की प्रति एकड़ उपज को बढ़ाने के लिये खर्च किया जाना चाहिये। निस्सन्देह उत्पादन शुल्क सामान्य राजस्व का अंग है। एक प्रकार इसका कुछ भाग राज्य सरकार को जाता है। यह देखना राज्य सरकार का काम है कि गन्ने की उपज और सामान्यतया चीनी उद्योग को बढ़ाने के लिये अधिकतम निधि की व्यवस्था की जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विमति मिश्र : मैंने पूछा था कि कौन सा हिस्सा खर्च किया जाता है ? इसका जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : मैम्बर साहब यह जानना चाहते हैं कि जब इतनी आमदनी होती है तब सरकार उसका कितना हिस्सा खर्च करती है, उनको इमदाद देने के लिये और शूगर केन के डिवेलेपमेंट के लिये ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : एक्साइज ड्यूटी से तो इतना नहीं आता है, जितना माननीय सदस्य ने बताया कि ७५ करोड़ आता है । अभी तो पचास करोड़ ही आता है । उसमें से करीब बीस करोड़ खाली एक्सपोर्ट के लिये चला जाता है । बहुत कम बाकी रह जाता है । वह रुपया जनरल रेवेन्यूज़ का एक भाग है । इसलिये उससे कुछ नहीं होगा । लेकिन जो सैस स्टेट लेती है, उसके लिये प्रोग्राम जिसका जिक्र अभी किया गया है कि वे कुछ इस प्रकार का इंतजाम करें जिसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया भी कुछ दे दे जैसा उत्तर प्रदेश में किया है, तो अच्छा होगा । इसी प्रकार से पंजाब और बिहार में भी हो सकता है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम:** क्या मा० सदस्य को मालूम है कि देर से भुगतान आदि की विविध कठिनाइयां उत्पादकों को अधिक गन्ना पैदा करने के लिये अड़चनें बन रही हैं ? क्या इनको हटाने के लिये कोई कार्रवाई की गई है ?

†**श्री स० का० पाटिल :** सरकार के लिये सब लोगों की सब कठिनाइयों को दूर करना असंभव है, इस का कभी प्रयत्न भी नहीं किया जा सकता । यदि कोई एकांश लाभ प्रद नहीं, तो सर्वोत्तम उपाय यह होता है कि उसको समाप्त होना पड़ता है । इसी प्रकार राष्ट्रीय खेती का काम हो सकता है । हम अपनी क्षमता को बढ़ाने का पूर्व प्रयत्न कर रहे हैं ताकि इकाई लाभ दायक हो सके । किन्तु यदि उन का इलाज संभव नहीं, तो उन्हें समाप्त होना पड़ता है ।

श्री क० ना० तिवारी : वह जो सीनिअर आफिसर्स की कांन्फ्रेंस हुई थी उस में जो केन ग्रोअर्स हैं जिन को केन ग्रोइंग का एक एक्स्पीरियंस है, क्या उनको भी कंसल्ट किया गया है?

†**श्री शिंदे :** वस्तुत: राज्य में इन अग्रिम परियोजनाओं को कार्य रूप में परिणत करते समय स्वभावत: किसानों आदि से सलाह की जायेगी । उनके भाग लेने का स्वागत किया जायेगा ।

†**श्री कृ० च० पंत :** क्या समूची ५० प्रति शत उत्पादन वृद्धि उत्पादकता बढ़ाने के लिये करने का विचार है या क्षेत्र के विस्तार के द्वारा भी ?

†**श्री स० का० पाटिल :** हम क्षेत्र का विस्तार नहीं चाहते । अभी समूचे खेती योग्य क्षेत्र का लगभग १·५ प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है जो काफी है क्योंकि हमारी उत्पादकता को देखते हुए, जो संसार की ५० या ६० टन की तुलना में केवल १५ टन है अन्तर बहुत अधिक है और हम यह काम लाभदायक ढंग से कर सकते हैं ।

†**श्री विश्राम प्रसाद :** मा० मंत्री कहते हैं कि सम्मेलन ने सिंचाई उर्वरकों, बढ़िया किस्मों आदि के बारे में कुछ निर्णय किये हैं । क्या उन्होने चीनी तत्व के बारे में कोई कार्यवाही की है, जिस के सम्बन्ध में मंत्रालय दाम नियत करने का फैसला कर रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : चीनी तत्व भी सिंचाई, उर्वरक तथा पौधे की खुराक पर निर्भर है जिसका मा० सदस्य ने जिक्र किया है। यदि २–३ बार सिंचाई के स्थान पर उत्तर-प्रदेश में ४–५ बार सिंचाई हो जाए तो चीनी तत्व एवं गन्ने की उत्पादकता दोनों में वृद्धि होगी।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है, जैसी कि यू० पी० गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, कि हमारी २५ परसेंट केन क्राप्स को टाप बोरर्स खा जाते हैं ? यदि हां, तो क्या कोई ऐसी वेराइटी तैयार हो रही है जिस पर टाप बोरर्स का असर न हो ?

†**श्री शिंदे** : कुछ किस्में ऐसी हैं जिन पर अगोला बेधक का कुप्रभाव नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त, पौधा संरक्षण उपाय भी अर्थात् कृमि नाशक दवाइयों आदि का छिड़काव, अगोला बेधक से फसल को बचाने के लिये जरूरी है।

†**श्री शं० ना० चतुर्वेदी** : क्या इन पैकेज कर्यक्रम प्रयोगों की लागतें, उन के सफल सिद्ध होने की अवस्था में उन को अन्य क्षेत्रों में, और फैलने के योग्य बनायेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : अवश्य। पैकेज कार्यक्रम इसी विचार से जरूरी किये जा रहे हैं।

†**श्री शं० ना० चतुर्वेदी** : मैं ऊंची लागत का जिक्र कर रहा हूं। यदि इन प्रयोगों की लागत अधिक है, तो उन को कैसे आगे फैलाया जा सकता है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह सच है कि लागत अधिक है। किन्तु उद्देश्य यह है कि यह अधिक न हो। यदि उत्पादन का संबंध रखा जाता है तो अन्ततोगत्वा किसान को लाभ होता है।

श्री कमल नयन बजाज : क्या मैं जान सकता हूं कि गन्ने के विकास के साथ साथ इस का भी ख्याल रखा जा रहा है कि मिलों की कैपेसिटी बढ़ाने की भी गुंजाइश हो सके या नई मिलों को डालने की भी गुंजाइश हो सके ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हमने नीति निर्माण किया है कि जहां कहीं किसी मिल की क्षमता बढ़ाना संभव होता है और यदि गन्ना भी दिया जाता है, तो हमें ऐसा करना चाहिये क्योंकि उस से वह फैक्टरी अधिक लाभदायक बनती है। हम उन क्षेत्रों में नवीन फैक्टरीज़ भी बना सकते हैं जहां उन का टकराव वर्तमान फैक्टरियों से नहीं होता और जहां उत्पादकता अधिक होती है।

आसाम में सूक्ष्म तरंग सम्पर्क (माइक्रो-वेव लिंग)

+

†*४७९. **श्रीमती सावित्री निगम** :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बसुमतारी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम राज्य में सूक्ष्म तरंग सम्पर्क दूर संचार व्यवस्था चालू करने का सरकार का विचार है ;

(ख) कार्य को कब प्रारम्भ करने का विचार है तथा इस व्यवस्था के कब तक चालू किये जाने की संभावना है ; और

(ग) योजना की अनुमानित लागत कितनी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) उपकरण में संभरण के लिये टैंडर मंगाये गये हैं और परियोजना के प्रारम्भिक काम आरम्भ किये जा चुके हैं। योजना को १६६४ की समाप्ति से पूर्व पूरा करने का विचार किया गया है।

(ग) योजना की अनुमानित लागत लगभग २·१ करोड़ रुपये है।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या इस प्रकार की योजना का विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया जा रहा है या नहीं और क्या इस योजना के अन्दर सभी बड़े नगर आ जायेंगे ?

†श्री भगवती : यह योजना आरंभ कलकत्ता प्रदेशों में पहले स्थापित की जायेगी क्योंकि वह पहाड़ी क्षेत्र हैं। बाद में यह काश्मीर में होगी, जो पहाड़ी क्षेत्र है। अन्य भागों में भूमिगत तारें बिछाई गई हैं।

†श्री रंगा : सूक्ष्म तरंग सम्पर्क क्या होता है ?

†श्री भगवती : यह एक प्रकार की बेतार प्रणाली होती है।

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सूक्ष्म तरंग एक कम दूरी की रेडियो तरंग होती है, तरंगें उतनी दूर तक जाती हैं जिसे देखा जा सकता है, जहां तक हम उस स्थान से देख सकते हैं, जहां उपकरण लगा होता है। मैदानों में, दूरी कम होती है, ३० से ४० मील। यदि हम पहाड़ी पर जायें जहां से अधिक दूर देखा जा सकता है, दूरी १०० मील तक हो सकती है। सूक्ष्म-तरंगों के द्वारा हम बड़ी संख्या में चैनलों को बढ़ा सकते हैं; यह रेडियो-टेलिफोन होगा। यदि ये काफी संख्या में लगाये जायें तो इस से संचार व्यवस्था का काम तेज हो जायेगा।

पंचायतों के चुनाव

+

†*४८०. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों में पंचायती राज चुनावों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श कर रही है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि कोई मंत्रणा दी गई है तो वह क्या है तथा उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों को पंचायती राज निकायों के प्रत्यक्ष निर्वाचनों को स्थगित करने की मंत्रणा दी गई थी। यह स्वीकार कर ली गई। निर्वाचन आयोग के नवीनतम निर्णय की दृष्टि से दो राज्यों को, जहां प्रश्न उठाया गया था, ग्राम पंचायतों के निर्वाचन करने की मंत्रणा दे दी गई।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : पंचायती राज को चलाने में क्या कठिनाइयां और न्यूनतायें अनुभव की गई हैं जिनको सरकार अगले निर्वाचनों के किये जाने से पूर्व दूर करने का विचार करती है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे) : प्रत्येक राज्य में निर्वाचन का ढांचा भिन्न है। राज्यों के पर्याप्त अनुभव प्राप्त किये हैं और हम राज्यों को इस के बारे में, कि वे

---

†मूल अंग्रेजी में

उनको भविष्य में किस दिशा में निर्वाचन कराने चाहिये, पूरी तरह मंत्रणा दे सकें, इसके पहले विविध राज्यों के अनुभवों का अध्ययन करने का विचार करते हैं।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या आगामी निर्वाचन इस अनुभव के लाभ के बिना होंगे, अथवा क्या सरकार राज्यों के मंत्रियों के बीच इस बारे में चर्चा हो जाने तक कुछ निष्कर्षों पर पहुंचने के पश्चात् निर्वाचन करवाएगी ?

†श्री सु० कु० डे : हम चालू वर्ष की समाप्ति तक अथवा अगले वर्ष के आरम्भ तक होने वाले अनुभवों का अध्ययन पूरा कर लेंगे। यदि बीच में कोई निर्वाचन पड़ेंगे तो हम मार्ग में नहीं आएंगे।

डा० गोविन्द दास : चूंकि अब संकटकालीन परिस्थिति में भी उपचुनाव हो रहे हैं, और कम से कम मध्य प्रदेश में यह बात मानी जा रही है कि पंचायत के चुनाव शीघ्र से शीघ्र हो जाने चाहियें, क्या इस सम्बन्ध में कुछ विचार किया जा रहा ; और मध्य प्रदेश सरकार के पास से इस सम्बन्ध में कुछ आया है, और मध्य प्रदेश के पंचायतों के चुनाव के सम्बन्ध में कुछ निर्णय किया गया है ?

†श्री सु० कु० डे : हम ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्वाचन करने के लिये कह दिया है क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में उनके पंचायत निर्वाचन पिछले दस वर्षों से नहीं हुए हैं। सरकार के लिये पंचायती राज के कार्यक्रम को कार्यान्वित करना बड़ा जरूरी है और यह वांछनीय नहीं कि यह पुरानी पंचायतों पर स्थापित किया जाये।

†डा० रानेन सेन : इस बात की दृष्टि से कि पंचायत निर्वाचनों में हमारे लाखों करोड़ों लोग भाग लेंगे और भारत में संकटकाल को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने आगामी पंचायत निर्वाचनों की दृष्टि से संकटकाल को दूर करने की वांछनीयता का विचार किया है ?

†श्री सु० कु० डे : निर्वाचन क्रमित ढंग पर किये जा सकते हैं ताकि वे कहीं पर कोई उपद्रव खड़े किये बिना एक अवधि तक किये जा सकें।

†श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : क्या सरकार की नीति यह है कि पंचायतों के निर्वाचनों में राजनीतिक दलों को भाग न लेने की मंत्रणा दे ?

†अध्यक्ष महोदय : यह कार्रवाई का सुझाव है।

†श्रीमती गायित्री देवी : इस बात की दृष्टि से कि पंचायतों के निर्वाचन राजनीतिक नहीं, सरकार इस बात के लिये क्या कार्रवाई कर रही है कि सत्तारूढ़ दल इन निर्वाचनों में हस्तक्षेप न करे ?

†श्री सु० कु० डे : सत्तारूढ़ दल ने निर्णय कर लिया है कि यह नीचे के स्तर पर इन निर्वाचनों में भाग नहीं लेगा। (अन्तर्बाधाएं)

†श्री जसवंत मेहता : क्या केन्द्रीय सरकार गुजरात सरकार को निर्वाचनों के बिना पंचायती राज स्थापित करने के लिये मंत्रणा देने का विचार करती है ?

†श्री सु० कु० डे : मुझे समझ में नहीं आता कि यह कैसे उत्पन्न होता है, क्योंकि गुजरात सरकार को उनकी वर्तमान पंचायतों के आधार पर पंचायती राज स्थापित करने के लिये कहा

---

†मूल अंग्रेजी में

गया है, जो निर्वाचन संस्थाएं हैं, जिन में प्रत्यक्ष रूप से लोग चुने गये हैं और जिला स्थानीय बोर्डों के आधार पर, जहां पर सदस्य पूरे निर्वाचित होते हैं ?

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : कुछ दिन पूर्व ही मंत्री ने बताया था कि पंचायती राज में विविध स्तरों पर, क्योंकि हमारे यहां बहु-दल प्रणाली है और बहुत से दल हैं, सभी पंचायती राज संस्थाओं में इन दलों के लोगों के आने की सम्भावना है। वह अपने वक्तव्य का कभी महारानी को दिये गये वक्तव्य से कैसे मेल करते हैं ?

†श्री सु० कु० डे : मैं ने बताया कि नीचे के स्तर पर भी, विविध राजनीतिक दलों के सदस्य होंगे, किन्तु निर्वाचक दल गत आधार पर नहीं लड़े जायेंगे।

†श्री वें० वें० वैंकटासुब्बया : क्या सरकार राज्य सरकारों को गुप्त शलाका प्रणाली जारी करने की मंत्रणा देने का विचार करती है इन पंचायत निर्वाचनों के सम्बन्ध में, तथा पंचायत समितियों के मामले में अनुपातित प्रतिनिधित्व को लागू करना चाहती है ?

†श्री सु० कु० डे : हम ने यही सिफारिश की है।

†श्री रंगा : क्या यह सही नहीं है या मंत्री जी इस बात से इनकार करते हैं कि कांग्रेस तथा अन्य दल देश भर में पंचायत समितियों, जिला परिषदों आदि में प्रधान पद के लिये अपने अभ्यर्थियों के चुने जाने के लिये प्रयत्न करते हैं ?

†श्री सु० कु० डे : मैं ने ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में उत्तर में बता दिया है। निस्संदेह, उच्च निकायों में, हम ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

†*४८१. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयन्ती शिपिंग कम्पनी को एक सरकारी समिति समवाय के रूप में परिणत करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या निर्णय है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). यह निर्णय, कि जयन्ती नौवहन समवाय (प्राईवेट) समिति को अपने आप को सरकारी समिति समवाय में बदल लेना चाहिये, सरकार द्वारा जनवरी, १९६२ में लिया गया था। समवाय के अभ्यावेदन पर हाल ही में निर्णय किया गया कि उन को इस काम के लिये १४-१-६३ से १५-४-६३ तक बढ़ा दिया जाये।

†श्री प्र० चं० बरुआ : इस समवाय को सरकारी सीमित समवाय में परिवर्तित करने का यह निर्णय किन परिस्थितियों में किया गया था ?

†श्री राज बहादुर : यह प्रार्थना की गई थी---उनका राजकोषीय वर्ष ३१ मार्च को समाप्त होता था---इसलिये वे राजकोषीय वर्ष पूरा होने के पश्चात् अंश जारी करने के साथ साथ विवरणिका जारी करना चाहते थे। एक बात तो यह थी। दूसरे वे यह भी चाहते थे कि उन को इस अंश को जनता को जारी करने की अनुमति दी जाये। इस के अतिरिक्त समवाय विवरणिका जारी करना चाहती थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार ने जापान से समवाय द्वारा खरीदे गये १३ जहाजों की लागत के ९० प्रतिशत तक ऋण के लिये प्रत्याभूति देना स्वीकार किया ?

†श्री राज बहादुर : यह सच है। यह ऋण की प्रत्याभूति है।

†श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : जयन्ती नौवहन समवाय की उस दिन अंश पूंजी क्या थी जब उस ने सरकार से वित्तीय ऋण की प्रार्थना की और अब तक उन को कितना ऋण दिया जा चुका है ?

†श्री राज बहादुर : ऋण पहले जहाज के मूल्य का १० प्रतिशत है, जो अभी तक आया है। इस समय प्रदत्त पूंजी २.८३ करोड़ रुपये है।

†श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : जिस दिन समवाय ने सरकारी सहायता की प्रार्थना की तब उन की प्रदत्त पूंजी कितनी थी तथा अभी तक कितनी सहायता दी गई है ?

†श्री राज बहादुर : दोनों प्रश्न सर्वथा भिन्न हैं। उन के प्रश्न का दूसरा भाग है कि अब तक कितनी राशि दी गई है। पहला प्रश्न यह है कि कितनी प्रदत्त पूंजी के साथ समवाय पंजीबद्ध हुआ था। पंजीयन के समय समवाय के पास २०० रुपये की प्रदत्त पूंजी थी, किन्तु ऋण की पहली किश्त देने तक प्रदत्त पूंजी २,८३,००,००० रुपये हो गई थी।

†श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : क्या सरकार को पता है कि विदेशी व्यापारी हमारे भारतीय व्यापारियों की पीठ पर हैं ?

†श्री राज बहादुर : यह स्पष्ट है कि व्यापारी नौवहन अधिनियम के उपबंधों का पालन करना होता है। इस मामले में २५ प्रतिशत तक अंश किसी विदेशी समवाय द्वारा रखे जा सकते हैं। ७५ प्रतिशत अंश भारतीय समवाय द्वारा तथा उस विदेशी समवाय द्वारा यहां लाई गई समस्त पूंजी तथा उसका लाभांश विदेश नहीं ले जाया जा सकता।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सरकार को मालूम है कि इस जयन्ती नौवहन समवाय के विदेशी सहयोगी श्री कुलु कुंडिस को कितने ही लाख डालर की राशि देती है जिसके परिणाम स्वरूप अमरीकी सरकार ने उसकी आस्तियों पर कब्जा कर लिया है, यदि हां, तो जयन्ती नौवहन समवाय पर इस का क्या प्रभाव या परिणाम होने की संभावना है ?

†श्री राज बहादुर : मैं ने निस्संदेह इस के बारे में समाचारपत्र में पढ़ा है, किन्तु जहां तक इस समवाय के स्थायित्व का सम्बन्ध है, इसका कोई बुरा परिणाम नहीं होगा।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : अधिक अंशधारियों के लिये अंश पूंजी जारी कर देने से इसकी पूंजी बढ़ने के द्वारा इस के टन भार तथा अन्य चीजों की वृद्धि के द्वारा इस के कार्य में कितनी उन्नति होगी ?

†श्री राज बहादुर : जहां तक वास्तविक कार्य का सम्बन्ध है, जैसा कि मालूम है, समवाय ने एक टैंकर खरीद लिया है, इस ने ७ लिबरटी जहाज, ५ पत्तन लाइन जहाज—कुल १२ जहाज ले लिये हैं—इसे पहला खुला माल लादने वाला जहाज मिल चुका है तथा इस ने अपनी पूंजी से दूसरा टैंकर खरीदने के लिये आर्डर दे दिया है। वह टैंकर ५४,००० जी० आर० टी० के लगभग होगा। यह सब जहाजों का बेड़ा समवाय द्वारा प्राप्त किया जा चुका है और अधिक जहाजों के लिये आर्डर दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जोकीम अल्वा : क्या और किसी समवाय ने सरकार से ऐसा ही प्रस्ताव किया है और क्या सरकार उसी मात्रा तक जिस मात्रा तक कि इस समवाय को सहायता दी है, अन्य समवाय को सहायता देने को तैयार है ?

†श्री राज बहादुर : खुला सामान लाने वाले जहाज और ट्रैम्प जहाजों को लेने के लिये समझौता करने से पूर्व जिसकी हमें अपने व्यापार के लिये अत्यधिक आवश्यकता है—जैसा कि सभा को मालूम है कि हम खुले सामान का केवल ४ प्रतिशत तक ढो सकते हैं और ९६ प्रतिशत तीसरे पक्ष के जहाजों को मिलता है—हम ने प्रयत्न किया कि क्या वर्तमान नौवहन समवाय आगे आयेंगे, पूंजी लगायेंगे और इन खुला सामान ढोने वाले जहाजों और ट्रैम्प जहाजों को लेने के लिये कुछ करेंगे। हम ने उस समय खुले दिल से पेशकश की थी। यदि ऐसा कोई नौवहन समवाय अब आगे आता है, चाहे नया हो या पुराना, उसे भी इसी प्रकार सहायता दी जायेगी।

†श्री हेडा : श्री देशमुख के अनुपूरक प्रश्न का माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर स्पष्ट नहीं है। बात यह है कि कुल पूंजी में से, कितनी पूंजी सरकारी ऋण है, कितनी ऋण या अन्यथा विदेशी सहयोगी की है और समवाय की अपनी पूंजी कितनी है ?

†श्री राज बहादुर : प्राधिकृत पूंजी ५ करोड़ रुपये है। ऋण को मंजूर करने से पहले एक शर्त थी कि किश्त देने से पहले उन के पास कम से कम २ करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी होनी चाहिए। उन्होंने उतना ही नहीं किया, अपितु उस से वे आगे बढ़ गये हैं। उनके पास २.८३ करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी है और उन की पहली किश्त २० लाख से २५ लाख रुपये तक की है।

कलकत्ता के लिये वृत्तीय रेलवे

+

†*४८२. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के लिये वृत्तीय रेलवे चलाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) क्या इसकी योजनायें तथा प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†रेलवे मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

†श्री स० चं० सामन्त : समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है कि सी० एम० पी० ओ० ने यह मामला सर्वेक्षण के लिये रेलवे को सौंप दिया है। क्या इसमें कोई सचाई है ?

†श्री शाहनवाज खां : कलकत्ता राजधानी योजना संगठन ने परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिये एक समिति स्थापित की है। उस समिति में रेलवे के प्रतिनिधि हैं और ज्यों ही वे परियोजना रिपोर्ट तैयार कर लेंगे उस पर विचार किया जायेगा।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या वे किसी विदेशी विशेषज्ञ की मांग कर रहे हैं; या अपने विशेषज्ञ ही पर्याप्त रहेंगे ?

• †मूल अंग्रेजी में

श्री शाहनवाज खां : मुझे नहीं पता कि वे क्या करना चाहते हैं, किन्तु मैं समझता हूं कि हमारे इंजीनियर इस काम को करने में काफी सक्षम हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर]

पश्चिमी बंगाल में खाद्य का स्टाक

†*४७२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की सूचना दी गई है कि पश्चिमी बंगाल की कांग्रेस कमेटी ने राज्य के मुख्य मन्त्री के अधीन पश्चिमी बंगाल के अनेक जिलों में खाद्य स्टाक रखने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या गैर-सरकारी अभिकरणों को इस प्रकार स्टाक रखने की अनुमति है;

(ग) केन्द्रीय खाद्य स्टाकों से इसका क्या सम्बन्ध रहेगा ; और

(घ) क्या इस प्रकार के खाद्य स्टाक संकट की स्थिति के फलस्वरूप और कहीं बनाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि गैर-सरकारी अभिकरण स्टाक न रखें । परन्तु यदि चावल धान का कुल स्टाक न्यूनतम निर्धारित सीमा से बढ़ जाता है तो अभिकरण पश्चिमी बंगाल चावल तथा धान नियन्त्रण आदेश, १९६० के उपबन्धों के अधीन भांडार परमिट/लाइसेंस लेने होंगे । यह गैर सरकारी भांडार हैं तथा इनका खाद्यान्नों के सरकारी भांडार में कोई संबन्ध नहीं है ।

(ग) अन्य किसी क्षेत्र में स्टाक करेगा जो भारत सरकार को नहीं मालूम है ।

झूठे मनी आर्डर

†*४७७. **श्री बूटासिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर १९६२ में दिल्ली में डाक तथा तार प्राधिकारियों ने झूठे मनी आर्डर का एक मामला पकड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो यह मामला कितनी धन राशि का था और मामले का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भावरी)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण]

मामला १८,५८५ रुपये के सम्बन्ध में था जिसमें से मनी आर्डर लेने वालों से केवल १,१३० रुपये वापस लिये जा सके थे । मामले के तथ्य यह हैं कि दिल्ली जी० पी० ओ० में भुगतान के लिए विभिन्न तिथियों को ३३ मनीआर्डर आये थे जिन को रसायन से धो दिया गया था तथा रकम दुबारा भर दी गई थी । इसके अतिरिक्त धन पाने वाले तथा भेजने वाले के नाम बदल दिए गए थे । ये मनी-

---

†मूल अंग्रेजी में

आर्डर उन लोगों को दे दिए गये थे जिनके नाम उन पर लिखे हुए थे। मामला पुलिस को सौंप दिया गया था। धन पाने वाले चार व्यक्तियों से में से पुलिस ने तीन को गिरफ्तार कर लिया है। चौथे व्यक्ति ने स्वयं रकम नहीं ली और इसीलिए उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। जिस डाकिये ने इन मनीआर्डरों का भुगतान किया उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यह जालसाजी कुछ एक डाक कर्मचारियों के साथ मिल जुल कर बाहर के दो आदमियों ने की थी। यह दोनों व्यक्ति भागे हुए हैं।

जालसाजी में लगे हुए डाक कर्मचारियों का अभी तक पता नहीं लगा है। पुलिस अपराधियों का तथा डाक कर्मचारियों का पता लगाने के लिए प्रयत्न कर रही। नियमों का पालन न करने वाले डाक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई है क्योंकि इसी कारण यह जालसाजी हो पाई।

कलिंग एयर लाइन्स के सम्बन्ध में काटजू समिति

†*४८३. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री १६ अप्रैल, १९६१ को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या १६२६ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलिंग एयर लाइन्स के मामलों में जांच पड़ताल करने के लिये नियुक्त काटजू समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) और (ख) आरोपों का एक विवरण सभा पटल पर रखना आवश्यक नहीं है क्योंकि समिति की उपपत्तियां, और उन पर की गई कार्यवाही १ दिसम्बर, १९६० को सभा पर रखी जा चुकी है।

दूर-संचार भवन

*४८४. **श्री बेरवा कोटा :** क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दिल्ली में जनपथ पर एक दूर-संचार भवन बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) क्या इस प्रकार के भवन अन्य नगरों में भी बनाये जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी हां।

(ख) लगभग ४–५ वर्षों में।

(ग) जी हां।

(घ) ऐसे विशाल दूर-संचार भवन बम्बई और मद्रास में बनाने का विचार है ?

भोपाल के लिए विमान सेवायें

†*४८५. { **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :**
श्री रा० शि० पाण्डेय :

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का भोपाल तथा मध्य प्रदेश के अन्य नगरों के लिये विमान सेवा को बन्द करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसके सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार को सूचित कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) से (घ) क्योंकि निगम को दिल्ली/ग्वालियर/भोपाल/इंदौर/बम्बई सेवा में बहुत हानि हो रही है इसलिए उन्होंने निर्णय किया है कि १ अप्रैल, १९६३ से इस सेवा को हटा दिया जाये। परन्तु निगम तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच राज्य सरकार की सहायता से भोपाल को विमान सेवा चलाने के लिए बातचीत हो रही है।

मद्रास में दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर) का कारखाना

*४८६. श्री भक्त दर्शन : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री ३० अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर) का कारखाना स्थापित करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) कारखाने में अब तक अंग्रेजी तथा हिन्दी के कितने दूरमुद्रक तैयार किए गए हैं ?

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भगवती) : (क) मद्रास में दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर) का कारखाना स्थापित करने में काफी प्रगति की गयी है। इमारतें बन रही हैं और यह उम्मीद है कि हीट ट्रीटमेंट बिल्डिंग के लिए शेल और फिनिशिंग शाप करीब एक महीने में तैयार हो जायेंगे और दूसरी इमारतें मार्च, १९६४ के अन्त तक तैयार हो जायेंगी।

(ख) कारखाने में अब तक ८७१ अंग्रेजी दूरमुद्रक बनाये गये हैं। हिन्दी दूरमुद्रकों का बनाना अभी शुरू नहीं किया गया है।

गहरे समुद्र से मछलियां पकड़ने की परियोजना

†*४८७. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में गहरे समुद्र से मछलियां पकड़ने की परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने इसके लिये कोई शर्तें रखी हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० म० थामस): (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार का गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के बोर्ड द्वारा पांच मछली पकड़ने के ट्रालर चलाये जा रहे हैं। टी० सी० एम० सहायता कार्यक्रम के अधीन उनमें से तीन जापानी बुलट्रालर लिये गये हैं। इन तीन ट्रालरों को लेने का प्रस्ताव विचाराधीन है परन्तु स्थानान्तर की योजना के बारे में पूरा ब्यौरा अभी नहीं बनाया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्लाईडिंग क्लब

†*४८८. श्री ब्रजराज सिंह कोटा : क्या परिवहन तथा संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने ग्लाईडिंग कल्ब हैं :

(ख) क्या सरकार लोगों में विमान यात्रा की आदत पैदा करने के लिये तथा अधिक विमान चालक प्राप्त करने के लिये देश में ऐसे अधिक क्लब खोलने का इरादा करती है ;

(ग) यदि हां, तो इसकी पूरी रूप रेखा क्या है ; और

(घ) एक ग्लाईडिंग कल्ब को अच्छी तरह चलाने के लिये कितनी लागत आती है ?

†परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री महीउद्दीन) : (क) इस समय देश में तीन साधारण ग्लाईडिंग क्लब तथा दो सहायता प्राप्त ग्लाईडिंग क्लब हैं। अन्यसात ग्लाईडिंग कल्ब और हैं जिनको सहायता की योजना में शामिल करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) और (ग) सरकार स्वयं ग्लाईडिंग क्लब, नहीं बनाती है। सरकार केवल ग्लाईडिंग क्लब, व्यक्ति दल, शिक्षा संस्थाओं, ग्लाईडिंग में रुची लेने वाले व्यक्तियों को इन क्लबों की स्थापना को प्रोत्साहन देती है तथा इस आधार पर ग्लाइडरों आदि को ऋण देती है और ऐसे क्लबों को सहायता आदि देती है।

(घ) हाल में ही यह अनुमान लगाया गया है कि १५०० से ३००० उड़ान करने वाले ग्लाईडिंग क्लबों की लागत ४०,००० रुपये प्रति वर्ष आती है।

भूमि सर्वेक्षण

†*४८९. श्री विश्राम प्रसाद : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का भूमि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये एक मानचित्र तैयार किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा मानचित्र तैयार करने में कितना समय लगेगा ?

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) पूरे देश का तेल सर्वेक्षण अभी करने का विचार नहीं है। मयकुंड, हीराकुड, भाखड़ा-नंगल, चंबल तथा दामोदर पर पांच बड़ी नदियों की घाटी परियोजनाओं के तलहटी क्षेत्र में सर्वेक्षण अखिल भारतीय भूमि सर्वेक्षण के अधीन किया जा रहा है। जिससे इन क्षेत्रों में भूमि सर्वेक्षण कार्य किए जा सकें। ऐसा अन्य परियोजनाओं के तलहटी क्षेत्र में भी किया जायेगा। समस्त देश में ऐसा सर्वेक्षण करने में बहुत समय लगेगा। इस बीच देश का अस्थाई भूमि नक़शा केन्द्रीय भूमि सर्वेक्षण संगठन द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी तथा राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। अतिरिक्त जानकारी जब मिलती है तब उस के आधार पर इस नक़शे में सुधार किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हल्दिया पत्तन तक रेलवे लाइन

†*४६०. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या रलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में हल्दिया पत्तन तक रेलवे लाइन के लिये मार्ग रेखा निर्धारित का कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां तो इस कार्य के लिए भूमि अर्जन का कार्य आरम्भ हो गया है : और

(ग) भूमि अर्जन का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) मार्ग रेखण कुछ बाकी है और अधिकांश कर दिया गया है ।

(ख) जिन स्थानों पर मार्गरेखण हो चुका है उन स्थानों पर भूमि का अर्जन करने की योजनायें बनाई जा रही हैं तथा कार्यवाही करने के लिए शीघ्र ही राज्य सरकार को दे दी जायेंगी ।

(ग) इस समय यह बतलाना संभव नहीं है कि असैनिक अधिकारी भूमि अर्जन कार्यवाही कब करेंगे ।

झांसी के लिए दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर) सेवा

*४६१. { श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामंत :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झांसी के दैनिक समाचारपत्रों तथा प्रेस ट्रस्ट आफ़ इंडिया को दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर) सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में आज तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या झांसी तक टेलीप्रिंटर लाइन डाल दी गई ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) तथा (ख). १९६२-६३ में आगरा और झांसी के मध्य १२-मार्गीय प्रणाली के प्रस्थापन की योजना थी। फिर भी अभी तक इस कार्य को इसलिये चालू तथा समाप्त नहीं किया जा सका, क्योंकि इस प्रकार का सभी उपलब्ध सामान तथा प्रस्थापन कर्मचारियों को हाल में ही संकटकालीन स्थिति से सम्बन्धित अत्यावश्यक जरूरतों को पूरा करने में लगाना पड़ा ।

(ग) इस कार्य के जुलाई, १९६३ तक समाप्त हो जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेवरा दाल

†*४९२. श्री हरि विष्णु कामत : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश से केरल तथा कुछ अन्य राज्यों को तेवरा दाल भेजी जाया करती थी ;

(ख) क्या केवल सरकार ने इस की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं तथा राज्य में इसका उपभोग बन्द कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) केरल सरकार ने तेवरा अथवा केसरी दाल[1] की बिक्री खाने के लिए १ जुलाई, १९६१ से बन्द कर दी है।

(ग) डाक्टरों की राय में तेवरा अथवा केसरी दाल, का अत्याधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, इससे चटरी मटरी रोग हो जाता है जो नीचले अंगों में लकवा होता है।

मध्य वर्ग के पर्यटकों के लिए आवास

†*४९३. { श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कुछ प्रमुख नगरों में मध्य वर्ग के पर्यटकों के लिये सस्ते मकानों की व्यवस्था करने के लिये कुछ योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और योजना के कब कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख) भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण अल्प तथा मध्यम आय वर्ग के पर्यटक जैसे अध्यापक, विद्यार्थी, क्लर्क, नर्स तथा दूकानों के सहायकों की संख्या भी बढ़ रही है। वह चाहते हैं कि अच्छी तथा साफ परिचर्या तरीके का निवासस्थान लगभग १ पौंड अथवा ३ डालर प्रतिदिन का उनके लिये हो।

इस समय सरकार के लिये यह संभव नहीं है कि ऐसा निवास स्थान बनाये। इसलिये यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है कि जिन संगठनों को होटल चलाने का अनुभव है तथा जो ऐसे होटल बनाना चाहते हैं, को सहायता दी जाये। कुछ राज्य सरकारों को इसकी जांच करने के लिये पत्र लिखे गये हैं कि क्या वह पश्चिमी तरीके की सुविधाओं वाले सस्ते निवास स्थान बनाने को उत्सुक हैं।

योजना आयोग की सलाह से ऐसा निवास स्थान बनाने के लिये सहायता देने के लिये तीसरी योजना में पर्यटन विकास के लिये १८ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है।

---

†मूल अंग्रजी में

[1]Lathyaus Satinus

मद्रास में ऐसा होस्टल बनाने के लिये आंध्र महिला सभा के लिए १,५०,००० रुपये की सहायता स्वीकार की गई है। होस्टल का निर्माण कार्य हो रहा है। भारत में वाई० डब्ल्यू० सी० ए० को ३,७५,००० रुपये की सहायता नई दिल्ली में मध्यम तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये अतिथि गृह बनाने के लिये स्वीकार किये गये हैं। अतिथि गृह काम कर रहा है।

कलकत्ता, आगरा, जयपुर, मद्रास तथा बम्बई में ऐसे निवास स्थान बनाने के लिये कुछ राज्य सरकारों तथा संगठनों को सहायता देने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज

†*४९४. **श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आसाम में ब्रिटिश स्वामित्व वाली ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज को दो करोड़ रुपये का ऋण हाल में ही दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं तथा वह ऋण किस काम के लिये प्रयोग में लाया जायगा ?

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख) यह निर्णय किया गया है कि ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज को २ करोड़ रुपये का ऋण दिया जाय। (इंडिया जनरल नेवीगेशन एंड रेलवे कम्पनी लिमिटेड तथा रीवर्स स्टीम नेवीगेशन कम्पनी लिमिटेड दोनों को एक एक करोड़ रुपया) इससे वह कलकत्ता–आसाम मार्ग पर आई० डब्ल्यू० टी० सेवा के लिये अपने खराब जहाजी बेड़े की मरम्मत कर सकें। इस संबंध में कम्पनियों को अब तक ३४·९३ लाख रुपये का ऋण दिया गया है। ऋण देने की शर्तें ३०–५–१९६२ को तारांकित प्रश्न संख्या ११८४ के भाग (ख) के उत्तर में जिसकी प्रति संलग्न है, सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ९८८/६३]

नेता जी की स्मृति में डाक टिकट

†*४९५. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की स्मृति में डाक टिकट जारी करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह डाक टिकट कब जारी किया जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी हां।

(ख) २३ जनवरी, १९६४ को पड़ने वाली अगली जन्म शताब्दी के अवसर पर।

---

†मूल अंग्रेजी में

"खेत दिवस"

†*४९६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने ६ मार्च, १९६३ को 'खेत दिवस' का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो मेले में कौन-कौन मुख्य चीजों का प्रदर्शन किया गया था ; और

(ग) अनुमानतः कितने दर्शक उसमें आये थे ; और

(घ) मेले का मुख्य उद्देश्य क्या था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) किसानों का अन्य दर्शकों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, नई दिल्ली की वनस्पति विज्ञान के डिवीजन के प्रयोगात्मक क्षेत्र में ले जाया गया था और उन्हें वहां पर बरसीम, जांयट नेपियर ग्रास, ओटस, बार्ली, गेहूं तथा अत्यावश्यक बेल वाले पौदे, ज्वार, बाजरे के बाद गेहूं की फसल, तथा गामा किरणों का गेहूं और जौ पर परिवर्तन दिखाये गये थे।

(ग) लगभग ३०० किसानों तथा अन्य दर्शको ने फसल की नई किस्में देखी थीं।

(घ) खेत दिवस इस उद्देश्य से मनाया गया था कि दिल्ली के किसानों और कृषि विशेषज्ञों को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में तैयार की गई नई किस्मों की खेती के द्वारा फसल बढ़ाने की संभावनाओं का आभास उन्हें मिल सके।

कटक में गोदाम

†८९४. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न भरने के लिये जिला कटक (उड़ीसा) में जयपुर–क्योनघाट–सड़क पर गोदाम बनाने का सरकार ने निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है ;

(ग) इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा ; और

(घ) कार्य कब आरम्भ होने की संभावना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) से (घ). शायद माननीय सदस्य जिला कटक में जयपुर सड़क पर केन्द्रीय भांडागार निगम द्वारा एक भांडागार के निर्माण के प्रस्ताव का उल्लेख कर रहे हैं। वहां ३००० टन का एक भांडागार बनाने का विचार है जिस पर लगभग ४.५ लाख रु० व्यय होंगे। इसमें खाद्यान्न तथा कृषि पैदावार (विकास तथा भांडागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा २५(ख) में उल्लिखित अन्य वस्तुओं को रखा जायेगा। आशा है कि कार्य अप्रैल, १९६३ में आरम्भ होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलों में भर्ती

†८९५. **श्री कर्णी सिंह जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में चौथी, तीसरी, और दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त स्थान भरने के लिये पिछले तीन वर्षों में भर्तियां हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक श्रेणी में कितने रिक्त स्थान भरे गये ;

(ग) इन पदों के लिये बीकानेर डिवीजन में रहने वाले व्यक्तियों से कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये ; और

(घ) बीकानेर डिवीजन में रहने वाले कितने व्यक्तियों को पदों पर नियुक्त किया गया ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) हां, जहां तक चौथी और तीसरी श्रेणी का सम्बन्ध है । दूसरी श्रेणी के पद तीसरी के पदधारियो को पदोन्नति देकर भरे जाते हैं । वे सीधी भर्ती से नहीं भरे जाते हैं ।

(ख) श्रेणी ३ . . . . ११७

श्रेणी ४ . . . . . १,६२८

(ग) तीसरी श्रेणी के पदों के लिये विशेष स्थानों से प्राप्त हुये प्रार्थनापत्रों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । इस जानकारी को एकत्रित करने में जो परिश्रम करना पड़ेगा उसके अनुकूल इस जानकारी से परिणाम प्राप्त नहीं होगा । पिछले तीन वर्षों में बीकानेर डिवीजन में चौथी श्रेणी के पदों के लिये प्राप्त हुये प्रार्थनापत्रों की सख्या १२,७०८ थी ।

(घ) चौथी श्रेणी १,४२०

तीसरी श्रेणी—जानकारी तत्काल प्राप्त नहीं है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आन्ध्र प्रदेश को सहायता

†८९६. **श्री इं० मधुसूदन राव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन के अन्तर्गत सिंचाई कार्य के लिये आंध्र प्रदेश सरकार को कितना अनुदान दिया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने की पुनरीक्षित प्रक्रिया के अन्तर्गत, जो १९५८–५९ से लागू है, अनेक राज्य सरकारों को ग्राह्य केन्द्रीय सहायता 'कृषि उत्पादन' शीर्षक के अन्तर्गत योजनाओं के लिए एक साथ स्वीकृत की जाती है । इस शीर्षक में ही छोटी सिंचाई तथा भूमि सुधार शामिल होता है । राज्य सरकारें भी अपनी आर्थिक योजनाओं में मुख्य मुख्य योजनायें ही लिखती हैं । इस प्रकार, १९६२–६३ में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को दी गई केन्द्रीय सहायता नहीं बताई जा सकती । १९६२–६३ में छोटी सिंचाई तथा भूमि सुधार सहित कृषि विकास योजनाओं के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार को दिये गये ऋणों तथा अनुदानों सम्बन्धी जानकारी निम्न

वर्ष	अनुदान	ऋण
१९६२–६३	४६.०९ लाख	३२६.८६ लाख

†मूल अंग्रेजी में

टेलीप्रिंटर सेवा

†८९७. **श्री प्र० चं० देवभंज : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसे कितने नगर हैं जहां तारघरों में टेलीप्रिंटर सेवा की व्यवस्था है; और

(ख) वे क्या शर्तें हैं जिनके पूरा होने पर तार घर में टेलोप्रिन्टर लगाया जाता है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) ११६।

(ख) पर्याप्त संचार एक सर्किट पर एक घन्टे में कम से कम औसत रूप में ३२ तार आने चाहियें ।

राजस्थान में टेलीफोन

†८९८. **श्री ब्रजराज सिंह कोटा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ में राजस्थान के किस किस नगर में टेलीफोन व्यवस्था लागू की गई ;

(ख) क्या राजस्थान के जिला कोटा के अन्ता तथा मंगरोल उपनगरों और झालवाड़ के मनोहर थाना उपनगर के निवासियों ने टेलीफोनों के लिये प्रार्थनापत्र दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राजस्थान के वे नगर जहां १९६२ में टेलीफोन एक्सचेंज खोलेंगे

१. शहर . . . ५० लाइनें सी० बी० एक्सचेंज

२. सदुल शहर . . . ५० लाइनें सी० बी० एक्सचेंज

३. सूरजगढ़ . . . . २५ लाइनें एस ए एक्स खुला

१९६२ में खोले गये सार्वजनिक टेलीफोन घर

१. चांदलाई

२. मगदा

३. केसरी सिंहपुर

४. वनस्थली

५. छिपाबड़ौद

६. क वात

७. जोबनेर

---

†मूल अंग्रजी में

८. खेतरी तांबा खान
९. श्री टूंगरगढ़
१०. देवगढ़—मादरिया
११. भीम
१२. सपोरटा
१३. मंगरौल
१४. इन्दरगढ़
१५. असिन्द
१६. बदनोर

(ख) अन्ता और मंगरौल में लम्बी दूरी वाले सार्वजनिक टेलीफोन घर और मनोहर थाना में "फोनोकोम" कार्य कर रहे हैं। इन स्थानों पर टेलीफोनों के लिये कोई प्रार्थनापत्र अनिश्चित नहीं पड़ा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फूलबनी के कर्मचारियों के क्वार्टर

†८९९. **डा० कोहोर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में फूलबनी नामक स्थान पर डाक तथा तार विभाग के कार्यालय का भवन तथा कर्मचारियों के क्वार्टर्स निर्माण करने का एक प्रस्ताव था ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत कितनी थी और निर्माण कार्य में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, हां ।

(ख) डाकखाने का भवन ४४ हजार ११५ रुपये की लागत पर तथा कर्मचारियों के क्वार्टर्स ५० हजार की लागत पर ।

निविदायें तीन बार मंगाई गई थी परन्तु उन्हें अधिक मूल्य के होने के कारण अस्वीकार कर दिया गया था । अगली बार जब निविदायें मंगाई गयीं तो कोई उत्तर ही नहीं आया । अब ऐसा विचार है कि यह कार्य राज्य लोक निर्माण विभाग को करने के लिये सौंप दिये जायें ।

बरहामपुर—फूलबनी रेलवे लाइन

†९००. **श्री कोहोर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अस्का से भंजनगर के रास्ते बरहामपुर (गंजम) से फूलबनी तक और फिर बल्लीगुडा तक एक नई रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिये सर्वेक्षण कार्य के कब प्रारम्भ होने की आशा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विशाखापटनम–भिलाई रेलवे लाइन

†**९०१. श्री उलाका** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापटनम (आंध्र) और भिलाई (मध्य प्रदेश) के बीच बरास्ता रायपुर एक दुहरी (रेलवे) लाइन बनाने के कोई प्रस्ताव हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कथित लाइन को दुहरी करने का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख) विशाखापटनम और भिलाई के बीच ३४५ मील लम्बे भाग में से, वाल्टेयर और विजयानगरम (३८ मील) तथा रायपुर और भिलाई (१५ मील) के बीच की लाइन पहले ही से दुहरी है । लंजीगढ़ रोड और अम्बीडला (९ मील) तथा बिस्समकटक और थेरुवली (११ मील) के बीच रेलवे लाइन दुहरी करने का कार्य प्रगति कर रहा है और इसके दिसम्बर, १९६३ तक पूर्ण हो जाने की आशा है। शेष इकहरी लाइन को दुहरी करने के कार्य पर तब विचार किया जायेगा जब कि यातायात में वृद्धि के कारण यह आवश्यक होगा ।

उड़ीसा में डाक सेवायें

†**९०२. श्री उलाका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक उड़ीसा के कितने गांवों में डाक सेवायें चालू थीं, और

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के प्रारम्भ से लेकर अब तक जिन गांवों में डाक डाक सेवायें चालू की गई हैं उनकी संख्या कितनी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) और (ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में भी, उड़ीसा के सभी बसे हुए गांवों में डाकखानों के डाक बांटने वाले नियमित कर्मचारियों अथवा 'विशेष मजदूरों' के द्वारा डाक बांटे जाने की सुविधायें उपलब्ध थीं। तृतीय योजना के दौरान, पहले से अधिक बार डाक बांटे जाने के सम्बन्ध में सुधार कर दिये गये हैं। स्थिति नीचे दिखाई गई है :—

डाक कब बांटी जाती है	डाक बांटे जाने वाले गांवों की संख्या	
	१ अप्रैल, १९६१ को (१९५१ की जनगणना के अनुसार)	१ जनवरी, १९६३ को (१९६१ की जनगणना के अनुसार)
प्रति दिन	१०,८६७	१५,५९८
सप्ताह में तीन बार	१८,९९८	२०,२७०
सप्ताह में दो बार	११,१२८	९,००१
प्रति सप्ताह . .	१,८५२	१,५९७
सप्ताह से अधिक समय में	३८	—
योग . . .	४२,८८३	४६,४६६*

†मूल अंग्रेजी में

*१९६१ की जनगणना के अनुसार बसे हुए गांवों की संख्या में वृद्धि पिछड़े हुए क्षेत्रों के पुनर्वास के कारण हुई है ।

जहां तक नये डाकखाने खोलकर डाक सेवाओं के विस्तार करने का सम्बन्ध है, उड़ीसा में, अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान १ हजार ६१७ तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में २८ फरवरी, १९६३ तक ५७१ डाकखाने खोले गये थे।

डी० बी० के० रेलवे

†९०३. **श्री उलाका** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० बी० के० रेलवे परियोजना का कुल परिव्यय कितना है ;

(ख) अब तक कितनी प्रगति कर ली गई है ; और

(ग) परियोजना कब पूर्ण हो जायेगी ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) माननीय सदस्य कदाचित् कोट्टावलासा—बैलाडिल्ला परियोजना का उल्लेख कर रहे हैं, जिसके निर्माण कार्य को डी० बी० के० रेलवे परियोजना प्रशासन ले रहा है। इस लाइन के निर्माण के परिव्यय का ५५ करोड़ ३२ लाख होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) जनवरी, १९६३ के अन्त तक कुल मिला कर १९.५ प्रतिशत प्रगति कर ली गई है।

(ग) जनवरी, १९६६ तक।

दिल्ली कालका मेल में भोजनयान

†९०४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह बात ज्ञात है कि दिल्ली कालका मेल के रेलवे भोजनयान में 'केटरिंग' सेवा तब से बहुत खराब हो गई है जब से इसका प्रबन्ध उत्तर रेलवे ने अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में रेलवे प्राधिकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) 'केटरिंग' सेवाओं का सुधार करने के लिये, यदि कोई कदम उठाये गये हैं तो वे क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). कालका-दिल्ली–हावड़ा मेल ट्रेनों में लगे हुए भोजनयानों में दिये जाने वाले खाद्य पदार्थों तथा सेवाओं के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जो शिकायतें प्रमाणित सिद्ध हो चुकी हैं उन सब के सम्बन्ध में त्रुटियों को दूर करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही कर ली गई है।

कालका–दिल्ली–हावड़ा मेल में लगे हुए भोजनयान में सेवा साधारणतया संतोषजनक होती है और कुछ और सुधार करने के लिये अच्छे किस्म के कच्चे माल का प्रयोग करना, सही अनुपातों

†मूल अंग्रेजी में

में उसका प्रयोग करना, नियमित समय समय पर उपाहारगृह के कर्मचारियों की कांट-छांट करना, पर्यवेक्षण को कड़ा करना आदि जैसे अनेक कदम उठाये गये हैं ।

शिकार पर्यटक उद्योग

†१०५. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेर आदि के शिकारियों की संख्या, जो कि विदेशों से भारत में चीते का शिकार करने के लिये आते हैं, प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है, और यह कि शिकार पर्यटक उद्योग हमारे देश के लिये पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों से और अधिक शिकारी दलों को आकर्षित करने के लिये सरकार तथा शिकार-व्यवस्थाकर्ताओं द्वारा क्या अतिरिक्त विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां । विदेशों से भारत में आने वाले शेर आदि के शिकारियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है जिससे देश के लिये पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा ली जाती है । १९५९ से लेकर १९६१ तक के दौरान जिन व्यक्तियों ने शिकार के सम्बध में भारत का दौरा किया और इस साधन से जितनी विदेशी मुद्रा उपार्जित की गई वह निम्नलिखित है :—

वर्ष	व्यक्तियों की संख्या	उपार्जित विदेशी मुद्रा
		रुपये न०पै०
१९५९ .	३१	३,३६,१५४.४६
१९६० .	९२	३,९०,५५४.११
१९६१	९७	७,५८,६२०.००

(ख) भारत में शिकार पर्यटन को उन्नत करने के लिये शिकार व्यवस्थाकर्ताओं को समुचित सुविधायें दी जाती हैं। विदेशों में शिकार उन्नतिप्रदायक दौरे करने के लिये तथा विदेशी आखेट पत्रिकाओं में विज्ञापन देने के लिये अनेक शिकार व्यवस्थाकर्ताओं को विदेशी मुद्रा की छट दी जाती है । इस समय और कोई अतिरिक्त कदम सरकार के विचाराधीन नहीं हैं ।

खाद्यान्नों की खरीद

†१०६. **श्री भोनारायण दास :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में किन किन राज्यों ने खाद्यान्नों को प्राप्त करने के लिये कदम उठाये हैं ;

(ख) खाद्यान्न किन मूल्यों पर प्राप्त किये जा रहे हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस प्रकार खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार की भी उनकी अपनी कोई योजना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) से (ग). भारत सरकार मध्य प्रदेश में चावल प्राप्त कर रही है। आंध्र प्रदेश, मद्रास तथा पंजाब की राज्य सरकारें भारत सरकार की ओर से अपने अपने राज्यों में चावल प्राप्त कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी अपनी ओर से तथा भारत सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में चावल प्राप्त कर रही है। आसाम तथा उड़ीसा की सरकारें तथा त्रिपुरा प्रशासन उनकी अपनी ओर से ही चावल/धान प्राप्त कर रहे हैं। मनीपुर प्रशासन ने भी अपनी ओर से ही चावल और धान प्राप्त करने के लिये कदम उठाये हैं। इस समय सरकार की ओर से देश में और कहीं भी खाद्यान्नों की प्राप्ति नहीं की जा रही है।

भिन्न भिन्न प्रकार के चावल ३४ रुपये ८३ न० पै० प्रति क्विटल से लेकर ७५ रुपये ६६ न० पै० प्रति क्विटल के मूल्य पर खरीदे जा रहे हैं। जिन मूल्यों पर धान खरीदे जा रहे हैं वे १८ रुपये ७५ नये पैसे से लेकर ३७ रुपये ३८ नये पैसे प्रति क्विटल हैं।

पातालपानी के निकट दुर्घटना

†६०७. { **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री वाजी :

क्या रेलवे मंत्री २४ जनवरी, १६६३ को दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १८ जनवरी, १६६३ को पश्चिम रेलवे के इंदौर-खंडवा खंड में पातालपानी स्टेशन के निकट हुई गम्भीर दुर्घटना के कारणों को मालूम करने के सम्बन्ध में जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या उपपत्तियां हैं तथा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** (क) जी हां।

(ख) उपपत्तियों की प्रतिलिपि संलग्न है। समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और तदनुसार रेलवेज़ को अनुदेश दे दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ६८६/६३]**

हसन-मंगलौर रेलवे लाइन

†६०८. { **श्री बासप्पा :**
श्री सं० ब० पाटिल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हसन-मंगलौर रेलवे लाइन के निर्माण में मन्द प्रगति होने के क्या कारण हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तृतीय योजना में इस रेलवे लाइन के लिये कितनी धन राशि अलग रख दी गई है; और

(ग) क्या इस परियोजना में, लगभग ४५ मील की दूरी का, हरिहर तथा कोट्टुर के बीच का मार्ग भी सम्मिलित है?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सं० वें० रामस्वामी)**: (क) इस लाइन के निर्माण के मामले में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। जैसा कि योजना आयोग ने बताया है कार्य इस क्रम में किया जायेगा कि वह उस समय तक समाप्त हो जाये जब तक कि मंगलौर पत्तन बन कर तैयार होता है।

(ख) परियोजना पर लगभग १९ करोड़ ८१ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। इसकी संभावना नहीं है कि इस समस्त धन राशि को योजना काल में ही विस्तृत कर दिया जायेगा।

(ग) जी नहीं।

हौसपेट रेलवे लाइन

†**९०९. श्री बासप्पा**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हौसपेट–गुंटाकल रेलवे लाइन को बड़ी लाइन बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो हौसपेट-हुबली लाइन को बड़ी लाइन न करने के क्या कारण हैं?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) वर्तमान प्रस्ताव केवल यह है कि हौसपेट तथा गुंटाकल के बीच विद्यमान ७१ मील लम्बी छोटी (एम० जी०) लाइन के समानान्तर एक अलग बड़ी (बी० जी०) लाइन डाली जाय।

(ख) क्योंकि हौसपेट–हुबली खण्ड में तृतीय योजनाकाल में पूर्वाशित यातायात की प्रवृत्ति विद्यमान छोटी लाइन के खण्ड की क्षमता से अधिक नहीं है, अतः इस लाइन को बड़ी लाइन के रूप में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय राजपथ

†**९१०. श्री कोया**: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल राज्य में कुल कितने मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ बनाये जायेंगे?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: केरल के विद्यमान राष्ट्रीय राजपथ बीच बीच में कहीं से टूटे हुए नहीं हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में उस राज्य में और कुछ मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथ बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश के सरकारी वनों से स्लीपरों की खरीद

†**९११. श्री प्रिय गुप्त**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन अधिकारियों द्वारा स्लीपरों को उपयुक्त बताये जाने के परिणामस्वरूप

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश के सरकारी वनों से खरीदे गये स्लीपरों के मूल्य के रूप में दी गई कुल धन राशि, पर ३½ प्रतिशत धन व्यवस्था प्रभार के रूप में भी उत्तर प्रदेश सरकार को दिया जाना है ; और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में दिये गये ऐसे व्यवस्था प्रभारों की कुल राशि कितनी है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार के वन अधिकारियों को ३½ प्रतिशत की दर पर व्यवस्था प्रभार देने की तुलना में इस स्थान पर रेलवे अधिकारियों (टिम्बर पासिंग आफिसर्स) को नियुक्त करने से कम व्यय होगा;

(ग) क्या भारत में भारतीय ठेकेदारों द्वारा संभरण किये जाने वाले स्लीपरों की तुलना में आस्ट्रेलिया तथा बर्मा द्वारा संभरण किये जाने वाले लकड़ी के स्लीपर सस्ते और अच्छी किस्म के होते हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो भारतीय रेलवे द्वारा आस्ट्रेलिया तथा बर्मा जैसे देशों से स्लीपर क्यों मंगाये जाते हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से किये गये समझौते के अनुसार, स्लीपरों के मूल्य का ३½% व्यवस्था प्रभारों को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को अतिरिक्त देना पड़ता है। गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश वन विभाग को व्यवस्था प्रभार के लिये दिया गया धन निम्नलिखित है :—

वर्ष	कितने प्रतिशत व्यवस्था प्रभार दिया गया	व्यवस्था प्रभार के रूप में कुल कितनी धन राशि दी गई
		रुपये
१९५९-६०	२½%	१,८८,२१४
१९६०-६१	२½%	१,६१,८१७
१९६१-६२	३½%	१,६९,५५७

(ख) क्योंकि वन अधिकारीगण रेलवे स्लीपरों को पास करने के लिये अपने प्रविधिक प्रशिक्षण तथा अनुभव के आधार पर अधिक सक्षम हैं, रेलवे अधिकारियों द्वारा इन्हें पास करना इतना लाभदायक नहीं है और दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। इससे अतिरिक्त व्यवस्था प्रभार अन्य बातों के कारण भी होते हैं जैसे भाण्डार करना, पर्यवेक्षण शुल्क आदि।

(ग) पीछे आस्ट्रेलिया तथा बर्मा से मंगाये गये स्लीपर स्वदेशी स्लीपरों से सस्ते नहीं हैं। स्वदेशी स्लीपरों से भिन्न जाति के होने के कारण, किस्म की तुलना नहीं की जा सकती।

(घ) रेलवे की अविलम्बनीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये स्वदेशी संभरण कम पड़े थे और उस कमी को पूरा करने के लिये आयात करना पड़ा था।

†मूल अंग्रेजी में

पंचायत समितियां

†९१२. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंचायत समितियों का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित है और उनके प्रशासन में भारी संख्या में लोग लगे हुए हैं जिसका परिणाम यह होता है कि वे उन्नतिकारक योजनाओं को नहीं चला सकते ; और

(ख) क्या प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसे अधिक विकासक्षम तथा कम व्यय पर चलने वाली बनाने के लिये ऐसी दो समीपस्थ समितियों को मिलाकर एक बनाने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) जी, नही ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि गवेषणा के लिये अमरीका द्वारा सहायता

†९१३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रा० स० तिवारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विभूति मिश्र :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२-६३ के अन्तिम दो महीनों में अमेरिका ने भारत में कृषि सम्बन्धी गवेषणा कार्य करने के लिये सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्योरे हैं ; और

(ग) किस विशिष्ट प्रयोजन के लिए इसे व्यय करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) से (ग). जनवरी और फरवरी, १९६३ के महीनों में, अमरीकी सरकार इस बात के लिये सहमत हो गई है कि वह पी०एल० ४८० के अधीन वस्तुओं के विक्रय द्वारा बनाई गई रुपया निधियों के अमरीकी भाग में से, कुल मिलाकर दस गवेषणा योजनाओं को वित्तपोषित कर देगी। एक विवरण संलग्न है जिसमें इन योजनाओं के ब्योरे दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० ९८३/६३**]

ए० सी० बिजली के इंजन

†९१४. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में किसी ए० सी० बिजली के इंजन का अन्तर्वर्ती साज संवार किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या किसी विदेशी विशेषज्ञ का मार्गदर्शन आवश्यक था ; और

(ग) क्या भविष्य में हमारे अपने ही आदमी इस काम को स्वतंत्र रूप से कर पायेंगे ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां, अभी तक तीन इंजनों का ।

(ख) और (ग). काम भारतीय रेलवे के उन कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है जिन्हें इस प्रयोजन के लिये विदेशों में प्रशिक्षण दिया गया था ।

दुग्ध संभरण योजनायें

†६१५ { **श्री ब० कु० दास :**
श्री रिशांग किशिंग :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी अभिकरणों द्वारा देश में चलाई जाने वाली दुग्ध संभरण योजनाओं की संख्या क्या है ;

(ख) इन योजनाओं के अधीन दूध का दैनिक अथवा मासिक संभरण कितना है ; और

(ग) दैनिक खरीदों की औसत संख्या क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). जानकारी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेल की पटरी में त्रुटि का पता लगाने के लिए यंत्रीकृत औजार

†६१६. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्घटनायें बचाने के लिये रेल की पटरी में साधारण त्रुटियों का पता लगाने के लिये हालेड ट्रेक-रिकार्डर[1] जैसे यंत्रीकृत औजारों का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) क्या विशेष दोषों का पता लगाने के लिये पटरी में आड़ी दरारों का पता लगाने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है ;

(ग) डायनमो-मोटर कारों से, जिन में मापने और आलेख करने वाले औजार लगे होते हैं, इंजनों और डिब्बों की कार्यकारी दशा का परीक्षण करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(घ) रेल की पटरियों पर गाड़ियां अधिक तेज गति से अधिक सुरक्षितता के साथ चल सकें, इस के लिये क्या उपाय किए गए हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) रेल की पटरी की त्रुटियों का, यदि कोई हों, पता लगाने के लिये सभी रेलों पर हालेड ट्रेक-रिकार्डर का नियमित प्रयोग किया

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Hallade Track Recorder.

जाता है। पटरी को सुरक्षित दशा में रखने के लिये स्थायी मार्ग निरीक्षक इन रिकार्डों का प्रयोग करते हैं। एक नई ट्रेक रिकार्डिंग कार प्राप्त कर ली गई है और उस में आवश्यक यंत्र लगाये जा रहे हैं।

(ख) विभिन्न प्रकार के पटरी में त्रुटियां दर्शाने वाले पराश्रव्य[1] यंत्रों को इस समय आजमाया जा रहा है ताकि सभी रेलों में चालू करने के लिये उपयुक्त यंत्र चुना जा सके।

(ग) इंजनों के कार्यकरण का परीक्षण करने के लिए एक बड़ी लाइन की डायनमो-मीटर कार का प्रयोग किया जा रहा है। छोटी लाइन के लिए डायनमो मीटर कार प्राप्त कर ली गई है और इसी प्रकार छोटी लाइन के इंजनों का परीक्षण करने के लिये उस में यंत्र लगाये जा रहे हैं।

डिब्बों और इंजनों की यात्री-क्षमता का परीक्षण करने के लिए दोलन-लेखी[2] कारों का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी २ कारों का बड़ी लाइन तथा १ का छोटी लाइन पर प्रयोग हो रहा है।

(घ) देश में सभी ट्रंक लाइनों पर भारी पटरियां लगा कर, स्लीपरों को और निकट लगा कर तथा डाट के ऊपर की नरम गट्टी की गहराई को बढ़ा कर रेल की पटरी को सुधारने और सुदृढ़ बनाने के लिये उपाय पहले ही किये जा चुके हैं। अन्य मुख्य और शाखा लाइनों के लिये भी बड़ी लाइन और छोटी लाइन दोनों पर इसी प्रकार रेल पटरी के स्तरों को सुधारा गया है।

रिंग रोड

†६१७. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहली के चारों ओर रिंग रोड की योजना की स्वीकृति कब दी गई थी ;

(ख) परियोजना की प्राक्कलित लागत क्या है और काम कब शुरू किया गया था ;

(ग) सड़क की वह लम्बाई क्या है जहां कि काम अभी पूरा नहीं किया गया है ; और

(घ) इस सड़क को पूरा करने के लिये सरकार क्या उपाय करना चाहती है और इस के कब पूरा हो जाने की संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) देहली के चारों ओर रिंग रोड के निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित पांच भागों में दी गई थी :—

भाग १—मथुरा रोड से कुतुब रोड तक .	१६५२-५३
भाग २—कुतुब रोड से किचनर रोड तक .	१६५२-५३
भाग ३—किचनर रोड से नजफगढ़ रोड तक . .	१६५५-५६
भाग ४—नजफगढ़ रोड से रोहतक रोड तक . .	१६५५-५६
भाग ५—रोहतक रोड से करनाल रोड तक . .	१६५७-५८

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Ultra sonic.

[2]Oscillograph cars.

(ख) परियोजना की प्राक्कलित लागत, जिस में राष्ट्रीय राजपथ योजना मेंपड़ने वाला भाग भी सम्मिलित है, १६८.२ लाख रुपये है । काम इस प्रकार से भागों में आरम्भ किया गया था :—

भाग १	. . .	१९५२–५३
भाग २	. . . .	१९५२–५३
भाग ३	. .	१९५५–५६
भाग ४	. . . . .	१९५६–५७
भाग ५	. . . . .	१९५७–५८

(ग) आजादपुर चौक से ले कर आजादपुर के उपरि-पुल तक १०० फुट का एक टुकड़ा तथा नजफगढ़ झील नाले के ऊपर का पुल अभी पूरा किया जाना है । तथापि, यातायात विकर्षण मार्गों से गुजर सकता है ।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को, जोकि यह काम कर रहा है, काम को शीघ्रता से पूरा करने के लिये संभव उपाय करने की हिदायतें दे दी गई हैं । काम के शेष भाग के जुलाई १९६३ के अन्त तक समाप्त होने की संभावना है ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

†९१८. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुभवी जल परिवहन कर्मचारियों को अन्तर्देशीय मास्टर, सेरांग और ड्राइवर बनाने के लिये प्रशिक्षण देने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ; और

(ग) भर्ती किस आधार पर की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). सरकार ने अन्तर्देशीय जल परिवहन के उन कर्मचारियों को, जिन्हें अन्तर्देशीय यानों का आवश्यक अनुभव है, भारतीय वाष्प यान अधिनियम, १९१७ के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्रों, जैसे कि अन्तर्देशीय मास्टरों, सेरांगों आदि के प्रमाणपत्र, के लिये विभिन्न परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त करने के लिए शिक्षा देने की एक योजना बनाई है । शिक्षा कलकत्ता स्थित पश्चिम बंगाल सरकार के वर्तमान अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रशिक्षण केन्द्र में दी जायेगी । एक वर्ष में साठ-साठ के छः दलों में ३६० व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का विचार है और पाठचर्या की अवधि दो महीने होगी । प्रशिक्षण निर्देशों के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार दिया जायेगा । सभी राज्यों के अभ्यर्थी इस के लिये पात्र होंगे । क्योंकि दिन के समय अधिकतर प्रशिक्षार्थी शायद अपने यानों पर काम में लगे होंगे, अतः शनिवारों, रविवारों तथा अन्य छुट्टियों को छोड़ कर सप्ताह के सभी दिनों में कक्षायें ५.३० बजे से ८.३० बजे म० प० तक लगाई जायेंगी । संभावना है कि प्रशिक्षण पर तीन वर्षों की अवधि में कुल लगभग

---

†मूल अंग्रेजी में

१,३६,६०० रुपये खर्च होंगे । योजना का ब्योरा संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० ९८४/६३]

पंचायतों के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ता

†९१९. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने प्रत्येक पंचायत और सहकारी समिति के लिए एक वैतनिक प्रशिक्षित कार्यकर्ता देने का निर्णय किया है ; और

(ख) इस प्रयोग के लिये राजस्थान को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति):** (क) राजस्थान सरकार प्रत्येक पंचायत के लिए एक ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता देने का विचार रखती है । ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में काम करने के अतिरिक्त ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, जहां कहीं संभव होगा, सेवा सहकार समिति के सचिव के रूप में भी काम करेगा ।

(ख) इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार को कोई अलग वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है ।

जहाजों का प्रतिस्थापन [१]

†९२०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति और रद्दी जहाजों के प्रतिस्थापन के लिए विदेशी मुद्रा की कमी के कारण सरकार पुराने जहाजों को रद्दी ठहराये जाने के नियमों को पुनरीक्षित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). किसी पुराने जहाज को रद्दी ठहराये जाने की अनुमति तब दी जाती है जबकि मुख्य सर्वेक्षक के परामर्श पर सरकार को सन्तोष हो जाता है कि जहाज बचत के साथ अथवा अनुचित रूप से भारी लागत की मरम्मत के बिना सेवा में और अधिक नहीं रखा जा सकता है । इस प्रक्रिया में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है क्योंकि पहिले ही प्रत्येक मामले में जहाज के मालिकों को इस बात के लिये प्रेरित करने के प्रयत्न किये जाते हैं कि जब तक सम्भव हो वे जहाज को काम में लाते रहें ।

रेलों की टक्कर रोकने की मशीन

९२१. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ९ फरवरी, १९६३ के 'नवभारत टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि रेलों की टक्कर को रोकने के लिये किसी मशीन का आविष्कार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस मशीन की जांच कराई गई है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[१] Replacement.

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं। ९ फरवरी, १९६३ के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार की ओर सरकार का ध्यान नहीं दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया था कि रेलों की टक्कर रोकने के लिये श्री विपिन बिहारी श्रीवास्तव ने एक मशीन का आविष्कार किया है। लेकिन इस सम्बन्ध में स्वयं श्री श्रीवास्तव की ओर से कुछ पत्र मिले हैं।

(ख) इस मशीन की जांच की गयी है। इसे व्यावहारिक नहीं समझा जाता और इसलिए इसे काम में नहीं लाया जा सकता।

मनीपुर में मीन क्षेत्र

†९२२. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में मनीपुर में चावल की खेती के लिये अब तक कितने मीन क्षेत्रों का अपारिक्षण किया गया है ; और

(ख) अपारक्षण के कारण राजस्व में कितना लाभ अथवा हानि हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

काजू का उत्पादन

†९२३. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री प० कुन्हन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा किये गये उपायों के परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों में देश में काजू के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कहां तक ; और

(ग) इस समय कच्चे काजू का कुल उत्पादन और मांग क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) हां।

(ख) लगभग १५ से २० हजार टन।

(ग) उत्पादन	लगभग १,२०,००० टन।
मांग	लगभग २,५०,००० टन।

हवाई हमले से बचने के उपाय

९२४. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संकट की घोषणा के बाद विभिन्न रेल-प्रशासनों को यह हिदायत दी गई थी कि हवाई हमलों से रक्षा करने के उद्देश्य से स्टेशनों, रेल गाड़ियों व निवास की कोलोनियों की रोशनी मन्दी रखी जाये ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो विभिन्न रेल-प्रशासनों ने उस हिदायत पर कहां तक अमल किया है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि उक्त हिदायत के आधार पर उत्तर पूर्वी रेलवे, विशेष रूप से उसके बरेली डिवीजन में स्टेशनों पर रोशनी इतनी कम कर दी गई कि मुसाफिरों, कर्मचारियों व आम जनता को बड़ी परेशानी हुई ; और

(घ) यदि हां, तो यात्रियों की असुविधा दूर करने के लिये क्या कार्य वाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां । उत्तरी सीमा के राज्यों में स्थित रेल प्रशासनों को ।

(ख) कुल रेल प्रशासनों ने उस पर पूरा और कुछ ने आंशिक रूप से अमल किया ।

(ग) जी नहीं । मुजफ्फरपुर में इस तरह की एक शिकायत की गयी थी जिस पर तुरन्त ध्यान दिया गया ।

(घ) रोशनी की सामान्य व्यवस्था फिर चालू कर दी गयी है ।

मनीपुर राज्य परिवहन

†९२५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ और १९६२–६३ में मनीपुर राज्य परिवहन की प्रति मास तथा प्रति वर्ष माल ढोने की क्षमता कितनी है ;

(ख) भाग (क) में उल्लिखित क्षमता का कितना प्रतिशत उपर्युक्त वर्षों में ढोया गया था ;

(ग) हाल ही में एक प्राइवेट फर्म को सीमेंट की एक लाख बोरियां ढोने का ठेका देने के क्या कारण हैं ; और

(घ) किन शर्तों के अधीन ठेका दिया गया था ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी मनीपुर प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

किसानों को वित्तीय सहायता

श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६३ के लिये देश में उत्पादन और भूमि सुधार के लिये किसानों की वित्तीय आवश्यकता का निर्धारण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल निर्धारित राशि कितनी है ;

(ग) सरकार किसानों की मांग को किस प्रकार पूरा करने का विचार करती है ; और

(घ) मदों के लिये ऋणों के शीघ्र वितरण के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) विभिन्न योजनाओं के लिये निर्धारित प्रतिरूप के आधार पर केन्द्रीय सरकार ऋणों और अनुदानों के रूप में राज्यों को वित्तीय सहायता देती है । कुछ अनुदान उस राजकीय सहायता की राशि से जुड़े हुये हैं जो स्वीकृत प्रतिरूप के

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसार विशिष्ट कार्यक्रमों के अधीन राज्य सरकारें किसानों को देती हैं। तकावी ऋणों का दिया जाना राज्य सरकारों का काम है। १९६३ के लिये किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं का कोई निर्धारण नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऋण सामान्यत: राजस्व अभिकरणों द्वारा सीधा किसानों को ही दे दिये जाते हैं जो ऋणों के लिये अभ्यावेदन भेजते हैं और उसे मंजूर करवा लेते हैं। इसके अतिरिक्त, सहकारी समितियों द्वारा उधार दिये जाने की व्यवस्था है। भूमि बन्धक बैंक भी कृषकों को दीर्घकालीन ऋण देते हैं। सहकारी समितियां तथा भूमि बन्धक बैंक १९६२–६३ में क्रमश: २६० करोड़ रुपये और ६३ करोड़ रुपये संवितरण करने की आशा रखते हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकारों ने ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि संवितरण में अधिक विलम्ब न हो। सहकारी समितियों द्वारा ऋणों के संवितरण के बारे में राज्य सरकारें तथा संस्थायें ऋणों के शीघ्र संवितरण को सुकर बनाने के लिये विभिन्न प्रक्रियाओं का लगातार पुनर्विलोकन कर रही हैं।

रासायनिक उर्वरक

†१२७. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६२ में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण बाहर से रासायनिक उर्वरकों का अपेक्षित मात्रा में आयात नहीं किया जा सका था ;

(ख) यदि हां, तो कुल आवश्यकता क्या थी जिसका कि आयात नहीं किया जा सका ; और

(ग) क्या वर्तमान कारखानों का उत्पादन बढ़ा कर इस कमी को पूरा किया गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). देश में वर्तमान कारखानों के अनुमानित उत्पादन का हिसाब करने के बाद वर्ष १९६२–६३ के लिये उर्वरकों की आयात आवश्यकताओं का अनुमान लगाया गया था। निम्नलिखित विवरण (१) आवश्यकताओं (योजना के लक्ष्य), (२) देशीय उत्पादन, (३) आयात द्वारा पूरी की जाने वाली कमी, (४) वास्तविक आयात जिनकी व्यवस्था की गई तथा (५) शेष जो पूरी नहीं हो पाई, के बारे में जानकारी देता है। (तथापि राज्यों तथा अन्य उपभोक्ताओं की वास्तविक मांग लक्षित आवश्यकताओं से अधिक थी)।

	नाइट्रोजन (लाख टनों में)
कुल आवश्यकतायें	५.२५
देशीय उत्पादन . .	१.८०
आयात द्वारा पूरी की जाने वाली कमी .	३.४५
वास्तविक आयात जिनकी व्यवस्था की गई	२.४७
शेष जो पूरी नहीं हुई	०.९८

१९६२–६३ में नाइट्रोजन का देशीय उत्पादन १९६१–६२ के स्तर से ४३,००० (नाइट्रोजन) टन बढ़ाया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†९२८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में उत्तर रेलवे द्वारा नियुक्त किये गये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है ; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) १ अप्रैल, १९६२ से अब तक नियुक्त किये गये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या—४५९६ ।

(ख) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां — १०७२ ।

पंजाब में फल उत्पादन

†९२९. **श्री दलजीत सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में बंगाल में फल उत्पादन को बढ़ाने के लिये बनाये गये कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार इस के लिये कितनी सहायता देगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) १९६३–६४ के लिये पंजाब में फल उत्पादन के विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्न कार्यक्रम बनाया गया है :—

(१) १६०० एकड़ भूमि पर नये पौधे लगाये गये हैं, जिस के लिये फल उत्पादकों को ऋण देने के लिये ७.१४ लाख रुपये की राशि पृथक् रखी गई है :

(क) पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति एकड़ ५०० रुपये ।

(ख) मैदानी क्षेत्रों में प्रति एकड़ ३०० रुपये ।

(२) फल उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये, पंजाब सरकार द्वारा निम्न उपाय किये जाने का विचार है :—

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी पंजीबद्ध पौधशालाओं से चार लाख फलों के पौधे उचित दामों पर फल उत्पादकों को दिये जायेंगे और इस कार्यक्रम के अधीन ४००० एकड़ भूमि पर फलों के पौधे लगाये जायेंगे ।

(ख) औजारों, उर्वरकों, इन्सैक्टीसाइडों, उपकरणों और बढ़िया बीजों के लिये समुचित अर्थ सहायता देना ।

(ख) केन्द्रीय सहायता की अनुमानित राशि इस प्रकार है :

	रुपये
ऋण	७,९०,०००
अनुदान	४,५२,०००
कुल	१२,४२,०००

†मूल अंग्रेजी में

सोहागपुर-पीपरिया के बीच रल दुर्घटना

• †६३०. श्री श्रीनारायण दास : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ फरवरी, १९६३ में तीन बच्चों समेत एक परिवार के पांच सदस्य बम्बई-हावड़ा मेल गाड़ी द्वारा कुचले गये, जब वे सोहागपुर और पिपरिया के बीच रेलवे पटड़ी को पार कर रहे थे ;

(ख) यदि हां, तो यह दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई;

(ग) क्या कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम निकला ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (घ). दुर्घटना १७-२-६३ को इटारसी-जबलपुर सैक्शन (मध्य रेलवे) के बनखेड़ी स्टेशन पर हुई। यह सूचना मिली है कि तीन बच्चों समेत एक परिवार के पांच लोग दुर्घटना स्थल के समीप १३-३० बजे के लगभग रेल पटड़ी के पास चल रहे थे। बम्बई-हावड़ा जनता एक्सप्रैस के आने की सीटी सुन कर १० और ३ वर्ष के दो बच्चे घबरा गये और उन्होंने पटड़ी पर दौड़ना शुरू कर दिया। माता पिता $1\frac{1}{2}$ वर्ष के तीसरे बच्चे के साथ पटड़ी से दूसरे दो बच्चों को बचाने के लिये भागे। इस बीच गाड़ी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई और पांचों व्यक्ति गाड़ी के नीचे आ कर मर गये।

सरकारी रेलवे पुलिस, गाडारवार के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने इस मामले की जांच कर के सूचना दी है कि यह अकस्मात हुआ और कोई व्यक्ति इस के लिये उत्तरदायी नहीं माना जा सकता।

बैलों द्वारा चलाया जाने वाला हल

†६३१. श्री फ० गो० सेन : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक बैल द्वारा चलाये जाने वाले हल को किसानों ने पसन्द किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस को कृषकों के लाभार्थ अन्य सब राज्यों में प्रदर्शन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). सहारनपुर जिले में किसानों के जापानी दल द्वारा एक बैल से चलाया जाने वाला हल तैयार किया गया था। दूसरी प्रकार के हल बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास और भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली द्वारा बनाये गये हैं। अभी इन हलों का परीक्षण किया जा रहा है और इन का प्रयोग विविध अनुसन्धान एवं परीक्षण केन्द्रों तथा प्रगतिशील किसानों द्वारा किया जाएगा। यह देखा गया है कि यदि बैलों को अकेले अकेले इस हल को चलाना होगा, तो उन को पुनः सिखलाना पड़ेगा।

शाखा डाक घरों को उप-डाकघर बनाना

†६३२. श्री हेडा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाखा डाकघरों को उप-डाक घरों में परिवर्तित करने के बहुत से मामले उड़ीसा के बालासोर जिले में बहुत देर से लंबित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन को उन्नत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और उन शाखा डाकघरों के नाम क्या हैं, जिन के मामले उक्त जिले में उन्नत होने के लिये लंबित पड़े हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस जिले में इस प्रकार उन्नत करने के मामले कितनी देर से लंबित पड़े हैं और कब तक पूरे हो जायेंगे, विशेषकर अरनापलि और गुजीडारडा शाखा डाकघरों के मामले ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) से (ग). विभागातिरिक्त डाकघरों को उप डाकघरों के रूप में उन्नत करने के सम्बन्ध में बालासोर जिले के पांच मामले विचाराधीन हैं। उन का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

विभागातिरिक्त डाकघरों के नाम	डी पी टी उड़ीसा द्वारा उन्नत करने के प्रस्ताव की प्राप्ति की तिथि	वर्तमान स्थिति
१. अरनापाल विभागातिरिक्त शाखा डाकघर	जनवरी, १६६३ का तीसरा सप्ताह	शाखा डाकघरों को उन्नत करने के प्रश्न के बारे में डी पी टी उड़ीसा तथा डाकघरों के सुपरिन्टेन्डेन्ट बालासोर डिवीजन के बीच बात चीत हो रही है। इस का फैसला हो जाने पर प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जायेगा।
२. गुजिडारडा " "	जनवरी, १६६३ का अन्तिम सप्ताह	प्रत्यक्षतः प्रत्याशित हानि विभागीय डाकघरों के रूप में बदलने के लिये निर्धारित अनुमतेय सीमा के परे है। इस मामले की अग्रेतर जांच की जा रही है।
३. पीरहाट बाजार "	नवम्बर, १६६२	डी पी टी उड़ीसा ने कुछ बातों के बारे में स्पष्टीकरण के लिये डाकघरों के अधीक्षक को लिखा है। शीघ्र ही इस मामले के तय हो जाने की आशा है।
४. हतीगढ़ " "	दिसम्बर, १६६२	
५. खोइरा " "	नवंबर, १६६२	मंजूरी फरवरी, १६६२ में दी गई थी। दफ्तर को तब उन्नत किया जाएगा जब उचित स्थान उपलब्ध हो जाएगा।

बिजली के इंजनों द्वारा चलायी जाने वाली गाड़ियों में शौचालय

†६३३. श्री जेना : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली के इंजनों से चलाई जाने वाली गाड़ियों में सब श्रेणियों के यात्रियों के लिये शौचालय नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उन गाड़ियों में इस सुविधा के न होने के कारण क्या हैं; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार भविष्य में उन गाड़ियों में टट्टियां लगाने के लिये व्यवस्था करने का विचार करती है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां। तथापि उपनगरीय गाड़ियों के डिब्बों में, चाहे वे बिजली से चलते हैं या भाप से, शौचालय नहीं होते।

(ख) कारण ये हैं :

(१) यात्रा की अवधि बहुत कम है ;

(२) इन सेवाओं में अधिकतम क्षमता की जरूरत है;

(३) जब भीड़ हो जाती है, तो शौचालय तक पहुंचना कठिन होता है और इन का व्यावहारिक उपयोग कम होगा;

(४) स्टेशन एक दूसरे के बिल्कुल समीप होते हैं और गाड़ियां भी थोड़ी थाड़ी देर में चलती हैं। जो यात्री शौचालय का उपयोग करना चाहे, वे किसी गाड़ी से किसी स्टेशन पर उतर कर अगली गाड़ी पकड़ सकते हैं।

(५) संसार भर में उपनगरीय गाड़ियों में शौचालयों की व्यवस्था न करने की मान्य प्रथा है।

(ग) जी, नहीं।

केरल में कृषि का विकास

†९३४. **श्री प० कुन्हन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में कृषि के विकास के लिये केरल राज्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है ;

(ख) क्या इस का पूर्ण उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के कारण क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि सहकार समितियां

९३६. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे किसानों द्वारा संचालित कृषि सहकार समितियां काफी सफल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें अधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली बनाने लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सामुदायि विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) यद्यपि अभी तक सहकारी खेती के कार्यक्रम का कोई व्यापक सर्वेक्षण या मूल्यांकन नहीं किया गया है, तो भी अग्रगामी और गैर-अग्रगामी समितियों के अध्ययन से पता चला है कि भली

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रकार व्यवस्थित सहकारी खेती समितियों ने छोटे और सीमान्त किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सहायता दी और वे उन में सफल भी हुई हैं।

(ख) सहकारी खेती के कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए उपाय अनुबन्ध में दिए गए हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—९८५/६३]

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

†९३७. श्री पोट्टेकाट :
श्र० व० राघवन :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के द्वारा समाचारपत्र लाने ले जाने के लिये विशेष सेवाएं चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है और वे सेवायें कब लागू की जायेंगी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†९३८. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह फैसला किया है कि दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत भाद्रक रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे कर्मचारियों के लिये लगभग ६०० क्वार्टर बनाये जाएं ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है और योजना का अनुमान क्या है; और

(ग) काम कब आरम्भ होने की संम्भावना है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ५८ कर्मचारी क्वार्टर बनाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(ख) टाइप २ के २६, और टाइप १ के ३२ क्वार्टर, ५·५५ लाख रुपये की अनुमानित लागत से बनाने का विचार है।

(ग) टाइप २ के १२ क्वार्टर बनाने का काम चल रहा है और शेष क्वार्टर १९६३–६४ में बनाये जायेंगे।

तूतिकोरिन पत्तन

†९३९. श्री उमानाथ : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूतीकोरिन को बड़ी पत्तन का रूप देने के काम में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) परियोजना का ब्योरा क्या है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). एक ऐक्जीक्यूटिव इंजीनियर के अधीन एक क्षेत्र-प्रभाग मई, १९६२ में विस्तृत जांच करने के लिये स्थापित किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्षेत्र प्रभाग ने गहरे समुद्र में २० सूराख और उन क्षेत्रों में जहां तलैया बनाने का विचार है, छोटे द्वीप बनाने का काम पूरा किया है। इन सूराखों से ली गई मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण मद्रास राज्य लोक निर्माण विभाग के भूमि यन्त्र गति शास्त्र प्रयोगशाला में विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण करने से यह पता लगा कि समुद्र का किनारा पथरीला है और इस के ऊपर बहुत थोड़ी रेत है ।

प्रस्तावित पत्तन क्षेत्र का भूमि सर्वेक्षण भारत के सर्वेक्षण विभाग द्वारा पूरा किया गया है। भारत सरकार के छोटे पत्तन सर्वेक्षण संगठन ने समुद्र माप सर्वेक्षण कार्य आरम्भ कर दिया है। रेलवे ने पत्तन क्षेत्र तक रेल सम्पर्क का सर्वेक्षण कार्य अभी पूरा किया है ।

पत्थर की खान का स्थान तय हो चुका है। खानों से वर्तमान सड़कों तक जाने वाली सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा। जल और बिजली संभरण सम्बन्धी प्रश्न पर राज्य सरकार और बिजली संभरण निगम के साथ चर्चा की गई है और व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

ले आउट प्लानें तैयार की जा चुकी हैं और इस की जांच शीघ्र ही एक प्रविधिक समिति द्वारा की जायेगी जो विशेष रूप से स्थापित की गई है ।

राजस्थान में राष्ट्रिय राजपथ

१४०. { **श्री प० ला० बारूपाल :**
श्री बाल्मीकी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को यह मालूम है कि राजस्थान-पाक सीमावर्ती क्षेत्र में राष्ट्रीय राजपथों का बहुत अभाव है ;

(ख) क्या भारत-पाक सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार इस क्षेत्र में राष्ट्रीय राजपथ बनाने का कार्य आरम्भ करेगी; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). आजकल राष्ट्रीय राजपथ नं० ३, ८ और ११ राजस्थान हो कर गुजरते हैं, और राजस्थान में इनकी पूरी लम्बाई ७८२ मील होती है। अभी हाल में राष्ट्रीय राजपथ नं० ११ को राष्ट्रीय राजपथ योजना में सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के मुख्य मार्ग हैं और यह जरूरी नहीं है कि वे देश की सीमाओं के बराबर बराबर चलें। फिलहाल राजस्थान के सीमान्त क्षेत्र में किसी राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चित्तरंजन रेलवे इंजन

१४१. **श्री बेरवा कोटा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निर्मित चित्तरंजन रेलवे इंजन की लागत क्या है ;

(ख) क्या यह इंजन माल गाड़ी भी ले जा सकेगा ; और

(ग) क्या इस इंजन पर दूसरे इंजनों की अपेक्षा कोयले का खर्च ज्यादा होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९३२ में चित्तरंजन में बनाये गये डब्ल्यू० जी० श्रेणी के एक रेल इंजन की लागत ४.२५ लाख रुपय आयी ।

(ख) जी हां । डब्ल्यू० जी० श्रेणी का रेल इंजन भारत में बड़ी लाइन की मालगाड़ियों के लिए मानक भाप रेल इंजन है ।

(ग) चित्तरंजन में बनाये गये डब्ल्यू० जी० रेल इंजन में कोयले की जितनी खपत होती है समान काम के लिये, उस की दर इसी प्रकार के विदेशी रेल इंजनों और दूसरी श्रेणियों के रेल इंजनों की तुलना में कम है ।

इंजन ड्राइवरों के लिये शिक्षण के लिए स्कूल

९४२. श्री बेरवा कोटा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल दुर्घटना को रोकने के लिय ड्राइवरों को ट्रेनिंग देने के लिये कोई स्कूल खोला है ;

(ख) यदि हां, तो १९६२ में उस में कितने ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी गयी; और

(ग) वह स्कूल कहां खोला गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) रेल दुर्घटनाओं को रोकने के विचार से इंजन ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए कोई विशेष स्कूल नहीं खोले गये । लेकिन हर रेलवे में क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूलों में ड्राइवरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है । इस के अलावा ड्राइवरों के प्रशिक्षण और विशेष रूप से उन में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए पश्चिम रेलवे ने सुरक्षा कैम्प भी लगाए । इसी तरह की योजना चलाने के लिए दूसरी रेलों को भी हिदायत दी गयी है ।

(ख) पश्चिम रेलवे के सुरक्षा कैम्पों और दूसरी रेलों के प्रशिक्षण स्कूलों में १९६२ में १४२८ ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया गया ।

(ग) बलसार, कोटा, अजमेर, राजकोट, बेंगलूरु सिटी, अलिपुरदुआर जं०, खड़गपुर, जमालपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद, कल्याण, कुर्ला, भुसावल, अजनी, झांसी, जबलपुर, धोंड और लालागुडा ।

कोचीन पत्तन–कोयम्बटूर रेलवे लाइन

९४३. श्री अ० क० गोपालन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन तथा कोयम्बटूर के बीच रेलवे लाइन को दोहरी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जलाशय क्षेत्र में वनरोपण

†**९४४. श्री हेम राज** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में पोंग, बांध तथा भाखड़ा बांध के जलागम क्षेत्रों में वन रोपण का विस्तार करने के लिये पंजाब सरकार को कितना ऋण तथा अनुदान दिया गया है; और

(ख) उन्होंने कितनी राशि का उपयोग किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और प्राप्ति पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब में छोटी सिंचाई

†१४३. **श्री हेम राज**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में पंजाब की पहाड़ियों में छोटी सिंचाई के विस्तार के लिये पंजाब को कितना ऋण और अनुदान दिया गया है; और

(ख) उन्होंने कितनी राशि का उपयोग किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिये वर्ष १९५८–५९ से जारी नवीन प्रक्रिया के अधीन विविध राज्य सरकारों को मिलने वाली केन्द्रीय सहायता "कृषि-जन्य उत्पादन" शीर्षक के अधीन योजनाओं के लिये इकट्ठी मंजूर की जाती है, जिस के अन्दर छोटी सिंचाई और भूमि विकास शामिल है। राज्य सरकारें भी अपनी वार्षिक योजनाओं में योजनाओं के मोटे वर्गों का उल्लेख करती हैं। योजनाओं की वास्तविक कार्यान्विति तथा तिथा किन किन क्षेत्रों में वे कार्यान्वित की जाती हैं ये बातें सर्वथा राज्य सरकार के स्वविवेक के अन्दर हैं। अतः यह बताना संभव नहीं है कि पंजाब सरकार ने १९६२-६३ में पंजाब की पहाड़ियों में छोटी सचाई के विस्तार करने के लिये कितने ऋण और अनुदान का उपयोग किया है। १९६२–६३ में कृषि विकास, छोटी सिंचाई और भूमि विकास संबंधी योजनाओं के लिये पंजाब सरकार को दिये गये ऋण और अनुदानों की राशि संबंधी सूचना इस प्रकार है :

वर्ष	अनुदान	ऋण
१९६२–६३	७३·३० लाख रुपये	१०७·९० लाख रुपये

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, छोटी सिंचाई पर प्रत्याशित व्यय १०८·५९ लाख रुपये है।

रेलवे कर्मचारियों की सहकारी संस्थाएं

†९४६. { **डा० रानेन सेन** : **श्री दीनेन भट्टाचार्य** :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्रशासन १९६१ से पहले रेलवे कर्मचारी सहकारी संस्थाओं को क्या सुविधायें प्रदान किया करता था;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों में इन सुविधाओं में कमी की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० । ९८६/६३]

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में राष्ट्रीय राजपथ

९४७. { श्री बसुमतारी :
{ श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार या अन्य किसी से यह प्रस्ताव है कि जमद्वार से बिजनी तक एक राष्ट्रीय राज पथ बनाया जाये जो वर्तमान बदले हुए राजपथ से मिलता हो ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). हां। कुछ समय पहिले बिजंनी-उत्तर सलमारा -गोलकगंड सड़के के बदले जमद्वार-बिजली सड़क बनाने के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। अभी तक इस परियोजना के बारे में कोई निश्चय नहीं किया गया है और मामले की अभी प्रारम्भिक जांच हो रही है ।

उमरिया स्टेशन

९४८. श्री उटिया : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि शहडोल जिले के उमरिया रेलवे स्टेशन पर उच्च श्रेणी के प्रतीक्षालय नहीं हैं और तृतीय श्रेणी का प्रतीक्षालय भी निहायत छोटा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का वहां एक नया प्रतीक्षालय बनाने और/अथवा वर्तमान प्रतीक्षालय का विस्तार करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). उमरिया स्टेशन पर ऊंचे दर्जे का कोई अलग प्रतीक्षालय नहीं है क्योंकि यहां आने जाने वाले यात्रियों की संख्या को देखते हुए ऊंचे दर्जे का प्रतीक्षालय बनाने का कोई औचित्य नहीं है । इस स्टेशन पर तीसरे दर्जे के दो प्रतीक्षालय हैं ; एक पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए। वर्तमान यातायात को सम्हालने के लिए ये पर्याप्त हैं । इस समय ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिए नया प्रतीक्षालय बनाने या तीसरे दर्जे के मौजूदा प्रतीक्षालयों में विस्तार करने का कोई विचार नहीं है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

भीमगंज मंडी में टेलीफोन

९४९. श्री बेरवा कोटा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कोटा ज़िले में भीमगंज मंडी मेंटेलीफोन लगाने के लिए चालू वर्ष में कितना रुपया नियत किया गया है; और

(ख) इस स्थान के लगभग १५ हजार व्यक्तियों ने टेलीफोन लगवाने के लिए जो आवेद पत्र पत्र दिये हैं, उन पर कब तक विचार किया जा सकेगा और दो-तीन वर्षों से विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों की संख्या क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) तथा (ख). भीमगंज मण्डी कोटा टेलीफोन केन्द्र क्षेत्र का ही एक भाग है। कोटा में ५०० लाइनों का एक टेलीफोन केन्द्र है जिस से ४६६ संयोजन काम कर रहे हैं। ३१ जनवरी, १९६३ को प्रतीक्षा सूची में २६० ग्रावेदक थे। इन में से ५५ ग्रावेदक भीमग्रंज मण्डी क्षेत्र से हैं। ससूचे कोटा क्षेत्र से केवल २७ और भीमगंज मण्डी क्षेत्र से १९ ग्रावेदन-पत्र मार्च, १९६० से पहले प्राप्त हुए हैं। ३७.५ लाख रुपये की कुल ग्रनुमानित लागत से कोटा टेलीफ़ोन केन्द्र का ५०० लाइनों से ७०० लाइनों में विस्तार करने की मंजूरी दे दी गई है और ग्रनुमान है कि यह कार्य १९६३-६४ के वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाएगा।

दण्ड का पुनर्विलोकन

†**१११. श्री मौर्य** । क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २८ मार्च, **१९६२ के ग्रतारांकित प्रश्न** संख्या ४२७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उस ग्रधिकारी के बारे में हो रहे पुनर्विलोकन का क्या परिणाम रहा न जिसने निश्चित काल में ग्रपील नहीं की थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : दोष शोधन के ग्रादेश १२-४-६३ को जारी किये गये थे।

मालगाड़ी से चीनी के बोरों की चोरी

११२. { **श्री रामसेवक यादव** :
श्री उटिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बरेली से चन्दौसी होकर रेल द्वारा ग्रागरा को भेजे गये चीनी के ४२८ बोरे रास्ते में चोरी हो गये ; और

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है। यदि हां, तो कौन लोग दोषी पाये गये तथा उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां। लेकिन यह चीनी चार ग्रलग ग्रलग माल-डिब्बों में बरेली से माल गाड़ी द्वारा ग्रागरा होकर, ग्रहमदाबाद, इन्दरगढ़ और पेटलाद भेजी जा रही थी और चीनी की चोरी १/२.२.६३ को रात में हुई, जब ये डिब्बे उत्तर रेलवे के बरेली और चन्दौसी स्टेशनों के बीच ग्रासफ़पुर स्टेशन पर खड़े थे। रेलवे पुलिस की सहायता से रेलवे सुरक्षा दल ने चोरी करने वाले गिरोह का पता लगा लिया है। रेलवे पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा ३७९, ४११, ४०९ और १२० के ग्रधीन मामला दर्ज कर लिया है और ग्रब तक इस संबंध में ५ ग्रादमी गिरफ्तार किये गये हैं, जिनके नाम ये है :—

१. श्री ग्रब्दुल मजीद
२. श्री राम रतन
३. श्री राम लाल
४. श्री बी० एन० स्वरूप
५. श्री राम प्रकाश

पुलिस इस सम्बन्ध में ग्रागे जांच कर रही है।

†मूल ग्रंग्रेजी में

उज्जैन रेलवे स्टेशन के निकट दुर्घटनायें

९५२. श्री कछवाय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन रेलवे स्टेशन के पास रेलगाड़ी ने कट कर हताहत होने वालों की कितनी घटनायें पिछले वर्ष में हुई हैं ;

(ख) इन में मजदूरों की संख्या क्या थी ;

(ग) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे ; और

(घ) क्या रेलवे प्रशासन को यह सुझाव दिया गया था कि वहां पर स्टेशन की पूर्व दिशा में एक ऊपरी पुल और बनाना आवश्यक है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) १९६२ में पांच दुर्घटनाएं हुईं ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) शंटिंग के दौरान अनधिकृत रूप से लाइन पार करने वाले अपने दुस्साहस और असावधानी के कारण गाड़ी या इंजन के नीचे आ गये ।

(घ) जी हां । सुझाव देने वाले सज्जन को बताया गया था कि चूंकि ऊपरी पैदल पुल की जरूरत आम जनता को रेलवे की जमीन के आर-पार जाने के लिए है, इसलिए इसके बनाने का खर्च और इसके अनुरक्षण का वार्षिक आवर्ती खर्च राज्य सरकार या स्थानीय सिविल अधिकारियों को देना होगा और इस सम्बन्ध में उन्हीं से सम्पर्क स्थापित किया जाय ।

उज्जैन के रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

९५३. श्री कछवाय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उज्जैन में काम करने वाले रेल कर्मचारियों की संख्या क्या है ;

(ख) इन में से कितने कर्मचारी ऐसे है ; जिन के लिये सरकारी आवास-गृहों की व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि उज्जैन रेलवे स्टेशन की पश्चिम दिशा में बनाए गए कुछ आवास गृह वर्षा ऋतु में पानी से भर जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस तकलीफों को दूर करने की क्या व्यवस्था की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १,४९७।

(ख) ५२४।

(ग) लगातार भारी वर्षा में इन मकानों के पास पानी इकट्ठा हो जाता है ।

(घ) इस क्षेत्र से जल्द पानी निकालने के लिए मौजूदा नाली को चौड़ा किया जा रहा है।

गुना–मक्सी रेलवे लाइन

९५४. श्री कछवाय : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुना-मक्सी रेल मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस मार्ग को देवास से मिलाने की भी योजना है?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) आशा है कि यह लाइन १९६७ तक बन कर तैयार हो जायेगी।

(ख) जी नहीं।

महिला कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण

†१५५. **श्री नि० रं० लास्कर:**
श्री बेरवा कोटा:

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनेक सामुदायिक विकास कार्यों के लिए सरकार ने महिला कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने की एक योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या ब्यौरा है?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति)**। (क) जी हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

तीसरी योजना काल के अन्त तक सामुदायिक विकास में संबद्ध २५,००० महिला कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण देने की योजना हाल में स्वीकार की है। उद्देश्य यह है कि खण्डवार पांच ग्रामीण महिलाओं को, जिन में नेतृत्व करने के गुण हों, चुनना और उन्हें कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योगों, पौष्टिक भोजन तथा परिवार नियोजन सहित स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, बचत करने की आदतों को प्रोत्साहन देने के उत्तम ढंगों का प्रशिक्षण देना तथा सहकार समितियों व पंचायतों में सक्रिय भाग लेने के योग्य बनाना। वे ग्राम स्वयं सेवक दल के अन्तर्गत जनसाधारण की शिक्षा और उत्पादन का विशेष ध्यान रख कर, महिला संस्था में तथा प्रोग्राम बनाने में ग्राम सेविकाओं और मुख्य सेविकाओं के प्रयास की अनुपूर्ति करेंगी।

२. योजना पर २७·३५ लाख रु० व्यय होंगे और इसकी पूर्ति भारत सरकार का सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय करेगा। वर्तमान संकट के कारण, १९६३–६४ में २८ केन्द्रों के केवल ४,५०० कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण के लिये केवल ४ लाख रु० दिये जा सके।

३. प्रशिक्षणार्थी कार्यकर्ताओं तथा महिला मण्डलों के मुख्य सदस्यों में से चुने जायेंगे। जहां गहन जिला कृषि प्रोग्राम, व्यावहारिक पौष्टिक भोजन प्रोग्राम, एकीकृत बाल कल्याण योजना आदि जैसे विशेष कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उन क्षेत्रों में स्थित खण्डों की ग्राम महिला कार्यकर्त्ताओं को पहिले प्राथमिकता दी जायेगी।

४. यह प्रशिक्षण एक मास का होगा और यदि आवश्यक हुआ तो इसे दो भागों में बांट दिया जायेगा। प्रशिक्षण ग्राम सेविका तथा मुख्य सेविका प्रशिक्षण केन्द्रों में तथा आवश्यक सुविधायुक्त अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं में दी जायेगी। इस कार्य के लिये इन प्रशिक्षण केन्द्रों के लिये एक अतिरिक्त अनुदेशिका नियुक्त करने की व्यवस्था है। इस प्रोग्राम की कार्यान्विति के लिये आवश्यक अतिरिक्त आवास बनाने के लिए प्रत्येक केन्द्र को औसत रूप में ४,००० रु० देने की भी व्यवस्था है। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र एक वर्ष में चार पाठ्यक्रम चलायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

५. पाठ्यक्रम में ७३ घण्टे सिद्धान्तों के लिये और ९१ घण्टे प्रयोगों के लिये हैं जिनमें प्रदर्शन, स्थानीय संस्थाओं को जाना, आदि शामिल हैं।

राजस्थान में टेलीफोन

९५६. **श्री बेरवा कोटा :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में १९६२-६३ में कितने टेलीफोन लगाये गये ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में राजस्थान में टेलीफोनों से कितनी आय हुई और उन पर कितना खर्च हुआ ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) दिसम्बर, १९६२ के अन्त तक १०४१ टेलीफोन लगाये गए।

(ख) १९६२-६३ के राजस्व सम्बन्धी आंकड़े वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर ही उपलब्ध हो सकेंगे। टेलीफोनों पर होने वाले व्यय का राज्यों के क्रमानुसार ब्योरा नहीं रखा जाता।

मैसूर में अयस्क की ढुलाई के लिये सड़क

†९५७. **श्री सं० ब० पाटिल :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य में बसनदा-हसन-मंगलौर सड़क के लिये, जिससे अयस्क ले जाये जाते हैं, वित्त व्यवस्था करने से सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सड़क पर पुनरीक्षित मूल्य-विवरणों के अनुसार कुल कितना व्यय होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख) जी हां। फरवरी, १९५९ में बसन्दरा-हसन-मंगलौर इकहरी सड़क बनाने के लिये ४४.७६ लाख रु० का अनुदान दिया गया है। अब मैसूर सरकार चाहती है कि सड़क को चौड़ा करके दोहरा बनाने और सतह को मजबूत बनाने की लागत का ५० प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मिले। अनुमान है कि इन कार्यों पर कुल ४·२९ करोड़ रु० व्यय होंगे। इस प्रर्थना पर योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजपथ

†९५८. **श्री स० ब० पाटिल :** क्या परिवहन तथो संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने बंगलौर-मैसूर-मेरकारा-मंगलौर सड़क और बंगलौर-मैसूर-उटकमण्ड सड़क को राष्ट्रीय राजपथों में शामिल करने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मैसूर में पड़ौसी राज्यों की अपेक्षा राजपथों की लम्बाई सबसे कम है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि हां, तो इस असमानता को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). बंगलौर-मैसूर-उटकमण्ड सड़क को राष्ट्रीय राजपथ को घोषित करने के लिए मैसूर सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। फिर भी, राज्य सरकार ने कुछ समय पहिले बंगलौर-मैसूर-मेरकारा-मंगलौर सड़क को राष्ट्रीय राजपथ व्यवस्था में शामिल करने का सुझाव दिया था। इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्यमान राष्ट्रीय राजपथ व्यवस्था का विस्तार करने के लिये धन उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ). मैसूर राज्य में राष्ट्रीय राजपथों की कुल लम्बाई ८१६ मील है। इनमें २८० मील लम्बा राष्ट्रीय राजपथ संख्या १३ भी सम्मिलित है जो कि मई १९६० में राष्ट्रीय राजपथ व्यवस्था में शामिल किया गया था। जहां तक क्षेत्रफल का सम्बन्ध है, मैसूर राज्य में राष्ट्रीय राजपथ की लम्बाई प्रति १०० वर्ग मील के क्षेत्र में १·१ आती हैं जब कि यह लम्बाई आन्ध्र प्रदेश में १·३, मद्रास राज्य में २·१, केरल में १·७, और महाराष्ट्र में १.३ है। राष्ट्रीय राजपथ राज्यवार तथा प्रदेश के आधार-पर नहीं बनाये जाते अपितु समूचे देश की दृष्टि से बनाये जाते हैं ताकि उनका प्रयोग स्थानीय हितों की अपेक्षा मुख्यकर राष्ट्रीय हितों के लिये किया जा सके।

नीमाटी (आसाम) में सामान का इकट्ठा हो जाना

†१५९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नदी से रेल यातायात के लिये खाली बैगन नहीं दिये जाते जिसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर आसाम में नीमाटी में माल बड़ी मात्रा में जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो फरवरी और मार्च, १९६३ के आरम्भ में कितना माल जमा था; और

(ग) आवश्यकता पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलव मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) नहीं। रेलों तथा स्टीमर कम्पनियों के बीच हुई एकीकरण बैठकों में निश्चित की गई आवश्यकता के अनुसार नीमाटी घाट में वैगन दिये जाते हैं। यह आवश्यकता पूर्णतया पूरी कर दी गई है।

(ख) फरवरी, १९६३ में संयुक्त स्टीमर कम्पनियों से असाधारण रूप से अधिक माल आ गया था। १ फरवरी, १९६३ को नीमाटी घाट में रेल से जाने वाला माल २,०८२ मीट्रिक टन था जो १ मार्च, १९६३ को बढ़ कर ४,६२० मीट्रक टन हो गया।

(ग) दिसम्बर, १९६२ में बैगनों की औसत दैनिक संभरण ९ था जो मार्च, १९६३ के पहिले पखवाड़े में बढ़ा कर २५ कर दिया गया ताकि पड़ा हुआ सामान जल्दी भेजा जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

लासीन के पास दुर्घटना

†१९६०. { श्री बे० शि० पाटिल :
श्री द्वेरवा फोटा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९ फरवरी, १९६३ को लासीन रेलवे स्टेशन के पास मुर्तिजापुर—यवतमाल यात्री रेलगाड़ी दुर्घटना ग्रस्त हो गई ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का व्यौरा क्या है ; और

(ग) दुर्घटना के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) हां।

(ख) १९–२–६३ को २३.३० बजे जब कि ६३३ डाउन मिश्रित मध्य रेलवे रेलगाड़ी मध्य रेलवे के लासीन तथा यवतमाल स्टेशनों के बीच जा रही थी, दो भागों में बंट गई। पहिला भाग २०–२–६३ को १.१५ बजे यवतमाल आ गया और दूसरा भाग पीछे लौट गया तथा लाडखेड और लासीन के बीच रुक गया और २०–२–६३ को ५.०० बजे रेल का इंजन उसे लेकर आया।

(ग) इसकी जांच हो रही है।

चारा फसल अनुसन्धान

†९६१. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में चारा फसलों पर सस्य विज्ञान संबंधी अनुसन्धान हो रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो पौष्टिक खाद्य तत्व संबंधी उसके क्या परिणाम रहे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) हां।

(ख) देश के अनेक भागों में होने वाली अधिकतर चारा फसलों के पौष्टिक तत्वों का अध्ययन किया गया है और वे प्रकाशित किये गये हैं। कुछ नवीनतम परिणाम निम्न हैं :—

(१) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली में पूसा जाइन्ट नेपियर में सामान्य नेपियर की अपेक्षा २५% अधिक चर्वी और १२% अधिक चीनी है और पैदावारा भी प्रति एकड़ प्रायः दुगनी होती है ?

(२) पूना (महाराष्ट्र) में ई० वी० एम० ८ मार्वेल में स्थानीय मार्वेल (दिकानथम अनलतम) की अपेक्षा चर्बी की अधिक प्रतिशत होता है और चारा भी अधिक पैदा होता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुकेरियां-तलवाड़ा रेलवे लाइन

†६६२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री मुकेरियां-तलवाड़ा रेलवे लाइन संबंधी २ मार्च, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस परियोजना के बारे में पंजाब सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई करार हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने कितना धन दिया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). 'निक्षेप कार्य' होने के कारण कार्य की सारी लागत अर्थात् १·२४ करोड़ रु० राज्य सरकार को देनी होगी।

रोपड़-नंगल बांध सेक्शन

†६६३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६८ तक उत्तर रेलवे के रोपड़-नंगल बान्ध सेक्शन के विकास तथा यात्री सुविधायें देने के लिए ५०·५० के आधार पर पंजाब राज्य सरकार के साथ कोई करार हुआ है ;

(ख) क्या भाखड़ा बान्ध की पूर्ति का ध्यान रखा कर राज्य सरकार ने इस सेक्शन के विकास तथा वहां यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने पर और धन व्यय करने से मना कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) वर्ष १९४७ में पंजाब सरकार से एक करार हुआ था जिसके अनुसार भूमि, मिट्टी कार्य, गिट्टी, पुलों तथा इमारतों, आदि का कंक्रीट का काम आदि जैसी अचल आस्तियों की लागत पंजाब सरकार ने दी थी और स्थायी मार्ग गर्डरों, सिग्नलों, तार सामग्री आदि जैसी सचल आस्तियों की लागत रेलवे प्रशासन ने दी थी।

(ख) सुविधाओं कार्यों पर पंजाब सरकार अपना अंश इस कारण से देने से सहमत नहीं कि १९४८ में यातायात के लिए रेलवे लाइन के खुलने से वह बराबर हानि पर चल रही है और उन्हें इस लाइन पर किये गये पूंजीगत व्यय का व्याज भी नहीं मिला है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

चाय बागानों को उर्वरक का संभरण

†६६४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसाम, पश्चिमी• बंगाल और उत्तरपूर्व के कुछ क्षेत्रों के चाय बागानों को १९६२ में उचित किस्म का और उचित मात्रा में उर्वरक न मिलने से हानि उठानी पड़ी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र में चाय के बागों की वास्तविक मांग कितनी है और उन्हें कितना उर्वरक दिया गया ; और

(ग) आगामी वर्ष इन बागों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक देने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री डा० राम सुभग सिंह)** । (क) और (ख). उत्तरपूर्व भारत में आसाम और पश्चिमी बंगाल के चाय बागानों के लिए उर्वरकों का संभरण खाद्य तथा कृषि मंत्रालय निर्धारित करता है । १९६१–६२ में आरम्भ में चाय बोर्ड ने ७८,७४४ मीटरी टन अमोनिया सल्फेट का अनुमान लगाया था परन्तु बाद में चाय बोर्ड ने इसे पुनरीक्षित करके १,१६,५५७ मीटरी टन निर्धारित किया। अनुमान है कि ६० मांग आसाम के चार बागों की है और शेष मांग पश्चिमी बंगाल में चाय के बागों की है। चाय बागों को बेचने के लिए स्वीकृत वितरकों को इस मंत्रालय ने वास्तव में ७५,००० मीटरी टन अमोनिया सल्फेट दिया । लगभग १६,००० मीट्रक टन अमोनिया सल्फेट नाइट्रेट और १५०० मीट्रक टन यूरिया भी दिये गये। क्योंकि चाय के बागों की वास्तविक मांग काफी पूरी हो गई थी, उर्वरकों के अपर्याप्त संभरण या उनकी निम्न कोटि के कारण फसल के कम होने की कोई शिकायत नहीं मिली ।

(ग) १९६२–६३ में उत्तरपूर्व भारत की पूर्ण आवश्यकता का आवंटन कर दिया गया है।

जहाज निर्माण संस्थान

९६५. **श्री कछवाय :**
श्री बड़े :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाज निर्माण के संस्थानों में सरकार ने कितना रुपया लगाया है ; और

(ख) और गत ३ वर्षों में क्या लाभ हानि हुआ है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) और (ख). इस विषय के संबंध में एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ९८७/६३**]

मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद

†९६६. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह ।**
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि मध्य प्रदेश में चावल की भान्ति गेहूं की भी केन्द्रीय खाते में खरीद करने का प्रबन्ध किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या निश्चय किया है ; और

(ग) ये प्रबन्ध कैसे होंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). मध्य प्रदेश सरकार के साथ इस बारे में विचार विमर्श हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तिरुनेलवेलि–कन्या कुमारी रेलवे लाइन

†१६७. **श्री मुथिया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिरूनेलवेली कन्या-कुमारी रेलवे लाइन तीसरी पंच वर्षीय योजना में खुल जायेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रस्ताव तीसरी पंच वर्षीय योजना के लिए रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल नहीं है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) (क) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रतिरक्षा सेवायें, १९६३ ।

(दो) वर्ष १९६१–६२ के लिये प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे और तत्संबंधी वाणिज्यिक परिशिष्ट ।

(दो) (क) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन डाक व तार, १९६३ ।

(ख) विनियोग लेखे, डाक व तार, १९६१–६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए क्रमशः संख्या एल० टी० ९९०/६३ से एल० टी० ९९३/६३]

नौकावाहक (अर्हतायें तथा प्रमाणपत्र) नियम, १९६३

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) :** (क) वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९४ में प्रकाशित रक्षा नौकावाहक (अर्हतायें तथा प्रमाण-पत्र) नियम, १९६३ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ९९४/६३]

भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति, भारतीय केन्द्रीय कपास समिति, भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति तथा भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति के वर्ष १९६१–६२ के वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखने की इजाजत चाहता हूँ, १, २, ३ और ४ जैसी कि वे इसमें दर्ज हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष १९६१–६२ के लिये भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति का वार्षिक प्रतिवेदन ।

वर्ष १९६१–६२ के लिये भारतीय केन्द्रीय कपास समिति का वार्षिक प्रतिवेदन ।

वर्ष १९६१–६२ के लिये भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति का वार्षिक प्रतिवेदन ।

वर्ष १९६१–६२ के लिये भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ९९६/६३ से एल० टी० ९९८/६३]

भारतीय केन्द्र गन्ना समिति का वार्षिक प्रतिवेदन

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० मु० थामस)** : मैं वर्ष १९६१–६२ के लिये भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० ९९९/६३]

समिति के लिये निर्वाचन

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड

संचार तथा परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वणिक् नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४ की उप-धारा (२) (क) और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम, १९६०, के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, १ मई, १९६३ से पुनर्गठित किये जाने वाले राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुनें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वणिक नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४ की उपधारा (२) (क) और उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड नियम, १९६० के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, १ मई १९६३ से पुनर्गठित किये जाने वाले राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में काम करने के लिये अपने में से चार सदस्य चुने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण संबंधी समिति के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव पर विचार करने के पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

†**श्री रामसेवक यादव** : (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं.....

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : अभी तो कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रामसेवक यादव : आपने श्री कृष्णमूर्ति राव को बुलाया, उसी सिलसिले में मैं कुछ कहना चहता हूं . . . .

अध्यक्ष महोदय : उनके बाद मैं आपको अवसर दूंगा कि आप उसको उठा सकें। पहले तो मैं यह पूछ रहा हूं कि माननीय सदस्य श्री रामसेवक यादव, श्री बागड़ी, श्री भू० वा० मंडल, श्री उटिया और श्री रामेश्वरानन्द यहां इस समय सदन में उपस्थित हैं?

श्री रामेश्वरानन्द : मैं उपस्थित हूं और मैं बोलना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं बोलना है।

श्री रामेश्वरानन्द : जब भी आप समय देंगे तब मैं बोलूंगा। मैं यहीं बैठूंगा।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने कुछ निर्देश इस सम्बन्ध में दिये हैं उनके सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता था और उस सिलसिले में व्यवस्था चाहता था।

अध्यक्ष महोदय: जी कहिए।

श्री रामसेवक यादव: मेरा निवेदन यह है कि श्री कृष्णमूर्ति राव की इस समिति के प्रतिवेदन में कुछ सुझाव दिये गये हैं। उनको सुनने के बाद सदन निर्णय लेगा, हमें दोषी ठहरायेगा और कुछ सजा देने का निश्चय करेगा। तब उसके बाद में हम कसूरवार ठहराये जायेंगे। लेकिन इसमें जो आपने श्रीमन्, व्यवस्था दी है कि मैं अपना बयान देने के बाद लौबी में चला जाऊंगा, यह चारों सभी सदस्य चले जायेंगे तो सदन में जो कार्यवाही होगी, चर्चा होगी, उसको सुने बगैर कैसे हम अपना बचाव करेंगे, कैसे उत्तर देंगे। इसका अर्थ तो यह होगा कि सजा का एक भाग, बिना सजा निश्चय किये हुए मुझे भोगना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : अभी तो आप इंतजार करें। जब वक्त आता है और मैं आपको अगर कहूंगा, इसकी जरूरत महसूस करूंगा तो उस वक्त आप यह हाउस के सामने कहें, तो हाउस की जो मरजी होगी उसके मुताबिक किया जायगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता मध्य): हमें आपके आदेश पूरी तरह मान्य हैं तथापि ये ही आदेश परम्पराओं का रूप धारण कर लेते हैं और बाद में वे प्रक्रिया नियमों में शामिल कर लिये जाते हैं। मेरा विचार यह है कि आपने इस मामले में, हाउस आफ कामन्स के समानान्तर मामलों का अनुसरण किया है। हम सभी मामलों में वहां की परम्पराओं का पालन नहीं करते हैं और विशेषतः इस समय यह मामला व्यक्तिगत नहीं है बल्कि एक पूरे एक दल से संबंध रखता है। उन्होंने, सही हो या गलत, यह आधार बनाया है कि यह सभा के सदस्यों का बुनियादी अधिकार है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व, उन्हें यह बताया जाना चाहिये कि उन्हें सभा में ही रहना चाहिये और अपने सहयोगी सदस्यों के मतों को सुनना चाहिये। क्योंकि वे भी सभा के सदस्य है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उनसे कहा है कि तब तक प्रतीक्षा करें। वे यह कह सकते हैं कि उन्हें यहीं ठहरने दिया जाये। यदि सभा चाहती है कि वे यहीं रहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : इस बात का निश्चय पहिले ही कर लिया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बात का निर्णय सभा करेगी।

†**श्री बागड़ी** (हिसार): अध्यक्ष महोदय यह तो फंडामेंटल राइट्स का प्रश्न है, इसमें सेंस की क्या बात है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : आपने अपने विवेक और अधिकारों के आधार पर कुछ निदेश जारी किये हैं। अतः हम आपसे ही इस संबंध में अनुरोध कर सकते हैं। यदि आप सभा से कहे तो सभा भी दूसरा निश्चय कर सकती है। सदस्यों के रूप में हमें आपसे कुछ निदेश प्राप्त हैं। अतः इसका प्रयोग अभी किया जाना चाहिये।

उदाहरणार्थ, ईश्वर करे ऐसा न हो, यदि अध्यक्ष पर अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो, उस समय आप भले ही अध्यक्ष पीठपर न रहें तथापि आपको सभा में बने रहने का पूरा अधिकार है। जब एक दल विशेष के सदस्यों का आचरण का प्र श्न हो तो उन्हें आरम्भ में ही यह बता दिया जाना चाहिये कि उन्हें सभा में बैठे रहने का पूरा अधिकार है और यदि इस संबंध में कोई निदेश हो तो बदला जा सकता है।

अंतिम से पहली पंक्ति में यह कहा गया है कि यदि सभा सदस्यों का वाक्ताड़न करना चाहे तो उनसे उनके स्थान (सीट) पर खड़े होने को कहा जायेगा।

अंग्रेजी मेरी मातृभाषा नहीं है तथापि मैं इतनी अंग्रेजी अवश्य जानता हूं कि जिसके आधार पर मैं कह सकूं कि मुझे अंग्रेजी का पूरा ज्ञान नहीं है। यदि मुझे अपने स्थान पर खड़े होने के लिये कहा जाये तो मैं निसंदेह अपने स्थान पर खड़ा होऊँगा तथापि जब सीट पर खड़ा होने को कहा जाये तो मैं अपनी सीट (कुर्सी) पर खड़ा हो सकता हूं। मैं नहीं जानता कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है?

†**अध्यक्ष महोदय** : संभव है अंग्रेजी में गलती रह गयी हो, मैं श्री ही० ना० मुकर्जी के बराबर अंग्रेजी जानने का दावा नहीं कर सकता हूं। यदि कोई गलती रह भी गयी हो तो उससे कोई भ्रांति उत्पन्न नहीं होगी। उन्होंने हमारी अंग्रेजी में जो मूल सुधार किया है उसके लिये मैं उनका धन्यवाद देता हूँ।

तथापि जहां तक दूसरी बात का संबंध है, जब वह अवसर आयेगा तो उनसे कुछ कहने के पूर्व मैं सभा की अनुमति लूंगा। यदि सभा चाहती है कि वे सभा में ही रहें तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मेरा निवेदन है कि कल के समाचार पत्र में प्रकाशित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें अपने स्थानों पर खड़ा अवश्य होना पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि किस उपविधि के अनुसार उन्हें खड़ा किया जायेगा; सभा में केवल एक ही सदस्य खड़ा रह सकता है। हमें चाहिये कि हम सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करें।

सभा का मत जानने के पूर्व क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह प्रक्रिया कहां से ली गयी है। या यह नयी प्रक्रिया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी लोकतंत्रात्मक राज्यों में एक निश्चित परम्परा यह है कि जब किसी सदस्य को कोई सज़ा देनी होती है, या सभा का क्षोभ प्रकट करना होता है तो सदस्य अपने स्थान पर खड़ा रहता है। वे वहां पर खड़े रहेंगे और अध्यक्ष सभा के क्षोभ को व्यक्त केरेगा इससे सभा की प्रतिष्ठा बड़ेगी । माननीय सदस्य अपने स्थानों में खड़े रह कर अध्यक्ष की बातें सुनेंगे ।

यह बड़ी विचित्र बात है कि एक समय सभा में एक ही सदस्य खड़ा हो सकता है। हम उस समय संसद् के न्यायालय के रूप में काम करते हैं अतः जिसके विरुद्ध निर्णय करना है उसे अपने स्थान पर खड़ा होना होगा। अतः यह प्रक्रिया ठीक है हमें सभा की प्रतिष्ठा और अनुशासन बनाये रखना चाहिये।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर): यह हमारे संसद् के इतिहास में एक अभूतपूर्व अवसर है। इस प्रक्रिया पर कार्य करने के तात्पर्य यह हैं कि हम इस सारे प्रश्न का पूर्वानुमान लगा रहे हैं। यह केवल एक सिफारिश है अतः सदस्यों को वापस जाने के लिये विवश न किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य यही चाहते हैं तो उन्हें पहिले ही यह निश्चय कर लेना चाहिये कि क्या सदस्यगण यह चाहते हैं कि ये सदस्य सभा में ही मौजूद रहें ।

मेरे विचार से इस संबंध में मत विभाजन न किया जाये। हमें इस संबंध में निर्णय कर लेना चाहिये। हम उन्हें स्पष्टीकरण करने का अवसर देंगे।

जहां तक श्री त्रिदिव कुमार चौधरी का संबंध है उन्होंने कहा है कि इस विषय का पूर्वानुमान लगा रहे हैं तथा संसद की समिति ने सिफारिश की है । वस्तुतः ऐसा ही है, उन पर आरोप लगाया गया है सभा को यह विचार करना है कि क्या समिति की सिफारिशें स्वीकार की जायें। उन्होंने समिति में भी स्पष्टीकरण दिया अब वे यहां भी स्पष्टीकरण दे सकते हैं।

†**श्री शं० शा० मोरे** (पूना) आपने कहा है कि सभा इस समय उच्च न्यायालय के रूप में काम कर रही है, उच्च न्यायालय में अपराधी को निर्णय होते समय तक उपस्थित रहने की अनुमति दी जाती है तथापि यहाँ अपराधियों को आपके आदेश से हटा दिया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : निस्संदेह उनके विरुद्ध साक्ष्य की सुनवाई उनके सामने की जायेगी। यहां सारी सभा न्यायालय और न्यायाधीश के रूप में काम कर रही है । अतः निर्णय उनके सामने ही किया जायेगा ।

†**श्री मौर्य** (अलीगढ़): सभा से बाहर हुई किसी बात पर क्या सभा विचार करने में समर्थ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** (परभणी) : माननीय सदस्यों को सभा से बाहर रखने का तात्पर्य है कि सभा ने उनके आचरण के बारे में पूर्व निर्णय कर लिया है। इसका तात्पर्य यह होगा कि उनकी सदस्यता अल्पकाल के लिये समाप्त हो गई है और उन्हें बाहर खड़े रहने के लिये कहा गया है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा): जब आपने यह निश्चय कर लिया है कि सदस्य इस चर्चा के समय सभा में ही बैठे रहें तो इस पर अग्रेतर चर्चा से कोई लाभ नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय**: क्या सभा की यह इच्छा है कि ये सदस्य सभा में ही बैठे रहें?

†**कई सदस्य**: जी हाँ, जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय**: तब ऐसा ही होगा।

†**श्री जोकीम अल्वा** (कनारा): मैं केवल यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप उन सदस्यों से यह आश्वासन ले लेवें कि वे कार्यवाही होने तक शांति से बैठे रहें।

†**श्री कृष्णमूर्त्ति राव** (शिमोगा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कुछ सदस्यों के आचरण संबंधी समिति के प्रतिवेदन के, जो १२ मार्च, १९६३ को सभा में प्रस्तुत की गयी थी पैरा २६ और २७ में की गयी सिफारिशों से सहमत है।"

संसद् के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना उस समय हुई जब कि १८ फरवरी १९२३ को, राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने अपने असंयत आचरण से उसमें बाधा उपस्थित की। बाद में इस सभा में सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया गया कि इन सदस्यों के आचरण का निर्माण करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये जो इस संबंध में सिफारिश करे। तदनुसार आपने मेरी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। समिति के निर्देश पदों में कहा गया था कि:

"जो संविधान के अनुच्छेद ८७ के अन्तर्गत १८ फरवरी, १९६३ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय सर्वश्री रामसेवक यादव, मनीराम बागड़ी, उटिया और भू० ना० मंडल तथा स्वामी रामेश्वरानन्द द्वारा की गयी गड़बड़ी के संबंध में उनके आचरण की जांच करे और इस बात पर विचार करे तथा अपना प्रतिवेदन दे कि क्या उक्त सदस्यों का इस प्रकार का आचरण प्रचलित परिपाटी के विरुद्ध अथवा उस महान अवसर के प्रतिकूल अथवा संसद् द्वारा इसके सदस्यों से जिस प्रकार के ऊंचे स्तर की आशा की जाती है उसके विपरीत था और समिति जो ठीक समझे वह सिफारिश करे।"

समिति यह जानना चाहती थी कि क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री व इन सदस्यों के बीच कोई पत्र व्यवहार हुआ है तो उसकी प्रतिलिपियां समिति को उपलब्ध कराई जायें। क्योंकि इंडियन एक्सप्रैस में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ था कि उत्तर प्रदेश

---

†मूल अंग्रेजी में।

विधान सभा को पुनरावृत्ति यहां भी को जायेगी अतः हमने राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के सचिवों को लिखा और उनकी प्रतियां प्राप्त कीं।

समिति इन सदस्यों को अपने आचरण का स्पष्टीकरण देने का भी अवसर देना चाहती थी। प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति ने अपने पत्रों में यह स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रपति का अभिभाषण अंग्रेजी में पढ़े जायेंगे और उसका हिन्दी रूपांतर उप-राष्ट्रपति पढ़ेंगे। इन माननीय सदस्यों को यह पहले ही पता था कि अभिभाषण अंग्रेजी में पढ़ा जायगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने राष्ट्रपति और समिति के सदस्यों के विरुद्ध कुछ आरोप भी लगाये थे जिनकी ओर मैं बाद में निर्देश करूंगा। इंगलैंड की तरह यहां राष्ट्रपति का अभिभाषण बड़ा गंभीर और महान अवसर होता है। संविधान के अनुच्छेद ८७ के अन्तर्गत राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वह विधानमंडल की दोनों सभाओं की समवेत बैठक में अभिभाषण दे और इस अवसर पर आने के लिए सदस्यों को निमंत्रित करे। सदस्यों का भी यह उत्तरदायित्व है कि वे सम्मान, प्रतिष्ठा और शिष्टता के मान से उसे सुनें। वास्तव में इस संसद में यह प्रथा बन चुकी है कि जब राष्ट्रपति अभिभाषण देता है तो उसे बहुत गंभीर अवसर समझा जाता है। जब राष्ट्रपति संसद् भवन में पहुंचता है तो दोनों सभाओं के सभापति उसका स्वागत करते हैं और जलूस बना कर उसे सेंट्रल हाल में ले जाते हैं। उनके आगमन की घोषणा बड़े धूमधाम से की जाती है। उसके स्थान ग्रहण करने और हाल से जाने के दोनों समयों पर राष्ट्रीय गान गाया जाता है। गत पन्द्रह वर्षों में कभी ऐसी घटना नहीं घटी। यह प्रथा है कि उसे सम्मान और प्रतिष्ठा के मान से सुना जाता है।

इन सदस्यों के अपने आचरण से उस प्रथा का उल्लंघन किया है। वास्तव में अनुच्छेद ८७ में लिखा है कि संसद् में दोनों सभाएं और राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति के प्रति असम्मान या अप्रतिष्ठा की कोई बात संसद का अपमान है। वह संसद का प्रतीक है। वह केवल राज्य का और संसद का मुख्य अधिकारी नहीं वह संविधान का प्रतीक है। अतः सदस्यों से आशा की जाती है कि जब वह संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष अभिभाषण दें तो वे संसद् सदस्यों के अनुरूप आचरण करें।

जब हमने इन सदस्यों को समिति में बुलाया तो स्वामी रामेश्वरानन्द ने कहा कि वे राष्ट्रपति के प्रति असम्मान का भाव प्रकट करना नहीं चाहते थे। यदि उन्हें पता होता कि उनका आचरण राष्ट्रपति के प्रति असम्मान और अप्रतिष्ठा का रुख समझा जायेगा तो वे ऐसा कदापि न करते। वे केवल यह कहना चाहते थे कि राष्ट्रपति हिन्दी में अभिभाषण पढ़ें और जब राष्ट्रपति ने बता दिया कि अभिभाषण का हिन्दी रूपांतर उप-राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो वे बैठ गये थे। वे सभा से उठ कर नहीं गये और खेद प्रकट किया।

समिति द्वारा पूछने पर, समाजवादी दल के दूसरे सदस्य श्री उटिया ने बताया कि उन्हें पता नहीं कि रामसेवक यादव और राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बीच क्या पत्र-व्यवहार हुआ था यदि उन्हें पता होता कि उनका आचरण राष्ट्रपति के प्रति अपमान समझा जायगा तो वे सभा से उठ कर न जाते। उन्हें अंग्रजी नहीं आती वे केवल हिन्दी जानते है। उन्हें पता नहीं था कि वे सभा से चले जायेंगे अन्यथा वे सदन से उठ कर न जाते।

[श्री कृष्ण मूर्ति राव]

बाद में हम ने श्री रामसेवक यादव, श्री मनीराम बागड़ी और श्री भू० ना० मंडल को समिति के सामने बुलाया। अपने वक्तव्यों में उन्होंने तथ्यों को मान लिया है, परन्तु उन्होंने राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगा कर परिस्थिति को और बिगाड़ दिया। वास्तव में श्री मंडल ने कहा है कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है और उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि सभा उन के विरुद्ध कार्यवाई करे। श्री बागड़ी और श्री यादव ने कहा है कि सदन त्याग करना उन का अधिकार है और अपने वक्तव्य में उन्होंने उनके, राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के बीच में जो पत्र-व्यवहार हुआ उसे भी मान लिया है और वे कहते हैं कि इस समिति को उन के विरुद्ध कोई कार्यवाई करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस समिति के ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने इस मामले के सम्बन्ध में पहले ही मत बनाए हुए हैं और उन्होंने समिति के विरुद्ध आरोप लगाए हैं।

अनच्छेद ३४३ (२) में कहा गया है कि हिन्दी राष्ट्र भाषा होगी और संविधान की उद्-घोषणा की तिथि से १५ वर्ष के लिये सब राजकीय प्रयोजनों के लिये अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। राष्ट्रपति को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अंग्रेज़ी में अभिभाषण देने का संवैधानिक अधिकार था। समिति इन सब बातों पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सदस्यों का यह कदम जानबूझ कर किया गया और पूर्वचिन्तित था। उन्हें पता था कि राष्ट्रपति अंग्रेजी में बोलेंगे। वे न तो अपने किए पर खेद प्रकट करते हैं और न ही अपने बचाव में कुछ कहते हैं। उन्होंने समिति के प्राधिकार को चुनौती दी है। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि समिति सदस्यों के पहले ही अपनी राय बनाई हुई थी और उन्होंने अपने किए गए काम को उचित करार दिया और कहा कि सदन त्याग संवैधानिक अधिकार था और उन्होंने राष्ट्रपति पद को अशोभनीय प्रतिवाद में खींचा है। समिति ने इस स्थिति और इन सदस्यों की आचरण को गम्भीर समझा। चूंकि श्री रामेश्वरानन्द और श्री उटिया ने समिति को आश्वासन दिया कि उनका अभिप्राय राष्ट्रपति के प्रति अनादर प्रकट करना नहीं था, समिति ने उन के कथन को मान लिया है और समिति सिफारिश करती है कि उन के आचरण का अननुमोदन ही काफी है। यहां तक तीन सदस्यों—श्री रामसेवक यादव, श्री मनीराम बागड़ी और श्री भू० ना० मंडल—का सम्बन्ध है उन्होंने इस घटना के प्रति गम्भीर दृष्टिकोण अपनाया है। समिति उन के विरुद्ध और अधिक कड़ी कार्यवाही की सिफारिश कर सकती थी परन्तु चूंकि संसद् के इतिहास में यह पहली घटना है, समिति ने इस सम्बन्ध में कड़ा दृष्टिकोण नहीं अपनाया है और सिफारिश की है कि उन की भर्त्सना की जाए।

प्रतिवेदन का २८वां पैराग्राफ में इस विषय के बारे में सुझाव है। सारे मामले पर पुनः विचार करने से ऐसा मालूम होता है कि इस पैराग्राफ की सिफारिशों के मानने के सम्बन्ध में प्रस्ताव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस से सभा की शक्ति पर प्रतिबन्ध लगेगा। इस सभा को सम्पूर्ण अधिकार है। सभा को भर्त्सना, निलम्बन, गिरफ्तार करने और सदस्यों को उच्छृंखल और अशोभनीय व्यवहार के लिये सभा से बाहर निकालने की शक्ति प्राप्त है। किसी समिति को सभा की शक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाने की शक्ति नहीं है। प्रत्येक अवसर को गुणों के आधार पर देखना है। अतः आप के द्वारा मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि वह श्री रामसेवक यादव, श्री मनीराम बागड़ी और श्री भू० ना० मंडल के भर्त्सना के बारे में पैराग्राफ २६ में और श्री रामेश्वरानन्द और श्री बी० सिंह उटिया के आचरण का अनमोदन करने के बारे में पैराग्राफ

२७ में दी गई सिफारिशों को स्वीकार करें । श्री रामेश्वरानन्द और श्री बी० सिंह उटिया के बारे में और कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है ।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये ।

श्री रामेश्वरानन्द : मेरी प्रार्थना तो सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मेम्बर साहबान से यह विनय करूंगा कि यह मौका एक गैर-मामूली मौका है । इसमें हमें ज्यादा संजीदगी और गम्भीरता से काम लेना होगा । जो कुछ हम चाहें वह इस तरह से करें कि मालूम हो कि हम इस माहोल को, इस जिम्मेदारी को, इन हालात को देख रहे हैं, और हमारे दिमाग पर उस का बोझ है । इसलिये जो साहब भी बोलें वह इस बात का खयाल रक्खें और बिना वजह खड़े हो कर दखल देने की कोई जरूरत नहीं । अभी स्वामीजी खड़े हुए, मैं उनको भी मौका दूंगा । उन को अवसर मिलेगा और वह जो चाहें कह सकते हैं । इस बारे में वे जल्दी न करें । मगर इस बात का ध्यान हर एक माननीय सदस्य रक्खें कि इस वक्त जो कार्रवाई होगी वह बहुत संजीदगी से हो, और उसमें कोई एसी चीज नजर न आये जिस से हम समझें कि उस को लाइटली लिया जा रहा है या किसी और तरह लिया जा रहा है ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं तो यह प्रार्थना कर रहा था कि मेरे सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है वह हिन्दी में भी सुना दिया जाता जिस में मैं उस को सुन भी लेता और उस पर बोल भी लेता । मुझ में बीमारी तो यह है, मैं ने किसी के घर चोरी थोड़े ही की है या और कुछ थोड़े ही किया है ।

अध्यक्ष महोदय : सब माननीय सदस्यों के पास रिपोर्ट पहुंची है और हिन्दी का तर्जुमा कर के उस को सब को तकसीम कर दिया गया है । उस के अलावा और कुछ नहीं कहा गया । अगर इस के बावजूद भी स्वामीजी कहते हैं कि उन को हिन्दी में सुना दिया जाय ो मैं कहूंगा कि उन्होंने रिपोर्ट को तो जरूर पढ़ा होगा । वह तो उन के पास पहुंची है । उसके बाद भी वह चाहते हैं कि उस को दुबारा यहां पर लाया जाय । हर एक को उस का पता है, हम ने उस का हिन्दी में अनुवाद करके सब को तकसीम किया है । उस के अलावा उस में कोई और चीज नहीं कही गई । सारी बातें रिपोर्ट में दर्ज हैं ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कुछ सदस्यों के आचरण सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के जो १२ मार्च, १९६३ को सभा में पेश की गई थी, पैरा २६ और २७ में की गई सिफारिशों से सहमत है ।"

अगर इस का तर्जुमा स्वामी जी चाहते हैं तो यह है कि जो एक खास समिति बनाई गई थी कि जिन रों ने प्रेजिडेंट के ऐड्रेस के वक्त वाक आउट किया या कुछ रुकावट डाली या बोले, उस वक्त,

[अध्यक्ष महोदय]

उस की जांच पड़ताल करे, उस ने जो रिपोर्ट की है और १२ मार्च को हाउस में रखी है और सरमें जो सिफारिश है उसके लिये कहा गया है कि हाउस इत्तफाक करे और उस को मंजूर करे।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने इस मोशन पर संशोधन दिये थे, उसके सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं मिली।

अध्यक्ष महोदय : दोनों संशोधन आप के निगेटिव वोट के थे कि इस को रिजेक्ट किया जाता है। वह निगेटिव वोट से हो सकता है, वह कोई अलाहदा चीज नहीं है।

यहां पर श्री रामसेवक यादव मौजूद हैं। अगर वे इस पर कुछ कहना चाहें तो उनको अवसर है कि वे कहें।

श्री रामसेवक यादव (बराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, जो सन्देश आप के द्वारा दिया गया उसे मैंने पढ़ा और उसी के अनुसार मैंने अपना एक लिखित बयान तैयार किया है। मैं आशा करूंगा कि आप मुझे इस बात की इजाजत देंगे कि मैं उसे पढ़ूं। साथ ही साथ मैं आपसे और सारे सदन से निवेदन करूंगा कि यदि मेरे कहने में किसी को कुछ ठेस लगे, क्योंकि कुछ ऐसे प्रकरण आ गये हैं जिन में राष्ट्रपति जी का नाम आता है और आप का भी आता है वैसे मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं उन का इस्तेमाल करूं, फिर भी मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आप उसके लिये मुझे क्षमादान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, दिनांक १८-२-६२ को दोनों सदनों के एक साथ, राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण के समय मेरे तथा मेरे दल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति से इस आशय के निवेदन पर कि वह अभिभाषण प्रथम तो संविधान के अनुच्छेद ३४३ द्वारा स्वीकृत राष्ट्रभाषा, यदि सम्भव न हो तो किसी प्रादेशिक भाषा जो उनकी मातृभाषा ही हो सकती थी, में पढ़ें, निवेदन को अस्वीकार किये जाने पर मैंने तथा मेरे दल के लोगों ने सदन त्याग किया। इन्हीं दोनों बातों के औचित्य पर विचारने तथा औचित्य न होने पर हम लोगों को दंड दिये जाने के लिये अध्यक्ष महोदय, आपने कृष्णमूर्ति राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।

सदन द्वारा सदन के किसी सदस्य के आचरण सम्बन्धी जांच समिति की नियुक्ति इस के पहले भी १९५१ में हुई थी। वह समिति श्री मुद्गल, जो उस समय सदन के सदस्य थे, के आचरण की जांच के लिये बनी थी। जो प्रक्रिया तथा नियम श्री मुद्गल के सम्बन्ध में अपनाए गये, उससे भिन्न हम लोगों के सम्बन्ध में अपनाये जा रहे हैं। मुद्गल के मामले में जांच सम्बन्धी समिति के निर्माण का प्रस्ताव बाकायदे प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत हुआ। सदन में वादविवाद और श्री मुद्गल को सुनने के बाद समिति का गठन और उसके निर्देश पद (टर्म्स आफ रिफरेंस) स्वीकार किये गये। मेरे मामले में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया और समिति का गठन तथा उसके निर्देश पद केवल अध्यक्ष महोदय द्वारा निश्चित किये गये। मुझे उस समय या बाद को सदन के सामने निवेदन करने का अवसर भी नहीं मिला। यही नहीं, अध्यक्ष ने स्वयं १८-२-६३ को सदन में हम लोगों के खिलाफ संविधान का अपमान, पूर्व नियोजित, शपथ अवहेलना, अखबार में छपने आदि की बातें कहीं। जब कभी अखबार में छपी बात का हवाला दे कर प्रश्न किया जाता है तो उसे आधार नहीं माना जाता पर इस मामले में बिना तसदीक किये हुए हवाला ही नहीं दिया गया बल्कि सही मान लिया गया। अध्यक्ष महोदय ने कहा :

"मेरे मत में—यह सच है कि यह मेरा प्रथम दृष्टया मत है और अभी मैं ने इस विषय में जांच भी की है—यह संविधान का अपमान है और सदस्यों द्वारा ली गई शपथ का भंग करना है ।

जहां तक पूर्वचिन्तित कार्यवाही का प्रश्न है, इस बारे में कोई सन्देह नहीं, क्योंकि पूर्व सूचना दे दी गई थी । यह समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हुआ था और यह प्रत्येक व्यक्ति को विदित था कि वह ऐसा करने जा रहे हैं । इसलिए यह अभिप्रायपूर्वक किया गया था और पूर्वचिन्तित था ।

फिर राष्ट्रपति ने उनसे कह दिया था कि यह उन के लिए उचित नहीं था । अतः उन्हें इसे बन्द कर देना चाहिए, परन्तु राष्ट्रपति को अभिभाषण देने से रोकने के लिये लगातार प्रयास किया गया । अतः उन्होंने मुझे कार्यवाही करने के लिये कहा । परन्तु जब मैं खड़ा हुआ तो सदस्यों ने बाहर जाने का निश्चय कर लिया ।"

समिति में सर्वश्री जयपालसिंह तथा सेठ गोविन्द दास दो ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने हम लोगों के आचरण के खिलाफ १८-२-६३ को सदन में बोल कर अपनी राय जाहिर कर दी थी । समिति में इन लोगों को रखना न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्त तथा न्याय के विरुद्ध है । मेरे मन में इन लोगों के प्रति आदर है, पर उन्हें समिति में नहीं रखा जाना चाहिये था या उन्हें स्वयं हट जाना उचित था । जयपाल सिंह ने यह कहा :

"मैं अनुभव करता हूं कि हमारे कुछ सहयोगियों का व्यवहार लोक-सभा की प्रतिष्ठा पर गम्भीर आघात करता है ।"

सेठ गोविन्द दास ने कहा :

"यह केवल हमारे राष्ट्रपति का ही अपमान नहीं है, यह हमारे सारे राष्ट्र और दोनों सदनों का अपमान है ।"

अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों के आचरण पर टीका करते हुए राष्ट्रपति जी का हवाला दिया कि राष्ट्रपति जी ने अध्यक्ष जी से हम लोगों के खिलाफ कार्यवाही या कुछ किये जाने के लिये कहा, ऐसा कहा । इसे मैं राष्ट्रपति द्वारा सदन के कार्य में हस्तक्षेप मानता हूं । समिति ने मुझे उपरोक्त कथन के लिये भी दोषी ठहराया । किसी अभियुक्त के ब्यान पर न तो सजा दी जाती है और न ही जज अपना रोष प्रकट करता है । मैं सदन का ध्यान समिति के छपे हुए प्रतिवेदन के पैराग्राफ २२ की ओर आकृष्ट करूंगा । इस में कहा गया है :

"सर्वश्री रामसेवक यादव, मनीराम बागड़ी तथा बी० एन० मंडल ने समिति के समक्ष जिस प्रकार के वक्तव्य दिये हैं, जिन में उन्होंने राष्ट्रपति तथा समिति पर गम्भीर दोषारोपण किया है, उससे उन के अपराध में और भी वृद्धि हो गई है ।"

समिति ने इतने शीघ्र अपना प्रतिवेदन दिया, इससे प्रतीत होता है कि वह इसी प्रकार का निर्णय देने का मन पहले ही बना चुकी थी । घटना के सम्बन्ध में अध्यक्ष के विचारों को सुनने के बाद, उनके द्वारा ही गठित की गयी समिति से मौजूदा प्रतिवेदन की ही आशा थी । मैं सदन से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि वह हम लोगों के साथ न्याय करे । दिनांक १८-२-६३ को सदन में हम लोगों की भर्त्सना तथा निन्दा अनौपचारिक रूप से की गयी और आज उसी अपराध के लिये औपचारिक रूप से सजा दिये जाने के लिये विचार हो रहा है । एक ही अभियोग के लिये दो बार दंडित करना न्यायसंगत नहीं ।

[श्री रामसेवक यादव]

अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान जनतांत्रिक संविधान है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है। वह सत्तारूढ़ दल द्वारा खड़ा किया जाता है और उसी की शक्ति के आधार पर जीतता है। अतः राष्ट्रपति की इंगलैंड के राजा या रानी से तुलना उचित नहीं। राजा, रानी दलों से ऊपर होते हैं पर वह स्थिति भारतीय राष्ट्रपति की नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद १०५ उपधारा (३) में दिया है कि इस सदन के विशेषाधिकार वही हैं जो हाउस आफ कामन्स के। यह कहीं नहीं दिया कि राजा या रानी से प्रश्न पूछा जाना या निवेदन करना अपराध है। यदि है तो यह काम समिति का था कि इसे साबित करती।

इसी सदन में एक बार माननीय सदस्य श्री चटर्जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टीका करते हुए कहा कि अभिभाषण अवर सचिव द्वारा तैयार की गयी रद्दी रिपोर्ट के समान है। आपत्ति किये जाने पर उस समय के उपाध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि राष्ट्रपति सरकार के "माउथ पीस" हैं। इसलिए उन पर टीका टिप्पणी करना अनुचित नहीं। उसको उचित ठहराया। यह इसी सदन के उपाध्यक्ष की व्यवस्था है।

मैं ने राष्ट्रपति जी द्वारा उनकी सरकार से निवेदन किया कि अभिभाषण संविधान तथा पुरानी परम्परा के अनुसार राष्ट्रभाषा में पढ़ा जाये, यदि सम्भव न हो तो किसी प्रादेशिक भाषा में जो राष्ट्रपति जी की मातृभाषा ही सम्भवतः होती। मैं ने राष्ट्रपति जी महोदय को केवल हिन्दी में पढ़ने के लिए बाध्य किया यह सत्य नहीं है। निवेदन तथा अनुरोध कभी अपमान नहीं माने जाते। मैं ने केवल निवेदन तथा अनुरोध किया, हस्तक्षेप नहीं किया और निवेदन के अस्वीकार किये जाने पर सदन त्याग करना पड़ा। सदन त्याग जनतंत्र तथा संसदीय प्रणाली के प्रतिकूल नहीं। सदन त्याग विरोध प्रकट करने का एक ढंग है। १९३६ में श्री भोला भाई देसाई के नेतृत्व में यहीं विधान सभा में सदन त्याग हुआ और उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में सभी विधायकों ने सदन का त्याग किया। सदन त्याग अपनी इच्छा अनिच्छा प्रकट करने का ही एक तरीका है। इसलिए मैं समझता हूं कि सदन त्याग की प्रणाली अनुचित नहीं है और अगर इस पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा और ऐसा करने के लिए सदन के किसी सदस्य को दंड देने की व्यवस्था की जाती है तो यह जनतंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक है।

अध्यक्ष महोदय, समिति ने अपने प्रतिवेदन में विधान सभा तथा विधान परिषदों के अध्यक्षों के बीच भूतपूर्व अध्यक्ष लोक सभा श्री अय्यंगार के दार्जिलिंग के भाषण का हवाला दिया। अध्यक्ष ने सदन के बाहर क्या कहा, वह व्यवस्था या निर्णय नहीं माना जायेगा। वह केवल एक राय होगी।

आप जानते हैं, सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि इस देश की विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं में सदन त्याग विशेष तौर पर राज्यपालों के अभिभाषण के समय हुआ है। उन विधान सभाओं में राज्यपालों की वही स्थिति है जो यहां राष्ट्रपति की है। लेकिन वहां उन सदस्यों के विरुद्ध इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए इस सदन को यहां इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो जनतंत्र के विरुद्ध जाती हो क्योंकि सदन की कार्रवाई देश की विधान सभाओं और धारा सभाओं के लिए एक नमूना बन जायेगी।

राष्ट्रपति जी से यह निवेदन कि अभिभाषण राष्ट्रभाषा या मातृभाषा में पढ़ा जाये, संविधान के प्रतिकूल नहीं अनुकूल था। मैं सदन का ध्यान संविधान के अनुच्छेद ३४३(१) तथा उप-धारा (२) के परन्तुक और अनुच्छेद ३४४ (२) के भाग(क)तथा(ख)की ओर आकृष्ट करूंगा। साफ

दिया है कि राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी। अंग्रेज़ी के १९६५ तक प्रयोग किये जाने की व्यवस्था के होते हुए भी यह साफ दिया है कि राष्ट्रभाषा का प्रयोग बराबर बढ़ता जायेगा और १९६५ तक अंग्रेज़ी का प्रयोग समाप्त हो चुकेगा।

श्रीमन्, संविधान का अनुच्छेद ३४३ (१) इस प्रकार है :

"संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।"

इसी अनुच्छेद का दूसरा खंड इस व्यवस्था से आगे जाता है। उसमें दिया है :

"खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी।"

अध्यक्ष महोदय, समिति के अध्यक्ष ने जब इस का हवाला दिया तो वह बड़ी आसानी से अनुच्छेद ३४३ के खंड (२) के परन्तुक को भूल गये जिसमें साफ दिया है :

"परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेज़ी भाषा के साथ साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।"

फिर सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान मैं अनुच्छेद ३४४ की ओर आकृष्ट करूंगा। इस अनुच्छेद के मातहत राष्ट्रपति को समिति गठित करने का अधिकार है और उस समिति का जो गठन होगा वह खास दो प्रयोजनों के लिए होगा जो इस अनुच्छेद की उपधारा (२) के भाग (क) और (ख) में वर्णित हैं।

"(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के,

(ख) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के निर्बन्धनों के, ...

बारे में सिफारिश करने का आयोग का कर्तव्य होगा।"

अगर आप संविधान की व्यवस्था को पढ़ें तो उस में यह स्वीकार किया है कि १९६५ तक अंग्रेज़ी के प्रयोग की व्यवस्था है, लेकिन संविधान में लिखित उद्देश्य के मंशा से यह साफ ज़ाहिर है कि अंग्रेजी की स्थिति यह होगी कि वह बराबर घटती जायेगी और उसकी जगह राष्ट्रभाषा लेती जायेगी। संविधान की यह मंशा है। यदि संविधान की मंशा की ओर देखा जाये तो हम लोगों का कार्य ऐसा नहीं है कि हमको दोषी ठहराया जाये। संविधान में साफ दिया गया है कि हिन्दी अंग्रेज़ी के स्थान पर देश की राष्ट्रभाषा होगी।

अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद ५३(१) के अनुसार राष्ट्रपति संघ सरकार की कार्यकारिणी का सर्वोच्च अधिकारी है। संविधान के अनुच्छेद ३५१ के अनुसार राष्ट्रभाषा का प्रसार संघ सरकार का अनिवार्य कार्य होगा। १९५० से ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद अपना अभिभाषण राष्ट्रभाषा में पढ़ते थे। यह परम्परा सन् १९६२ तक चली। जब अंग्रेजी के प्रयोग की अवधि की समाप्ति में केवल तीन वर्ष शेष रह गये तो पुरानी परम्परा को उलट दिया

[श्री रामसेवक यादव]

गया, संविधान की जो मंशा है उसका गला घोंट दिया गया । ऐसा सरकार ने जान बूझ कर कराया क्योंकि प्रधान मंत्री की इस घोषणा का कि १९६५ के बाद भी अंग्रेजी सखी भाषा के रूप में प्रयोग की जायेगी और इस सम्बन्ध में चालू सत्र में विधेयक प्रस्तुत होगा, यही अर्थ है और दूसरा नहीं । संविधान तथा परम्परा की रक्षा की मांग करने के मेरे आचरण पर सदन में आज बहस होगी ।

श्रीमन्, मैं सदन का ध्यान अनुच्छेद ५३(१) तथा ३५१ की ओर आकृष्ट करूंगा । अनुच्छेद ५३ (१) में लिखा है :

"संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इस का प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा ।"

फिर इसी के साथ अनुच्छेद ३५१ में साफ दिया हुआ है :

"हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किये बिना हिन्दुस्थानी और अष्टम अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और पदावलि को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः वैसी उल्लिखित भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा ।"

तो यह संघ का अनिवार्य कर्तव्य है और राष्ट्रपति जी हमारे संघ के सब से बड़े अधिकारी हैं ।

कहा जाता है कि राष्ट्रपति जी राष्ट्रभाषा नहीं जानते । यदि यह सही है तो इससे बड़ी लज्जा की बात देश और संविधान के लिये क्या हो सकती है कि राष्ट्रपति राष्ट्रभाषा न जानें । राष्ट्रपति ने मुझ को लिखे गये दोनों पत्रों में यह नहीं कहा कि वे राष्ट्रभाषा नहीं जानते, उन्होंने आसानी का प्रश्न उठाया । मैंने तो यह भी निवेदन किया कि प्रादेशिक भाषा में पढ़ें । राष्ट्रपति ने हिन्दी में पत्र व्यवहार की सुविधा से सम्पन्न होते हुये भी मेरे हिन्दी पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में ही दिया । इससे भी सरकार का हठ प्रतीत होता है । कहा जाता है कि हम लोग हिन्दी लाद रहे हैं किन्तु वास्तविकता यह है कि अंग्रेजी को लादा जा रहा है ।

अभिभाषण का दिया जाना एक राष्ट्रीय महत्व का सवाल है, ऐसे मोकों पर राष्ट्र सम्मान का अधिक ध्यान रखा जाना चाहिये । जनतंत्र बिना जनभाषा निर्जीव तथा समाजवाद निष्प्राण है । और इस सदन ने विशेषता सत्तारूढ़ दल ने इस देश में समाजवाद फैलाने का व्रत लिया है । चीन के खिलाफ हमारी पराजय के कारणों में से प्रमुख एक भाषा का भी कारण है । देश का औद्योगीकरण तथा उत्थान विदेशी भाषा द्वारा संभव नहीं है । अभिभाषण का अंग्रेजी या हिन्दी में पढ़ा जाना सुविधा या असुविधा का सवाल नहीं, यह प्रश्न राष्ट्रीय महत्व का है । स्वतंत्रता संग्राम के समय कुछ लोगों के लिये अंग्रेजों के साथ रहना और आराम की जिन्दगी बिताना ही आसान था । इसके विपरीत बहुतों ने अंग्रेजों से लड़ना तथा कठिन जीवन बिताना ही धर्म-कार्य और अपना कर्त्तव्य समझा । हमारी स्वतंत्रता उसी कठिन मार्ग का परिणाम है ।

इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य और विशेषतः प्रधान मंत्री जी भलीभांति जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ जब हम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमें कठिनाई का मार्ग अपनाना पड़ा था। अगर हम उसको नहीं अपनाते तो आज जिस स्थिति में यह सदन मूर्तिमान है यह नहीं होता। इसलिये जब चीन के मुकाबले में हमारी पराजय हुई, जो हमारे आत्मसम्मान को ठेस लगी, उसे हमें दूर करना है तो हमें आसानी का रास्ता नहीं ढूंढना चाहिये। अपने खोये हुये आत्मसम्मान को वापिस लाने के लिये हमको कठिनाई का रास्ता अपनाना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, भाषा के प्रश्न को लेकर कुछ स्थिर स्वार्थी लोगों का कुचक्र चल रहा है। वह है अंग्रेजी वाले २ प्रतिशत लोग जिनके बेटे, नाती पबलिक स्कूल तथा विदेशों में पढ़ते हैं। यह दो प्रतिशत लोग आज देश की राजनीति तथा व्यापार पर छाये हुये हैं। यह एकाधिपत्य अंग्रेजी द्वारा ही कायम रह सकता है। जनभाषाओं के प्रतिष्ठित होते ही एकाधिपत्य समाप्त हो जायेगा। समाजवादी पार्टी के भाषा संबंधी विचारों को लेकर देश भर में भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये लोग हिन्दी लादना चाहते हैं। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि हम लोगों का विरोध अंग्रेजी से है, वह भी उसके सार्वजनिक प्रयोग तथा अनिवार्य पढ़ाई से। क्योंकि अंग्रेजी भारत में सामन्तों की भाषा तथा शोषण की बोली है। कहा जाता है कि दक्षिण भारतीय अंग्रेजी चाहते हैं, यह बात सर्वथा निराधार है। वहां की जनता तामिल, तेलूगू, मलयालम तथा मराठी आदि चाहेगी, अंग्रेजी नहीं।

यह भी कहा गया कि यदि मेरी बात मान ली जाये तो दक्षिण भारतीय कभी राष्ट्रपति नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं यह चाहूंगा कि दक्षिण भारतीय केवल राष्ट्रपति पद पर ही नहीं अपितु प्रधान मंत्री पद पर भी बैठें। मुझ को तो इसमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। मैं तो यह भी चाहूंगा कि राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री इन दोनों पदों पर दक्षिण भारतीय हो और पिछड़ी जाति से कोई हरिजन महिला अगर इन पदों पर बैठें तो इससे ज्यादा खुशी मुझे कोई दूसरी नहीं हो सकती लेकिन शर्त यह है कि वे अपनी मातृभाषा तथा राष्ट्रभाषा का आदर करें। चाहे वह दक्षिण से हों अथवा उत्तर से उन को राष्ट्रभाषा और अपनी मातृभाषा का आदर करना चाहिये। यह चीज बहुत ही जरूरी है। जब राष्ट्रभाषा तथा मातृभाषा नहीं तो राष्ट्र सम्मान कहां?

अध्यक्ष महोदय, आज गांधी जी को स्वर्गवासी हुये केवल १५ वर्ष हुये हैं। इन्हीं पन्द्रह वर्षों में देश में राष्ट्रभाषा तथा मातृभाषा के नाम लेने पर लोग दंडित किये जायेंगे, कौन सोचता था? गोडसे ने गांधी जी के शरीर को मारा पर यह कौन सोचता था कि गांधी के उत्तराधिकारी द्वारा ही उनकी आत्मा का भी हनन होगा?

अध्यक्ष महोदय, जिस मसले पर आज सदन में विचार हो रहा है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सठविधान का सवाल है, इस पर इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। संविधान के विद्वानों तथा सर्वोच्च न्यायालय आदि की राय लेनी चाहिये थी। समिति को घटना के कारणों पर तथा कारणों को दूर करने पर भी विचार कर सुझाव देना चाहिये था। अब समिति ने जैसा कि तय कर लिया है कि सजा देनी है तो अच्छा यह होता अगर वह इस पर भी विचार करती कि इस तरह की घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, और उसके घटित होने का कारण क्या है। इन सब बातों पर विचार होना जरूरी है क्योंकि, श्रीमन्, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया शुरू में फिर निवेदन करूंगा और बारबार करूंगा कि राष्ट्रपति महोदय के जहां तक व्यक्तित्व का सवाल है, उनके पद का सवाल है, मेरा उनका कतई अपमान करने का न इरादा था, न है और न ही कभी आगे होगा। लेकिन जब राष्ट्रपति जनभाषा, मातृभाषा या राष्ट्रभाषा में न बोल कर विदेशी भाषा में बोलने का हठ करें तो मुझ जैसे

[श्री रामसेवक यादव]

लोगों के व्यवहार में ज़रूर अन्तर आयेगा। समिति ने ऐसी घटना आखिर क्यों घटी और भविष्य में न घटे, इन बातों पर उसने अपने दिमाग को ज़ोर नहीं दिया। समिति ने अपना कर्त्तव्य समझ लिया कि यह लोग दोषी हैं और जब वे दोषी हैं तो उन्हें सज़ा देनी चाहिये और उन्होंने सज़ा भी निश्चित कर दी।

समिति को घटना के कारणों पर तथा कारणों को दूर करने पर भी विचार कर सुझाव देना चाहिये था लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि उसने ऐसा नहीं किया। यदि सदन धें लोगों को सज़ा देता है तो यह सज़ा संविधान को और जनभाषा प्रेमियों को होगी। सदन से मेरा निवेदन है कि वह इस प्रतिवेदन को अस्वीकार करे। संविधान की रक्षा तथा जनभाषाओं की प्रतिष्ठा राष्ट्रपति का सबसे बड़ा सम्मान है। इससे बड़ा कोई दूसरा सम्मान नहीं हो सकता।

अन्त में आप के द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि सदन को कोई ऐसी परम्पराएं न डालनी चाहिएं कि मुदगल की घटना से इस घटना को जोड़ा जाय। मुदगल की घटना से इस घटना को जोड़ना यह कम से कम मेरे, मेरे साथियों और श्री रामेश्वरानन्द के प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा। मुदगल का प्रश्न पैसे और धन से संबंधित था लेकिन यह तो राष्ट्रभाषा का प्रश्न है, यह तो संविधान का सवाल है, नीति का सवाल है और इस देश की जनता का सवाल है, इसलिये यह दोनों प्रश्न अलग अलग दृष्टि से देखे जाने चाहिये। इसलिये मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस सारे मसलें पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर, और विचार करने के बाद अन्त में, मेरा निवेदन यह है कि वे इस समिति के प्रतिवेदन को अस्वीकार कर दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामसेवक यादव ने जितना पढ़ना था या कहना था, कह लिया। इस सदन ने उनको यह तो आज्ञा दी है कि वे और अन्य चारों माननीय सदस्य यहां अन्दर बैठे रहें मगर मेरी उन से एक विनय होगी कि वे यहां बैठे तो रहें लेकिन जो यहां पर बहस हो उसमें वे दखल न दें और चुप करके बैठे रहें।

अब मैं श्री बागड़ी से कहूंगा कि उन्हें जो कुछ कहना है वे कहें।

श्री बागड़ी (हिसार) **:** अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में मैं एक दफे यहां से सजा भुगत चुका हूं और दूसरी दफा सजा भुगतने के बारे में सोचविचार हो रहा है। उसकी सफाई में मैं कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैं भारत देश के उस तबके से ताल्लुक रखता हूं जिस तबके ने शायद ही कभी हिन्दुस्तान के राजदरबार में बैठ कर राजदरबार की बात की हो। मैं देश के उस गरीब और मजलूम तबके से ताल्लुक रखता हूं जिसका कि पेशा खेती और मज़दूरी है और जिसकी कि भाषा इस देश के गरीब लोगों की भाषा है। मुझे जैसे आदमी का इस सदन में चुन आना यह बापू जी का और कल के नेता और आज के हाकिमों की बात तो वह जाने, लेकिन कल के नेताओं की उस देन को है जोकि इस देश को दी है। इस देश को उन्होंने विधान दिया जिस विधान के अनुसार जनता ने मुझे यहां भेजा। आज मैं इस मामले को जो आप के सामने पेश हो रहा है उसके ऊपर तीन बातें अपनी तरफ से अर्ज करूंगा। पहली बात यह कि हमारे ऊपर यह आरोप लगाया गया है, हम इस बात के लिये मुलज़िम हैं, कुसूरवार ठहराये जायेंगे कि हमने माननीय राष्ट्रपति के भाषण के वक्त में बोला और उनसे निवेदन किया तो हमें उसकी सज़ा मिलनी चाहिये। दूसरे यह कि राष्ट्रपति जी से जब हमने निवेदन

किया उन्होंने नहीं माना तो हमने वहां से सदन का त्याग किया, यह दो जुर्म हमारे ऊपर लगाये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या हमें राष्ट्रपति जी का मान व प्यार दूसरों से कम है? राष्ट्रीय किताब जिसको कि हम पवित्र समझ कर और जिसके कि आधार पर चलते हैं हर देशवासी को वह प्यारी है। लेकिन राष्ट्रपति से वह प्यार कब टूटता है, कब छूटता है जब या तो उनकी वृत्ति इतनी गन्दी हो जाती है कि वह राष्ट्र के खिलाफ कार्य करना चाहते हैं या ऐसे हालात होते हैं कि राष्ट्र का प्रेम जनता को दे नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस देश के सब से बड़े इंसान की बात आप के सामने अर्ज करूंगा। वह इस देश के महान त्यागी, तपस्वी और देश के राष्ट्रपिता हैं। आज चाहे अमल से नहीं, लेकिन जुबान से तो सभी लोग उनका नाम लेते हैं, उनको बापू और राष्ट्रपिता कहते हैं, उनकी मूर्ति भी रखते हैं और उनका नाम लेकर काम चलाते हैं। लेकिन आज अगर हिन्दुस्तान के निर्माण का कोई आधार है, तो वह आधार बापू के वे शब्द और विचार हैं, उनकी देन है। क्यों मैंने राष्ट्रपति जी से निवेदन किया? आज हिन्दुस्तान के करोड़हा गरीब लोग यह चाहते हैं कि उनकी जनभाषा में हिन्दुस्तान का राजकाज चलना चाहिये और उसकी बिना पर हिन्दुस्तान का दबा हुआ तबका अपना राज काज चला सके या समझ सके। मैंने उन गरीबों की तर्जुमानी करने की इतनी बड़ी गुस्ताखी क्यों की? आप दुनिया की कोई मिसाल लीजिये। आप को ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी भी स्वाभिमानी राष्ट्र में उस देश का राष्ट्रपति ऐसे माननीय मौके पर, ऐसे अवसर पर, अपना भाषण किसी विदेशी भाषा में देता हो। फिर उस बापू के देश में ऐसा किया जाये, उस माननीय राष्ट्रपिता के देश में ऐसी मिसाल कायम की जाये, जो कि कहते थे कि हिन्दुस्तान में जो लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वे न तो अपने बच्चों का और न अपने देश का हित करते हैं !

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बहुत बड़े सदन में जरूर बैठा हूं, और बड़े बड़े लोगों में बैठा हूं, लेकिन आखिर मेरा जन्म तो उन ग़रीबों और दबे हुए लोगों में हुआ है, जिनकी भाषा अपने देश में अपमानित हो रही है। अगर ग्रेट ब्रिटेन में वहां की मलिका या रानी अंग्रेजी में भाषण देती और अगर वहां का कोई संसद्-सदस्य, वहां का कोई मेम्बर, यह कहता कि हिन्दुस्तानी में, हिन्दी में, या हिन्दुस्तान की किसी प्रादेशिक भाषा में, अपना भाषण करो, तब तो यह बात मानी जा सकती थी कि उस ने मान-हानि की है। लेकिन अगर हिन्दुस्तान के दिल की बात कही जाए, अगर हिन्दुस्तान के राष्ट्रपिता बापू की बात कही जाए, जो कि स्वर्ग में बैठे हुए यह मांग करते हैं और हर एक हिन्दुस्तानी से यह चाहते हैं कि उनकी भावना को पूरा किया जाये, तो उसको मानहानि कैसे कहा जा सकता है?

किसी वक्त अंग्रेज को हिन्दुस्तान से निकालना जुर्म था और शायद उस वक्त के कोई "सर" या "राय बहादुर" हमारे माननीय प्रधान मन्त्री जैसे देशभक्तों से, कल के नेताओं से, यह कहा करते होंगे कि अंग्रेज के ख़िलाफ़ लड़ कर वे ग़लती कर रहे हैं और अगर अंग्रेज हिन्दुस्तान से निकल गया, तो यह देश किस तरह सम्भलेगा? अध्यक्ष महोदय, मैं आप की मार्फत इस माननीय सदन के सामने अर्ज करूंगा कि अंग्रेज को निकालना जितना कठिन और देश के लिए फ़ायदेमन्द था, आज बापू की ग़ैर-मौजूदगी में ऐन इसी तरीके से अंग्रेजी को हिन्दुस्तान से निकालना उतना ही कठिन, लेकिन देश के लिए उतना ही फ़ायदेमन्द है।

इसलिए मैंने राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं किया, बल्कि मैं ने अर्ज की थी। दुनिया में आज तक किसी युग में, किसी राज में, किसी सरकार में, बड़े से बड़े भगवान् के दरबार में भी, फरियाद करने

[श्री बागड़ी]

की इजाजत होती है। अगर यह बोलने का हक छीन लिया गया, अगर फ़रियाद करना भी इस जनतन्त्र में जुर्म करार दिया गया, तो मैं आप की मार्फ़त इस सदन के सामने अर्ज करूंगा कि फिर मानवता इस देश में नहीं मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, आप पंजाब के इतिहास से पूरी तरह वाकिफ़ हैं। आपको मालूम होगा कि किसी युग में ज़ोरावर सिंह और फ़तेहसिंह ने भी सत्य बात कहनी चाही थी और उस वक्त की हुकूमत ने उन के सिरों पर दीवारें चुनवा दीं। उस वक्त के राज दरबार में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। उस वक्त नवाब मालेरकोटला ने आह भरी और कहा कि यह जुल्म है। उस वक्त वह निन्दित हुए थे, लेकिन आज वे पूजे जाते हैं। आज न वे राजे रहे, न वे नवाब रहे, न वे ज़ालिम रहे और न वे मज़लूम रहे लेकिन जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज उठाने वालों और सच्ची बात कहने वालों के नाम आज तक इतिहास हम को याद दिलाता है।

आप से अर्ज करूंगा कि अपनी सफ़ाई में यह बात नहीं कहता हूं। मैं तो एक कंगले घर में पैदा ही इसलिए हुआ हूं कि मैं सज़ा भुगतूं। सज़ा के डर से मैं नहीं कांपता हूं। मैं तो इस मान-योग्य सदन की पवित्रता के ऊपर थोड़ी सी भी छाया पड़ने के ख़याल से डरता हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि इस सदन में कोई ऐसी कार्यवाही न की जाये कि आने वाले युग में, आने वाली सन्तानें यह कहें कि इस सदन ने जुल्म किया, जो कुछ उसने किया, वह जनतन्त्र के मुताबिक नहीं था और इस तरह इस सदन की पवित्रता पर कोई सियाह धब्बा न लग जाये।

इसके बाद मैं भाषा के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। कुछ भाइयों ने कहा और वे कहते हैं कि ये तो हिन्दी लादना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम हिन्दी लादना नहीं चाहते हैं। अगर कोई यह बात कहता है कि अंग्रेज़ी इस देश में ज़रूर रहे, तो फिर अगर हिन्दी लदती है, तो अंग्रेज़ी के मुकाबले में बेशक लदे। अगर अंग्रेज़ी ज़बर्दस्ती थोपी जाये, तो वह तो लादना नहीं है, लेकिन अगर कोई इस देश में हिन्दुस्तान के करोड़हा इंसानों की जन-वाणी की बात करें, तो कहा जाता है कि उसको लादा जा रहा है। आज सवाल यह है कि अगर अंग्रेज़ी और मलयालम का मुकाबला होगा, तो आप किस के पक्ष में जायेंगे। मराठी, तेलगू, पंजाबी वगैरह हिन्दुतान की जो भाषायें हैं, उनका मुकाबला अंग्रेज़ी से करते हो? अंग्रेज़ी और हिन्दी के मुकाबले में अगर हिन्दी का पक्ष लिया जाये, तो अंग्रेज़ी के पक्ष में बोलते हो? क्या आज राष्ट्रपिता गांधी की आत्मा स्वर्ग में दुत्कारती नहीं होगी कि मैंने कितने ही साल तक जो देशभक्ति और मातृभाषा का प्रेम सिखाया, पन्द्रह साल के कलील अर्से में ही मेरे उत्तराधिकारी राजसत्ता में उसको भूल गए?

मैं अर्ज करूंगा कि हमारी लड़ाई हिन्दी और मराठी की नहीं है, हिन्दी और पंजाबी की नहीं है। हमारी लड़ाई अंग्रेज़ी के साथ है। अच्छा होता कि राष्ट्रपति जी हिन्दुस्तान की किसी भाषा में अपना भाषण पढ़ते। सवाल यह नहीं था कि हिंदी में भाषण बाद में पढ़ दिया गया था। समझने और समझाने का सवाल नहीं है। अगर सवाल समझने और समझाने का था, तो फिर मान और अपमान का क्या सवाल रह गया? सवाल तो सिद्धान्त और रीति-नीति का है। इस बारे में यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति जी के मान और इष्टता में फ़र्क आया। तो क्या हिन्दी भाषा की इष्टता में फ़र्क आया या नहीं? हिन्दुस्तान की दूसरी भाषाओं की इष्टता में फ़र्क आया या नहीं? हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी भाषा को इष्ट मानने और फिर उसका तर्जुमा करने से सारी दुनिया में हिन्दुस्तान की मान-हानि हुई है कि स्वतन्त्र होने के सोलह साल बाद तक हिन्दुस्तानी अपनी कोई भाषा नहीं बना सके, कोई भूषा नहीं बना सके, कोई भविष्य नहीं बना सके, क्योंकि अगर भाषा नहीं है, तो उसके बग़ैर भविष्य कैसे बनेगा?

भाषा के बारे में दक्षिण और उत्तर, नार्थ और साउथ, का सवाल उठाया जाता है। में कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के ग़रीब लोग, चाहे वे बम्बई में रहते हों, चाहे वे जयपुर में रहते हों, चाहे वे बीकानेर में रहते हों, चाहे वे दक्षिण में रहते हों, यही चाहेंगे कि हमारी वाणी में, हमारी भाषा में बात की जाये, लेकिन ये बड़े लोग, जो कि गले में लंगोट डाल कर राजनीति की कुश्ती लड़ते हैं, ऐसा नहीं होने देंगे।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : हिन्दी की वाणी चाहिए।

श्री बागड़ी : हिन्दी हो या मराठी, तेलगू, पंजाबी हो।

अध्यक्ष महोदय : अगर दूसरे माननीय सदस्य ख़ामोश रहें, तो शायद माननीय सदस्य, श्री बागड़ी, जल्दी ख़त्म कर सकेंगे।

श्री बागड़ी : में आपकी ख़िदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह तो इतिहास में कोई एक्सिडेंट हो गया कि मुझ जैसा ग़रीब यहां पर आ गया, वर्ना मुझ जैसे कंगले को तो कोई दरवाज़े को हाथ भी नहीं लगाने देता था। जब मेरे जैसे इन्सान के सामने जन-भाषा, देश की भाषा, राष्ट्रभाषा और बापू की आशाओं और तमन्नाओं का खून होता हो, तो मेरा धर्म है कि मैं फ़रियाद करूं और मैंने फ़रियाद की। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अगर दुनिया में ईश्वरवादी लोग ईश्वर के सामने अर्ज़ और फ़रियाद कर सकते हैं और राज-दरबार में बैठने वाले हर वक्त फ़रियाद के तौर पर अपनी बात कह सकते हैं, तो जो कुछ मैंने किया, वह जायज़ किया। अगर यह जुर्म है, अगर यह सदन इस को जुर्म मानता है, तो इस बात को याद रखा जाये कि हमारे जो शहीद, पीर पैग़म्बर मानवता और स्वतन्त्रता के लिए तख्ता-ए-दार पर चढ़े या जिन्होंने सीने पर गोयलयां खाईं या सिरों पर दीवारें चुनावईं या जो गले पर तोप लगवा कर शहीद हुए, हम उन लोगों की शहादत के साथ बेवफ़ाई करेंगे और जनता और जन-भाषा की स्वतन्त्रता के ऊपर आघात करेंगे।

यह कहा गया है कि मैंने वाकआउट करके, सदन का त्याग करके राष्ट्रपति जी का अपमान किया। मैं बहुत बड़ा कानून का विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक मोटी बात जानता हूं कि हिन्दुस्तान ही नहीं, दुनिया में ऐसी कोई पाबन्दी किसी के लिए नहीं कि वह ज़रूर बैठा रहे, मासिवाये जेलख़ाने के। जेल में ज़रूर यह पाबन्दी होती है कि कैदी वहां पर ज़रूर बैठा रहे, लेकिन स्वतन्त्र आदमी तो अपनी मर्ज़ी का मालिक होता है जाने और आने में। कोई बात पसन्द आई, तो सुन ली। नहीं पसन्द आई, तो चले गए। अगर मैंने कोई दुर्व्यवहार किया, कोई अपशब्द कहा, या और कोई आपत्तिज़नक बात कही, तब तो ऐतराज़ किया जा सकता है। मैं अपनी राष्ट्र-भाषा से प्रेम करने वाला हूं, अपने राष्ट्र के साथ प्रेम करने वाला हूं, गांधी, गौतम और नानक को अपना इष्ट मानने वाला हूं। अगर मेरे मतानुसार हिन्दुस्तान के करोड़ों इंसानों की वाणी के साथ, जनवाणी के साथ अन्याय हो रहा हो, उसका अपमान हो रहा हो और मेरी बात न सुनी जा रही हो, तो फिर मेरी आत्मा की अगर यह आवाज़ हो, कि उठ कर चला जा और में उठ कर चला जाता हूं तो उसके दण्ड स्वरूप अगर मुझे अपनी जिन्दगी भी देनी पड़े तो उसको देने के लिए भी मैं तैयार हूं। आप जो भी सज़ा मुझे देंगे उसको मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप को देख लेना चाहिये कि आगे कौन सा पथ आपने बनाना है

हम ने दुनिया के इतिहास को देखा है, भारत के इतिहास को देखा है, जो राजा महाराजा हो गुज़रे हैं, उनकी अदाओं को देखा है, उनके राग रंगों को देखा है, उनकी अदावतों को देखा है, लेकिन यह जो जनतांत्रिक राज्य है, यह सब से सुन्दर है, इससे अच्छा राज्य पहले कभी नहीं

[श्री बागड़ी]

आया है । मुल्जिम को कम या ज्यादा सज़ा देने की बात हो सकती है, लेकिन एक मुल्जिम को एक ही कुसूर के लिए दो दो बार सज़ा नहीं दी जा सकती है । हमारी मज़म्मत कर दी गई है, हमारे फेल की मज़म्मत कर दी गई है और उसके बाद यह मुअत्तली और बरखास्तगी की क्या ज़रूरत रह गई है ? जो कुछ हम ने किया उसकी १८ तारीख को मज़म्मत की गई और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब भी यहां पर हाज़िर थे । उन्होंने भी कुछ कहा था । जब यह हो चुका तो दुबारा हमें सज़ा क्यों दी जा रही है, इसकी क्या ज़रूरत महसूस हो गई थी, इस को मैं समझ नहीं पाया हूं । हमारे रवैये की निन्दा के बाद कमेटी मुकर्रर की गई । अब आप देखें कि इस कमेटी में कौन मैम्बर साहिबान थे । इन में से दो तो वे थे जिन्होंने उसी वक्त हमारे खिलाफ़ फ़ैसला दे दिया था । जब इनका प्रेजुडिस्ड माइंड था, जब इन्होंने पहले ही से अपना माइंड बना लिया था, तो फिर यह कमेटी न्याय किस प्रकार कर सकती थी कोई अदालत होती तो न्याय हो सकता था । यहां पर कमेटी तो पहले से ही अपना मन बना चुकी थी और इस में वे ही लोग थे जिन्होंने हमारे इस फ़ेल की निन्दा की थी ।

एक बात और मैं अर्ज़ करना चाहता हूं । यह सवाल सिर्फ़ बागड़ी का नहीं, यह सवाल सिर्फ राम सेवक यादव का नहीं है, यह देश के हित और देश के भविष्य का सवाल है । मैं आप को यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर देश हित के लिए मुझे फांसी तक भी हो जाये तो उस सज़ा को भुगतने के लिए भी मैं तैयार हूं, उस सज़ा को भी मैं कबूल करने के लिए तैयार हूं । लेकिन तेज़ी में और गुस्से में आ कर कोई फैसला नहीं किया जाना चाहिये । आप के पास शक्ति है और उसके बलबूते पर आप जो चाहें कर सकते हैं, इस को मैं मानता हूं । गुस्से में आप को कोई सख्त बात नहीं करनी चाहिये । सच्ची बात कहने वाले कम लोग ही हुआ करते हैं । देश के भविष्य के लिए, देश के हित के लिए और बापू जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, उसकी याद करके आप को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जो अनुचित हो । लेकिन यहां पर तो ऐसा मालूम पड़ता है :

न तड़पने की इजाज़त है न फ़रियाद की है,
घुट के मर जाऊं यह मर्ज़ी मेरे सैयाद की है ।

यह दूसरा मौका है । एक बार जब बापू की हत्या हुई थी उस वक्त हम ने कहा था कि इस स्थान को कौमी स्थान बनाया जाये, यह वह जगह है जहां पर राष्ट्र पिता बापू का खून बहा है . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : जो चीज़ आप के सामने है, उसी के बारे में आप को जो कुछ कहना हो कहें, इसके बाहर न जायें ।

श्री बागड़ी : उसी के बारे में मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के जो करोड़ों इंसान हैं, उनकी जो भावनायें, इस राष्ट्र भाषा के प्रति हैं, उनको देखते हुए अगर इसको आदर का स्थान नहीं मिलता है, इसको वह पद नहीं मिलता है, जिसकी यह हक़दार है, इसको असम्मानित किया जाता है, तो देश के अन्दर, राष्ट्र के अन्तर, प्रेम नहीं पैदा हो सकता है ।

आप देखें कि हिन्दुस्तान की फौजों को चीन के मुकाबले में अगर थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ा है तो इसका कारण क्या है ? फ़ौज में तरक्कियां किस आधार पर दी जाती हैं ? अंग्रेजी बोलने वालों को, गले में लंगोट बांधने वालों को, छरी कांटों से खाने वालों को और गिटपिट

करने वालों को ही आज तरक्कियां मिलती हैं और यह नहीं देखा जाता है कौन बहादुर है, कौन लड़ सकता है। भाषा का कोई सम्मान नहीं होता है तो इसको बर्दाश्त करना हमारे लिए कठिन हो जाता है।

अन्त में मैं अपील करना चाहता हूं प्रधान मंत्री जी से तथा सदन से कि देश आप पर आशा लगाये बैठा है। आप यहां के प्रधान मंत्री हैं। आप ने एक अपने भाषण में कहा है कि हिन्दी के जो पक्षपाती हैं, जो अंग्रेजी का विरोध करते हैं, उन से निबट लिया जायेगा। मैं चाहता हूं कि गुरु नानक से लगा कर गांधी और गौतम ने जो विद्या दी थी, उस पर आप चलें और जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम उसकी एक कड़ी बनेंगे। जो आप का फ़ैसला होगा, उस को हम सहर्ष स्वीकार करेंगे और मैं आशा करता हूं कि यह सदन इंसाफ़ करेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मंडल साहब कुछ कहना चाहते हैं तो वह कह सकते हैं। लेकिन जो बातें कह दी गई हैं, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। नई जो बात उन्होंने कहनी है, वह कह दें।

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा): अध्यक्ष महोदय, जो अभियोग मेरे ऊपर और मेरे साथियों के ऊपर लगाया गया है, उस के सम्बन्ध में जो विचार मेरे मन में आ रहे हैं, उनको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। मेरे साथियों ने जो इसके बारे में उनके विचार थे, उनको आप के सामने रख दिया है। मैं आप को यह भी बतलाना चाहता हूं कि किस भावना से प्रेरित हो कर मैं ने सदन त्याग किया था।

सब से पहले जो स्टेटमैंट मैं ने जो कमेटी बनाई गई थी, उसके सामने दिया था, उस को पढ़ कर हाउस को सुनाना चाहता हूं। उसके बाद इनक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है और सजा देने की जो उसने सिफारिश की है, उसके सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। जो कुछ बातें मैं ने उस कमेटी के सामने कही थीं . . . .

अध्यक्ष महोदय : मेरी आप से यह दरख्वास्त है कि अगर उसी बयान को आप दुबारा पढ़ना चाहते हैं तो वह तो सब ने पढ़ लिया होगा। जो बयान आप ने दिया था वह तो छपा हुआ है और उसको सब ने पढ़ लिया होगा। इस वास्ते उसको यहां अब पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री भू० ना० मंडल : सभी माननीय सदस्यों को वह रिपोर्ट मिली नहीं है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : सब को मिल गई है।

श्री भू० ना० मंडल : उस बात को छोड़ कर मैं दूसरी बातों की तरफ़ आता हूं।

कुछ सदस्यों के आचरण के सम्बन्ध में छानबीन करने वाली लोक सभा द्वारा निर्मित कुछ सदस्यों की कमेटी ने छानबीन के बाद अपनी रिपोर्ट इस सदन के समक्ष मार्च १२ को पेश कर दी है। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पैरा २६ में मेरे और मेरी पार्टी के अन्य दो सदस्यों के राष्ट्रपति के अंग्रेजी अभिभाषण के अवसर पर सदन-त्याग को अवांछनीय, अशोभनीय और अनुचित बतलाया है और हम लोगों के लिए रेपरीमांड की सजा की सिफारिश की है। आज उस कमेटी के सभापति ने सदन में प्रस्ताव किया है कि लोक-सभा का यह सदन कमेटी की सिफारिश के साथ अपनी सहमति जाहिर करे।

[श्री भू० ना० मंडल]

आज ही इस प्रस्ताव पर निर्णय भी लेने की बात है। इस सम्बन्ध में मैं एक बात इस सदन की जानकारी में देना चाहता हूं कि उपर्युक्त रिपोर्ट की कापी सभी सदस्यों के बीच वितरित नहीं की गई है। लेकिन चूंकि आप ने बताया है कि वह सभी को पहुंच गई है और सभी को मिल गई है, इस वास्ते मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता और इसको यहीं छोड़ देता हूं।

इस सम्बन्ध में जो कुछ मुझे कहना था, मैं ने कमेटी के सामने वह सब कुछ कह दिया था। मेरी बातों को सुनने के बाद भी अगर कमेटी हम लोगों के आचरण को गलत समझती है और राष्ट्रपति के अभिभाषण का पहले अंग्रेजी में पढ़ा जाना ठीक समझती है तो मैं इस को देश के लिए दुर्भाग्य ही कहूंगा। मैं चाहूंगा कि कमेटी के सामने मेरा जो बयान हुआ है, उसको पढ़ कर ही मेरे सम्बन्ध में लोक-सभा के माननीय सदस्यों द्वारा कोई निर्णय दिया जाना चाहिये।

मेरे मुताबिक संविधान ने हिन्दी को राज भाषा पद पर प्रतिष्ठित किया है। अंग्रेजी को परोक्ष रूप से लाचारी की भाषा माना है, जो पंद्रह वर्ष में राज काज से और सार्वजनिक क्षेत्र से खत्म हो जाय और केन्द्र में हिन्दी और राज्य में वहां की जन भाषा अंग्रेजी के स्थान पर प्रतिष्ठित हो जाय। एक मार्के की बात यह है कि संविधान के भाग १७ में अंग्रेजी का नामकरण साफ तौर से आफिशियल लैंग्वेज कहीं नहीं किया गया है। संविधान की धारा ३४३(२) के परन्तुक के अनुसार राष्ट्रपति अपने आदेश से पंद्रह वर्ष के अन्दर अंग्रेजी के रहते भी केन्द्र में हिन्दी लागू कर सकता है। चूंकि राष्ट्रपति के ऊपर कोई आदेश देने वाला नहीं है, इसलिये राष्ट्रपति अपने केन्द्रीय कार्य में अगर हिन्दी लागू कर देते हैं तो समझा जाना चाहिये कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिये केन्द्रीय सभी कार्यों में या विशेष कार्य में हिन्दी को लागू कर दिया। इस तरह भू० पू० राष्ट्रपति ने जब अपने अभिभाषण का हिन्दी भाषा में, और हिन्दी भाषा में पहले, अभिभाषण शुरू कर दिया, तो धारा ३४३ (२) परन्तुक के मुताबिक समझा जाना चाहिये कि हिन्दी में अभिभाषण पहले होना संवैधानिक अनिवार्यता है। इसके खिलाफ करना, संविधान की मर्यादा भंग करना है।

अब प्रश्न उठता है कि जब राष्ट्रपति द्वारा संविधान भंग होता हो तो सदस्य द्वारा संविधान भंग का शान्तिपूर्ण विरोध, जो सदन त्याग का रूप ले सकता है, क्या असंवैधानिक आचरण है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस प्रकार ऐसा काम अवांछनीय, अशोभनीय और अनुचित है। एक ही आधार पर, ऐसा आचरण अवांछनीय हो सकता है जब कि संविधान से भी ऊपर राष्ट्रपति का स्थान माना जाय और सदस्य का स्थान राष्ट्रपति से नीचे माना जाय। मेरी समझ में संविधान सब से बड़ा है और संविधान ने जिन पदों की सृष्टि की है, वे कोई किसी से छोटे बड़े नहीं हैं। सभी अपनी जगह पर छोटे और बड़े दोनों हैं। आज की राजनीति और राजकीय क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दोष यह घुस गया है कि इन क्षेत्रों के तथाकथित बड़े लोग अपने को कानून और संविधान से भी बड़ा समझते हैं और अपने अनुचित काम के लिये संविधान और कानून का तोड़ मरोड़ करते हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब कि उनके कामों को संपुष्टि देने वाले लोग बहुतायत में मिल जाते हैं। मैंने इस स्थिति को समझने की बहुत कोशिश की है और मेरा यह जीवन अनुभव है कि हिन्दुस्तान का नेतृत्व जब तक इस गिरोह के हाथ में रहेगा जिस गिरोह ने आज से हजारों वर्ष पहले हिन्दुस्तानी समाज को दो टुकड़ों में बांट कर, बहुसंख्यक जनता को अपने स्वार्थ का साधन बनाया था, तब तक समाज के यह दोष दूर नहीं हो सकते। हिन्दुस्तानी जनतंत्र की कमजोरी की जड़ में यही नेतृत्व दोष है। शुरू में, मुझे अपने निकाले नतीजे पर कुछ संदेह भी होता था, लेकिन जब से मैं ने स्वामी विवेकानन्द के "रिनैसेंट इंडिया" नामक लेख को पढ़ा है, मेरी धारणा

बिल्कुल पक्की बन गयी है कि हिन्दुस्तान की डिकेडेन्ट लीडरशिप से देश का उद्धार नहीं हो सकता है। यह सड़ा नेतृत्व ही कारण है अंग्रेजी के लिये आग्रह का। यह लोग जनता को राज काज में हिस्सा नहीं लेने देना चाहते।

जो रिपोर्ट हम लोगों के खिलाफ़ पेश की गयी है, उस में परोक्ष रूप में कहा गया है कि हम लोग हिन्दी को प्रतिष्ठित करने के लिये पागलपन दिखला रहे हैं, जिस से हिन्दी का अनिष्ट ही हो रहा है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं हिन्दी के लिये पागल नहीं हूं। मैं तमिल, तेलगू, असमिया, बंगला और सभी देशी भाषाओं को अपने अपने स्थान पर प्रतिष्ठित देखना चाहता हूं। इन सभी देशी भाषाओं के मार्ग में एक ही रुकावट, है और वह है अंग्रेजी। अंग्रेजी को सार्वजनिक और राजकीय क्षेत्रों से हटाने की कोशिश मैं जरूर कर रहा हूं और वह भी संविधान की मंशा के मुताबिक ही, उस के खिलाफ़ नहीं। गांधी जी ने अपने रचनात्मक प्रोग्राम में एक कार्यक्रम राष्ट्रभाषा प्रचार का भी रक्खा था और दूसरा स्वदेशी प्रचार का भी। राष्ट्र निर्माण के लिये ये कार्यक्रम क्यों रक्खे गये थे? क्योंकि सांस्कृतिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से देश की बहुसंख्यक जनता को बलशाली बनाना चाहते थे और उन में आत्मशक्ति और आत्मविश्वास भरना चाहते थे। वे देश के अल्पसंख्यक गिरोह के वर्चस्व को खत्म कर सम्पूर्ण राष्ट्र को बलशाली बनाना चाहते थे। गांधी जी के इसी आंदोलन का बचा खुचा प्रभाव था कि किसी तरह इस देश की किसी एक भाषा को आफिशल लैंग्वेज का पद मिल सका। जैसे-जैसे वह प्रभाव क्षीण होता जा रहा है, वैसे-वैसे अंग्रेजी को कायम रखने की कोशिश बढ़ती जा रही है। अंग्रेजी को बनाये रखने की कोशिश भारतीय जन क्रांति के सिलसिले में विश्वासघात है। जिन लोगों ने देश को आजाद करने में हिस्सा नहीं लिया है या ऐसे लोग जिन्होंने भूतकाल में क्रांति में हिस्सा लिया, लेकिन सत्ता हथियाने के बाद अब जनक्रांति से घबराने लगे हैं, ऐसे लोगों के लिये अंग्रेजी को नहीं पदच्युत होने देना, उन के लिये निजी स्वार्थ की बात है। लेकिन आम जनता के लिये अंग्रेजी का महत्वपूर्ण क्षेत्र से खात्मा जीवन मरण का प्रश्न है। आज देश में जो जीवन संघर्ष चल रहा है, उस में अंग्रेजी बहुसंख्यक गिरोह के सफल संघर्ष में बहुत बड़ी बाधक है और अल्पसंख्यक शोषक गिरोह की बहुत बड़ी मित्र है। जनप्रतिनिधि होने के नाते, मैं अपना फर्ज समझता हूं कि महत्वपूर्ण क्षेत्र में अंग्रेजी को टिकाये रखने की प्रवृत्ति का मैं डट कर मुकाबला करूं। सार्वजनिक क्षेत्र से अंग्रेजी का खात्मा ही, बहुसंख्यक कमजोर और गूंगी जनता को, वाणी प्रदान कर सकता है।

मुझे उस समय तरस आता है जब इस सदन में भी देशी भाषा जानने वाला प्रतिनिधि इस सदन की कार्यवाही को समझ नहीं पाता है और खर्राटा अंग्रेजी बोलने वाला दम्भ से इतराता है। देश में कैसी और किस हद तक कुरुचि पैदा हो गयी है? भारतीय लोक-सभा ऐसा नहीं मालूम होता है कि भारतीय है। यह तो विलायती या अमरीकी लोक सभा का दृष्य उपस्थित करती है। इस सदन से मेरा आग्रह है कि वह देशहित और देश की बहुसंख्यक जनता का हित सामने रख कर ही संबंधित संविधान की धारा एवं नियम तथा हम लोगों के सदन त्याग कार्य पर विचार करे।

जनतंत्र में तीव्र मतभेद होने पर सदन त्याग एक ऐसी परम्परा है जो सर्वमान्य और सर्वसम्मत है। इसलिये लोक-सभा की कार्य पद्धति में साफ तौर से इस का जिक्र भी नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री उटिया जी भी चाहें तो कुछ कह सकते हैं।

श्री उटिया (शहडोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं ने २७ फरवरी को समिति के सामने जो ब्यान दिया है उस के अलावा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता । इतना जरूर कहना चाहता हूं कि न उस वक्त राष्ट्रपति का अपमान करने की मेरी मंशा थी और न मेरा कोई इरादा ही था ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : "यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्य :

ब्रह्म राज्यन्याभ्यां शूद्राया चार्य्वायच स्वाय च" ।

अध्यक्ष महोदय, यदि हंसा जायेगा तो मैं समझता हूं कि एक यह अपमान वाला मामला चल रहा है, सम्भव है दूसरा भी शुरू हो जाय .....

अध्यक्ष महोदय : आप अगर मेरी तरफ़ ध्यान रक्खें और किसी को हंसते न देखें....

श्री रामेश्वरानन्द : मेरे लिये दूसरी तरफ देखने का प्रयोजन ही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल न देखिये दूसरी तरफ़ ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं ने पिछले मास में १८ तारीख को राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय खड़े हो कर उन से कहा था कि आप राष्ट्र के पिता तुल्य हैं । महामहिम राष्ट्रपति जी, आप को हिन्दी में बोलना चाहिये । यदि आप हिन्दी न बोल सकें तो आप को संस्कृत आती है, आप संस्कृत में बोलिये । अगर संस्कृत नहीं आती पो आप अपने प्रदेश की भाषा में बोलें । इतने के पश्चात् उन्होंने मुझे संकेत किया कि मैं इसके बोलने में असमर्थ हूं, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए । मैं उनके संकेत को मान कर वहां बैठा रहा । किन्तु मेरे इस कृत्य को भी राष्ट्रपति का अपमान समझा जा रहा है । मैं नहीं समझता कि मैं ने किस तरह से अपमान किया है । अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति तो हमारे देश के सब से बड़े व्यक्ति हैं, उनके अपमान का तो प्रश्न ही क्या हो सकता है, मैं तो किसी सामान्य व्यक्ति ही क्या किसी पशु पक्षी तक का अपमान नहीं करना चाहता । इसलिए मेरे लिए कोई कारण नहीं था कि मैं राष्ट्रपति महोदय का अपमान करता । और अगर मेरी किसी बात से या मेरे अपने चरित्र से राष्ट्रपति का या सदन के किसी भी सदस्य का अपमान होता है तो मैं अपने आपको उनके सामने उपस्थित करने को प्रस्तुत हूं कि वे मुझे क्षमा करना चाहें तो क्षमा कर दें और नहीं तो दंड देना चाहते हैं तो दंड दे दें । मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूंगा । हमारे तो प्राचीन विधानों में यह आता है कि वाणी के चार दोष हैं :

अनृत, परुष सूचन और असम्बद्ध

अर्थात् मिथ्या भाषण करना, कठोर बोलना, चुगली करना और प्रकरण को तोड़ कर बोलना । हमारे प्राचीन साहित्य में यह लिखा है कि इस प्रकार बोलना अवैधानिक चीज है, ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए । मैंने अपने प्राचीन साहित्य को पढ़ा है और उसके साथ ही अपने वर्तमान संविधान को भी पढ़ा है । हमारे वर्तमान संविधान में एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पर कही गयी है और मैं उसको सदन को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । इस संविधान के भाग ५ अनुच्छेद १०५ में कहा गया है :

"इस संविधान के उपबन्धों के तथा संसद् की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद् में वाक् स्वातंत्र्य होगा ।"

मैं ने राष्ट्रपति के घर जा कर तो कुछ नहीं कहा । जहां दोनों सदनों की बैठक लगी हुई थी उस जगह मैं बोला था । ऐसा करने से मैं किसी प्रकार से दोषी नहीं बनता ।

इसके उपरान्त एक समिति गठित की गयी है। उसके लिए निवेदन करूंगा कि अनुच्छेद १०५ के दूसरे खंड को देखा जाए जिसमें लिखा है :

"संसद् में या उस की किसी समिति में कही हुई किसी बात अथवा दिए हुए किसी मत के विषय में संसद् के किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही न चल सकेगी. . ."

मैं नहीं समझता कि यह जो हमारे लिए १७ सदस्यों की न्याय समिति बनायी गयी है यह इस संविधान की धारा के आधार पर बन भी सकती है। मेरा अपना विचार है कि इस धारा के रहते यह कमेटी नहीं बन सकती। मैं ने केवल वाक् स्वातंत्र्य का प्रयोग किया है। कोई कठोर भाषण नहीं किया, कोई और बात नहीं कही। वाक् स्वातंत्र्य के सम्बन्ध में आप जब बाहर के किसी न्यायालय में मामला नहीं चला सकते तो अन्दर कोई न्यायालयी समिति बनाकर हमको दोषी ठहरा कर दंड दें तो यह बात तो नहीं बनती इस संविधान के होते हुए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं जिसको अन्य सदस्यों ने भी कहा है। इस ओर मैं आपका विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूं। संविधान में लिखा है कि :

"संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी"

मैं पूछना चाहता हूं कि इस दिशा में सत्ता प्राप्त पार्टी ने कितना यत्न किया है? हमको स्वतंत्र हुए १६ वर्ष हो रहे हैं, इस दिशा में शासन ने कितना प्रयत्न किया है इसका पता तो आपको उसके काम से लगेगा।

यह सही है कि प्रजातंत्र में बहुमत के सामने सिर झुकाना पड़ता है। परन्तु मैं यह नहीं मानता कि बहुमत जो कुछ कहता है वही न्याय है। कभी कभी बहुमत सचाई से दूर भी चला जाता है। आप कह सकते हैं कि आज बहुमत का राज्य है और आप भी उसके आधार पर चुन कर आए हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि मैं बहुमत के आधार पर चुन कर आया हूं और मुझे इसी कारण संविधान में वाक् स्वातंत्र्य का अधिकार मिला हुआ है। हमारे राष्ट्रपति भी चुन कर आए हैं और उनके चुने हुए होने के नाते ही हमने उनको राष्ट्रपति स्वीकार किया है। उनमें कोई ऐसी विशेषताएं नहीं आ गयी हैं कि हम उनके सामने बोलें ही नहीं। मुझे तो यह सुन कर आश्चर्य होता है कि लोग मुझे कहते हैं कि आपको उनके सामने नहीं बोलना चाहिए था। मैं कहता हूं कि अगर मैं उनके सामने न बोलूं तो क्या उनके चौकीदार या उनके माली के सामने बोलूं। राष्ट्रपति महोदय तो भाषण करते हैं और मैं उनके सामने न बोलूं तो किसके सामने बोलूं। इसका मतलब क्या है ? मेरे दो प्लेटफार्म नहीं है, मेरा एक ही प्लेटफार्म है और छोटे से लेकर बड़े तक मेरे सामने समान हैं और मैं सब के सामने अपनी बात कह सकता हूं। ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ में सत्ता होती है कि वे उनके सामने नहीं बोलते और छोटे मोटों के सामने बोल देते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं ने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि मैं भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरे से नहीं डरता हूं। मैं भगवान से डरता हूं और अपने प्रत्येक कृत्य के सम्बन्ध में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मुझे से कोई ग़लत काम न हो जाए।

मैं तो कहना चाहूंगा कि स्वयं राष्ट्रपति महोदय ने हमारे विधान का उल्लंघन किया है। विधान में लिखा है कि "संघ की राजभाषा हिन्दी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इसके

[श्री रामेश्वरानन्द]

धारा खंड २ में यह अवश्य लिखा है कि संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिनके लिए वह पहले से प्रयोग की जाती थी । परन्तु उसके आगे लिखा है :

> "राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, आदेश द्वारा, संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हिन्दी भाषा तथा भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा"

इसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है। इस १५ वर्ष की अवधि में भी राष्ट्रपति महोदय चाहें तो किसी विभाग के लिए या सब विभागों के लिए हिन्दी कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद जी की इस समय दिवंगत हो चुके हैं, उनकी यह प्रथा थी कि वह पहले अपना भाषण हिन्दी में पढ़ते थे और उनके पश्चात् वह अंग्रेजी में भी पढ़ा जाता था मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति ने हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति द्वारा चालू की गयी पद्धति को त्याग कर अंग्रेजी में अपना भाषण पढ़ने का साहस क्यों किया। मैं समझता हूं कि ऐसा करके वे हमारे प्रधान मंत्री की इस घोषणा को चरितार्थ करना चाहते हैं कि १५ वर्षों के पश्चात् भी हिन्दी के साथ साथ अंग्रेजी सखी भाषा के रूप में रह सकेगी, और क्यों न दोनों सदनों की इस बैठक में ही इसका श्रीगणेश कर दिया जाये जिससे कि जो कुछ होना है आज हो जाये और इसको आगे के लिये क्यों छोड़ा जाये। मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे ऊपर डंडे के जोर से अंग्रेजी लादी जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस सखी भाषा वाले प्रस्ताव को सदन में लाया गया तो उसका विरोध करने में अपना सब कुछ बलिदान करने को उद्यत रहूंगा। मेरा तो अपना ख्याल है कि इस समय हमको देश के हर व्यक्ति को साथ ले कर चलना है, और व्यक्तियों को ही नहीं जब कि हम को जड़ वस्तुओं को साथ ले कर चलना है ऐसी घोषणा करना उचित नहीं कि अंग्रेजी को सखी भाषा के रूप में आगे भी रखा जायेगा। इस समय तो हमें चीन से निबटना है । इस समय प्रधान मंत्री जी को घोषणा नहीं करनी चाहिये कि हम हिन्दी वालों से निबट लेंगे। चीन से पहले निबट लेने के बाद इसके लिये बहुत समय रहेगा। ऐसी घोषणा करने का अर्थ इस समय जो देश में ४८ प्रतिशत हिन्दी भाषा भाषी हैं उनके जले पर नमक छिड़कने के समान होगा।

कहा जाता है कि हमने दक्षिण के लोगों के सामने वायदा किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि हमारे यहां प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में प्रजा की राय से चलना होता है। अगर प्रजा इस चीज का विरोध करती है तो आपको उसे मानना चाहिए, न कि प्रजा को डंडे के ज़ोर से अपनी बात मनवानी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि देश में प्रजातंत्र नहीं है बल्कि सामंतशाही है। हमने एक सामन्तशाही को खत्म किया है लेकिन अब अपने ही लोगों की सामन्तशाही हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेकों बार जेल भुगती है। जब हमारे प्रधान मंत्री जी देहरादून की जेल में ए० क्लास में रहा करते थे, मैं और मेरे अन्य साथी साथ ही सी० क्लास में रहा करते थे। देहरादून के जेल के वह दिन मुझे याद हैं। जेल के खटमलों को मैं भूला नहीं हूं। हमारे प्रधान मंत्री जी का भोजन बनाने के लिए. . .

अध्यक्ष महोदय: अब आप इस चीज पर आइये जिस पर कि चर्चा हो रही है।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं तो आप का ध्यान दिला रहा था कि शायद आप समझते होंगे कि यह गांधी टोपी पहनने वाले लोग ही जेल गये हैं, सो ऐसी बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम ने इस देश में स्वाराज्य और स्वशासन की स्थापना के लिए कोई कुर्बानी नहीं की, सो बात नहीं है। आज देश का शासन जिन के हाथों में आया है और जो अंग्रेज़ी को चलाते रहना चाहते हैं, जो अंग्रेज़ों के वक्त में सर होते थे, आज वह हमारे शासन के अध्यक्ष बने हैं। और वह साथ में उस डंडे को लेकर जोकि सर के वक्त होता था अब उससे हमारे पैरों को पीटना चाहते हैं तो मैं इसे सहन नहीं कर सकूंगा। मैं ता आपको कहना चाहता हूं कि हम खाली दक्षिण के लोगों को ही नहीं वरन सब साथियों को लेकर चलना चाहते हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं फिर आप से विनय करूंगा कि जो बातें हर एक ने काफ़ी कह ली हैं आप उन को छोड़ कर और कुछ कहना चाहते हों तो कह लीजिये। बारबार उन्हीं बातों को दुहराते चले जाना उचित नहीं है।

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ और ही कहूंगा। यह ठीक बात है कि जब आप इस गद्दी पर बैठे हैं तो हम सब को आप की बात माननी चाहिए लेकिन जो हमारे दुःख की बात हो उसे तो आपको सुन ही लेना चाहिए। यह तो हो सकता है कि कुछ बातें जो मैं कह रहा हूं पहले भी कही गई हों लेकिन मैं उसके आगे जो शब्द कहना चाहता हूं उसे तो सुन लेना चाहिए। इस-लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हुं कि मुझे आप बीच में न टोंकें।

मैं आप के सामने कह रहा था कि दक्षिण में चलिये, चाहे बंगाल में चलिये, मैं वहां जनता में पहुंच कर हिन्दी में भाषण दूंगा और मेरे देश के प्रधान मंत्री या श्री लाल बहादुर शास्त्री देहातों में चल कर इंगलिश में भाषण दे दें और उस के बाद वहां की जनता की राय यदि ले ली जाय कि वे दक्षिणी भाई, बंगाली अथवा गुजराती भाई मेरे हिन्दी के भाषण को समझते हैं या उनके इंगलिश भाषण को, तो मुझे इस में कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर इस का फैसला जनता पर छोड़ दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। वास्तविकता यह है कि आप की इस इंगलिश भाषा को २ प्रतिशतः या ३ प्रतिशतः से ज्यादा लोग समझते नहीं हैं। मेरे देश के लिए यह इंगलिश भाषा, इस प्रकार की विघातक भाषा को यदि बनाये रखना था तो जिन की यह बोली है उन को भी क्यों धक्का दिया? उन को भी आप बिठाये रहते। लेकिन यदि आपने इस देश से अंग्रेज़ों को निकाल दिया तो फिर उनकी भाषा को भी उनके साथ जाना चाहिए।

आज हमारे देश के बालकों को जब यह विदेशी भाषा अर्थात् अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है तो मेरे देश का बालक यह समझ नहीं पाता कि आख़िर यह अंग्रेज़ी कहां से उन के सामने आई है? उस के लिए इस समस्या को समझ पाना कठिन हो जाता है। मेरे देश के बालकों को मातृभाषा सीखनी पड़ती है चाहे वह बंगाली हो, गुजराती हो या मराठी हो और फिर इंगलिश . . .

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी चाहते हैं कि मैं उनको बीच में न टोकूं, मैं खुद भी उनको टोकना नहीं चाहता हूं और मैं उनको सुनना चाहता हूं मगर आज जो बात सामने पेश है अगर वे उसी पर रहें तो बेहतर होगा। लेकिन वह उस पर न आकर . . .

श्री रामेश्वरानन्द : मैं उसी के सम्बन्ध में कहने चला था वैसे अगर आप मुझे आगे नहीं बोलने देना चाहते तो आपको पूरा अधिकार है लेकिन मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप मेरी प्रार्थना सुन लें, मैं अधिक देर तक नहीं चलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, मैं आपको टोकने के लिए मजबूर हो जाता हूं वैसे मैं आपको सुनना चाहता हूं और चाहता हूं कि यह संसद् भी आपको सुने। मैं आपको टोक कर बंद नहीं करना चाहता लेकिन मेरी मुश्किल यह है कि जो बात सामने पेश है उस पर आप न आकर और और बातें कहते जा रहे हैं। बेहतर हो कि आप उस पर बोलें।

श्री रामेश्वरानन्द : अगर आप ने इतना मुझे टोका न होता तो इतनी देर में तो मैं शायद समाप्त कर लेता।

अध्यक्ष महोदय : मैंने जितना टोका है उससे दुगना समय मैं आपको देता हूं आप अपनी बात समाप्त कर लीजिये।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं यह कह रहा था कि हमारे देश के नेता जिस इंगलिश भाषा को हम पर और इस देश के बालकों के ऊपर लादना चाहते हैं, वह अस्वाभाविक है, क्योंकि मेरे देश के बालक पहले अपनी प्रान्तीय भाषा पढ़ते हैं फिर स्कूलों में जाकर उनको गिटपिट पढ़ाई जाती है। भाषा वह आती है जो उसकी मातृभाषा होती है। इस स्वाभाविक दृष्टि से जहां मेरे देश के लिए इंगलिश भाषा का बच्चों को पढ़ाया जाना लज्जाजनक है जिनके हि सम कभी गुलाम रहे हैं, उन की भाषा हम पढ़ते ही रहें, वहां मेरे देश के बालकों के उत्थान के लिए भी यह भाषा उपयोगी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम आप के पूरे साथ हैं लेकिन इस तरीके से इस भाषा को लाया गया और हम से बिलकुल कोई सहयोग नहीं रक्खा गया तो मैं आप को कहना चाहूंगा कि इस देश की क्या स्थिति बनेगी। इसका तो उत्तरदायित्व सारा हमारे देश के शासकों पर है। मैं कहना चाहुंगा कि हमको कहा जाता है कि हम हिन्दी लादना चाहते हैं तो हम इसे क्यों लादना चाहेंगे? हमें तो पूज्य दयानन्द सरस्वती महाराज ने अपनी पवित्र पुस्तक "सत्यार्थप्रकाश" द्वारा यह आदेश दिया है कि जब बालक पांच वर्ष का हो तो उसे देवनागरी लिपि पढ़ाई जाय। अब आप ही बतलायें कि हम किस प्रकार से अपनी धार्मिक चीजों को स्थिर रख सकेंगे? इस विधान के आधार पर या परम्पराओं के आधार पर आप कहते हैं कि हम लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए तो मैं कहना चाहूंगा कि हम प्राचीन परम्पराओं को कैसे भूल जांय और क्यों भूलें? वहां तो लिखा हुआ है :—

"निन्दन्तु नीतिनिपुणः यदिवास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वायथेष्ट्म,

अद्यैववामरणम् अस्तु युगान्तरवा न्यायातपथ प्रविचलन्ति न धीरो।"

अर्थात्, जो न्याय का मार्ग है उस को धीर लोगों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

अब जहां तक पालिटिक्स का सवाल है तो यह सब कुछ पालिटिक्स है, खाना, पीना भी पालिटिक्स है। आप पालिटिक्स को संकुचित नहीं बनायेंगे। अब यह कहना कि हम चुप होकर बैठ जांये तो यह कैसे संभव हो सकता है? हमारे वहां तो इसके लिए साफ़ लिखा हुआ है कि जो लोग इस प्रकार से चुप बैठे रह जायं, अन्याय और अनर्थ उन के सामने होता रहे और वह उस के विरुद्ध कुछ भी न बोलें तो ऐसे लोगों को मरे के समान समझना चाहिए। हम एक ओर तो यह विधान पढ़ते हैं और एक ओर हम को यह पढ़ाया जाता है कि बोलो मत, तुम्हें चुप रहना चाहिए, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। पूज्य स्वामी दयानन्द महाराज ने तो यहां तक कहा है कि चाहे अन्यायी राजा चक्रवर्ती, सनाथ, महाबलवान और गुणवान क्यों न हो, उसका विनाश, उसकी अवनति और उसका अप्रियाचरण सदा किया करें और धर्मात्मा चाहे कितना ही अनाथ, निर्गुण और निर्बल क्यों न हो, उनकी उन्नति और उत्थान का सदा यत्न किया करें, उसका प्रियाचरण सदा किया करें। अब

के करने में चाहे कितना ही दारुण दुःख क्यों न पहुंच और उस प्रयत्न में चाहे प्राणों से भी वंचित क्यों न होना पड़े लेकिन अनर्थ और अन्याय के खिलाफ़ सदा मनुष्य को लड़ना चाहिए।

जब हम अंग्रेज़ के वक्त लड़ते थे तब हमें ठीक समझा जाता था। अंग्रेज़ों के वक्त में जब हम जेल काटते थे तब ठीक था। ऐसे शासन के लिए "सत्यार्थप्रकाश" के उन हिन्दी शब्दों में कितना सुंदर लिखा है। विदेशी राजा चाहे माता, पिता सदृश पालना करने वाला हो लेकिन उस के विनाश का सदा यत्न किया करें। अपना राज्य सर्वोपरि होता है। हम ने इस धर्म के आधार पर इस शासन के लिए सब कुछ किया और अब भी हम पूरा करते रहेंगे। लेकिन जहां हम से यह कहा जाता है कि तुम को इस समय देख भाल कर चलना पड़ेगा, देश संकट में फंसा हुआ है, मैं शासक वर्ग से भी कहूंगा कि वह अपनी ओर से भी थोड़ा सा ध्यान दें और वह देखभाल कर चलें। उन के इस कृत्य के द्वारा कहीं ऐसी बात तो नहीं हो जाती है, कोई ऐसी बात तो नहीं आ जाती है जिससे देश के बहुसंख्यक वर्ग का, जिसका कि आपको सहयोग लेना है, वह आपके विरोध में न चला जाय।

अध्यक्ष महोदय : अब तो स्वामी जो को खत्म करना चाहिए। उन्होंने तो कहा था कि जितनी देर मैंने उनको टोकने में लगाई है, उतनी देर में वे खत्म भी कर देते। लेकिन अब तो वे काफ़ी उससे ज्यादा बोल चुके हैं, इसलिए अब तो उन्हें बंद ही करना चाहिए।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं केवल पांच मिनट और चाहूंगा लेकिन अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं बंद कर देता हूं और मैं अपने स्थान पर बैठे जाता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब चर्चा होगी। श्री ही० ना० मुकर्जी।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) :** मैं औचित्य प्रश्न उठाता हूं।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) :** चर्चा आरम्भ होने से पहले, मैं एक प्रारम्भिक मामला उठाता हूं। श्री यादव ने जो विस्तारपूर्वक सफाई पेश की है उससे दूरगामी संवैधानिक परिणामों के और संसदीय प्रथाओं के प्रश्न उठते हैं। मेरे विचार में यह उचित है कि हम इस मामले का अध्ययन करें और हमारे पास समिति द्वारा प्रस्तावित दण्ड में दी गई सफाई, जिसे भारतीय वैधिक निर्वचन में दूसरा अवसर कहते हैं, होनी चाहिए। इस मामले पर निर्णय करने के पूर्व हमारे पास लिखित विवरण के रूप में दी गई सफाई होनी चाहिए। वह हमें अंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों में भी जानी चाहिए ताकि हम अपने विचार विमर्श में बी गई सफाई का प्रयोग कर सकें।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या कोई ऐसी बात है जोकि समिति के सामने उनके वक्तव्य में न कही गई हो? **(अन्तर्बाधायें)**

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** मैं औचित्य प्रश्न उठाता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** सदस्यों को सब कुछ परिचालित कर दिया गया था।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** प्रतिवेदन तो उपलब्ध है, परन्तु उस में प्रस्तावित दण्ड के बारे में सफाई का यह भाग नहीं है। भारतीय विधि में दो अवसर होते हैं। पहला तो उस समय होता है जब किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है और दूसरा जब किसी व्यक्ति पर दण्ड का प्रस्ताव किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : उन्हें एक अवसर समिति के सामने दिया गया था और दूसरा आज सभा के सामने दिया गया था। अब हम चर्चा कर रहे हैं। श्री मुकर्जी।

†श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : मैं औचित्य प्रश्न उठाता हूं। आप जिन सदस्यों की भर्त्सना करने जा रहे हैं उन्हें यहां बैठने देना बुरा पूर्वोदाहरण होगा। वे यद्यपि हमारे दल के न हों, परन्तु हमारे सहयोगी हैं। यदि वे गलती पर भी हों तो हम कह नहीं सकते। व्यक्तिगत सम्बन्ध खराब होंगे। मेरे विचार में उन्हें सदन त्याग करना चाहिए ताकि निर्बाध चर्चा हो सके।

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा ने निर्णय कर लिया है। अतः हमें इस पर बल नहीं देना चाहिए।

हम ने उन माननीय सदस्यों को अवसर देना था ताकि वे विस्तार से अपनी स्थिति की व्याख्या कर सकें। शेष सदस्य जो बोलना चाहें संक्षेप से बोलें।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : हम ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि सदन के नेता को उपस्थित होना चाहिये। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री को अन्य आवश्यक काम होंगे, परन्तु यह ऐसा विषय है जिस पर प्रधान मंत्री अन्य सदस्यों को सुनने के बाद अपनी राए दें। मैं समझता हूं कि इन वक्तव्यों के सुनने के बाद हम सम्मत निश्चय पर पहुंचें जोकि समिति के प्रतिवेदन से कुछ भिन्न हो। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान में जो सदस्य केन्द्रीय हाल से किसी भी उत्तेजना से बाहर चले गए, उन के आचरण के अननुमोदन से ही प्रतिष्ठा आदि के प्रयोजन पूरे हो जायेंगे। यदि सदन के नेता इस सुझाव से सहमत हों, तो अच्छा होगा कि यह सुझाव संशोधन के रूप से वे प्रस्तुत करें।

†अध्यक्ष महोदय : हम चर्चा जारी रखते हैं। आशा है कि वे यहां उपस्थित होंगे।

†संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : वे यहां उपस्थित होंगे।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : मुझे २ मार्च को बाहर जाना पड़ा। अतः मैं समिति की अन्तिम बैठकों में उपस्थित नहीं हो सका। मैं ने अपने विचार समिति के सभापति महोदय को बता दिए थे, जोकि उन्होंने समिति के सामने रख दिए थे। मैं ने अपने विचार पहले ही व्यक्त कर दिए हैं। मैं ने प्रार्थना की है कि सदन के नेता प्रस्ताव करें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान में जो सदस्य केन्द्रीय हाल से किसी भी उत्तेजना से बाहर चले गए, उन के आचरण के अननुमोदन से ही प्रतिष्ठा आदि के प्रयोजन पूरे हो जायेंगे। सभा के प्रत्येक दल के सदस्यों और निर्दलीय सदस्यों ने स्पष्ट रूप से अपने विचार व्यक्त किए। अब हम खत्म हुए मामले को महत्व देने की कोशिश कर रहे हैं। इस से हम न केवल कार्यवाही को लम्बा कर रहे हैं परन्तु राष्ट्रपति जी के सम्बन्ध में कुछ बातें कही जाने का भी अवसर दे रहे हैं। क्या उपाध्यक्ष महोदय ने जो सिफारिशें सभा के सामने रखी हैं उन से संसद् की प्रतिष्ठा बढ़ेगी ? क्या हम विशेषाधिकार को अधिक नहीं बढ़ा रहे हैं ? क्या हम ऐसे पूर्वोदाहरण नहीं कायम कर रहे हैं जिन का भविष्य में पालन कठिन होगा ? मैं राजनीति और अन्यत्र भी इस दिखावे से घृणा करता हूं। दिखावे को सज़ा देने के लिए हम ऐसी कार्यवाही करते हैं जिस से दिखावे का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। कई

---

†मूल अंग्रेजी में

अवसरों पर हास्य की भावना से काफी सहायता मिलेगी और संतुलन के विचार से और भी अधिक सहायता मिलेगी । मैं यह नहीं समझता कि हम इस प्रकार का कार्य क्यों कर रहे हैं । ऐसा करने से संसद् में और देश में इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है कि सभा में स्कूल जैसा वातावरण है और संसद् के सदस्यों से स्कूल के लड़कों जैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें यह कहना पड़ता है कि "मुआफ कीजिए गल्ती हो गई" और उन्हें यह बड़े नाटकीय ढंग से करना पड़ता है, पहले सभा से बाहर जाना पड़ता है और फिर भर्त्सना आदि स्वीकार करने के लिए वापस आना पड़ता है । यह विषय अनावश्यक रूप से उलझ जाता है और यह संसदीय औचित्य को जिस प्रकार इस का निर्माण होना चाहिए उस प्रकार नहीं होने देता ।

यह प्रश्न भी उठाया गया है कि यहां ब्रिटिश संसद् के उदाहरणों का अनुकरण किया जाता है । सम्राट् अथवा सम्राज्ञी के ब्रिटिश संसद् में अभिभाषण देने के सम्बन्ध में जो प्रक्रिया निश्चित की गई है, उस से हमारी पूर्ण समानता नहीं है । हमें किसी के सामने घुटने नहीं झुकाने पड़ते । उदाहरणार्थ अमरीका के राष्ट्रपति के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है वह स्वयं इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जो बहुत ही स्वस्थ है हम उन से यह बात सीख सकते हैं । हम अमरीकनों जैसे लोग नहीं हैं । अधिक अनुष्ठान सम्बन्धी कार्यों में हम विश्वास नहीं करते । मैं ने किताबों में पढ़ा था कि ब्रिटन के हाउस आफ कामन्ज़ में जब अभिभाषण पर अथवा धन्यवाद के संवाद पर चर्चा होती थी, तब जो सदस्य प्रस्ताव को पेश करते थे और उस का समर्थन करते थे उन्हें एक विशेष प्रकार के वस्त्र पहनने पड़ते थे । इस के बाद वे हाउस में भाषण देते थे । वे ऐसे कार्य इस लिए करते थे कि वहां पर सामन्तवादी परम्पराएं हैं जिन्हें उन्हों ने वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बना लिया है। यह हमारे लिए आवश्यक नहीं ।

जहां तक हमारे वर्तमान और भूतपूर्व राष्ट्रपति का प्रश्न है हम कह सकते हैं कि बहुत ही अद्वितीय व्यक्तित्व के हैं । वर्तमान राष्ट्रपति के सम्बन्ध में इस का प्रश्न ही नहीं उठता । यहां हमारे समस्त मित्रों ने एक स्वर से राष्ट्रपति के व्यक्तित्व के प्रति आदर प्रकट किया है जोकि अद्वितीय व्यक्ति हैं । हम में से बहुतों ने कहा कि वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं । मैं भी व्यक्तिगत रूप से यह कह सकता हूं कि मुझे बहुत दिनों तक उन का स्नेह प्राप्त करने का गर्व प्राप्त हो चुका है । किन्तु इस कारण राष्ट्रपति के सम्मख यहां पर जो कुछ किया जाय उसे हमें अन्धश्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए । मैं यह सुझाव बिल्कुल भी नहीं देना चाहता कि हम शिष्ट व्यवहार न करें, विशेषतया जबकि राष्ट्रपति संसद् के समक्ष अभिभाषण करते समय देश की एकता का प्रतीक समझा जाता है । उस दिन जब हमारे मित्रों ने बहिर्गमन कर दिया था तब हमें इस कृत्य से खेद हुआ था । हमारे दल की ओर से हमारे नेता ने विचार व्यक्त किए और एक स्वर से उस दिन के व्यवहार की निन्दा की । अतः जहां तक उस का सम्बन्ध है, हमें सन्देह करने का कोई कारण नहीं है कि इस सभा का कोई सदस्य चाहे वह किसी भी दल से सम्बन्धित हो राष्ट्रपति का अनादर करना चाहता था अथवा संसद् या देश की प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचाना चाहता था, इस लिए मैं समझता हूं कि जो सिफारिशें की गई हैं वे उचित नहीं हैं ।

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

इस सभा के समाजवादी सदस्यों से मैं कई अवसरों पर असहमत था, परन्तु साथ ही मैं जानता हूं कि उन को देश के कुछ भागों से समर्थन, वास्तविक लोकप्रिय समर्थन प्राप्त है और वे हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं के समर्थक हैं। इसके विषय में उनके मन में उत्तेजना है। भाषा समस्या के सम्बन्ध में आज सदन के भाषणों में जो बातें कही गई थीं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस विषय में उन की भावनाएं बहुत प्रगाढ़ हैं। इस विषय में वे एक मनोवैज्ञानिक निश्चय पर पहुंच गए हैं। और वह निश्चय कभी कभी उन्हें ऐसे कार्य करने पर विवश कर देता है जैसाकि उन्होंने गत मास १८ तारीख को किया था। हमें एक घटना को पृथक करके बढ़ा कर नहीं देखना चाहिए और हमें उन्हें भर्त्सना के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसकी सिफारिश की गई है उन्हें दण्ड नहीं देना चाहिए। किन्तु हमें परिस्थिति को सहानुभूतिपूर्वक समझना चाहिए और संविधान के अर्थ और लोगों की इच्छाओं के अनुकूल उसे समझने की चेष्टा करनी चाहिए।

इन्हीं कारणों से मैं अनुभव करता हूं कि यद्यपि सब एकमत से इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो कुछ उस दिन हुआ प्रतिष्ठा के, जिस की सब से आशा की जाती है विरुद्ध था, और यद्यपि वह एक ऐसा विषय है जिससे कोई भी असहमत नहीं है तथापि अब इस स्थिति में उसके ब्यौरे में जाने की आवश्यकता नहीं। हमें समिति के प्रतिवेदन का अभिलेखबद्ध कर देना चाहिए और यदि हम ऐसा उचित समझें तो जिन सदस्यों ने पिछले १८ तारीख को जो आचरण किया था उस का पुनः अनुमोदन करें।

मैं सविनय सुझाव देता हूं विशेषतः सदन के नेता का जो यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं आशा करता हूं कि जो कुछ मैं कहूंगा उन तक पहुंचा दिया जायगा। मुझे मालूम नहीं कि क्या उन के कमरे में कोई ऐसा यंत्र है जिस से जो कुछ मैं यहां बोल रहा हूं वह उसे सुन सकें। मेरे अन्य माननीय मित्र भी अपने विचार व्यक्त करेंगे जिन्हें कि प्रधान मंत्री को सुनना चाहिए। यदि प्रधान मंत्री या सरकार इस विषय में कुछ करे तो यह बहुत ही शालीन होगा। यदि नहीं तो आप मुझे समय की कमी होने पर भी जैसे सुझाव मैं ने दिए हैं उन के अनुकूल एक संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दें।

मुझे आशा है कि इस कठिनाई से निकलने का कोई मार्ग मिल जायगा जिससे हमें किसी क्लेशकारी विषय में किन्तु जिससे संसद् की प्रतिष्ठा अथवा संसदीय संस्थाओं के भावी कार्यों के विषय में कोई लाभ होगा। अपितु यह हमारे मार्ग में रोड़े अटकाएगा। मेरे यह सुझाव हैं।

श्री त्यागी (देहरादून) : अध्यक्ष महादय, जिन भावनाओं से प्रेरित हो कर अभी मेरे मित्र ने भाषण किया है, मैं उन से इतिफाक करता हुं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अहम मसला है। हाउस को यह भी समझ लेना चाहिये कि यहां और दूसरी असैम्बलीज़ में ऐसे प्रदर्शन होने शुरू हो गये हैं। अगर यह ऐसे ही चलता गया तो भारत के अन्दर जो पार्लियामेंटरी प्रणाली है, इसको हानि पहुंचे बगैर नहीं रह सकती है। तब यह आगे चल नहीं सकती है। इस वास्ते इस हाउस का इस बारे में बड़ा अच्छा फैसला होना चाहिये जिससे कि यह मसला हल हो जायें। इस मसले का ज़रूर नोटिस लिया जाना चाहिये था। आखिर कुछ भी सही, जिस तरह से विलायत में क्वीन है, उसी तरह से हमारे यहां पर राष्ट्रपति जी हैं और उतनी ही इज्जत हम उनकी भी करते हैं। क्वीन को जो हक हासिल होते हैं, वे वर्थ की वजह से होते हैं, उसकी वजह से वह तख्त पर बैठती है लेकिन हम तो यहां पर राष्ट्रपति

जी को अपनी मर्जी से अपने दिल का राजा बनाते हैं। इस लिये राष्ट्रपति जी की इज्जत क्वीन की इज्जत से हजारों गुना बढ़ जाती है, कई गुना हो जाती है और यह इज्जत उनकी हमारे दिलों में होनी चाहिये ।

ऐसी हालत में उनके सामने इस प्रकार का वितंडा बनाना बहुत बुरा था और सारे हाउस को इस पर अफसोस है। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि प्रधान मंत्री जी बैठे हुये थे, वे उठ कर चले गये हैं। मेरी अपील अब श्री जगजीवन राम जी से तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी से है कि आप उनकी जगह हैं, कुछ पोलिटिकल विजन से भी इस चीज को आपको देखना चाहिये। जो स्थिति इस हाउस की है, जो इज्जत इस हाउस की है, जो इतनी बड़ी डिगनिटी इस हाउस की है, उसको देखते हुए बच्चों की तरह से हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं ।

लेकिन एक दिक्कत पड़ती है मेरे इन मित्रो को चाहिये था कि ये कम अज कम हम लोगों को तो आश्वासन दे देते। मेरे मन में जो इज्जत इन मित्रों के प्रति है, वही इज्जत इधर बैठने वाले मित्रों के प्रति भी है। उनके साथ मुझे भी इज्जत मिलती है। आज अगर उनका अपमान होता है तो मुझे लगता है कि मेरा भी अपमान हो रहा है। मैं अनुभव करता हूं कि एक का मान दूसरे का मान है। सब का मान और सब का सम्मान बराबर है। मैं उनसे अपील करूंगा कि वे कम से कम अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से आश्वासन इस प्रकार का दे देते कि हम किसी किस्म के वेजाब्तगी के तरीकों में विश्वास नहीं करेंगे। अगर मतभेद है तो उसको खुले तौर से कहो। स्वामी जी ने जिक्र कर दिया जेल खाने का। उनके साथ भी अगर इस तरह का व्यवहार किया जाता है तो मेरे मन में मुश्किल पड़ेगी। उनके साथ वैसा वर्ताव होते देख कर मेरे जज़बात को ठेस पहुंचेगी।

मुझे एक आपत्ति भी है। कुछ आदमी हमारे हाउस के नहीं थे। अव्वल तो देखना यह था कि दोनों हाउसिस की मिली जुली बैठक होती है और उसके लिये कोई नियम बंधे हुए नहीं हैं उसके नियम बंधे हुए होते तो जरा आसान होता। आइंदा के लिये अगर नियम बना दिये जायें तो अच्छा होगा ताकि इस तरह का व्यवहार अगर कोई करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। दूसरी दिक्कत यह पड़ती है कि मेरे साथियों के साथ राज्य सभा के भी एक आध मैम्बर थे। राज्य सभा के मेम्बरों को तो कोई सजा न मिली और हमारे मेम्बरों का अपमान हो जाए, यह जरा बात थोड़ी दिक्कत की है। मेरी राय है कि दोनों ने बराबर की गल्ती की है या तो उस सूरत में ज्वाइंट कमेटी बन जाती किसी प्रकार से या फिर ऐसा हो कि राज्य सभा के सदस्यों के साथ भी वही बरताव हो जो हमारे सदन के सदस्यों के साथ हो रहा है .....

अध्यक्ष महोदय : इस बात की चिन्ता हमें नहीं करनी चाहिये। हम जो मुनासिब समझते हैं, वे कर सकते हैं, जो उचित समझें कर सक सकते हैं।

श्री त्यागी : चूंकि वह मुश्तरिका बैठक थी और मेम्बर पार्लियामेंट के वे भी कहलाते हैं इस वास्ते सब के साथ एक सा बरताव होना चाहिये। उसका भी प्रबन्ध कर लेना चाहिये था चीफ व्हिप साहब को या किसी और तरह से।

इसके अलावा एक चीज रिवाज की भी आ जाती है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि कहां का यह रिवाज है, किस किताब के अन्दर है, यह आप बता दें ताकि सदन को कोई गलत फहमी न रहे। रिवाज जो विलायत में है उसको बरतने की यहां पर बात है। वहा पर एडभानिशन और रेपरीमांड के वास्ते बंधे हुए नियम हैं। यह जो नियम आपने किया था कि मैम्बर साहिबान चलें जाते, यह भी

[श्री त्यागी]

वहां का नियम है। जब कभी ऐसा करना होता है तो मैम्बर साहिबान अपना बयान देने के बाद बाहर चले जाते हैं। उसके साथ ही वहां यह भी नियम है :

"प्रबोधन अध्यक्ष द्वारा अपराधी के प्रति सम्बोधित किया जाता है तो यदि सदस्य हो तो वह बिना व शीर्ष वस्त्र के अपने ही स्थान पर और यदि सदस्य न हो तो सरजेट के साथ जो 'मोस' सहित होता है बिना शीर्ष वस्त्र के 'बार' में खड़ा हो जाता है"
"भर्त्सना: उल्टी परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा सम्बोधित की जाती है यदि अपराध गुरुतर हो"।

उन लोगों को खड़ा होना पड़ता है और नंगे सिर खड़ा होना पड़ता है। मैं अदब से अर्ज करूंगा अगर स्वामी रामेश्वरानन्द पर यह नियम बरता जायेगा तो जरा यह तकलीफ देह गुजरेगा। अगर स्वामी जी को पगड़ी उतार कर खड़ा करने का नियम बरता जायेगा तो यह ठीक नहीं. . . .

श्री रामेश्वरानन्द : मैं पगड़ी भी उतार दूंगा लेकिन यह तो देख लिया जाये कि विधान क्या कहता है ? मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे हैरानी है कि त्यागी जी उन चीजों में जा रहे हैं जिनका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। इनका कोई जिक्र यहां नहीं आया है। स्वामी जी के नंगे सिर खड़े होने का सवाल पैदा नहीं होता है। खसूसन स्वामी जी का नाम भी उस में नहीं है जिन का रेपरी मांड होना है या जिन को खड़े होना है। अगर उन बातों को हम लेना शुरू कर दें तो मालूम नहीं. . . . .

श्री त्यागी : मैं माफी चाहता हूं। मेरा मंशा यह है कि . . . .

अध्यक्ष महोदय : उन बातों को तो जो हैं ही नहीं इस वक्त लाना ठीक नहीं है।

श्री त्यागी : मुझे अफसोस है। जो हालत वहां है, उसकी बात मैं कर रहा था और उसी की बाबत में कह रहा था।

श्री त्यागी : मेरी अर्ज यह है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : रिकमेन्डेशन स्वामी जी के बर्खिलाफ नहीं है कि उन्हें खड़ा होना पड़ेगा।

श्री त्यागी : बहुत ठीक है, लेकिन और लोगों की बाबत है। मेरे कहने की मंशा . . . . . .

अध्यक्ष महोदय : उनको सिर नंगा करने के लिये किसी ने नहीं कहा।

श्री त्यागी : उन लोगों के लिये जो नियम बरता जाता है उस के हिसाब से नंगे सिर खड़े होने का रिवाज है। वह अनकवर्ड खड़े हो। सिर से हैट उतारना पड़ता है। मेरी मंशा यह है, और मैं हाउस की तरफ से अपील करता हूं कि हमारी इज्जत की रक्षा करने का काम आप के पास है, आप हमारी इज्जत के रक्षक हैं। तो मेम्बरों के साथ जो बरताव आप करेंगे उसी के हिसाब से मेम्बरों की बात चलेगी। यहां हर मेम्बर जैसी हरकात करेगा उस के मुकाबले में उसे सजा मिलनी चाहिये। इस में आप को कोई दोष नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं कि इस हाउस की डिगनिटी के ख्याल से आप कोई ऐसा रास्ता निकालें जिस को हाउस भी मान ले और ये मेम्बर लोग भी बड़ी इज्जत के साथ उसको मान लें। मैं इस चीज से इत्तफाक करता हूं, जैसा कि मेरे मित्र श्री मुकर्जी ने कहा, कि आप इस मामले

†मूल अंग्रेजी में

को वैसे ही प्रस्ताव द्वारा निपटा दें, वर्ना इस कंट्रोवर्सी का हाउस से बाहर निकलना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। अब यहां हमारे लीडर साहब भी मौजूद हैं मैं उन से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस हाउस की फीलिंग प्रेजिडेंट को कोन्वे कर दी गई, प्रेजिडेंट की भी चिट्ठी आ गई, इस के बाद अगर कोई तरीका सजा देने का तजवीज किया जाय तो इस से प्रेजीडेंट की इज्जत बढ़ेगी, इस से मैं इत्तफाक नहीं करता। हाउस का जरा सा इशारा और राय बहुत काफी है। मैं चाहता हू कि कोई प्रस्ताव को पास कर के इसे खत्म किया जाय ताकि यह मामला तय हो जाय।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् इस विषय में हमारा अधिकार सम्बन्ध संसद में जनता के प्रतिनिधियों के आचरण से है। मैं समझता हूं कि प्रतिवेदन में जिस दण्ड का सुझाव दिया गया है इस पर बल दे कर हम सम्भवत: उस प्रश्न से दूर जा रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि हम अपने सहयोगियों को किस प्रकार का दण्ड दे सकते हैं, अपितु यह है कि हम इस सर्वशक्तिमान संसद में जनता के प्रतिनिधि होते के नाते किस प्रकार का व्यवहार करें और किन प्रति बन्धों का पालन करें।

लोग हम से आचरण संहिता के अपेक्षा करते हैं। लोगों ने इस संविधान को स्वीकार किया है जिस के प्रति हम सब निष्टा रखते हैं। लोग यह आशा करते हैं कि इस देश में हम कुछ प्रथाओं और परम्पराओं की स्थापना करें जिस से कि व्यवस्थित और संवैधानिक प्रगति हो सके हमें इस प्रश्न पर केवल इसी दृष्टि से विचार करना है। यह कहना बिल्कुल ठीक है कि दोनों सभाओं के संयुक्त सत्र के सम्बन्ध में कोई ऐसे प्रक्रिया सम्बन्धी नियम इत्यादि नहीं हैं तो अन्य कही स्वीकार किये गये हैं। किन्तु यहां प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति यहां संवेधानिक दायित्व को पूर्ण करने के लिये अभिभाषण देने आते हैं। मैं अपने उन मित्रों का जिन्होंने हमें इस स्थिति में डाला है अवश्य ही समर्थन करता यदि राष्ट्रपति के पत्र अथवा किसी अन्य बात से यह आभासित होता कि वह देश में हिन्दी की प्रगति नहीं चाहते अथवा यह प्रकट होता कि उन्होने हिन्दी के प्रति कोई अनादर प्रकट किया है। यह प्रत्येक व्यक्ति का निश्चित कर्तव्य है कि हिन्दी की प्रगति हो। सम्भवत: शीघ्र ही इस देश में हिन्दी राजकीय भाषा का स्थान ग्रहण कर लेगी। सारा देश इस बात का समथन करता है।

राष्ट्रपति ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह सुविधा पर निर्भर है। श्री यादव का कथन है कि राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि वे हिन्दी भी जानते, किन्तु इसका यह अभिप्राय भी है कि वह संयुक्त अधिवेशन में हिन्दी में उतने स्पष्ट रूप से अभिभाषण दे सके जितना कि एक हिन्दी जानने वाला व्यक्ति। अत: सुविधा की दृष्टि से उन्होंने यह सुझाव दिया कि उप राष्ट्रपति संयुक्त सत्र में हिन्दी में अभिभाषण देंगे। इस लिये हिन्दी की अनादर का अथवा हिन्दी की प्रगति का जिस के विषय में संविधान में लिखा गया है, कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। उस दृष्टि से मैं अनुभव करता हूं और मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि हिन्दी का प्रश्न इस विषय में राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिये लाया गया है।

मेरे मित्र ने अनावश्यक रूप से राष्ट्रपति पद को इस मामले में खींचा है। तुलना करने की आवश्यकता इसलिए प्रतीत होती है कि हम हाउस ऑफ कामन्स की ब्रिटिश प्रक्रियाओं का अनुसरण करते हैं और इसलिए राष्ट्रपति को सम्राट् के समान समझते हैं। किन्तु ऐसा नहीं है। हम ने राष्ट्रपति को निर्वाचित किया है। हम ने उन्हें उस स्थान पर प्रतिष्ठित किया है और यह हमारा कर्तव्य है कि उन की गरिमा और सम्मान पर आंच न आये। ऐसा कर के हम स्वयं अपने ही सम्मान को अक्षुण्ण रखते हैं। मैं सभा से अपील करता हूं कि उद्देश्य अपने मित्रों को दण्ड देना नहीं है अपितु

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवदी]

विश्व के सम्मुख यह प्रदर्शित करना है कि हम उचित रूप से आचरण करते हैं, जोकि केवल सभा के अध्यक्ष का ही दायित्व नहीं, जोकि सभा की गरिमा के अभिरक्षक हैं, वरन् एक एसा कर्तव्य है जो इस सभा के प्रत्येक सदस्य को सौंपा गया है।

मेरे मित्र संविधान का सम्मान करते हैं और वह शांतिपूर्ण प्रगति चाहते हैं। वह प्रजातंत्र के भी समर्थक हैं। किन्तु वह सम्भवतः यह विस्मृत कर देते हैं कि वह इस प्रकार के कार्यों से, आक्षेपों से और संविधान को क्षति पहुंचाने वाली परिस्थितियां उत्पन्न करके, कदाचित्, ऐसी शक्तियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं जो इस राष्ट्र के लिए अवास्तविक ही होंगी।

मैं नहीं जानता कि इस प्रदिवेदन की सिफारिशों और जो कुछ श्री मुकर्जी ने कहा है उसमें क्या विभेद है। कम से कम इस अवसर पर वह यह अपेक्षा करते हैं कि हम अमरीकी राष्ट्रपति पद्धति इत्यादि का अनुसरण करें। किन्तु मर्म यह नहीं है। हम ने इस विषय पर पूर्णरूप से विचार किया है। हम अपने मित्रों को किसी प्रकार का दण्ड देना नहीं चाहते। हम ने इस प्रतिवेदन में केवल यही सुझाव दिया है कि उन्हें चेतावनी दे दी जायेगी। जिस समय इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी और इस समिति का गठन हुआ था उस समय सभा ने यह पूर्णरूप से स्पष्ट कर दिया था। इस सभा के विभिन्न पक्षों द्वारा इस विषय में जो निन्दा की गई थी वह प्रतिवेदन की सिफारिशों में संक्षेप में सम्मिलित कर दी गई है। मैं आप से कह सकता हूं, इसे गुप्त बात को प्रकट करना नहीं कहा जा सकता—कि जब समिति में भर्त्सना के विषय में चर्चा हो रही थी, मैं इस शब्द से प्रसन्न नहीं था। किन्तु मुझ से कहा गया कि शब्दकोष में भर्त्सना (रेप्रिमेन्ड) का अर्थ केवल "शासकीय ताड़ना" (ऑफिशल रिब्यूक) है, और कुछ नहीं। श्री मुकर्जी वस्तुतः यह चाहते हैं कि इस प्रतिवेदन के स्वीकार किये जाने से ही प्रयोजन पूर्ण हो जायेगा।

इसलिए मैं सभा से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह सामान्य प्रक्रिया सम्बन्धी कोई विषय होता तो, यह सत्य है कि, इस के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिये कोई स्थान नहीं था। यदि हम इस विषय में अधिक उलझ जाते हैं, यदि हम देश को अपने मन्तव्य से अवगत नहीं करवाते, तो यह उचित नहीं होगा ; क्योंकि सभा का यह दायित्व है कि वह देश और जनता को भविष्य में अनुकरण की जाने वाली प्रक्रिया से अवगत करा दे। मेरा मत है कि यह प्रतिवेदन सर्वथा न्यायसंगत है। मेरे माननीय मित्रों से मेरी यही अपील है। उन के मन में ऐसी भावना प्रतीत होती है कि जैसे वह अदालत में अभियुक्त के रूप में हों और उन्हें दण्डित किया जाने वाला हो। उनसे मेरी अपील है कि यदि वह वास्तव में संविधान का सम्मान करना चाहते हैं, यदि वह वास्तव में इस देश में हिन्दी की उन्नति चाहते हैं, जनता के एक भाग द्वारा लादे जाने से नहीं अपितु ४० करोड़ जनता की सम्मति से, तो उन्हें इस का पालन करना चाहिये और शालीनता के साथ सभा के सम्मुख प्रस्तुत किये गये इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लेना चाहिये।

†**प्रधान मंत्री और सदन के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्। हम संयुक्त सत्र में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण और अत्यधिक अवांछनीय घटना पर विचार कर रहे हैं। इस के सम्बन्ध में सभा की सर्वप्रथम प्रतिक्रिया कड़े अननुमोदन के रूप में हुई और हम ने आप से इस पर विचार करने के लिये विभिन्न पक्षों के प्रतिनिधियों की एक समिति नियुक्त किये जाने की प्रार्थना

†मूल अंग्रेजी में

की । अतएव अब सर्वप्रथम हम उस दिन घटित हुई विशेष घटना पर विचार कर रहे हैं । हम इस घटना की चर्चा निरपेक्ष रूप से, किन्तु फिर भी किसी पृष्ठभूमि की छाया में कर रहे हैं । यह पृष्ठभूमि इस सभा से सम्बन्धित नहीं अपितु अन्यत्र, अन्य विधान सभाओं में हुई घटनाओं से संबंधित है ।

दूसरी बात यह है कि हम हिन्दी के महत्व पर विचार नहीं कर रहे, न ही इस का प्रश्न हमारे सम्मुख है । यह एक पथक विषय है जो सम्मुख आने पर, जिस रूप में आयेगा, विचार किया जायेगा ।

हमारे सम्मुख एकमात्र प्रश्न, जो एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक है, यह है कि इस संसद् का कार्य गरिमा-सहित और कारगर रूप से चलाने के लिए हम कौन से नियम और परिपाटियों की स्थापना करें । संयुक्त सत्र में उपस्थित प्रायः समस्त सदस्यों को इस बात से अत्यधिक धक्का पहुंचा था । यह घटना प्रथम बार ही हुई है और यदि इस पर इस सभा अथवा संसद् के मत की तीव्र रूप से अभिव्यक्ति नहीं की जाती तो यह हमारी प्रजातंत्रीय संस्थाओं विशेषतः संसद् के लिए एक अशुभ दिन होगा । इस संसद् से उचित व्यवहार की ही आशा नहीं की जाती अपितु यह भी आशा की जाती है कि यह शिष्ट व्यवहार के लिये कतिपय सिद्धान्तों और पारिपाटियों की रचना करे । समस्त प्रान्तीय विधान सभाओं पर हमारे द्वारा यहां पर किये गये कार्यों का प्रभाव पड़ेगा और वह उस उदाहरण को अपनाने का प्रयास करेंगी । इसलिये जो कुछ हम यहां करते हैं उस का अत्यधिक महत्व है ।

यह विषय एक समिति को निर्दिष्ट किया गया था और उसके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । मैं समिति का सदस्य तो नहीं था किन्तु इस प्रतिवेदन को पढ़ कर मुझे यह प्रतीत हुआ है कि यह सर्वसम्मत है । मैं इस सबसे अथवा किसी अन्य से सहमत हूं अथवा नहीं इस का कोई महत्व नहीं । हमारा मत विभिन्न हो सकता है किन्तु मेरा विचार है कि यदि विभिन्न पक्षों से गठित इस सभा को कोई समिति, सम्बन्धित पक्षों की बात सुन कर और अन्य साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत यदि किसी सर्व-सम्मत निर्णय पर पहुंच जाती है तो इस सभा में चर्चा किये जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती ।

किन्तु एक बात है जो मुझे प्रकट कर देनी चाहिए । जब मैंने प्रतिवेदन का, कदाचित, पैरा २८ पढ़ा जिस में इस प्रकार की भावी घटनाओं का उल्लेख है और जिस में ऐसी घटना घटित होने पर किसी प्रक्रिया और किसी दण्ड को निश्चित किया हुआ है, तब मुझे प्रथम यह स्पष्ट नहीं हुआ कि उपाध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित संकल्प में इसे क्यों नहीं सम्मिलित कर लिया गया । साथ ही मैं ने यह भी सोचा कि यह एक विशेष विषय है जिस पर विचार किया जा रहा है । हम किसी ऐसे विषय पर विचार नहीं कर रहे जिस के भविष्य में घटित होने की सम्भावना है, क्योंकि अन्ततः वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस रूप में घटित होता है, यह कितना बुरा है और इस की भी सम्भावना है कि यदि यह एक किसी विशेष बुरे रूप में घटित होता है तो सभा का निर्णय वर्तमान निर्णय से कहीं अधिक कठोर हो सकता है । यह सर्वथा सम्भव है । यह मात्र इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस प्रकार घटित होता है । इसलिए सभा का निर्णय अभी किसी भावी अवसर के लिये जो अधिक बुरा हो सकता है किसी प्रक्रिया अथवा किसी निश्चय के लिए सीमित करना उचित नहीं होगा । इसलिए मैं समझता हूं कि जो संकल्प उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत किया था वह पूर्ण रूप से उचित था जिस में यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया गया था कि यह इस विशेष घटना से

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सम्बन्धित है और दुर्भाग्यवश यदि भविष्य में कोई ऐसी या इस से बुरी घटना घटित होती है तो सभा परिस्थितियों को देखते हुए इस पर विचार करेगी और उपयुक्त निर्णय लेगी ।

श्रीमान्, मैं कह सकता हूं कि इस विशेष घटना का मेरे ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा । इस महान अवसर पर यह मात्र शिष्टता भंग करना ही नहीं था—उसका भी प्रभाव मुझ पर पड़ता —किन्तु यह, जैसाकि कहा जा चुका है, एक ऐसी घटना थी जिस के विषय में सावधानी पूर्वक सोचा गया था, यह पूर्वचिन्तित थी और इसके सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी भी हुई थी । यह आकस्मिक रूप से उत्पन्न उत्तेजना अथवा मनःस्थिति नहीं थी । और इस बात से इसे और भी बुरा बना दिया । बाद में सम्बन्धित सदस्यों ने इस का औचित्य सिद्ध किया और प्रत्यक्षतः, सम्भव है, मुझे विदित न हो, यह भी सोचा गया होगा कि इस की पुनरावृत्ति की जाये । इस ने इसे और भी बुरा बना दिया ।

तथापि, अभी हम इस सीमित प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि समिति द्वारा सभा के सम्मुख उपस्थापित प्रतिवेदन के सम्बन्ध में क्या किया जाये । समिति एक सर्वसम्मत निर्णय पर पहुंची है । हो सकता है यदि हम में से कोई और समिति के सदस्य होते थे इस से बुरे या अच्छे और विभिन्न किन्हीं अन्य बातों का सुझाव देते । किन्तु प्रतिवेदन का मुख्य भाग इस कार्य के कड़े अनुमोदन के सम्बन्ध में है । यह समिति की नियुक्ति के समय इस सभा में अभिव्यक्त किये गये विचारों के अनुकूल है । इस के पश्चात् सिफारिशों में कहा गया है कि अनुमोदन उन्हीं सदस्यों का किया जाये जो उठ कर बाहर नहीं गये थे और शेष सदस्यों की जो एक विशेष मुद्रा में, या कहिये नाटकीय मुद्रा में उठ कर बाहर चले गए थे, इस से अधिक, भर्त्सना की जाये । मैं निवेदन करूंगा कि यह न्यूनतम है जो सभा कर सकती है । अन्यथा समिति का प्रतिवेदन, उस के विचार, सभा की समिति द्वारा की गई सर्व-सम्मत सिफारिशों को ही अस्वीकार नहीं किया जायेगा अपितु मैं समझता हूं, यह भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा—इस सभा के लिए भी बुरा और भारत में अन्यत्र संसदीय प्रक्रिया के विषय में भी ।

इसलिये, मैं निवदन करता हूं कि अभी हम समिति के प्रतिवेदन को ही स्वीकार कर लें और उनकी सिफारिशों की पूर्णरूप से कार्यान्विति करें, जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि यदि भविष्य में कोई ऐसी घटना हो जाये, अथवा किसी महान अवसर पर अशिष्ट रूप से कोई व्यवहार किया जाये, तब हम उस पर उसी समय और उसी रूप में विचार करेंगे जिस रूप में सभी उचित समझें । सभा के इस वाद-विवाद में और इससे पूर्व अभिव्यक्त विचारों को देखते हुए । निस्सन्देह, यदि इसकी पुनरावृत्ति हुई, तो हम इसे गम्भीर रूप से लेंगे । किन्तु अभी के लिये मैं आपसे और सभा से निवेदन करूंगा कि कम से कम जो कुछ हम कर सकते हैं वह यही है कि इसे स्वीकार करें और इस सभा को, देश को और देश की विधान सभाओं को ऐसा आभास दें कि संसद जैसी उच्च सभाओं और भारत की अन्य प्रतिनिधि सभाओं से अपेक्षित व्यवहार का हम अक्षरसः अनुपालन करेंगे । हमें उनके लिये उदाहरण प्रस्तुत करना है और यदि हमने इस विषय में किसी प्रकार की दुर्बलता दिखाई तो यह संसद और हमारे भावी कार्यों के लिये एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा । इसलिये, मैं निवदन करता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव हमें अधिक तर्क किये बिना ही स्वीकार कर लेना चाहिये ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** श्रीमान्, प्रधान मंत्री ने मेरा भाषण नहीं सुना, यह उनका दोष नहीं था। मैं भी समिति का सदस्य था। मैं ने सभा से कुछ समय पूर्व कह दिया था कि मैंने प्रतिवेदन तैयार करने में भाग नहीं लिया। मैंने अपने विचार भेज दिये थे। अन्तिम रूप से विचार-विमर्श करते समय मैं उपस्थित नहीं था। इसलि इसमें मेरा योग नहीं है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण संक्षिप्त करने का प्रयास करें।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** श्रीमान्, मैं निश्चय ही सर्वथा आपके निदेशों का पालन करता हूं किन्तु संभवतः इस अवसर पर मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। यह ऐसा अवसर नहीं है कि जब सभा कुछ विचारों का स्वागत करे और कुछ की निन्दा करे। श्रीमान्, आपने सभा से सत्य ही कहा था कि हम में से प्रत्येक अपने आप में एक न्यायालय है और प्रस्ताव के पक्ष अथवा विपक्ष में जो भी कुछ कहा जाये उसे हम सुनें और इसके पश्चात् निष्पक्ष रूप से किसी निर्णय पर पहुंचें। हमने यहां बहुत से माननीय मित्रों के भाषण सुनें। श्री यादव द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों को भी मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। बिना किसी उत्तेजना के उन्होंने सभा में इस बात के कारण बताये हैं कि क्यों उन्होंने उस विशेष रूप में व्यवहार किया। तथापि, श्रीमान्, हमारे देखने के लिये जो बात है वह यह है कि क्या हम ब्रिटिश संविधान का अनुसरण करते हैं अथवा अपने का, अथवा हाउस आफ कामन्स की कार्य प्रणाली का या इस सभा के प्रक्रिया संबंधी नियमों का। एक तथ्य जो विस्तृत नहीं किया जा सकता वह यह है कि राष्ट्रपति के प्रति किसी भी प्रकार का असम्मान, चाहे वह असावधानता-पूर्वक ही किया गया हो, राष्ट्र का असम्मान है।

स्वयं मैंने और मेरे पक्ष ने सर्वदा हिन्दी की मांग को दोहराया है। मैं यह मांग करने में सर्व-प्रथम हूं कि राष्ट्र भाषा होने के नाते राष्ट्र को हिन्दी की ओर बढ़ना है। किन्तु यह मेरे लिये उस मांग को प्रस्तुत करने का अवसर नहीं है।

यह सर्वथा सत्य है कि श्री राम सेवक यादव की यह शिकायत, कि समिति के दो सदस्य पूर्वाग्रह-पूर्ण थे, उचित है। किन्तु साथ ही उन्हें यह भी याद रखना चाहिये कि समिति में जो कुछ हुआ उसे में यहां प्रगट नहीं कर सकता। वहां पर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया गया था। चर्चा का विषय केवल यही था कि ऐसी सभा में सदस्यों का आचरण किस प्रकार का हो। हमारी चर्चा का यही विषय था। किन्तु मैं कह सकता हूं कि हम एक सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुंचे। संभवतः, श्री मुकर्जी ने ठीक ही कहा है कि वह उस समय उपस्थित नहीं थे। एक बैठक में मैं भी उपस्थित नहीं था। किन्तु फिर भी सर्वसम्मत मत यही था कि यह प्रतिवेदन ही जो इस समय सभा के सम्मुख प्रस्तुत है, हमारे विचार-विमर्शों का एकमात्र परिणाम है।

श्री रामसेवक यादव के तर्क सुनने के उपरांत एक बात है जिसे मैं अनुभव करता हूं। यह सत्य है कि जिस प्रकार मैं अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता हूं उस प्रकार अभिव्यक्त करने का कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि अब मैं कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकता। किन्तु मैं एक सुझाव पेश करूंगा। चूंकि सदन नेता अपना भाषण दे चुके हैं/मैं पुनः उनसे और विशेषतः आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप किसी को दंड दें ही रहे हैं तो वह दंड इतना उपयुक्त और उचित हो कि उसमें किसी प्रकार के वैमनस्य की भावना न हो। न्याय किया जाये किन्तु यह अनुभव भी किया जाये कि न्याय किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० मू त्रिवेदी]

श्री रामसेवक यादव और अन्य सदस्यों की एक यह शिकायत है कि उन्हें यह भर्त्सना दी जायेगी। इसलिये मैं यह सुझाव दूंगा, यदि सभा सहमत हो, कि जहां तक उन दो सदस्यों का संबंध है, जिन्होंने घटना के ऊपर खेद प्रकट किया और जिन्होंने यह कहा, जैसाकि उन्होंने समिति के सम्मुख कहा था, कि उनकी किसी भी प्रकार का अपमान करने की अथवा कोई ऐसा कार्य करने की इच्छा नहीं थी जिसका अभिप्राय राष्ट्रपति का अपमान करना हो, उनके व्यवहार को क्षमा कर दिया जाये। और जहां तक तीन अन्य सदस्यों का संबंध है मैं यह कहूंगा कि जैसे नागनाथ वैसे ही सांपनाथ—इन दोनों में कोई विशेष विभेद नहीं किया जाना चाहिये। यही हमारे लिये पर्याप्त होगा यदि हम उनके व्यवहार का अननुमोदन करें।

इस कथन के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये आपकी सेवा में खड़ा हुआ हूं कि इस संबंध में जो मेरे विचार हैं, उनको रख सकूं। मैं धर्म शास्त्रकार की व्यवस्था को पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं :—

सभां वा न प्रवेष्टव्यम्
वक्तव्यं वा समंजसम्
अब्रुवन् विब्रुवन्वापि
नरो भवति किल्विषी

या तो सभा सदस्य सभा में न आये और अगर सभा में आये और सच न बोले तो वह पापी हो जाता है। प्रार्थना करने का अधिकार सब को है, प्रार्थना करना कहीं जुर्म नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी से कांस्टीट्यूशनल राइट्स के अन्दर रहते हुये सच्ची बात उन्होंने की और महामहिम से प्रार्थना की। ऐसा करते हुये उन्होंने अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग किया और महामहिम से प्रार्थना की कि कांस्टीट्यूशन के मुताबिक वह बोलें। बाप अगर सो रहा हो और सूरज चढ़ आया हो और आठ बज जायें और बेटा कहे कि पिता जी यह सोने का वक्त नहीं है, उठने का वक्त है तो यह कोई जुर्म नहीं माना जा सकता है। सोलह साल के लम्बे अर्से में जब हिन्दी नहीं आ सकी तो और अगर कोई सदस्य खड़े होकर यह कहे कि हिन्दी में बोलियेगा तो संसार के किसी कांस्टीट्यूशन में भी यह जुर्म नहीं है। बड़ी नम्रता के साथ उन लोगों ने अपील की, प्रार्थना की, निवेदन किया, रिक्वेस्ट की और ला को अपने हाथ में नहीं लिया, शोर नहीं मचाया, डिसिप्लिन भंग नहीं किया। उनकी प्रार्थना जब नहीं सुनी गई तो वे उठ कर चले गये।

सरकार की तरफ से जो अपराध हुआ वह यह हुआ कि संसार का यह जो कायदा है कि महारानी पहले आती है, बांदी उसके बाद आती है, इसको तोड़ा गया। यहां महारानी बाद में रखी गई और दासी पहले आ गई। हिन्दी भाषा का स्थान महारानी का स्थान है, अंग्रेजी का स्थान बांदी का स्थान है। राष्ट्र की जितनी भी प्रादेशिक भगषायें हैं, उन सब के लिये हमारे दिलों में सम्मान है, इज्जत है, चाहे वह गुजराती हो, मराठी हो, तमिल हो, पंजाबी हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो।

हमारे कांस्टीट्यूशन की सब से बड़ी खूबी यही है कि हमें इसके द्वारा बोलने की आजादी दी गई है और बोलने की आजादी का प्रयोग अगर हम सदन में नहीं करेंगे, राष्ट्रपति जी के सामने नहीं करेंगे, आपके सामने नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? प्रधान मंत्री जी अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध हैं। मैं उनसे अपील करना

चाहता हूं, कि वह इस पर दुबारा सोचें और जिन लोगों ने आज हिन्दी माता की या राष्ट्र की दूसरी भाषाओं, प्रादेशिक भाषाओं की याद दिलाई है, उनको देखें कि वे देशभक्त हैं। वे अपनी दरियादिली के लिए मशहूर हैं और मैं चाहता हूं कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करें। इन लोगों ने वही बात कही है जो प्राय: वन्दनीय लोकमान्य तिलक ने उस वक्त कही थी जबकि उनको सात साल की सजा सुनाई गई थी कि, 'यद्यपि ज्यूरी ने आज मुझे अपराधी ठहराया है, पर मैं निर्दोष हूं यह मेरी आत्मा ने बतलाया है"। आज जो उनको सजा दी जा रही है, जो उनको वार्निंग दी जा रही है, वह न दी जाए और मैं प्रधान मन्त्री जी से तथा आपसे भी अपील करता हूं कि उनको क्षमा कर दिया जाए। "क्षमा बड़न को चाहिए", वाले उसूल पर हम को अमल करना चाहिये। बड़ों का काम है कि वे क्षमा कर दें। मैं चाहता हूं कि इस मामले पर ठंडे दिल से गौर किया जाए और उदारता से काम लिया जाए। जो कुछ हुआ है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये। आपके साथ मैजोरिटी है, वह वक्त की बात है। पोप के साथ भी मैजारिटी थी, लूथर के साथ नहीं थी। लेकिन आज संसार लूथर को याद करता है, पोप को याद नहीं करता है। इस मैजारिटी के भरोसे अंग्रेज कहा करता था कि जो नव्वे हजार आदमी गांधीजी जी के साथ जेल गए हैं, वे माइनोरिटी में हैं, बाकी ३५करोड़ १० लाख हमारे साथ हैं। मैजोरिटीका ख्याल करके, अपनी पाबदिन्यों का खयाल करके और साथ ही साथ देशभिक्त का खयाल करके आप इस समय व्यवहार करें। यह बात मैं राष्ट्रपति जी के ही शब्दों में आप से कह रहा हूं। उन्होंने सदन में यह कहा था उनको जो सदस्य वहां बैठे हुए थे कि दूसरों के विचारों के प्रति हमें सहिष्णुता रखनी चाहिये और विरोधी विचारों को हमें बड़ी सहनशीलता के साथ सहन करना चाहिये। उनकी इस बात का आपको भी आदर करना चाहिये। दिव्य पुरुष महात्मा गांधी की भी यही एक छोटी सी बात मैं कह देना चाहता हूं। उन्होंने एक हज़ार बार कहा था कि हिन्दी के बिना हिन्दुस्तान का अस्तित्व नहीं रह सकेगा। जिन भाइयों ने हिन्दी के नाम पर, राष्ट्र भाषा के नाम पर या प्रादेशिक भाषाओं के नाम पर अपील की थी उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। आपकी उदारता, आपकी फैयाज़ी आपकी दरियादिली में मुझे पूरा विश्वास है और मैं आशा करता हू कि आप मामले को यहीं खत्म कर देंगे, आगे नहीं ले जायेंगे। लाइक प्रोड्यूसिस लाइक। दुनिया में नेकी से नेकी पैदा होती है। यह एक गोल्डन रूल है। इसको देखते हुए मैं समझता हूं कि इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अब तकरीरों की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा तकरीरें हो गई हैं। अब हर एक माननीय सदस्य को दो तीन मिनट में खत्म कर देना चाहिये।

†**डा० मा० श्री० अणे०** (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, सभा इस समय एक न्यायालय के रूप में बैठी हुई है, इस प्रतिवेदन पर चर्चा कर रही है और इसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर रही है। इसलिये इस विषय पर एक न्यायाधीश के रुप में विचार करना है, किसी विशेष भावावेश में अथवा अन्य किसी दृष्टि से नहीं। वह कौन से प्रश्न हैं जिन पर इस सभा ने निश्चय लेना है अथवा अपना मत व्यक्त करना है ? पहले हिन्दी में अभिभाषण देने की प्राथना की गयी इसके पश्चात् बहिर्गमन किया गया। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या कुछ सदस्यों द्वारा संयुक्त सत्र में की गई प्रार्थना स्वयं में एक एसा आचरण है जो संयुक्त सत्र अथवा राष्ट्रपति के लिये अपमानजनक है। संयुक्त सत्र की बैठक होते समय उसके प्रति अपमानजनक होना दूसरी बात और राष्ट्रपति के प्रति अपमान दूसरी मैं इन दोनों बातों में विभेद करना चाहूंगा और इन पर एक-एक करके अपना मत व्यक्त करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मा० शी० अणे०]

जहां तक राष्ट्रपति से यह प्रार्थना किये जाने का सम्बन्ध है कि भाषण हिन्दी में किया जाये, मैं समझता हूं, कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह, स्वयं में किसी सदस्य द्वारा किया जाने वाला अपमान कही जा सकती है। न हीं इसका अर्थ राष्ट्रपति अथवा सभा का निरादर लगाया जा सकता है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि इससे सभा की गरिमा और प्रतिष्ठा का सम्बन्ध है और इसीलिये सभा का अपमान हुआ है। भावावेश में इसका एसा अर्थ लगाया जा सकता है किन्तु जहां तक इसके वैधिक पहलू का सम्बन्ध है किसी के द्वारा ऐसी प्रार्थना किये जाने से न तो सभा का ही न ही राष्ट्रपति का अपमान हुआ है।

राष्ट्रपति से हिन्दी में भाषण दिये जाने की प्रार्थना की गई थी और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कुछ सदस्यों ने बहिर्गमन कर दिया। वस्तुतः विचार यही करना है कि क्या इस बहिर्गमन द्वारा अपमान किया गया है और यदि हां, तो किसका। जहां तक बहिर्गमन का सम्बन्ध है यह सामान्यतः बात से असहमति व्यक्त करने की रीति है। जहां तक संयुक्त सत्र का सम्बन्ध है इस बहिर्गमन द्वारा सत्र की प्रतिष्ठा पर कोई आघात नहीं पहुंचा है। किन्तु जहां तक राष्ट्रपति का सम्बन्ध है, उनकी स्थिति विभिन्न है क्योंकि वह संविधान द्वारा उनके ऊपर सौंपे गये दायित्व के कारण आये थे और उन्होंने हमें वहां उपस्थित रहने के लिये निमन्त्रित किया था। दूसरी बात यह है कि उन्होंने व्यक्तिगत पत्र-व्यवहार में यह भी आभास दे दिया था कि वह अंग्रेजी में भाषण देंगे। मैं नहीं समझता कि इस अवसर पर हमारे उनका ऐसा करने के कारणों से कुछ सम्बन्ध है। इसलिये जब सदस्य सभा में आये तब वह जानते थे कि राष्ट्रपति अंग्रेजी में बोलेंगे। इसलिये अपना कर्तव्य पूर्ण करने के पश्चात् उनका यह उत्तरदायित्व था कि वह इस बात का ध्यान रखते कि वह इस प्रकार का व्यवहार न करें जो राष्ट्रपति के प्रति असम्मानपूर्ण हो। यदि वह उनका भाषण अंग्रेजी में सुनना नहीं चाहते थे तो वह अनुपस्थित अथवा सदन के बाहर ही रहते; क्योंकि लिख कर यह प्रार्थना करने के पश्चात् कि वह हिन्दी में बोलें उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। किन्तु सत्र में उपस्थित होने और फिर बहिर्गमन करने का अर्थ यह है कि वह स्वयं राष्ट्रपति के विरुद्ध अपना कामतः अननुमोदन अभिव्यक्त करना चाहतेथे। राष्ट्रपति के आचरण का अननुमोदन करना मेरे विचार में, स्वयं एक ऐसा कार्य है जो अपमानजनक है और सभा को उसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

उस बारे में मैं केवल यही कहूंगा। जब हमने यह विषय एक समिति को सौंपा था तब हमने उनके आचरण के विरुद्ध अपना अनुमोदन प्रकट किया था। पुनः हम उसकी पुनरावृति करेंगे। औपचारिक रूप से उनकी भर्त्सना करके विषय को यही समाप्त कर देना चाहिये। हमें इसके विषय में कुछ अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये। यदि ऐसी घटना की फिर कभी पुनरावृत्ति की जाती है तब, मैं सदन नेता द्वारा कही गई इस बात से सहमत हूं, उसे उस मामले की परिस्थितियों को देखते हुए गम्भीर रूप से लिया जाना उचित होगा।

†**श्री खाडिलकर** (खेड़): अध्यक्ष महोदय, इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सदन-नेता के कथन का मैं पूर्णतः समर्थन करता है। मेरा मात्र यह सुझाव है कि दण्ड की मात्रा में स्वल्प परिवर्तन कर दिया जाये। उन्होंने इस प्रश्न को इसकी पृष्ठभूमि से पृथक् कर दिया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनका आचरण अशिष्ट था, किन्तु, इस समय, जबकि भाषा हमारी राजनीति में एक अत्यधिक भावनात्मक विषय बन चुकी है, वह आचरण एक अलग बात है और उसकी पृष्ठभूमि एक अलग।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिए हमें इसे इतनी सरलता से पृथक नहीं कर देना चाहिए। जब राजनैतिक अपराधियों के समान कुछ तत्व सभा में कुछ कार्य करते हैं तब हमें उस समस्या पर विचार करना चाहिये, उन्हें अवसर दिया जाना चाहिये और तत्पश्चात् अपनी पूर्ण अप्रसन्नता या अनुमोदन व्यक्त कर देना चाहिये जिससे वह भविष्य में ऐसा व्यवहार करें कि सभा की प्रतिष्ठा बनी रहे। इसलिये मेरा सुझाव है कि दण्ड की मात्रा के प्रश्न से यदि हमें उनकी भर्त्सना करने के स्थान पर उनके कार्य का कड़ा अनुमोदन करें तो भी न्याय का प्रयोजन पूर्ण हो जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं प्रत्येक सदस्य को २ मिनट से अधिक नहीं दे सकता।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर** (क्विलोन) : अध्यक्ष महोदय, सदन नेता और मेरे माननीय मित्र श्री खाडिलकर के विचारों का समर्थन करने के साथ ही, उन्हीं कारणों से, मैं यह कहूगा कि या तो दण्ड प्रतिरोधात्मक हो अथवा बहुत हलका, क्योंकि अन्तर्ग्रस्त विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यह हिन्दी भाषी के विरुद्ध अहिन्दी भाषी जनता के प्रश्न को उत्पन्न करने वाला है। यह एक बड़ी मात्रा तक हमारी एकता को अव्यवस्थित कर देगा। कुछ वर्ष पूर्व हम लोगों ने अपने स्कूलों में हिन्दी सीखना आरम्भ कर दिया था। इसके बाद हम अपने अधिकतम प्रयत्नों के पश्चात् भी हिन्दी में उन्नति नहीं कर सके। यदि वर्तमान प्रवृत्ति ही चलती रही तो अहिन्दी भाषी राज्यों का कोई भी नागरिक कभी भी भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकेगा, न तो अभी न ही भविष्य में। यह एक बात है, दूसरी बात यह है कि हमें यह देखना है कि जहां तक एकरुपता लाने का प्रयत्न करें वहां साम्यता लाने का भी करें। भारत के विभन्न राज्यों में साम्यता उत्पन्न नहीं की जा सकती। जब तक कुछ व्यक्ति तो हिन्दी भाषी क्षेत्रों में पैदा हों और पलें और कुछ क्षेत्र ऐसे हों जहां यह एक विदेशी भाषा हो और फिर भी हिन्दी को राजभाषा ही रखा जाये। जिस समय भारत स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष कर रहा था उस समय हम में अधिक एकता थी क्योंकि हर राज्य की अपनी भाषा थी और अंग्रेजी सामान्य भाषा थी। इसलिये मेरा निवेदन है कि शेष भारत को भी, जहां तक सम्भव हो, पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये जिससे वह हिन्दी में निपुण हो जायें। इसके स्थान पर यदि हम इसे पहले ही लादना चाहेंगे, जैसा कि किया जा रहा है, तो यह अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के प्रति अन्याय होगा। पहले ही समस्त भारत में शोर मचाया जा रहा है कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के साथ विभेद किया जा रहा है।

अन्त में, मैं फिर कहुंगा कि दण्ड या तो प्रतिरोधात्मक हो अथवा बहुत हलका। इसलिये मैं भर्त्सना के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। किन्तु उदाहरणार्थ, यदि मैं उनके स्थान पर होता तो मैं भर्त्सना स्वीकार नहीं करता। मैं खड़े होकर भर्त्सना सुनने के स्थान पर निलम्बन को अधकि अच्छा समझता। मैं नहीं जानता कि वह क्या करने जा रहे हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं कि लोक सभा ने आज के लिये जो कुछ कार्यक्रम सोचे हुए थे उनके सम्बन्ध में, इस कार्रवाई के लम्बे होने से, आप को भी शीघ्रता है और इसीलिये आपने समय की भी कुछ अवधि निर्धारित की है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि इस पार्लियामेंट के इतिहास में और विधान बनाने वाली सभाओं के इतिहास में भी आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी समय, और बढ़ा दें, तो ठीक हो।

अध्यक्ष महोदय : समय बहुत हो गया है। आप बोलें, मैं आपको दो की जगह तीन मिनट दे दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : धन्यवाद । मैं निवेदन कर रहा था कि राष्ट्रपति जी के भाषण के समय जो घटना हुई, जिसके सम्बन्ध में यह समिति बिठलाई गई थी, उस बहिष्कार वाले व्यवहार के प्रति मैं उन व्यक्तियों में था जो हिन्दी का समर्थक होते हुए भी उतने अंश का समर्थक नहीं था । परन्तु समिति का निर्णय आने के पश्चात् समिति ने जिस कठोरता से अपने निर्णय दिये हैं, मुझे संविधान को पढ़ने की आवश्यकता हुई, और संविधान के आधार पर ही मैं आपसे एक दो बातें निवेदन करना चाहता हूं ।

एक बात तो यह कि जब संसद् के दोनों सदन एक स्थान पर एकत्रित हों तो उसके लिये इस संविधान में कोई विशेष कार्य पद्धति नहीं है । जहां तक सदस्यों के सम्मान और विशेषधिकार का सवाल है, उसके सम्बन्ध में संविधान की धारा १०५(३) में लिखा गया है । अगर कहीं इस प्रकार का कोई विधान या व्यवस्था नहीं है तो उसके लिये लिखा है :

> "(३) अन्य बातों में संसद् के प्रत्येक सदन की तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जैसी संसद् समय समय पर विधि द्वारा परिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार परिभाषित नहीं की जातीं, तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस आफ कामन्स की तथा उसके सदस्यों और समितियों की है ।"

जिस समय श्री त्यागी भाषण दे रहे थे, मैं सोच रहा था कि सम्भव है वह कोई इस प्रकार के उदाहरण हाउस आफ कामन्स के दें जबकि वहां पर क्वीन भाषण देने के लिये आई हों और उस समय सदस्यों ने उसका बहिष्कार किया हो तब कोई विशेष पद्धति अपनाई गई हो । जब वहां कोई विशेष पद्धति नहीं अपनाई गई और कोई उदाहरण इस प्रकार का नहीं है तो आज हमारे लिये आवश्यक है कि हम नये सिरे से इस बात पर निर्णय लें कि जब दोनों सदन बैठे हों और राष्ट्रपति भाषण देने के लिये आयें तो उस समय क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिये । जहां तक राष्ट्रपति के किसी भाषा में भाषण देने का सम्बन्ध है संविधान में यह बहुत स्पष्ट है । मैं समझता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने जहां भाषा के बारे में संविधान पढ़ा उस से एक पंक्ति आगे पढ़ना वह भूल गए । माननीय डा० राजेन्द्र प्रसाद जोकि हमारे पहले राष्ट्रपति थे वह जो हिन्दी में अपना भाषण देते थे तो इस का कारण केवल मात्र उन का हिन्दी के प्रति अनुराग ही नहीं था, बल्कि वास्तविकता यह थी कि ऐसी संविधान की व्यवस्था भी थी । संविधान में यह व्यवस्था स्पष्ट है :

> "संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी ।"

और आगे इस की व्याख्या करते हुए खंड (२) में कहा गया है :

> "खंड (१) में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी जिन के लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी ।"

तो संविधान लागू होने से ठीक पहले कभी राष्ट्रपति भाषण देने नहीं आए थे । और उस समय तक राष्ट्रपति का भाषण किसी भी भाषा में नहीं हुआ था । जब संविधान के ठीक पहले राष्ट्रपति का भाषण ही नहीं हुआ, तो इस का अभिप्राय: यह है कि राष्ट्रपति का भाषण हिन्दी में ही होना चाहिए था, किसी दूसरी भाषा में राष्ट्रपति का भाषण इस संविधान के अनुसार नहीं हो सकता था ।

अन्त में मैं एक विनम्र अनुरोध आप से करना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने अपना सुझाव दिया है। मेरा अपना अनुमान है कि इस प्रकार का ऐतिहासिक निर्णय लेते समय जहां प्रधान मंत्री जी को असेम्बली या दूसरे स्थानों में होने वाले प्रदर्शनों की चिन्ता थी, वहां संसद् सदस्यों की और मानवीय भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए अपनी सम्मति देनी चाहिए थी। यह सम्मति वह आगे के लिए देते तो ठीक था। वरना मैं आप से नम्रता से कहना चाहता हूं कि जब उपराष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन उरदू को लिपि में लिख कर अपना भाषण हिन्दी में पढ़ सकते थे उसी तरह यदि राष्ट्रपति डा० राधा कृष्णन अपने भाषण की दो पंक्तियां हिन्दी में पढ़ देते और कह देते कि मेरा बाकी भाषण उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो आज देश में न यह चर्चा होती और न यह अशोभनीय घटना होती। देश के मानस पटल पर भी यह प्रभाव न पड़ता जो आज पड़ रहा है।

अन्त में मेरा निवेदन है कि मैं समिति के निर्णय से बिलकुल सहमत नहीं हूं और इस का घोर विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : डा० गोविन्द दास जी को बुलाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। शास्त्री जी ने कहा कि इंगलैंड में ऐसी चीज नहीं हुई। मैं उन को पंजाब के स्पीकर के एक बयान का हवाला देना चाहता हूं जोकि उन्हों ने पंजाब में जब उन की गवाही हुई उस वक्त दिया था। पंजाब के स्पीकर सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लन ने कहा था कि उन की हाउस आफ कामन्स के स्पीकर से बात हुई तो उस के बारे में उन्हों ने कहा था। जब वह यू० के० में थे तो सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न व्यक्ति के अभिभाषण के अवसर पर उद्धत व्यवहार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। "हम इस की कल्पना ही नहीं कर सकते" यह सही शब्द थे जो अध्यक्ष द्वारा समिति के समक्ष कहे गये थे। "उस की कल्पना नहीं की, जा सकती क्योंकि राज्याधीश राजनीतिक द्वेषों से ऊपर होता है, जिस पर राजनीति की हलचलों का प्रभाव नहीं होता। इसलिए उन की उपस्थिति में किसी प्रकार के विरोध, जैसे सदन-त्याग करना, आदि, संवैधानिक दृष्टि से अनुचित होते हैं।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न से कुछ हिन्दी भाषा का प्रश्न इतना उलझ गया है कि इस प्रश्न को जिस दृष्टि से देखा जाना चाहिए उस दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है।

आप जानते हैं कि मैं हिन्दी का एक छोटा सा सेवक हूं और हिन्दी का समर्थक हूं। मेरा निवेदन है कि हिन्दी का समर्थन एक बात है और उस दिन राष्ट्रपति जी के भाषण के समय जो अशोभनीय घटना हुई वह बिल्कुल दूसरी बात है। वह घटना हिन्दी के प्रश्न पर न हो कर और किसी प्रश्न पर होती तब भी हमारी वही स्थिति होती जो हिन्दी के प्रश्न पर होने वाली घटना पर हुई है।

मेरा आप से यह निवेदन है कि हम अपने इस प्रजातंत्र के बाल्यकाल में कुछ परम्पराएं स्थापित करना चाहते हैं। उन परम्पराओं में हमें राष्ट्रपति के सम्मान, इस सदन के सम्मान और इस के साथ सहिष्णुता की भी परम्पराएं स्थापित करनी हैं। मेरा निवेदन है कि हिन्दी के प्रश्न को हमें इस प्रश्न से अलग रखना चाहिए। मुझे बड़ा हर्ष होता यदि राष्ट्रपति जी का भाषाण हिन्दी में होता, मैं चाहूंगा कि भविष्य में राष्ट्रपति जी का भाषण हिन्दी में हो तथा हमारे राज्यपालों के भाषण भी हिन्दी में हों और जितनी भी कार्रवाई है वह सब हिन्दी में हो। आप जानते हैं कि मैं यह भी जाहिर कर चुका हूं कि १९६५ के बाद अंग्रेजी चलाने के सम्बन्ध में जो विधेयक आने वाला है मैं उस के

[डा० गोविन्द दास]

पक्ष में नहीं हूं । यह सब होते हुए भी मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि जो अशोभनीय घटना उस दिन हुई और जिस पर यह कमेटी बैठी और आज हमारे सामने उस कमेटी की सर्व सम्मत रिपोर्ट आई है, इस सम्बन्ध में जो कुछ भी प्रधान मंत्री जी ने कहा है मैं उस के एक एक अक्षर का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है वह समूची, हिन्दी के प्रश्न को अलग रख कर, जैसी की तैसी स्वीकार की जाए ।

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत बहस हो चुकी, मैं इस मोशन को हाउस के सामने रखना चाहता हूं ।

एक माननीय सदस्य : एक मिनट . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए । काफी बहस हो चुकी ।

मैं एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि एक सवाल मूवर ने भी उठाया था और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि २८वां पैराग्राफ इस में शामिल नहीं किया गया । तो जब मेरे पास यह मोशन आया था तो मैं ने भी इस को सोचा था । एक सिफारिश तो इस में भी है मगर वह शामिल नहीं हो सकती थी । २८वें पैराग्राफ में जो चीज है वह कमेटी की टर्म्स आफ रेफरेंस में नहीं आती । मैं ने कमेटी को सिर्फ उस दिन के वाकए के बारे में जांच करने को कहा था और कोई दूसरी चीज उस को नहीं दी थी । मूवर साहब ने कहा कि दूसरी चीज यह हो सकती है कि आयन्दा के लिए एडमोनीशन से लेकर एक्सपल्शन तक की पनिशमेंट हो सकती है और वह इस बात पर निर्भर करेगी कि उस वक्त हालत क्या होगी, क्या ग्रेविटी होगी, क्या सरकम्सटेंसेज़ होंगे, कितनी सीरियस बात होगी । छोटी से छोटी बात को शायद भुलाया जा सके और बड़ी से बड़ी बात हो तो उस में हम पाबन्दी नहीं कर सकते । इस वास्ते एक्सपल्शन तक का जब हाउस को अख्तियार है तो उस में यह कहना कि एक साल तक हम करेंगे अगर आयन्दा ऐसा होगा तो यह बात शोभनीय नहीं थी और न कमेटी के अख्तियार में थी । इसलिए जिस वक्त मेरे पास मोशन आया उस वक्त मैं ने इस को शामिल नहीं किया । यह सवाल उठाया गया था, इसलिए मैं ने यह बात हाउस के सामने रखी है ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय . . .

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खत्म कर चुका । प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कुछ सदस्यों के आचरण संबंधी समिति की रिपोर्ट के, जो १२ मार्च, १९६३ को सभा में पेश की गई थी, पैरा २६ और २७ में की गई सिफारिशों से सहमत है ।"

जो सदस्य इस के पक्ष में वह कृपया 'हां' कहें ।

†**कई माननीय सदस्य :** हां ।

†**अध्यक्ष महोदय :** जो इस के विपक्ष में हैं वह कृपया 'नहीं' कहें ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** 'हां' वाले सदस्य अधिक हैं ।

†**कुछ माननीय सदस्य :** 'नहीं' वाले सदस्य अधिक हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं उन माननीय सदस्यों को जो इस के विपक्ष में हैं, अपने स्थानों में खड़े होने का अनुरोध करता हूं ।

विपक्ष में ३० सदस्य हैं ।

अब मैं उन माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह अपने स्थानों में खड़े हो जायें जो इस के पक्ष में हैं ।

बहुमत इस के पक्ष में है । इसलिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री किशन पटनायक :** अध्यक्ष महोदय : मैं सभा का त्याग करता हूं ।

[इसके पश्चात् श्री किशन पटनायक सभा से उठ कर बाहर चले गये]

अध्यक्ष महोदय : सभा द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में, राम सेवक यादव, मनी राम बागड़ी और बी० एन० मण्डल । संविधान के आर्टिकिल ८७ के अधीन १८ फ़रवरी, १९६३ को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के सामने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान आप के आचरण को सभा ने नामुनासिब, गौरवहीन और एक संसद् सदस्य के लिए अशोभनीय तथा प्रचलित परिपाटी के विपरीत और उस महान् अवसर के प्रतिकूल ठहराया है । आप के आचरण की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति को आप ने जिस प्रकार के बयान प्रस्तुत किये हैं, उन से आप के अपराध की गुरुता और बढ़ गई है ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान आप के इस नामुनासिब, गौरवहीन और अशोभनीय आचरण के लिए और बाद में आप के आचरण की जांच करने के लिए नियुक्त की गई समिति के सामने आप ने जो बयान दिये हैं, जिन से आप के अपराध की गुरुता और बढ़ गई है, उस के लिए मैं सभा की ओर से आप का वाक्ताड़न करता हूं ।

मैं इसे अंग्रेज़ी में भी पढ़ देता हूं ।

अनुदानों की माँगें--जारी

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय--जारी

†**डा० सरोजिनी महिषी** (धारवाड़-उत्तर) : हमारी गुटों से अलग रहने की नीति स्वयं एक लक्ष्य न हो कर केवल एक माध्यम है । हमारी नीति से इस देश; लोकतंत्रात्मक संस्थाओ की नीव अधिक पुष्ट हो गई है । इसी नीति के अनुसरण करने के फलस्वरूप हमें पश्चिम देशों आदि से प्रत्येक प्रकार की सहायता प्राप्त कर सके हैं । अतः यह नीति सफल रही है बेशक इस नीति की आलोचना भी की जाती है और यह इस समय परीक्षण काल से गुजर रही है ।

आज हमारे देश के सामने दो मुख्य समस्यायें हैं : चीनी आक्रमण और पाकिस्तान से सीमा सम्बन्धी विवाद । चीन द्वारा आक्रमण करना और फिर स्वयं पीछे हट जाना और विकर स्थिति उत्पन्न करना, यह सब उस की युगों पुरानी कूटनीतिक चाल के अनुकूल है । एक पूर्ववक्ता ते यह विचार

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[डा० सरोजिनी महिषी]

व्यक्त किया कि चीन की नीति के फलस्वरूप भारत संकलित हो गया है, परन्तु यह कहना सर्वथा गलत फहमी है। वास्तव में विभिन्न देशों में चीन की आलोचना हो रही है। श्रीलंका के टाइम्स में और वियतनाम के टाइम्स नें चीन की नीति के विरुद्ध लिखा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जब से हम ने देश का बंटवारा स्वीकार किया तभी से पाकिस्तान के साथ झगड़ा चल रहा है।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि भारत चीन के आक्रमण का सामना करने के लिये तैयार नहीं था, परन्तु जब तक किसी देश की आक्रमणकारी प्रवृत्ति न हो तब तक पहले से ही तैयार रहना सम्भव नहीं होता। चीनी और साम्यवादी नेताओं की रग रग में युद्ध की प्रवृत्ति पाई जाती है ?

हमें अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को अधिक सशक्त बनाने का प्रयत्न करना चाहिये चीनी दार्जीलिंग जिले में, नेपाली साम्यवादियों के समर्थन के साथ, अपनी गतिविधियां अधिक तीव्र कर रहे हैं, इस लिए आवश्यकता इस बात की है हम अपनी विकास और रक्षा सम्बन्धी कार्यवाहियों में गति लायें।

हमें अपनी समस्यायों पर अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को दृष्टि में रख कर ही विचार करना है। क्यूबा की समस्या, निश्शस्त्रीकरण की समस्या आदि, संसार में और देश में एक नवीन वातावरण उत्पन्न कर रही हैं जिन की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

हमारे प्रधान मंत्री ने अपनी कुशलता के कारण संसार में विख्याति प्राप्त की है। हमारी संस्कृति महान है। हम लोकतन्त्रात्मक पद्धति में विश्वास रखते हैं। हम अपनी तटस्थता की नीति को नहीं छोड़ेंगे।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : किसी घबराहट के तहत हमारे लिये अपनी नीतियों का पूर्णरूपेण त्याग करना अनुचित होगा। कोई भी नीति त्रुटिरहित नहीं हो सकती। परन्तु यह उत्साहवर्द्धक बात है कि हमारी गुटों से अलग रहनें की नीति से हमें बहूत लाभ हूआ है। इस समय दलबन्दी के आधार पर इस नीति का विरोधक करना उचित नहीं है। परन्तु गत वर्षों के अनुभवों के प्रकाश में इस नीति में उचित रूप भेद लानें की आवश्यकता है, जो अनुभव कि हमें एक विश्वास-घाती देश पर निर्भर रह कर प्राप्त हुआ है।

इस पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप हम इस निश्चय पर पहूंचते हैं कि हमें अधिक सतर्क रहना है और अपनी अन्तर्राष्ट्रीय विचारधाराओं में अधिक वास्तविकता लानी है। अपनी विदेश नीति में यदि हन अपने उद्देश्यों को दृष्टि में नहीं रखते तो हमारी नीति नेतृहीन होगी, और यदि हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टि में नहीं रखते तो यह लंगड़ी होगी। इस लिये विदेश नीति को निर्धारित करते समय अपने उद्देश्यों और वर्तमान आवश्यकताओं को सम्मुख रखना आवश्यक होगा। हमें अपनी विदेश नीति को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये माध्यम भी बनाना है, और संसार में एक नवीन विचार धारा, एक नवीन दृष्टिकोंण उत्पन्न करने में भी सफल होना है। इस लिए मैं चाहता हूं कि इन विभिन्न पहलुओं को दृष्टि में रख कर और अपने गत वर्षों के अनुभवों को समक्ष रख कर हमारे प्रधान मंत्री एक समुचित नीति अपनायेंगे।

मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री यह आश्वासन दें कि हमारा प्रतिनिधि मण्डल चीन के राष्ट्र संघ में प्रवेश पर बल नहीं देगा। मैं इस बारे में भी आश्वासन प्राप्त करना चाहूंगा कि अन्य मित्र देशों से बेरोकटोक सहायता प्राप्त की जायेगी। अपने प्रचार कार्यों में सुधार लाने की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री बतायें कि चीन के द्वेषपूर्ण प्रचार को निष्फल बनाने के लिये क्या कुछ किया जा रहा है। इस प्रचार कार्य में अधिक क्षमता और कुशलता लानी चाहिये क्यों कि हम ने देखा है कि हम कुच्छेक अफ्रेशियाई देशों को अपनी विचार धारा से प्रभावित नहीं कर पाये हैं। प्रचार के साथ साथ हमें अपनी कूटनीति में भी समुचित रूपभेद लाने हैं ताकि आवश्यकतानुसार अपने उद्देश्यों में हमें सफलता प्राप्त हो सके।

इस प्रसंग में मैं अफ्रो-एशियन एकता सम्मेलन जैसे संगठनों की ओर अधिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की वाछनीयता पर बल देना चाहूंगा।

चीन और रूस के आपसी संबंध बिगड़ने पर कोई आशा बनाये रखना केवल कल्याण है। जो व्यक्ति यह सोच रहे हैं कि इन देशों के संबंध और बिगड़ जायेंगे उन्हें निकट भविष्य में आश्चर्य-जनक बातों का अनुभव होगा। क्योंकि यह संबन्ध वास्तव में अच्छे होने ही वाले हैं। चीन के आर्थिक विकास के लिये रूसी सहायता अन्यावश्यक है और इस के अतिरिक्त चीन पेट्रोल भी रूस से प्राप्त करता है। इस लिये हमें कालपणिक विचार धारा को त्याग देना चाहिये।

चीन निकट भविष्य में अणुशस्त्रों का विकास करने वाला है, अतः प्रधान मंत्री बतायें कि ऐसी स्थिति में हम प्रतिक्रियात्मक रूप से क्या कदम उठा रहे हैं। इस बात से हमारी चिन्ता और भी बढ़ गई है कि चीन के प्रशासक युद्ध द्वारा ही समस्याओं के समाधान में विशवास रखते हैं। अतः जब अणुशस्त्र उन के पास आ जायेंगे तो स्थिति अधिक भयंकर हो जाने की सम्भावना है।

दलाई लामा की हाल ही में की गई घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। इस से हमें स्मरण कराया गया है कि किस प्रकार चीनियों द्वारा तिब्बत में अत्याचार किये जा रहे हैं। यदि हम मानव के अधिकारों और स्वतन्त्रता के ध्वज को लहराता देखना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम तिब्बती जनता के उद्देश्य के लिये लड़ें और अन्य देशों का ध्यान इस ओर आकर्षित करें। इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेक्षाओं के आयोग की उपपत्तियों की ओर भी संसार का ध्यान आकर्शित करना चाहिये।

[श्री खाडिलकर पीठासीन हुए]

मितव्ययिता और संयम की मांग के प्रति वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की प्रतिक्रिय बहुत निराशजनक है। मैंने प्रतिवेदन को देखा है जिसमें मुझे कोई ठोस बात दिखाई नहीं दी। प्रधान मंत्री ने बताया कि सेवा के बाहर के अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डाला गया। मेरे विचार में यह कहना वास्तविकता से भिन्न है। इस के विपरीत बहुत से इस प्रकार के व्यक्ति जिन्होंने अपनी सेवाओं से विख्याति प्राप्त की है। मेरा सुझाव है कि प्रधान मंत्री सेवा से बाहर के कुशल व्यक्तियों की सेवायें प्राप्त करें।

संयुक्त राष्ट्र संघ को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि-मण्डल के लोग दलबन्दी के आधार पर चुने जाते हैं। अधिकतर व्यक्ति कांग्रेस दल के ही वहां जाते हैं। इस प्रकार का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये।

हमारी विदेशी गुप्त सेवा अकुशल, अक्षम है और सुसंगठित नहीं है और हमारी आशाओं के अनुकूल कार्य सम्पादन नहीं कर सकी।

हमारी विदेशी प्रचार सेवा भी इसी प्रकार अकुशल और अक्षम है।

गोआ, दमन और दीव, पंडिचेरी और नागा पहाड़ी क्षेत्र वैदेशिक-कार्य-मंत्रालय के अभिरक्षण में नहीं रहने चाहिये। यह मेरा सुझाव है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी]

अन्त में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालयों ; अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अध्ययन और अनुसंधान पर अधिक बल दिया जाना चाहिये ।

†**सभापति महोदय** : श्री उ० मू० त्रिवेदी । आप कृपया १० मिनट बोलें ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : मुझे ३० मिनट मिलने चाहियें । यदि आप मुझे १० मिनट देंगे तो मैं न बोलना बेहतर समझूंगा ।

†**सभापति महोदय** : तीन अन्य वक्ताओं को भी बोलना है, इस लिये मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह १० मिनट से अधिक न बोलें ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बर्मा, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, उगांडा आदि जिन जिन देशों में हमारे राष्ट्रजन जाते हैं, वह यहां की सरकार से पासपोर्ट लेकर ही जाते हैं, परन्तु उन जाने वालों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाता। उन की कठिनाइयों की उपेक्षा की जाती है । जब भी इन विदेशों में रहने वाले लोगों द्वारा बुरे सलूक की शिकायत की जाती है हमारे राजदूत उन्हें सम्बद्ध देश की राष्ट्रीयता प्राप्त करने की परामर्श देते हैं । यह अत्यन्त शोचनीय अवस्था है । ऐसा परामर्श देना एक महान् देश के लिये शोभा की बात नहीं है ।

हमारे दूतालय इसी लिये विद्यमान हैं कि वह हमारे राष्ट्रजनों को उचित संरक्षण दें और उन के हितों का ध्यान रखें । यदि वह इस कार्य के करने में सम्पन्न नहीं हैं तो उन्हें वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है ?

हमारी विदेश सेवा भारतीय प्रशासन सेवा से बिल्कुल भिन्न है । इसलिये मेरा सुझाव है कि इस सेवा के लिये आयु-सीमा निश्चित नहीं होनी चाहिये । इस सेवा में सार्वजनिक भावना रखने वाले और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों का ज्ञान रखने वाले लोगों को भर्ती करना चाहिये । मैं ने बहुत से लोग विदेशी सेवा में देखे हैं जिन को इस देश की भौगोलिक स्थितियों का ज्ञान नहीं है, इस देश की संस्कृति का ज्ञान नहीं है । यदि किसी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या की जानकारी उन से मांगी जाय तो वह अनभिज्ञता का प्रदर्शन करते हैं । हमारे राजदूतों को और अन्य कर्मचारियों को इन सब बातों का सम्पूर्ण ज्ञान होना चाहिये तभी वह हमारे देश का सही प्रकार प्रतिनिधित्व कर सकते हैं ।

ऐसा प्रायः देखने में आता है कि विदेशों में, किसी विशेष देश की विचारधारा के अनुकूल ही व्यक्ति भेजे जाते हैं । यह नीति सर्वथा अनुचित है । इस के साथ साथ हमारा प्रचार विभाग भी हमारी नीतियों को उचित रूप से अन्य देशों के समक्ष नहीं रख सकता । प्रायः देखने में आता है कि पाकिस्तान की सूचनायें और विचारधारा तो संसार के समक्ष आ जाती हैं परन्तु हम इस कार्य में प्रभावहीन रह जाते हैं ।

आपात के समय जिस प्रकार हम सब दलों के लोग एक ध्वनि से अपनी नीति का समर्थन करते रहे हैं, उसी तरह वैदेशिक-कार्यों में हमारा दृष्टिकोण एक सा ही होना चाहिये और देश की नीति को उसी तरह कार्यान्वित करना चाहिए । इस में भेदभाव की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुट बन्दी से अलग रहने की नीति की प्रायः चर्चा की जाती है। परन्तु, मैं ने देखा है कि कई मामलों में हम इस नीति का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, आप इस बात को ले लीजिये कि अभी तक इज़राईल की सरकार को मान्यता नहीं दी गई है और उस के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं किये गये हैं। शायद ऐसा इसलिए हो रहा है कि कुछ अन्य देशों को हम नाराज़ नहीं करना चाहते। मेरा अनुरोध है कि यह बात तटस्थता की नीति के अनुकूल नहीं है।

अमरीका, ब्रिटेन, आदि कई देशों ने संकट के समय हमारी सहायता की। उन के सहायता करने का उद्देश्य कुछ भी हो, परन्तु हमें उन के साथ सहयोग करना चाहिए। कुछ अन्य देशों ने शायद भय के कारण हमारी सहायता नहीं की। हम सहायता करने वालों के साथ मित्रता का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।

पूर्व में हम बहुत सी भूलें कर चुके हैं। परन्तु यह समय उन भूलों को स्मरण कर खेद करने अथवा हाथ पर हाथ धर कर बैठने का नहीं है। इस देश को विकास करना है और चीन की चुनौती का बहादुरी से सामना करना है। चीन ने आक्रमण किया और फिर स्वयं पीछे हट गया। परन्तु हम क्या कर रहे हैं। हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं। समूचे नेफा क्षेत्र से चीनी सेनायें पीछे हट गई हैं परन्तु वह हमारे क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर उचित समय की ताक में हैं। हमें अपनी सेनायें आगे ले जाने के लिए तैयार रहना चाहिए और चीनी आक्रमण का सामना करने के लिये तैयार रहना चाहिये। हमें चीनी सेनाओं को अपने राज्य-क्षेत्र में घुसने नहीं देना चाहिये वरना उन की स्थिति हमारे मुकाबले में अच्छी हो जायगी। हमें तैयारी के लिये काफी समय मिल गया है अतः कोई कारण नहीं कि हम उन का मुकाबला न कर सकें।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

आज हम कर लगा कर अधिक बोझ जनता पर डाल रहे हैं इसलिए मितव्ययिता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। दूतावासों पर हम बहुत अधिक धन खर्च कर रहे हैं जोकि अनुचित है। हम विभिन्न दूतावासों पर लगभग ३.५० करोड़ रुपया व्यय कर रहे हैं। एक गरीब देश के प्रतिनिधियों द्वारा इस बेदर्दी से व्यय किया जाना अनुचित है। इस के अतिरिक्त विभिन्न देशों में हमारे राष्ट्रजनों की शिकायतें आती रहती हैं कि दूतावासों द्वारा उन के हितों की देखभाल नहीं की जाती।

नेपाल, बर्मा, श्रीलंका और इंडोनेशिया, आदि देशों से हमारे सम्बन्ध इतने अच्छे नहीं हैं। नेपाल से जो हमारे सम्बन्ध हैं वह सर्वविदित हैं; बर्मा में किसी समय काफी संख्या में लोग रहते थे और वहां का बहुत सा व्यापार भारतीय राष्ट्रजनों के हाथ में था, और वहां भारतीयों का सम्मान भी किया जाता था। परन्तु आज भारतीयों को वहां से निकाला जा रहा है। हम उन्हें कहते हैं कि वह लोग या तो बर्मा के राष्ट्रिक बन जायें या वहां से निकल आयें। परन्तु यहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बसाने के लिए कौन से साधन हैं। वर्णभेद की नीति अभी तक समाप्त नहीं है। टांगानीका, उगांडा और केन्या में भी वही वातावरण बन रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे राजदूतों को अधिक कुशल होना चाहिए। उन में एक नवीन भावना जागृत की जानी चाहिए।

†**श्री नरसिम्हा रेड्डी** (राजमपेट) : स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश का सूर्य उदय हुआ था। एशिया में जागृत होने वाले देशों के लिए हम प्रेरणा का प्रतीक बन गये थे। परन्तु आज हम देखते हैं कि १५ वर्ष पश्चात् हम संसार में सम्मान को खो रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता खतरे में है। हमारे पड़ौसी देश भी हम से दूर हो रहे हैं। इस के लिए वैदेशिक-कार्य मंत्रालय पूर्णरूपेण उत्तरदायी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नरसिम्हा रेड्डी]

हमें अपनी वैदेशिक नीति को परिणामों की कसौटी से देखना है । हम अपने आप को तटस्थ कहते रहे परन्तु वास्तव में हम साम्यवादियों के निकट रहे । हम संसार के लिये सिद्धान्त घोषित करते रहे । हम ने स्वेज़ के मामले में ऊंचे ऊंचे आवाज़ उठाई परन्तु आज नासिर काश्मीर के लिए एक शब्द भी हमारे हक में नहीं कह रहा । हम ने रूस के हंगरी में किये गये अत्याचारों का विरोध तो नहीं किया, परन्तु नेपाल के राजा को लोकतंत्र दमन के लिये कोसते रहे । इस का परिणाम यह हुआ कि एक ओर हम ने अमरीका को नाराज़ किया तो दूसरी ओर नेपाल से मित्रता समाप्त हो गई जिस में सुधार करने के लिए हम आज तक प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यह देश सामरिक दृष्टि से अधिकतम महत्व का है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को सदस्य बनाने के लिए हम ने समय कुसमय प्रयत्न किया है और उस के लिए अन्य बड़े राष्ट्रों का क्रोध और उन द्वारा अपमान सहा है ।

हम विश्व में उठने वाले हर मामले के बारे में अपने निर्णय घोषित करते रहे हैं जिस से हम ने राष्ट्रों को नाराज़ भी किया है । एक करोड़ से अधिक भारतीय अफ्रीका और एशिया के अन्य देशों में रह रहे हैं जो मानवीय अधिकारों से भी वंचित हैं और हम उन के लिए कुछ नहीं कर सके । यदि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण के लिए चीन के साथ कोई गुप्त संधि की है तो वह हमारा सब से बड़ा दुर्भाग्य होगा ।

जब चियांग काई शेक भारत आए थे तो उन्हों ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया था, किन्तु जब चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ तो हम ने चियांग काई शेक की उपेक्षा करते हुए साम्यवादी चीन को मान्यता दे दी ।

हम सदा नैतिक आधार पर काम नहीं करते रहे । तिब्बत एक धर्मभीरु देश है किन्तु भगवान बुद्ध और पंचशील के प्रति हमारी भक्तिभावना का क्या हुआ जब हम ने तिब्बत में चीन की सेनाओं को घुसने दिया । भगवान आज हमें उसी का फल दे रहे हैं ।

तटस्थ देश हमारी सहायता या समर्थन कैसे कर सकते हैं । एक तो हम ने चीन का सहायक बनना सिखाया है । दूसरे वे अभी अर्द्ध विकसित हैं और तीसरे प्रकृति में तटस्थता अर्थात् नपुंसक लिंग का कोई स्थान नहीं है । लिंग तो दो ही हैं पुरुष और स्त्री लिंग ।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि चीन का कोई समर्थक नहीं है जबकि श्रीलंका अपने देश में भारत रक्षा निधि में जमा हुआ पैसा भारत नहीं भेजने देता । बर्मा चीन से मिला हुआ है । दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद का बोलबाला है । अफगानिस्तान में रूस ने कंधार से काबुल तक रेलवे बनाई है । नेपाल में चीन की सहायता से सड़कें बन रही हैं । तब समर्थनहीन कौन हुआ ?

हमारी विदेश नीति डांवाडोल और कमज़ोर रही है क्योंकि उस का निर्माता एक ही व्यक्ति है । लोकतंत्र में तो सरकार के सदस्यों के शांत मन से इकट्ठे सोचना चाहिये और तब नीति का निर्माण करना चाहिए किन्तु यहां सरकार के सदस्य केवल छाया मात्र हैं । अतः एक व्यक्ति की डिठाई और सनकीपन ही नीति निर्माण का कारण है । १४ नवम्बर को संसद् ने जो संकल्प पारित किया था उस का राष्ट्रपति के अभिभाषण में केवल संकेतमात्र था । हमें झुकना नहीं चाहिये न ही कायरता दिखानी चाहिए ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जिन सदस्यों ने हमारी नीतियों का समर्थन किया और जिन्हों ने विरोध किया मैं उन दोनों का आभारी हूं। यहां की गई सभी प्रकार की आलोचना से हम लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं यद्यपि कभी कभी मैं अनुभव करता हूं कि आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं।

अनुदानों की मांगों की इस प्रकार की चर्चा पर कुछ भी कहा जा सकता है। बचत आदि की आवश्यकता के बारे में कहा गया है। सामान्य नीति की भी चर्चा की गई है और विशेषत: दो बातों अर्थात् हमारी विदेशी सेवा और विदेशी प्रचार के बारे में कहा गया है।

यह तो आश्चर्य की बात है कि हमें बचत के लिए कहा जाता है। मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि अभी हाल में वैदेशिक कार्य मंत्रालय में १५० करोड़ रुपये की बचत की गई है। किन्तु साथ ही विदेशी सेवा और विदेशी प्रचार की कठोर आलोचन की गई है जबकि इन पर अंशत: अधिक व्यय होता है। खर्च कम करने की इच्छा के कारण हम पर बहुत प्रतिबन्ध है। स्वभावत: यदि हम प्रचार पर अधिक कम कर सकते तो ठीक प्रकार से खर्च करने से अधिक प्रभाव पड़ता। अन्य देशों की तुलना में मुझे विश्वास है कि हम इस पर कम खर्च करते हैं। मैं इंगलैंड और अमरीका की बात नहीं कहता जिन की प्रचार व्यवस्था बहुत बड़ी है बल्कि अफ्रीका और एशिया के छोटे छोटे देश भी तुलनात्मक दृष्टि से हमारी अपेक्षा अधिक व्यय करते हैं।

हमारी विदेश सेवा के बारे में कई अवसरों पर आलोचना की गई है। मैं इस सम्बन्ध में विनम्रतापूर्वक अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। भारतीय विदेश सेवा को बने १४, १५ वर्ष हो गये हैं। इसे प्राय: एक तिहाई पुराने आई० सी० एस० अफसरों द्वारा आरम्भ किया गया था और कुछ अन्य सरकारी अधिकारियों को इस सेवा में स्थानान्तरित किया गया था। कुछ ब्रिटिश शासन के राजनैतिक अधिकारी थे, कुछ प्राध्यापक, शिक्षा विशारद और कुछ सार्वजनिक नेता भी उनमें थे। हमने यथा संभव पर्याप्त प्रशिक्षण के साथ विदेशी सेवा आरम्भ की थी। हमने सामान्यत: सेवाओं से नहीं प्रत्युत बाहर से लोगों को भर्ती किया था। धीरे धीरे हमारी विदेशी सेवा के कर्मचारी प्रशिक्षित होते चले गये और प्रशिक्षण में कुछ समय अवश्य लग जाता है। इस प्रशिक्षण में प्रतियोगितात्मक परीक्षा के अलावा जोकि कम कठिन नहीं होती दो तीन वर्ष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। पहले छै महीने उन्हें भारत में कुछ स्थलों पर कुछ जिलों में स्थानीय काम देखने के लिये भेजा जाता है ताकि वे भारत के विकास कार्य का अध्ययन करें। फिर वे शिशिक्षु के रूप में उन देशों की भाषायें सीखते हैं जहां उन्हें नियुक्त करना होता है। फिर उन्हें बाहर छोटे पदों पर लगाया जाता है और वे धीरे धीरे काम सीख जाते हैं।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

ऐसी सेवा के संबंध में सामान्य सिद्धांत के रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता कि सभी सुयोग्य हैं। दूसरी ओर सारी सेवा की निन्दा करना भी अन्यायपूर्ण है। इस सेवा में २५० या ३०० लोग हैं जिनमें कुछ विशेष रूप से सुयोग्य हैं, कुछ औसत योग्यता वाले हैं और कुछ जैसा कि हम सभी सेवाओं में देखते हैं औसत से भी कम योग्यता के लोग हैं।

गैर सरकारी लोगों के संबंध में जैसा कि एक सदस्य ने कहा है कि मैंने उन्हें असफल कहा है, मैं इस धारणा को निर्मूल कहना चाहता हूं। गैर सरकारी लोगों में कुछ अप्रतिभ प्रतिभा के लोग हैं जैसे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सेवा में से या बाहर से भी प्राप्त नहीं किये जा सकते । ऐसे लोग कम हैं किन्तु इनमें से अनेक लोग न केवल हमारी औसत योग्यता बल्कि विदेशी लोगों की औसत योग्यता से भी ऊपर हैं ।

वास्तव में यह साहसपूर्वक कहा जा सकता है कि हमारी राजनयिक सेवा विश्व भर में उच्च स्तर की सेवा समझी जाती है और वह इस स्तर पर शीघ्रता से पहुंची है । विदेश देशों की विदेश सेवा के बारे में एक पुस्तक में कहा गया है कि दो देशों की विदेश सेवा उच्च स्तर की है जिनमें से एक भारत है ।

आज तार और टेलीफोन के युग में विदेशी सेवा निरन्तर यहां मुख्यालय से सम्पर्क रखती है । पहले जब निर्देश प्राप्त करने में कई दिन लग जाया करते थे उन्हें अपने स्वविवेक पर चाहे ठीक हो या गलत निर्भर करना पड़ता था । आजकल हर प्रातः हमें विभिन्न देशों में अपने राजदूतावासों के तारों का उत्तर देना होता है और दिन भर भी तार आते रहते हैं । अधिकतः विदेशी सेवा मुख्यालय द्वारा संचालित होती है । निस्सन्देह कभी कभी उनके सुझाव भी मिलते हैं ।

श्री नाथपाई ने एक दो महत्वपूर्ण उदाहरण दिये थे जैसे चीन, पाकिस्तान संधि का वाशिंगटन और लन्दन में भली प्रकार प्रचार नहीं हुआ । किन्तु इस संबंध में लन्दन और वाशिंगटन में विशेष रूप से अच्छा काम हुआ है । और हम उसे महत्वपूर्ण समझते हैं ।

दूसरी इंडोनेशिया की घटना का उल्लेख किया गया था क्योंकि वहां एशियाई खेलों में एक दुर्घटना हुई थी । एशियाई खेलों का हमारे वहां के दूतावास से कोई सीधा सम्पर्क नहीं है । निस्सन्देह यहां से कुछ लोग वहां गये थे और हमारे दल के प्रतिनिधि जो वहां खेलों के नेता थे के विचारों से इंडोनेशिया के लोग सहमत नहीं थे । माननीय सदस्य जिन योग्यताओं पर बल देते रहे हैं वे सब हमारे राजदूत में हैं और वे इंडोनेशिया में बहुत लोकप्रिय हैं । वे योग्य और परिश्रमी व्यक्ति हैं । और वहां सभी प्रकार के लोगों के साथ उनका सम्पर्क है । फिर भी इस दुर्घटना के लिये उन्हें दोषी कैसे ठहराया जा सकता है जोकि उनके बस की बात नहीं थी ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : दोष श्री पंत पर नहीं वरन् वैदेशिक कार्य मंत्रालय पर लगाया गया है कि वहां तिरंगे झंडे के जलाये जाने की ओर इस मंत्रालय ने ध्यान नहीं दिया जबकि यह चेतावनी का सूचक था ।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : किसी चेतावनी की उपेक्षा नहीं की गयी । किन्तु ऐसी चेतावनी मिलने पर वे क्या करते ? इस घटना के पीछे चीनी साम्यवादियों का हाथ था । यह दुर्भाग्य की बात है । किन्तु ऐसी दुर्घटनाओं के लिये हम अपने राजदूतों को दोषी नहीं ठहरा सकते । हमारे राजदूत वहां अन्य देशों पर नियंत्रण करने के लिये नहीं । हमारी इच्छा के विरूद्ध जो घटनायें वहां होती हैं, उन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता । कभी कभी उनके बारे में अपनी राय प्रकट कर सकते हैं किन्तु कभी ऐसा भी नहीं करते । आज का विश्व कुछ अजीब है हमें विचित्र बातों का सामना करना पड़ता है । आज विश्व में परस्पर विरोधी बातें अधिक होती हैं । हमारे कुछ सदस्य समझते हैं कि हमारे राजदूत दूसरे देशों जैसे कि रूस या अमरीका के दृष्टिकोण को जान कर बिना स्वयं विचारे ऐसी कठिन परिस्थितियों पर काबू पा सकते हैं । किन्तु वे इनके बारे में सोचने का काम दूसरों को सौंपना चाहते हैं दूसरों को इसके लिये उत्तरदायी बनाना चाहते हैं । कुछ लोगों ने हमें चेतावनी दी है कि चीन और रूस के परस्पर के झगड़े पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिये । मैं यह कह सकता हूं कि किसी देश को दूसरे देशों से मैत्री भाव रखने का प्रयत्न करना चाहिये और

†मूल अंग्रेजी में

उनपर पूर्णतः भरोसा नहीं करना चाहिये। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि दूसरों से मैत्री का यह अभिप्राय नहीं कि दूसरों के हाथ हम बिक जायें। विशेषतः हमारी नीति की पृष्ठभूमि के अनुसार यही नीति सदा ठीक नहीं। मैं यह दावा नहीं करता कि हमारी नीति सदा ठीक रही है। सामान्य आलोचना यह है कि हमें किसी न किसी गुट का साथ देना चाहिये फिर उत्तरदायित्व उस गुटका होगा न कि हमारा। किसी परिपक्व और आत्मभिमानी राष्ट्र के लिये यह दृष्टिकोण ठीक नहीं।

रूस, अमरीका या अन्य सब से बड़े देशों को ही लीजिये। उन्हें निरन्तर ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है जिनसे वे घोर घृणा करते हैं और जहां उनकी राजनयिक सेवा और नीतियां असफल रही हैं किन्तु उससे देश स्वयं विफल नहीं हुये। सुदृढ़ विदेशी सेवा और प्रचार आदि की विस्तृत व्यवस्था के होते हुये भी वे देश असफल हुये हैं। वास्तव में दूसरों की विफलता को दृष्टिगत रखते हुये हमारी विफलतायें बहुत छोटी हैं। सभा से निवेदन है कि वह स्मरण रखें कि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जिन्हें अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो और जिसने नीति की विफलता से लाभ उठाने का प्रयत्न न किया हो।

यद्यपि दो महान् शक्तियां विश्व पर शासन कर रही हैं किन्तु आज संसार किसी द्वारा शासित नहीं किया जा सकता। छोटे से छोटे देश पर भी दबाव नहीं रखा जा सकता अतः संघर्ष होता रहता है। अब हम अफ्रीका में ऐसा दृश्य देख रहे हैं जो निरन्तर बदल रहा है। अनेक देश स्वतंत्र हो रहे हैं और उनके समक्ष कठिनाइयां हैं किन्तु वे नहीं चाहते कि किसी अन्य देश का उन पर दबाव रहे यद्यपि वे जहां से मिले सहायता प्राप्त कर रहे हैं। वे स्वयं अनेक वर्गों में बटे हुये हैं। अरब देशों में भी एक परिवर्तन हो रहा है। आज के इतिहास में निरन्तर परिवर्तन हो रहे हैं अतः इसे समझना होगा और इसके साथ साथ कदम बढ़ाना होगा।

यह विचित्र बात है कि बीती बातों की पुनरावृत्ति की गयी है जो आज प्रकरण संगत नहीं हैं। किन्तु फिर वे हमारे आलोचकों के मन में इतना घर किये हुये हैं कि वे आज की बात नहीं सोच पाते। अन्तिम वक्ता ने हंगरी की बात कही थी। तिब्बत का प्रायः उल्लेख किया जाता है जैसे कि १२ वर्ष पूर्व तिब्बत के प्रति हमारा जो रवैया था उसी कारण बाद की घटनायें घटी हैं। दुर्भाग्य की बात है कि भूतकाल उन्हें इस प्रकार घेरे हुये है कि वे वर्तमान पर विचार नहीं करते।

आज साम्यवादी और गैर साम्यवादी जगत में सारी व्यवस्था बदल रही है दोनों गुट एक दूसरे के विरूद्ध हैं किन्तु मूलतः इस स्थिति का महत्व नहीं रहा। पश्चिमी गुट के राष्ट्रों में परस्पर वैमनस्य है और पूर्वी गुट में रूस और चीन के झगड़े का प्रभाव पड़ रहा है किन्तु दोनों गुटों में परिवर्तन आ रहा है। अमरीका और रूस एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। मैं नहीं कहता कि शीघ्र ही आश्चर्यजनक परिस्थिति पैदा होगी।

अतः विदेश नीति को न केवल वर्तमान हितों वरन् भावी हितों पर आधारित करना है ताकि कल हमें हानि न हो और न ही हमारी नीतियों को क्षति पहुंचे। विदेश नीति घरेलू नीति पर निर्भर करती है यह घरेलू नीति का ही विस्तार होती है। यह वैसी ही नहीं होती क्योंकि इसका संबंध अन्य देशों से होता है किन्तु यह उसीका विस्तृत रूप होती है। अन्यथा घरेलू नीति और विदेश नीति में गड़बड़ होगी। जिन सदस्यों ने हमारी विदेश नीति का विरोध किया है वे वस्तुतः घरेलू नीति को पसन्द नहीं करते।

तिब्बत का प्रश्न लीजिये जिसकी ओर बार बार निर्देश किया गया है। यद्यपि तिब्बत में जो कुछ हुआ है उसे कोई पसन्द नहीं कर सकता किन्तु मैं इस पर बहुत विचार करने पर भी नहीं समझ सका कि हम उस समय या बाद में क्या कर सकते थे।

†**श्री ना० गो० रंगा** (चित्तूर) : हम कम से कम विरोध तो कर सकते थे। आवाज तो उठा सकते थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आवाज तब उठाई जाती है जब आवाज उठाने के बाद कोई कार्यवाही भी की जानी हो। हम तिब्बत में उस समय या बाद में भी कोई कार्यवाही नहीं कर सकते थे ।

†**श्री ना० गो० रंगा** : हम आपसे सहमत नहीं। उसमें आप पूर्णतः और नैतिक दृष्टि से असफल हुये हैं ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : हमने दक्षिण अफ्रीका में जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाई है भले ही कुछ किया नहीं। आवाज उठाना भी महत्वपूर्ण रहा है ।

†**श्री नाथ पाई** : आप एक बार यह बता दें कि आप कुछ कर नहीं सकते थे या आप कुछ करना ही नहीं चाहते थे। आप कभी कुछ कहते हैं और कभी कुछ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं खेदपूर्वक माननीय सदस्य का खंडन करता हूं ।

†**श्री नाथ पाई** : मैंने श्री एन्थनी एडन का पत्र पढ़ कर सुनाया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्री एन्थनी एडन इस संबंध में प्रमाण नहीं है। जब से चीन तिब्बत में आया है मैं सभा को बताता रहा हूं कि हमें इस बात पर विचार करना पड़ा है कि एक प्रगतिशील शक्तिशाली आक्रांता और विस्तारवादी देश हमारे अधिकाधिक निकट आ रहा है।

हमें हर समय इस पर विचार करना पड़ता था और उसकी के अनुसार अपनी नीति बदलनी पड़ती थी । इस का मतलब यह था कि मुझे भारत पर अचानक और शीघ्र आक्रमण की उम्मीद थी । परन्तु यह एक छिपी धमकी थी जो कि दस वर्ष या २० वर्ष में सामने आ सकती थी । यह स्थिति थी और हम ने अपनी सीमाओं पर और अन्यत्र उसके अनुसार अपनी नीति को ढाल लिया था। हमारी नीति को धमकियों के अनुकूल बनाने के बारे में चीनी कहते हैं कि हम नेफा में नहीं थे हम बाद में आये यह अयुक्तियुक्त है क्योंकि सिद्धान्ततः और संवैधानिक रूप से नेफा कई देर से भारत का अंग था ।

†**श्री हेम बरुआ** : व्यवहारिक रूप से भी ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : चूंकि हम नेफा में सदैव काम कर रहे थे, उस का विकास कर रहे थे और सीमाओं पर बैठे थे अतः वे कहते हैं कि हम नेफा में उस समय घुसे थे, अन्यथा यह हमेशा उनका था। अपना मामला कहने का उनका अपना ही ढंग है। हमारे लिए सच्चाई के तोड़ मोड़ में उनका मुकाबला करना कठिन है ।

इस छिपी धमकी का मुकाबला करने के लिए केवल दो ही रास्ते थे जो कि साथ साथ अपनाएं जाने थे। एक तो यह था कि धीरे धीरे हम अपने आप को मजबूत बनाएं और दूसरे चीन से दोस्ती रखें ताकि संघर्ष और संकट की स्थिति अधिकतर शीघ्र न उत्पन्न हो जाए। हम ने यह दोनों नीतियाँ अपनाईं ।

और बातें हुईं। तिब्बत में विद्रोह हुआ। उस से चीनियों को उन दिनों में तिब्बत में कई सैनिक दस्ते भेजने के लिए प्रोत्साहन मिला। उन्होंने तिब्बत में भारत की सारी सेना से अधिक सैनिक भेजे और वे धीरे धीरे हमारी सीमाओं पर पहुंचे और लद्दाख क्षेत्र में अतिक्रमण आरम्भ किया । उसके बाद स्थिति आई जब कि बिना अधिक शोर के अतिक्रमण होते रहे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वे नेफा की ओर नहीं आए। दूसरी ओर आए हम ने लद्दाख क्षेत्र में अपनी रक्षा करने और अपने आप को मजबूत बनाने का प्रयत्न किया। संचार की कठिनाइयों के कारण यह आसान मामला नहीं था। हमें सड़कें, हवाई अड्डे इत्यादि बनाने पड़े। हम ने वहाँ, हर चीज विमानों द्वारा भेजी। नेफा और लद्दाख में सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हो गईं। वे सड़कें बड़ी तेजी से बनाई गई थीं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि हम नेफा में अपनी फौजें सीमा पर क्यों नहीं रखते जहां उचित संचार-साधन न हो वहाँ सेना को खुराक सामान आदि पहुंचाना कठिन होता है। संचार साधन का निर्माण कर रहे हैं और किसी भी सैनिक कमांडर के लिए शक्तिशाली शत्रु के साथ हानिकारक स्थिति में भिड़ना उचित नहीं। किन स्थितियों में कार्यवाई करनी है यह तो कमांडर ही निर्णयन करता है। हम तो सिद्धान्त बताते हैं। यह तो सेना के लोगों ने निर्णय करना है कि कैसे और कहां और किस तरीके से लड़ाई करनी है।

†श्री हेम बरुआ : नेफा में सेना न भेजने के खतरे पर भी विचार किया है? चीनी किसी भी समय घुस सकते हैं। तोड़ फोड़ की कार्यवाई भी हो रही है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे से माननीय मंत्री यह आशा नहीं करें जो कि मैं इन मामलों पर उन की चर्चा कर सकूंगा स्पष्ट है कि इन मामलों पर विचार रकना है। परन्तु जब आपको शक्तिशाली देश, जिसके पास शक्तिशाली फौज हो, से खतरा रहता हो तो उस का मुकाबला शक्ति से करना पड़ता है मजबूत घोषणाओं और संकल्पों से नहीं इस तरह से शक्ति से मुकाबला करना चाहिए कि आप जीतें ऐसे तरीके से नहीं कि आप के विरुद्ध ही कार्यवाही हो जाए। इन सब बातों का ध्यान रखना है।

स्वतन्त्र दल के नेताओं को छोड़ कर प्रत्येक सदस्य हमारी नीति से सामान्यतया सहमत हैं। हमारी सामान्य विदेश नीति सभी देशों से मित्रता बढ़ाने की रही है। इस लिए हमने किसी गुट में न शामिल होने की नीति अपनाई। यदि हम सैनिक गठजोड़ों में उलझ जाएं तो वह हमारे लिए हानिकारक होगा किसी गुट में शामिल होने की नीति से उस सीमा तक ही स्वाधीनता पर प्रतिबन्ध हो जाता है। कुछ देशों को यह नीति भले अपनानी पड़े, परन्तु भारत के लिए इस नीति का कोई मतलब नहीं। यह व्यवहारिक पहलू से अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक होगी। इस पर हानि होती है कि मनुष्य यह सोचने लगता है कि दूसरे उस की सहायता और प्रतिरक्षा करें। इस तरह से राष्ट्र का नैतिक पतन होता है। दूसरे देशों से सहायता लेना और बात है और मैं जो सहायता मिलती उसके लिए अनुग्रहीत हूं। यह भिन्न बात है कि और कोई हमारी रक्षा करे और हम अपने लिए अधिक कोशिश न करें। लोगों में ऐसी भावना उत्पन्न होगी जब कि चीन को छोड़ हम दोनों गुटों के मित्र बहुत हैं बहुत खतरनाक है। किसी एक गुट से अधिक सहायता लेने के लिए दोस्ती छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। पश्चिमी और पूर्वी देशों में सभी लोग इस बात को समझते हैं। भारत में भी कुछ लोग इस पर सन्देह करते हैं। यह संन्देह उनकी कायरता से उत्पन्न होता है। यह हमारे देश के लिए गलत दष्टिकोण है। अन्य चीज़ों के अतिरिक्त हम शस्त्र, विमान आदि प्राप्त करते हैं। वह भिन्न मामला है ....

†श्री ना० गो० रंगा : आप इस को किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं? वह किसी प्रकार से आती हो तो भी हम स्वतन्त्र हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य का तर्क मुझे स्पष्ट नहीं है। इस देश में मुख्य बात देश में भावना, लोगों का साहस और एकता है। यदि देश में साहस और एकता की भावना हो तो सब हथियार फेंकने के लिए तैयार हूं।

†श्री ना० गो० रंगा : क्या बात है?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं अन्य शस्त्रों की निन्दा नहीं करता हूं। ये वर्तमान युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अतः हम उन्हें प्राप्त करते हैं। मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि जिस दृष्टिकोण का वे प्रतिनिधित्व करते हैं उस का अधिकतर प्रभाव होता है और बाहर वालों पर भी अधिक प्रभाव होता है।

बजट को ही लीजिए। आप इस को पसन्द करें या न करें। इसका अन्य देशों पर काफी प्रभाव हुआ है। इस से यह जाहिर होता है कि हम संकट का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और दूसरे लोगों से सहायता की ही प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। हमें जो सहायता मिल सके हम लेना चाहते हैं। परन्तु अन्ततः हम अपने ऊपर निर्भर हैं। मेरे मन में कोई सन्देह नहीं है कि यही नीति हमारे लिए अच्छी सिद्ध होगी एक देश दूसरे देश की तभी सहायता करता है जब दूसरा देश स्वयं अपनी सहायता करता है।

यह सोचना तो ठीक है कि हम अपना सारा संरक्षण दूसरे देशों पर छोड़ देते हैं, परन्तु यह भी सोचना चाहिए कि क्या दूसरे देश सारा बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। किसी के लिए भी यह आसान भार नहीं है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारी किसी भी गुट में न शामिल होने की और अपने आपको सब देशों की सहायता से मजबूत बनाने की नीति ही उचित नीति है।

संसार में सब से बड़ा प्रश्न रूस और चीन के सम्बन्धों का है। इसका प्रभाव सारे संसार के भविष्य पर है। केवल अपरिपक्व बुद्धि वाले ही ऐसा सोच सकते हैं कि चूंकि दोनों देश कम्युनिस्ट हैं अतः वे आवश्यक ही एक दूसरे की सहायता करेंगे चाहे उनके कितने ही मतभेद क्यों न हों। वास्तव में लोग आहिस्ता आहिस्ता यह सोचने लग गए हैं कि साम्यवाद और इस के विरुद्ध विचारधारा अब पुरानी बातें हो गई हैं, क्योंकि देश नीतियां अपने हितों के अनुसार नाते हैं। यदि रूस और चीन मार्क्सवादी सिद्धान्त के निर्वचन की विचारधारा पर असहमत हैं, तो उनके मतभेद का मूल कारण उन के राष्ट्रीय हित हैं।

†श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा : क्या आपके विचार में रूस और चीन आपस में लड़ेंगे?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ज्योतिषी नहीं हूं। मैं उन्हें कैसे बता सकता हूं कि क्या होगा? मैं तो केवल विश्व की और उसकी समस्याओं की प्रवृत्तियों के बारे ही बता रहा हूं और वे आसान नहीं है। महत्वपूर्ण इतिहास की रचना हो रही है। आपको इस के अनुसार चलना होगा। जलूसों और चिल्लाने से चीन पर कुछ प्रभाव नहीं होगा। सीमा पर हमारी शक्ति का ही उन पर प्रभाव पड़ेगा। अतः हमने अपनी शक्ति को बढ़ाना है और दुःस्साहसपूर्ण काम भी कराना है।

सामान्य नीति के बारे में मेरा निवेदन है कि हमें आज के अथवा भविष्य के हितों की रक्षा करने की बजाए व्यापक दृष्टिकोण को अपनाना है। हम ने अपने स्वार्थ की बजाए शान्ति के लक्ष्य का पालन किया है। और मैं समझता हूं कि इस नीति को जारी रखना

---

†मूल अंग्रेजी में

अनिवार्य है। शान्ति का लक्ष्य हमारे लिए भी और अन्य प्रत्येक देश के लिए महत्वपूर्ण है और इस के कारण हमें दूसरे देशों से पर्याप्त सहानुभूति और स्नेह मिला है।

पता नहीं कि कुछ सदस्यों ने यह धारणा कैसे बना ली है कि हम अन्य देशों को नैतिकता का उपदेश देते हैं। मेरा विचार है कि उन्होंने ऐसा विदेशी पत्रों में पढ़ा होगा, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि हम ने किसी को नैतिक उपदेश नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में हम स्वभावतः अपने लक्ष्य का समर्थन करते हैं किन्तु ऐसा करते हुए हम किसी को उपदेश नहीं देते। हम पवित्र आत्मा नहीं हैं। हम में कई प्रकार की बुराइयां हैं और मैं समझता हूं कि मैं ने उपदेश देने का कभी अपराध नहीं किया।

निस्सन्देह हमें शान्ति का समर्थन करना है किन्तु यदि चीन आक्रमण करता है तो उस से युद्ध भी लड़ना है। इस का यह अभिप्राय नहीं कि हम विश्व में शान्ति के समर्थक नहीं, क्योंकि यदि हम ऐसा न करें तो संसार नष्ट हो जाये। मैं समझता हूं कि इस अन्तर को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें युद्ध जैसे उपायों द्वारा भी अपनी रक्षा करनी है। मुझे खेद है कि मैं स्वयं नहीं जानता कि आक्रान्ता चीन का मुकाबला अहिंसात्मक ढंग से हो सकता है, क्योंकि मैं यह नहीं जानता इसलिए कर भी नहीं सकता, किन्तु शान्ति की वृत्ति बनी रहनी चाहिए चीन के साथ ही नहीं बल्कि सारे विश्व के साथ। चीन के साथ भी यदि यह विवाद हल करने का शान्तिपूर्ण उपाय मिल जाये तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। हमें केवल युद्ध के आकर्षण के लिए शान्ति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।

†**श्री नाथ पाई** : हम ने एक भी चीनी नहीं मारा, न ही किसी को बन्दी बनाया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह सच नहीं है। हम ने कई चीनी मारे हैं। मैं इस की बात नहीं कर रहा कि हम ने क्या किया बल्कि कुछ लोगों की उस बुद्धि की बात कह रहा हूं जो दूसरों को मारने से प्रसन्नता अनुभव करते हैं।

हमारी नीति की तीसरी बात जिसे सामान्यतः प्रोत्साहन दिया जाता है औपनिवेशिक शासन को समाप्त करना है। उस में बहुत प्रगति हुई है। किन्तु मुख्यतया अफ्रीका में और अन्य कुछ स्थानों पर अब भी उपनिवेश विद्यमान हैं और हमें उन्हें नैतिक सहायता देनी चाहिए और अपनी योग्यतानुसार अन्य सहायता भी करनी चाहिए।

यह आलोचना की गई है कि हम ने अफ्रीकी राष्ट्रों की सहयता की थी। मुझे यह ज्ञात नहीं बहुत से अफ्रीकी राष्ट्र अभी अभी आज़ाद हुए हैं। उन के नेता पूर्णतया सशक्त हैं। कभी कभी उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य स्थलों पर ऐसी नीतियों का समर्थन किया है जिन के बारे में हमारा विचार था कि उन से अफ्रीका या संसार का भला नहीं हो सकता। अतः हमें उन के साथ तर्क वितर्क करना पड़ा। सम्भवतः नई शक्ति और प्रगतिशीलता के कारण अब भी उन का यह विश्वास है कि कठोर संकल्प पारित करवाने से फल की उपलब्धि हो सकती है। हम वह स्थिति कुछ वर्ष पूर्व पार कर चुके हैं और यदि हम ने उन्हें रोकने या उन के साथ तर्क वितर्क करने का प्रयत्न किया है तो वे कुछ हम से निराश हुए हैं। वह मामूली बात है। मूलतः मैं यह समझता हूं कि हमें अफ्रीका में सद्भावना प्राप्त है और निश्चय ही उन सब को भी हमारी सद्भावना प्राप्त है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

किसी मान्य सदस्य ने, मुझे नाम याद नहीं, सुझाव दिया था कि अंगोला और मोजाम्बीक के पुर्तगाली उपनिवेशों के लोगों को हमें प्रशिक्षण देना चाहिए । हम इस के लिए तैयार हैं । हम ने भारत में विदेशों के हजारों छात्रों को प्रशिक्षण दिया है । मेरे साथी ने बताया है कि भारत में इस समय पांच हजार विदेशी छात्र हैं । उन में से कुछ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं । अंगोला अथवा मोजाम्बीक से अधिक छात्र नहीं आये, किन्तु इस का यह अभिप्राय नहीं कि हम उन्हें प्रशिक्षण नहीं देना चाहते, किन्तु सामान्यत: यह व्यवस्था उन देशों की सरकारों के साथ की जाती है और पुर्तगाली उन्हें यहां भेजना नहीं चाहते । हम उन को अपहरण कर के नहीं ला सकते यदि वे किसी तरह आ सकें तो उन्हें प्रशिक्षण देने में हमें प्रसन्नता ही होगी । दूसरे देशों में हमारे बहुत से अध्यापक और अन्य विशेषज्ञ काम कर रहे हैं ।

यह मोटे तौर पर हमारी नीति है, किन्तु इस बदलते हुए विश्व में नीति पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है । इसलिये नीति को अपनाते समय हमें सजग रहना है ।

मैं विदेशी सेवा के सम्बन्ध में पहले ही कह चुका हूं । वे जो कुछ करते हैं उस सब का समर्थन करने के लिये मैं तैयार नहीं, किन्तु उन में कुछ प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्होंने महान् सेवा की है । हम विदेशी सेवा में सुधार कर रहे हैं । कभी कभी गैर सरकारी लोगों को इस सेवा में लगाने का लाभ होता है किन्तु गैर-सरकारी लोग सेवा में अधिक दिन रह कर व्यवहारत: कर्मचारियों जैसे बन जाते हैं । किन्तु विदेशी सेवा की कार्य-पद्धति अपनाने में कुछ समय लगता है । इस में हमें दोनों प्रकार के अनुभव प्राप्त हुए हैं । कुछ गैर सरकारी लोग तो असाधारण रुप से प्रतिभाशाली प्रमाणित हुए हैं, किन्तु कुछ असफल भी रहे हैं । यह बात सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध भी कही जा सकती है, क्योंकि हम जिस बारे में सामान्य सिद्धान्त नहीं बना सकते, किन्तु सामान्यत: राजदूतावासों के अध्यक्ष जो काम करते हैं उस पर बहुत प्रतिबन्ध होता है सिवाये अमरीका के । सामान्यत: राजदूतों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे जहां तहां सार्वजनिक भाषण दें । अमरीका और भारत में इस प्रथा का विकास हुआ है । युरुप या इगलैंड में ऐसा बहुत कम होता हैं । इन मामलों में वे बहुत रुढ़िवादी हैं ।

प्रचार कार्य के सम्बन्ध में सदा आलोचना की जा सकती है और उस में सदा सुधार भी किया जा सकता है । मैं समझता हूं कि कुछ समय से विशेषत: चीन के आक्रमण के बाद से अर्थात् पिछले कुछ महीनों से हम ने काफी सुधार कर लिया है । श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने हिन्दी में प्रचार सामग्री के बारे में कुछ कहा था । वह सामग्री मूल रूप में अंग्रेजी में तैयार की जाती है और फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हिन्दी में निकाली जाती है । अत: इस में कुछ अन्तर आ जाता है । वास्तव में यह सामग्री केवल अंग्रेजी और हिन्दी में ही नहीं बल्कि प्राय: एक दर्जन विदेशी भाषाओं जैसे फ्रांसीसी, जर्मन, अर्बी, स्पैनिश आदि में भी निकाली जाती है ।

यदि माननीय सदस्य कुछ ठोस सुझाव दें तो उन पर विचार किया जायेगा । अकुशलता के अस्पष्ट आरोपों पर विचार करना कठिन है जब कि यह संगठन इतना बड़ा है कि कुछ मामलों में सुधार किया जा सकता है ।

†**श्री नाथ पाई :** हाउस आफ कामन्ज ने जिस प्रकार की समिति बनाई है वैसी समिति बना कर राजदूतावासों का कार्य देखने का दायित्व आप संसद् को क्यों नहीं सौंपते ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जब माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि हम दूसरों द्वारा निरीक्षण पर आपत्ति करते हैं तो मैं नहीं समझा था एक उन का निरीक्षण से क्या अभिप्राय है। वे कार्य के ढंग का निरीक्षण कर सकते हैं नीतियों का नहीं। मैं इस बात का विरोध नहीं करता कि संसद् सदस्य जा कर राजदूतावासों का कार्य देखें किन्तु इस लम्बे दौरे का बहुत खर्च होगा और वे केवल सामान्य कार्य प्रक्रिया से ही देख सकेंगे।

मैं ने कुछ सदस्यों और पत्रकारों से यह शिकायत सुनी है कि हमारे राजदूतावास उन्हें सहयोग नहीं देते। वे विदेश में जा कर तुरन्त वहां के प्रधान मन्त्री या राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। यह कठिन है विशेषतया जब कि बहुत से लोग विदेश जाते हैं। उदाहरण के लिये एक पत्रकार इस बात पर नाराज हो गया था कि हमारे राजदूत ने चर्चिल के साथ उन की भेंट का आयोजन नहीं किया था। श्री चर्चिल उन दिनों बहुत व्यस्त थे। इसलिए पत्रकार ने लिखा कि भारत के उच्चायुक्त ने भारत की सेवा नहीं की, क्योंकि उस ने उन के स्वागत में भोज का आयोजन नहीं किया था।

एक ओर हम बचत करने का आयोजन कर रहे हैं, किन्तु यहां से जो कोई भी जाता है वह यह चाहता है कि उसे कार दे दी जाये। लन्दन, पैरिस, वाशिंगटन जैसे बड़े बड़े नगरों में जहां कि अनेक विख्यात लोग जाते हैं, इसलिए हर एक के लिए कार का आयोजन करना कठिन है।

†**श्री हनुमन्तैया** (बंगलौर नगर) : आप ने कहावत का एक ही पहलू बताया।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर) : इस संबंध में बहुत सी शिकायतें की गई थीं और विशेष उदाहरणों का उल्लेख किया गया था।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे समझ में नहीं आता कि श्री हनुमन्तैया और श्री माथुर यह समझें कि शिकायतें उनके बारे में हैं।

†**श्री हनुमन्तैया** : मैंने शिकायत कभी नहीं की है। आप सदैव अधिकारियों का समर्थन करते हैं। तस्वीर की दूसरी तरफ भी है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : निस्सन्देह दूसरी ओर भी है।

†**श्री हनुमन्तैया** : श्री श्रीकाश ने हाल ही में एक लेख लिखा है और उन्होंने आई० सी० एस० अधिकारियों के गुप्त मनोविज्ञान के बारे में बताया है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : भारतीय संसद् सदस्यों को उतना सम्मान नहीं मिलता जितना कि ब्रिटिश सरकार अपने संसद् सदस्यों का सम्मान करती है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं जानता हूं।

†**श्री हनुमन्तैया** : आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप संसद् सदस्यों के सम्मान को बढ़ाएं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि किसी सेवा के बारे में जो कि मेरे अधीन हो कुछ कहा जाए तो उनकी ओर से मुझे कुछ कहना है। मैं उसके लिए उत्तरदायी हूं। मैं नहीं कहता कि वे गलती नहीं करते वे प्रायः गलती करते हैं और उन्हें इसके लिए ताड़ना दी जाती है। मुझे उनकी ओर से इसलिए कहना पड़ता है, क्योंकि वे यहां मौजूद नहीं हैं। यहां के अमरीकी दूतावास को लीजिए। यह बड़ा दूतावास

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

है जिसमें काफी कर्मचारी हैं। जो अमरीकी सैनेटर या व्यापारी यहां आते हैं अमरीकी दूतावास उनसे अच्छा व्यवहार करता है परन्तु गुप्त रूप से वे आपको भले बता दें कि वे इन लोगों के आने से तंग होते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : इसमें गुप्त बात क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अब एक दो मामले और हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं।

†**श्री त्यागी** : नेपाल और पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों के बारे में भी कुछ कहिए।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा ख्याल है कि शायद श्री नाथ पाई ने मेरा ध्यान इस ओर दिलाया था कि यहां कालिम्पोंग को दिखाया गया है।

†**श्री नाथ पाई** : माफ कीजियेगा, मैंने ऐसा नहीं किया।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : किसी अन्य सदस्य ने मेरा ध्यान विदेशों में भारतीय सूचना एकक नामक एक पुस्तक के परिशिष्ट की ओर आकर्षित किया। जैसा कि बताया गया था, उस सूची में कालिम्पोंग भी है। यह स्पष्टतया गलत है। इसे वहां पर नहीं दिखाया जाना चाहिए, अतः यह गलती है।

†**श्री नाथ पाई** : आप कभी कभी प्रतिवेदनों को देखते हैं ? हम ने बहुत सी बातों की ओर ध्यान दिलाया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं उन्हें उसी समय देखता हूं जब कि माननीय सदस्य देखते हैं।

†**श्री नाथ पाई** : तैयार करने से पूर्व भी यह आपको दिखाये जाते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी हां, कभी कभी।

अब मैं कालिम्पोंग के बारे में आपको बताऊंगा। इस स्थान पर एक विशेष सूचना केन्द्र है जिसे उस समय खोला गया था जबकि अधिक संख्या में तिब्बती लोग आने शुरू हुए थे। यह केन्द्र इसी लिये खोला गया था। तिब्बती शरणार्थियों सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी थी।

एक अन्य मामले की ओर श्री नाथ पाई ने ध्यान दिलाया। उन्हें इस बात की बड़ी चिन्ता हुई है कि हमारे कार्यभारी दूत श्री भुट्टो द्वारा आयोजित एक समारोह में सम्मिलित हुए। मुझे पहले इस की पूरी जानकारी नहीं थी। जांच करने पर मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने हमारे मन्त्रालय को इस बारे में निदेश किया था। और हमारे मन्त्रालय ने उन्हें बताया कि यह एक साधारण समारोह है और उन्हें इसमें सम्मिलित होना चाहिए।

†**श्री नाथ पाई** : यह एक साधारण समारोह नहीं था। इस अवसर पर भारत के विरुद्ध श्री भुट्टो द्वारा एक सन्धि पर हस्ताक्षर किये जाने थे। मन्त्रालय का ऐसा करने की अनुमति देना तो और भी खेदजनक है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस बारे में माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। परन्तु साधारणतया ऐसी औपचारिकताओं के अनुसार ही कार्य किया जाता है, जब तक कि आप यह न चाहें . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथपाई** : भारत के विरुद्ध सन्धि पर हस्ताक्षर करने सम्बन्धी समारोह एक साधारण विदेशाधिकरण समारोह है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : में इस बारे में तर्क-वितर्क में नहीं पड़ना चाहता। एक विदेश मन्त्री वहां पर उपस्थित थे और एक अन्य सरकार के विदेश मन्त्री द्वारा उनके सम्मान में यह समारोह आयोजित था ।

इस मामले का ब्यौरा केवल इतना है कि उन्होंने इस बारे में मन्त्रालय को लिखा और हमारे मन्त्रालय ने उन्हें इस समारोह में सम्मिलित होने की राय दी ।

†**श्री ना० गो० रंगा** : आप के मन्त्रालय ने इतनी बड़ी भूल की है, परन्तु आप उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी नहीं ।

†**श्री ना० गो० रंगा** : कई अवसरों पर विभिन्न देशों में, जबकि रूस के विरुद्ध विचार व्यक्त किये गये तो क्या उन समारोहों से रूस के राजदूत ने बहिर्गमन नहीं किया ? और हम रूस से बहुत सी बात सीख रहे हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : बहिर्गमन कई बार हुआ है । इस सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संसद् से भी लोग उठ कर बाहर चले जाते हैं । तो क्या किया जा सकता है ? (**अन्तर्बाधायें**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री ना० गो० रंगा** : इस कलंकित ढंग से इस देश का असम्मान करने पर हम अवश्य ही आप के मन्त्रालय की और आपके कार्यभारी दूत की निन्दा करना चाहते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं । आप कुछ भी कहें । समारोह में सम्मिलित होने अथवा न होने के बारे में दो रायें हो सकती हैं ।

इस मामले का एक अन्य पहलू मैं आप के समक्ष रखूंगा । क्योंकि पाकिस्तान और चीन इन दोनों देशों के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत खराब हैं इस लिये उनका सम्मिलित होना वांछनीय था ।

†**श्री हेम बरुआ** : हम आप से पूर्णतया असहमत हैं । (**अन्तर्बाधाएं**)

†**अध्यक्ष महोदय** : : उन्होंने तो कहा है कि इस बारे में दो रायें हो सकती हैं । तो क्या किया जा सकता है ? (**अन्तर्बाधायें**)

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : कभी तो वह माननीय सदस्य से सहमत होते दिखाई देते हैं और कभी अनुचित बात का समर्थन भी करते हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: मैं इस बारे में बहस नहीं कर रहा हूं । माननीय सदस्यों की अपनी अपनी रायें हो सकती हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : अधिक अच्छा होगा कि आप अपनी गलती को मान लें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई** : यह आपके मन्त्रालय की सख्त गलती है। सारे देश का यही विचार है। यदि आप गलती स्वीकार कर लें तो अधिक शालीन होगा।

†**श्री ना० गो० रंगा** : आप अड़ रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : किसी माननीय सदस्य ने मार्शल चेन यी के उस वक्तव्य के बारे में पूछा है कि श्रीमती बंडारनायके ने कोलम्बो प्रस्तावों का निर्वचन हमारे समक्ष एक प्रकार से किया है और चीन के समक्ष किसी अन्य प्रकार से। यह स्पष्ट है कि मैं इस बात का उत्तर नहीं दे सकता। इस बात का उत्तर श्रीमती बंडारनायके अथवा उनके किसी साथी द्वारा दिया जाना चाहिए। श्री अली साब्री, मिस्र की कार्यपालिका परिषद् के सभापति, ने इस बात को गलत बतलाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने इन प्रस्तावों का निर्वचन दोनों पक्षों के सामने एक सा किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने हमारे द्वारा विदेशी उच्चपदाधिकारियों को अपने देश में आने का निमन्त्रण देने पर मितव्ययिता के आधार पर विरोध किया है। मैं समझता हूं कि लोगों को निमन्त्रण न देकर अधिक मितव्ययिता नहीं हो सकती है, विशेषतया जबकि यह निमन्त्रण आपातकाल से पहले दिया गया है। हम उन्हें नहीं कह सकते कि वह यहां न आयें। यह बात तो बहुत बुरी होगी। मैं समझता हूं कि कई एक पहलुओं से यह वांछनीय है कि हम लोगों को निमन्त्रण दें और कभी कभी स्वयं हमारे लोग भी बाहर जायें। हमारे राष्ट्रपति शीघ्र ही पहले कुछ पश्चिमी एशियन देशों में और फिर पश्चिम की ओर भी आगे जाने वाले हैं।

नेपाल के बारे में मेरे पास बहुत कुछ करने के लिये नहीं है, और मैं नहीं समझ पाता कि कुछ लोग ऐसी कल्पना क्यों करते हैं अथवा कुछ लोगों ने पूर्व में क्यों ऐसी कल्पना की थी कि गत दो वर्षों में किसी समय भी हम किसी प्रकार नेपालके विरोधी रहे हैं। जब नेपाल में पहली बार विप्लुत शासन-परिवर्तन हुआ था तो मैंने संसद् में केवल उतना ही कहा था कि लोकतन्त्र को जो धक्का लगा उस से मुझे खेद हुआ था। किसी समय भी हमने नेपाल के प्रति अपना दृष्टिकोण नहीं बदला। कुछ रचनात्मक कार्य जो नेपाल में आरम्भ किये गये थे वह हम करते रहे हैं। परन्तु, किसी तरह भी हो, ऐसे विचार लोगों के दिलों में पैदा हुए और उनको दूर करने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अब ऐसे विचार लोगों के नहीं हैं।

हमारे गृह मन्त्री की यात्रा के बारे में जो विचार व्यक्त किये गये मैं उनसे सहमत हूं। उनकी यात्रा से बहुत सुधार हुआ है। दुर्भाग्यवश, हम उन्हें हर जगह नहीं भेज सकते।

यह भी सुझाव दिया गया कि गोआ, पांडिचेरी, नेफा, नागालैण्ड आदि को वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय की देख रेख में न रख कर गृह-कार्य मन्त्रालय के अन्तर्गत रख दिया जाय। यदि ऐसा किया जाय तो मुझे प्रसन्नता होगी; परन्तु मैं समझता हूं कि इसके लिये वर्तमान समय उचित नहीं है। इस का मुख्य कारण यह नहीं है कि वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय इन स्थानों की देख रेख इतनी अच्छी तरह कर रहा है जितनी अच्छी तरह कि गृह-कार्य मन्त्रालय नहीं कर सकेगा; परन्तु इस मामले में प्रभावित लोगों के अपने विचार भी हैं। इन स्थानों के लोग पुराने सम्पर्क के कारण अभी वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय ही से सम्बन्ध रखने के इच्छुक हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : वह लोग केवल वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में इसलिये रहना चाहते हैं कि आप इस मन्त्रालय के सर्वोच्च अधिकारी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जहां तक नेफा का संबंध है भविष्य में जो भी परिवर्तन किया जाये अभी कोई परिवर्तन करना वांछनीय नहीं होगा।

जहां तक पाकिस्तान चीन संधि का संबंध है हमारी सरकार ने इस संबंध में एक पुस्तिका प्रकाशित की है। परसों हमने यह मामला सुरक्षा समिति को भी सौंप दिया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर आपत्ति की है कि हम अभी भी पाकिस्तान से बातचीत जारी रख रहे हैं। कई ऐसी चीजें होती हैं जो अनिच्छा से भी जारी रखनी होती हैं। हमने यह निश्चय किया कि भले ही हम इसके परिणाम के संबंध में आशावादी नहीं हैं तथापि हमें ये बातचीत जारी रखनी चाहिये। श्री स्वर्ण सिंह ने इन वार्त्ताओं के दौरान बड़ी योग्यता और दृढ़ता से कार्य किया है। कम से कम हम दो देशों के संबंध में बातचीत करने से इन्कार नहीं कर सकते हैं। यदि किसी मामले में अपनी स्थिति साफ़ है तो आदमी दृढ़ रह सकता है, तथापि यदि हम बातचीत न करने का रवैया अख्तियार करें तो इससे राष्ट्र में उत्तेजना फैलती है। अतः हम अपने सिद्धांतों के अनुसार बातचीत करने को तैयार रहना चाहिये।

जहां तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री बी० पटनायक का संबंध है, उनमें अभिनव विचार, पर्याप्त अनुभव है। उन्हें विमानों के बारे में काफी अनुभव है तथा हमारे सेनाध्यक्षों से काफी सम्पर्क हैं। वे स्वयं एक अच्छे विमान चालक हैं। वे समय समय पर दिल्ली में परामर्श देने के लिये आया करते थे। बाद में हमने यह विचार किया कि यदि वे इन विषयों के बारे में अमेरिका जा कर वार्ता करें तो अच्छा होगा। उन्होंने किसी अन्य कार्य के लिये भी अमेरिका जाना था। उन्होंने वहां अच्छा कार्य किया। यद्यपि मेरे पास कई कटौती प्रस्ताव आये हैं तथापि मैं उन पर पृथक से चर्चा नहीं करूंगा। हमें मितव्ययता तथा सेवाओं, तथा प्रचार में कुशलता लाने में संतुलन करना है। वस्तुतः प्रचार कार्य में बहुत व्यय होता है। तथापि अभी हाल लंदन स्थित एक भारतीय पत्र के संवाददाता की सहायता से प्रचार कार्य में काफी सुधार हुआ है।

मैं माननीय सदस्यों की आलोचनाओं का स्वागत करता हूँ हम उनके सुझावों का पूरा पूरा उपयोग करेंगे।

†**श्री नाथपाई :** मैं उन भारतीय युद्ध बंदियों के बारे में पूछना चाहता हूँ जो अभी भी चीनियों के हाथों में बंदी हैं। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि यदि चीनी कोलम्बो प्रस्तावों से पूरी तरह सहमत होंगे तो पहिली शर्त यही होगी कि सभी युद्धबंदी लौटा दिये जायेंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** हम निस्संदेह अपने युद्धबंदियों को चीनियों के हाथों से मुक्त करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। तथापि चीनियों से बार बार दया की भीख मांगना ठीक नहीं है।

वस्तुतः हम चीन से कोई भी बातचीत केवल शान्ति के आधार पर ही कर सकते हैं। क्योंकि तभी आप अपनी मांगें मनवा सकते हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि अभी हाल के इटो के अधीन नागालैंड में नागाओं का उपद्रव बढ़ गया है। और वे पाकिस्तान द्वारा दिये गये आधुनिक शास्त्रास्त्रों से लैस हैं। क्या यह सच है कि फिजो ने प्रधान मंत्री को यह पत्र लिखा है कि यदि वे नागालैंड के भविष्य के लिये जनमत संग्रह का आश्वासन देने को तैयार हैं तो वे पांच वर्ष के लिए इन घटनाओं को बन्द कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : पिछले दो तीन महीनों में विरोधी नागाओं की कार्यवाहियां बढ़ी हैं। आक्रमण के आरम्भ में उनका रवैया हमारी मदद करने का था। तथापि ज्ञात हुआ कि २०० नागाओं के एक दल ने मनीपुर के सीमांत पर हमला किया तथापि उन्हें सीमा रक्षकों ने खदेड़ दिया। उन्हीं में से कुछ लोगों ने पुनः घुसने का प्रयत्न किया उन्हें भी खदेड़ा जा रहा है।

जहां तक फ़िजों के पत्र का संबंध है श्री माइकल स्काट ने एक पत्र दिया था। उन्होंने अपने पत्र में तथा अन्यत्र भी यह लिखा था कि उन्हें भारत आने की सुविधा दिये जाने पर वे इस संबंध में मुझ से चर्चा करना चाहेंगे। मैंने इस विषय को नागालैंड के राज्यपाल के पास भेज दिया वहां से ज्ञात हुआ कि नागालैंड की कार्यकारिणी समिति इस बात को वांछनीय नहीं समझती है। तदंतर मैंने उन्हें यह लिखा कि मैं उनसे मिलने को तैयार हूं तथापि इन विरोधी कार्यों को समाप्त कर दिया जाना चाहिये अन्यथा मुझे उनसे मिलने पर कोई लाभ नहीं होगा।

†डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या प्रधान मंत्री अभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को स्थान दिलाने का प्रयत्न करेगा ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह प्रश्न ६ या ७ महीने के बाद पुनः उत्पन्न होगा। तब तक न जाने क्या स्थिति हो। तथापि सभा को यह मानना चाहिये कि चीन के संयुक्त राष्ट्र संघ में आने का हमारी उसकी दोस्ती या दुश्मनी से कोई संबंध नहीं है। मेरे विचार से चीन सरकार स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान नहीं चाहती है। तथापि निशस्त्रीकरण जैसे व्यापक विषय पर बिना चीन के सहयोग के किस प्रकार निर्णय किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय द्वारा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांग मतदान लिए रखी गयीं और पूरी की पूरी स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१७	आदिम जाति क्षेत्र	१२,५५,०४,०००
१८	नागा पहाड़ियां-वेनसांग-क्षेत्र . . .	५,५४,८९,०००
१९	वैदेशिक-कार्य	१५,४७,१५,०००
२०	पांडिचेरी राज्य	३,४५,२८,०००
२१	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र . . .	१२,९०,०००
२२	गोआ, दमन और दीव	६,४८,४६,०००
२३	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	४,४२,४८,०००
११८	वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	१,१२,७५,०००

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय

†अध्यक्ष महोदय : सभा अब खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों पर चर्चा आरम्भ करेगी।

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष,१९६३–६४ के लिये खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
४१	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय .	७५,५०,०००
४२	कृषि . . .	२,९३,१७,०००
४३	कृषि अनुसन्धान . .	४,७४,१०,०००
४४	पशुपालन . .	८८,७१,०००
४५	वन	९७,६४,०००
४६	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	२९,१४,६२,०००
१२७	वनों पर पूंजी परिव्यय .	९,१०,०००
१२८	खाद्यान्नों की खरीद	२,२७,५७,३६,०००
१२९	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	६०,२७,४८,०००

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय : खेती के बारे में आपसे अच्छा बोलने वाला और कौन हो सकता है।

श्री यशपाल सिंह : हमको खेती के लिए अपनी नदियों के पानी का बांध बनाकर पूरा उपयोग करना चाहिए। हम गंगा के पानी का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब आगे माननीय सदस्य कल जारी रखेंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, २० मार्च, १९६२/२९ फाल्गुन, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, १९ मार्च, १९६३

२८ फाल्गुन, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२०४९—७१
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४६९	कलकत्ता बन्दरगाह के लिए तलकर्षक (ड्रेजर)	२०४९—५१
४७०	सामुदायिक विकास खण्डों के प्रमुख	२०५१—५३
४७१	भारत और अमरीका के बीच भारवाहक जलयान सेवा	२०५३—५५
४७३	हैदराबाद फ्लाइंग क्लब के विमान की दुर्घटना	२०५५—५६
४७४	जयपुर-बीकानेर राष्ट्रीय राजपथ	२०५६—५७
४७५	ग्रामीण गृहणियों का कार्य-भार कम करना	२०५७—६०
४७६	सूखी खेती	२०६०—६२
४७८	गन्ने का उत्पादन	२०६२—६५
४७९	आसाम में सूक्ष्म तरंग सम्पर्क (माइक्रो वेव लिंक)	२०६५—६६
४८०	पंचायतों के चुनाव	२०६६—६८
४८१	जयन्ती शिपिंग कम्पनी	२०६८—७०
४८२	कलकत्ता के लिये वृत्तीय रेलवे	२०७० —७१
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२०७१—२११३
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४७२	पश्चिमी बंगाल में खाद्य का स्टाक	२०७१
४७७	झूठे मनीआर्डर	२०७१—७२
४८३	कलिंग एयर लाइन्स के सम्बन्ध में काटजू समिति	२०७२
४८४	दूर-संचार भवन	२०७२
४८५	भोपाल के लिये विमान सेवायें	२०७२—७३
४८६	मद्रास में दूरमुद्रक (टेली प्रिंटर) का कारखाना	२०७३
४८७	गहरे समुद्र से मछलियां पकड़ने की परियोजनायें	२०७३
४८८	ग्लाइडिंग क्लब	२०७४

	विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या		
४८६	भूमि सवक्षण	२०७४
४६०	हल्दिया पत्तन तक रेलवे लाइन	२०७५
४६१	झांसी के लिए दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर) सेवा	२०७५
४६२	तेवरा दाल	२०७६
४६३	मध्य वर्ग के पर्यटकों के लिये आवास	२०७६–७७
४६४	ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज़	२०७७
४६५	नेताजी की स्मृत्ति में डाक टिकट]	२०७७
४६६	खेत दिवस	२०७८
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८६४	कटक में गोदाम	२०७८
८६५	रेलों में भर्ती	२०७६
८६६	आन्ध्र प्रदेश को सहायता	२०७६
८६७	टेलीप्रिन्टर सेवा	२०८०
८६८	राजस्थान में टेलीफोन	२०८०–८१
८६६	फूलबनी के कर्मचारियों के क्वार्टर	२०८१
६००	बरहामपुर–फूलबनी रेलवे लाइन	२०८१
६०१	विशाखापटनम–भिलाई रेलवे लाइन	२०८२
६०२	उड़ीसा में डाक सेवायें	२०८२–८३
६०३	डी० बी० के० रेलवे	२०८३
६०४	दिल्ली कालका मेल में भोजन यान	२०८३–८४
६०५	शिकार पर्यटक उद्योग	२०८४
६०६	खाद्यान्नों की खरीद	२०८४–८५
६०७	पातालपानी के निकट दुर्घटना	२०८५–८६
६०८	हसन-मंगलौर रेलवे लाइन	२०८५
६०६	हौसपेट रेलवे लाइन	२०८६
६१०	राष्ट्रीय राजपथ	२०८६
६११	उत्तर प्रदेश के सरकारी वनों से स्लीपरों की खरीद	२०८६–८७
६१२	पंचायत समितियां	२०८८

विषय	पृष्ठ

अतारांकित

प्रश्न संख्या

९१३	कृषि गवेषणके लिये अमरीका द्वारा सहायता	२०८८
९१४	ए० सी० बिजली के इंजन	२०८८–८९
९१५	दुग्ध संभरण योजनायें	२०८९
९१६	रेल की पटरी में त्रुटि का पता लाने के लिये यंत्रीकृत जऔजार	२०८९–९०
९१७	रिंग रोड	२०९०–९१
९१८	अन्तर्देशीय जल परिवहन	२०९१–९२
९१९	पंचयतों के लिये प्रशिक्षित कार्यकार्ता	२०९२
९२०	जहाजों का प्रतिस्थापन	२०९२
९२१	रेलों की टक्कर रोकने की मशीन	२०९२–९३
९२२	मनीपुर में मीन क्षेत्र	२०९३
९२३	काजू का उत्पादन	२०९३
९२४	हवाई हमले के बचने के उपाय	२०९३–९४
९२५	मनीपुर राज्य परिवहन	२०९४
९२६	किसानों को वित्तीय सहायता	२०९४–९५
९२७	रासायनिक उर्वरक	२०९५
९२८	उत्तर रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	२०९६
९२९	पंजाब में फल उत्पादन	२०९६
९३०	सोहागपुर–पिपरिया के बीच रेल दुर्घटना	२०९७
९३१	बैलों द्वारा चलाया जाने वाला हल	२०९७
९३२	शाखा डाक घरों को उप-डाकघर बनाना	२०९७–९८
९३३	बिजली के इंजनों द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ियों में शोचालय	२०९८–९९
९३४	केरल में कृषि का विकास	२०९९
९३६	कृषि सहकार समितियां	२०९९–२१००
९३७	इंडियन-एयरलाइन्स कारपोरेशन	२१००
९३८	रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	२१००
९३९	तूतीकोरिन पत्तन	२१००–०१
९४०	राजस्थान में राष्ट्रीय राजपथ	२१०१
९४१	चित्तरंजन रेलवे इंजन	२१०१–०२
९४२	इंजन ड्राइवरों के शिक्षण के लिये स्कूल	२१०२

विषय पृष्ठ

अतारांकित

प्रश्न संख्या

९४३ कोचीन पत्तन--कोयम्बटूर रेलवे लाइन . २१०२

९४४ जलागम क्षेत्र में वन रोपण . २१०२–०३

९४५ पंजाब में छोटी सिंचाई २१०३

९४६ रेलवे कर्मचारियों की सहकारी संस्थाएं . . २१०३

९४७ आसाम में राष्ट्रीय राजपथ . २१०४

९४८ उमरिया स्टेशन २१०४

९४९ भीमगंज मंडी में टेलीफोन २१०४–०५

९५० दण्ड का पुनर्विलोकन . . . २१०५

९५१ मालगाड़ी से चीनी के बोरों की चोरी . . . २१०५

९५२ उज्जैन रेलवे स्टेशन के निकट दुर्घटनायें . . . २१०६

९५३ उज्जैन के रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर . . . २१०६

९५४ गुना-मक्सी रेलवे लाइन . . २१०६–०७

९५५ महिला कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण २१०७–०८

९५६ राजस्थान में टेलीफोन २१०८

९५७ मैसूर में अयस्क की ढुलाई के लिये सड़क . . . २१०८

९५८ राष्ट्रीय राजपथ २१०८–०९

९५९ नीमाटी (आसाम) में समान का इकट्ठा ले जाना २१०९

९६० लासीन के पास दुर्घटना २११०

९६१ चारा फसल अनुसन्धान २११०

९६२ मुकेरियां–तलवाड़ा रेलवे लाइन २१११

९६३ रोपड़–नंगल बान्ध सेक्शन २१११

९६४ चाय बागानों को उर्वरक का संभरण . २१११–१२

९६५ जहाज निर्माण संस्थान २११२

९६६ मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद . . . २११२

९६७ तिरुनेलवलि–कन्याकुमारी रेलवे लाइन २११३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २११३–१४

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत लेखापरीक्षता प्रतिवेदन प्रतिरक्षा सेवायें, १९६३।

(दो) वर्ष १९६१–६२ के लिये प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे और तत्संबंधी वाणिज्यिक परिशिष्ट।

विषय पृष्ठ

(दो) (क) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन डाक व तार, १९६३।

(ख) विनियोग लेखे, डाक व तार, १९६१–६२।

(२) वाणिक नौवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४५८ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २ फरवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १९४ में प्रकाशित रक्षा नौकावाहक (अर्हतायें तथा प्रमाण-पत्र) नियम, १९६३ की एक प्रति।

(३) निम्नलिखित प्रतिवेदन की एक-एक प्रति :—

(एक) वर्ष १९६१–६२ के लिये भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष १९६१–६२ के लिये भारतीय केन्द्रीय कपास समिति का वार्षिक प्रतिवेदन।

(तीन) वर्ष १९६१–६२ के लिये भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति का वार्षिक प्रतिवेदन।

(चार) वर्ष १९६१–६२ के लिये भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति का वार्षिक प्रतिवेदन।

(४) वर्ष १९६१–६२ के लिये भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। २११४

समिति के लिये निर्वाचन २११४

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) ने यह प्रस्ताव किया कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये लोक सभा अपने में से चार सदस्य चुनें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण संबंधी समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . . . २११४—५९

श्री कृष्ण मूर्ति राव ने १८–२–६३ को राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों के आचरण संबंधी समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सर्वश्री राम सेवक यादव, बागड़ी, भू० ना० मंडल, उटिया और रामेश्वरानन्द ने अपने वक्तव्य दिये। कुछ चर्चा के पश्चात प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा अध्यक्ष महोदय ने उक्त सदस्यों का वाक्ताड़न किया।

अनुदानों की मांगें . . . . . २१५९—७९

(१) वैदेशिक कार्य मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।

(२) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

बुधवार, २० मार्च, १९६३/२९ फाल्गुन, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा।

GMGIPND—LS III—3191 (Ai) LSD—24-5-63—160

	पृष्ठ
ुदानों की माँगें —	
श्री प्रकाश वीर शास्त्री	२१५५—५७
डा० गोविन्द दास	२१५७—५६
वैदेशिक कार्य मंत्रालय—	२१५६—७८
डा० सरोजिनी महिषी	२१५६—६०
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	२१६०—६२
श्री उ० मू० त्रिवेदी	२१६२—६३
श्री नरसिम्हा रेड्डी	२१६३—६४
श्री जवाहरलाल नेहरू	२१६५—७८
ाद्य तथा कृषि मंत्रालय —	
श्री यशपाल सिंह	२१७६
ृक संक्षेपिका	२१८०—८४

P.L.S. 41. XV. 22. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।